भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16 के लिए

संघ सरकार

संघ सरकार के लेखे

2016 की प्रतिवेदन सं. 34

(वित्तीय लेखापरीक्षा)

विषय सूची

पैरा सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	ix
	विशिष्टताएं	xi
	अध्याय-1: संघीय वित्त 2015-16 का विहंगावलोकन	
1.1	प्रस्तावना	1
1.1.1	संघ सरकार वित्त का विहंगावलोकन	1
1.1.2	सकल घरेलू उत्पाद	3
1.2	संसाधन का सृजन	4
1.2.1	राजस्व प्राप्तियां	5
1.2.2	राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल	6
1.2.3	राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बी.ई. तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर	7
1.2.4	कर राजस्व	7
1.2.5	कर- जीडीपी अनुपात	9
1.2.6	उपकर संग्रहण	9
1.2.7	गैर-कर राजस्व	10
1.2.8	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	13
1.2.9	निवेशों पर रिटर्न	14
1.3	व्यय विश्लेषण	16
1.3.1	क्षेत्रीय व्यय	17
1.3.2	राजस्व व्यय	18
(क)	सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय	19
(ख)	सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय	19
(ग)	आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय	20
1.3.2.1	प्रमुख राजस्व व्यय की प्रवृति	21
(क)	ब्याज भुगतान	21
(ख)	पेंशन भुगतान	22
1.3.2.2	आर्थिक सहायता प्रबन्धन	23
1.3.3	पूंजीगत व्यय	26
1.3.3.1	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में व्यय (राजस्व+पूंजीगत)	27
1.3.4	राज्यों/यूटी को अंतरण	28
1.3.5	सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम	30
1.3.6	लिंग आधारित बजट	31

1.4	घाटे	32
(क)	राजस्व घाटा	33
(ख)	राजकोषीय घाटा	34
(ग)	प्राथमिक घाटा	36
1.5	ऋण प्रबंधन	37
1.5.1	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	40
1.5.2	ऋण स्थिरता	41
(क)	देयता- जीडीपी अनुपात	41
(ख)	ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात	42
(ग)	औसत ब्याज लागत	43
(घ)	बाजार ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल	43
1.5.3	अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता	44
1.5.4	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में निष्पादन	46
1.6	संघ सरकार की गारंटियों में वृद्धि	46
1.7	निष्कर्ष	48
	अध्याय-2: लेखाओं पर टिप्पणियां	
2.1	प्रस्तावना	50
2.2	पारदर्शिता के मुद्दे	50
2.2.1	सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता	50
(क)	लघु शीर्ष 800 में अपारदर्शिता - अन्य व्यय	50
(ख)	लघु शीर्ष 800 में अपारदर्शिता - अन्य प्राप्तियां	51
2.2.2	सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ	52
(क)	सरकारी लेखाओं के बाहर नियामकों की निधियां	52
(ख)	सरकारी खाते के बाहर टीआरएआई सामान्य निधि का प्रतिधारण	54
2.3	लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ	55
2.3.1	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	55
2.3.2	अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग	57
2.3.3	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	58
2.3.4	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि	59
2.3.5	लोक लेखे में केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) को उपकर का कम अंतरण	60
2.3.6	लोक लेखे में चिन्हित निधियों को उपकर का कम अंतरण	61
2.3.7	आयकर कल्याण निधि	62
2.3.8	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल अंत शेष	63

2.3.9	महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत शेषों का अनियमित प्रतिधारण	64
2.4	डाटा प्रमाणिकता एवं समाधान संबंधी मुद्दे	65
2.4.1	कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में असंगति	65
2.4.2	पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण का गलत दर्शाया जाना	66
2.4.3	निष्क्रिय निधियां तथा जमा	67
2.4.4	अन्य विसंगतियां	68
2.4.4.1	गारंटी शुल्क में विसंगतियां	68
2.4.4.2	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.11 में सूचना का अधूरा दर्शाया जाना	68
(क)	निवेश की अपूर्ण सूचना	70
(ख)	लाभाशों के आंकडों में अंतर	71
(ग)	सांवधिक कम्पनियों के संबंध में लाभांशों के भुगतान में कमी	71
2.4.4.3	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.-15 में विसंगतियां/असंगतियां	72
(क)	ऋणों के बकायों के संबंध में ब्याज को न दर्शाया जाना	72
(ख)	ऋण तथा अग्रिम के प्रतिकूल शेषों के प्रति क्रेडिट किया गया ब्याज	73
(ग)	ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति पुनर्भुगतान	74
(घ)	ऋण के नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप न दिया जाना	75
(ड़)	20 वर्षों से अधिक के लिए बकाया में ऋण तथा अग्रिम	75
2.4.5	सीमा-शुल्क प्राप्तियों का कम बताया जाना	76
2.5	लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक	77
2.5.1	मुख्य उचंत लेखाओं के अन्तर्गत बकाया शेष	77
2.5.2	ऋण, जमा एवं प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष	83
2.5.3	'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष	84
2.5.4	प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना	86
2.5.5	मुद्रा, सिक्के एवं ढ़लाई लेखा	87
2.5.6	प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की न की गई संवीक्षा	87
2.6	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम- प्रारूप लेखाओं की स्थिति	88
2.7	हानियॉ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना	89
2.8	निष्कर्ष	90

	अध्याय-3: विनियोग लेखे: 2015-16	
3.1	प्रस्तावना	92
3.2	2015-16 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश	93
3.3	प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण	95
3.4	अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग	97
3.5	अनुदानों में निरंतर आधिक्य	98
3.6	लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय	100
3.7	अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें	100
3.8	बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)	101
3.9	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)	102
3.10	अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदानें (मूल प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक)	103
3.11	अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदान-वार)	106
3.12	लघु/उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)	108
3.13	लघु/उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)	108
3.14	उपशीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	108
3.15	संपूर्ण प्रावधान की बचतें (उप-शीर्ष वार)	109
3.16	एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचतें	110
3.17	निरंतर बचतें (उप-शीर्ष वार)	112
3.18	मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अंधाधुंध व्यय	112
3.19	योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का खराब कार्यान्वयन	115
3.20	रक्षा सेवाएं अनुदानों में निरंतर बचतें (लघु-शीर्ष वार)	116
3.21	रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण	117
3.22	निष्कर्ष	118
	अध्याय-4: विनियोग लेखे: लेखे पर टिप्पणियां	
4.1	प्रस्तावना	119
4.2	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन - सी.बी.डी.टी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय	119
4.3	प्रावधानों के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता	121
4.3.1	वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन	121

4.3.2	वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन	122
4.3.3	वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन	123
4.3.4	वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन	124
4.3.5	वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के प्रावधान का संवर्धन	126
4.4	पूंजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण	127
4.4.1	पूजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय में गलत वर्गीकरण	127
4.4.2	राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	128
4.4.3	गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	128
4.5	गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	133
4.5.1	भारतीय लोक लेखे के स्थान पर भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना	133
4.5.2	वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन न होना	134
4.5.3	अनुदान के एक ही भाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षो में गलत वर्गीकरण	135
4.5.4	विशेष केन्द्रीय सहायता' का लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना	143
4.6	एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन	144
4.7	'वस्तु शीर्ष 42- एकमुश्त प्रावधान' के अतंर्गत अधिक प्रावधान प्राप्त करना	146
4.8	अंतरिक्ष विभाग में त्रूटिपूर्ण संस्वीकृति आदेशों को जारी करना	147
4.9	अनुदान के एक ही भाग के अंतर्गत मुख्य शीर्षों में गलत वर्गीकरण	149
4.10	सबंधित उप-शीर्ष के गैर-प्रचालन के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण	150
	रक्षा अनुदानें	151
4.11	पूंजीगत अनुदान से राजस्व अनुदान में कुल ₹1976.72 करोड़ की निधि का अप्राधिकृत अतंरण	151
4.12	वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य, को प्रावधान का सवंर्धन	153
	डाक विभाग	154
4.13	₹51.26 करोड़ की 'नकद अनुपूरक' अनुदान का अप्राधिकृत संवितरण	154
4.14	निष्कर्ष	156
	अध्याय 5: सहायता अनुदान: एक विश्लेषण	
5.1	प्रस्तावना	157
5.2	व्यय की प्रवृत्ति	157

5.2.1	प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान	159
5.2.2	योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान	160
5.3	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और ऊर्जा मंत्रालय में सहायता अनुदान पर व्यय की विस्तृत जांच	161
5.4	**अनुदान सं. 48- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**	**161**
5.4.1	प्रस्तावना	161
5.4.2	बजट एवं व्यय	162
5.4.3	सहायता अनुदान पर व्यय का माह-वार प्रवाह	163
5.4.4	डी.डी.जी. में अनुसूची को संलग्न न करना	163
5.4.5	सरकारी अनुदान में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीकृत परिसंपत्तियों के डाटाबेस का गैर-अनुरक्षण	164
5.4.6	सहायता अनुदान के रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जाना।	165
5.4.7	संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन न किया जाना	166
5.4.8	उपयोग प्रमाणपत्रों में अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण न किया जाना	166
5.4.9	स्वायत्त संगठनों के समकक्ष समीक्षा न किया जाना	167
5.4.10	निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना	168
5.4.11	अवास्तविक बजट अनुमान	168
5.4.12	मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना का अधूरा प्रकटीकरण	169
5.4.13	बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र (यू सी)	170
5.4.14	त्रुटिपूर्ण आंतरिक निरीक्षण	171
5.5	**अनुदान सं. 77- विद्युत मंत्रालय**	**172**
5.5.1	प्रस्तावना	172
5.5.2	बजट एवं व्यय	173
5.5.3	वस्तु शीर्ष-वार व्यय	174
5.5.4	सहायता अनुदान पर व्यय का माह-वार प्रवाह	174
5.5.5	विद्युत वित्त निगम को धनराशि के निर्गम में विलंब	175
5.5.6	सरकारी अनुदानों में से अनुदान ग्राही द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का अनुरक्षण न किया जाना	177
5.5.7	अनुदान ग्राही संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्रों (यू सी) को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना	178
5.5.8	निष्कर्ष	179

	अनुबंध	
	अनुबंध 1.1	181
	अनुबंध 2.1	182
	अनुबंध 2.2	183
	अनुबंध 2.3	184
	अनुबंध 2.4	185
	अनुबंध 2.5	188
	अनुबंध 2.6	191
	अनुबंध 2.7	195
	अनुबंध 2.8	197
	अनुबंध 3.1	198
	अनुबंध 3.2	200
	अनुबंध 3.3	201
	अनुबंध 3.4	202
	अनुबंध 3.5	206
	अनुबंध 3.6	211
	अनुबंध 3.7	217
	अनुबंध 3.8	218
	अनुबंध 3.9	222
	अनुबंध 3.10	224
	अनुबंध 3.11	225
	अनुबंध 3.12	230
	अनुबंध 3.13	233
	अनुबंध 3.14	247
	अनुबंध 4.1	250
	अनुबंध 5.1	254
	शब्दावली	255

प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

मंत्रालयों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियां विभिन्न प्रतिवेदनों में सम्मिलित है। संघ सरकार के लिए, वैज्ञानिक विभागों, रक्षा सेवाएं- थल सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं- वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।

विशिष्टताएं

विशिष्टताएं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखे पर है और इसमें संघ सरकार के वर्ष 2015-16 हेतु वित्त का विश्लेषण किया गया है। इसमें संघ सरकार के वर्ष 2015-16 हेतु विनियोग लेखे एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विश्लेषण भी सम्मिलित हैं।

अध्याय-1

- 2015-16 में संघ सरकार की वित्तीय स्थिति में सकल राजस्व प्राप्तियों में 16.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो प्रमुखतः विगत वर्ष के दौरान कर राजस्व प्राप्तियों (16.93 प्रतिशत) एवं गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (15.39 प्रतिशत) दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ था।

(पैरा 1.2.2)

- राजस्व व्यय 2014-15 के 7.62 प्रतिशत के प्रति 2015-16 के दौरान 4.98 प्रतिशत तक बढ़ा। सामान्य सेवाओं पर व्यय 2015-16 के राजस्व व्यय का 45.22 प्रतिशत था।

(पैरा 1.3.2)

- पूंजीगत व्यय विगत वर्ष के दौरान ₹1,06,781 करोड़ (62.05 प्रतिशत) बढ़ा और 2015-16 में ₹2,78,866 करोड़ पर पहुँच गया। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2014-15 के 9.01 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 13.24 प्रतिशत हो गया।

(पैरा 1.3.3)

- वर्ष 2015-16 हेतु राजस्व घाटा, 2014-15 में जीडीपी के 2.93 प्रतिशत के प्रति 2.53 प्रतिशत था। जीडीपी के 2.53 प्रतिशत का राजस्व घाटा, लगभग समान स्तर पर था जो चौदहवें वित्त आयोग द्वारा रूपायित किया गया था। वर्ष 2015-16 हेतु राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.31 प्रतिशत था जिसके प्रति यह 2014-15 में 4.13 प्रतिशत था।

(पैरा 1.4 एवं 1.5.4)

- लोक लेखा देयता की लघु बचतें, भविष्य निधियों आदि की देयता के वास्तविक स्तर को खाते मे लेने के बाद यह ₹7,11,608 करोड़ के स्थान पर ₹14,30,012 करोड़ परिकलित की गई।

(पैरा 1.5)

अध्याय-2

- 32 प्राप्तियों एवं व्यय मुख्य शीर्ष में अपारदर्शिता देखी गयी थी जिसमें कुल व्यय एवं प्राप्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत दर्ज थे।

(पैरा 2.2.1)

- तेरह नियामक निकाय एवं स्वायत्त निकाय, जो अपने क्षेत्र विशेष में नियामक के रूप में कार्य करते हैं, के जनवरी 2005 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त अनुदेशों के विपरीत ये निकाय मार्च 2016 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों, सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज, लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति, कॉर्पस निधि आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹3,973.10 करोड़ की निधियों को, सरकारी लेखाओं से बाहर रख रहे थे।

(पैरा 2.2.2-क)

- वर्ष 2015-16 के दौरान सार्वभौमिक पहुँच उदग्रहण के प्रति ₹9,835.70 करोड़ की कुल प्राप्ति में से दूरसंचार विभाग ने सार्वभौमिक सेवा देयता निधि (यूएसओ निधि) को ₹3100.00 करोड़ का अंतरण किया जिसका उपयोग चिन्हित उद्देश्यों पर ₹3,099.97 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था और यूएसओ के अंतर्गत अंत शेष को ₹0.03 करोड़ के रूप में दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, 2002-03 से 2015-16 के दौरान ₹75,952.93 करोड़ के यूएएल के कुल संग्रहण के प्रति, ₹30,083.47 करोड़ की कुल राशि को इस अवधि में निधि को अंतरित किया गया। ₹45,869.46 करोड़ का शेष उदग्रहण यूएसओ निधि में अंतरित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.3.1)

- ₹6,698.30 करोड़ का कुल अनुसंधान एवं विकास उपकर का 1996-97 से 2015-16 की अवधि के दौरान संग्रहण किया गया था। इसमें से केवल ₹579.16 करोड़ (8.65 प्रतिशत) का उपयोग कथित उपकर को लगाने के उद्देश्य के प्रति किया गया था।

(पैरा 2.3.2)

- सीएफआई में 2006-07 से 2015-16 के दौरान माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर (एस एच इ सी) के रुप में ₹73,468.52 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति, लोक लेखे में चिन्हित निधि में किसी धनराशि का अंतरण नहीं हो सका क्योंकि योजनाएं न तो चिन्हित थी जिस पर उपकर प्राप्तियों को खर्च किया जाता न ही लोक निधि में एसएचइसी की प्राप्तियों को जमा करने के लिए अभिहित निधि खोली गयी थी।

(पैरा 2.3.3)

- बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (निधि) से व्यय का प्राप्तियों से बहुत अधिक होने से, निधि में शेष वर्षों से प्रतिकूल हो गये थे। निधि में 2011-12 से 2015-16 की अवधि में सतत प्रतिकूल शेष था, जो 2011-12 के (-) ₹205.75 करोड़ से 2015-16 में (-) ₹172.58 करोड़ हो गया था।

(पैरा 2.3.8)

- राज्य/यू.टी. सरकारों एवं अन्य संस्थाओं के पास कुल ₹2,56,353.52 करोड़ का ऋण 31 मार्च 2016 तक बकाया था। इसमें से, ₹26,333.68 करोड़ के पुनर्भुगतान 2 से 50 वर्षों के बीच बकाये थे, जिसमें ₹11,321.87 करोड़ वसूली नहीं होने के कारण 20 वर्षों (₹10 करोड़ से अधिक के मामले) से अधिक के बकाये सम्मिलित थे।

(पैरा 2.4.4.3-ङ)

अध्याय-3

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) के प्रावधान के अनुसार भारतीय समेकित निधि (सी एफ आई) से विधि द्वारा किये गये विनियोगों के

अंतर्गत को छोड़कर कोई धन नहीं निकाला जाना चाहिए। तथापि, 2015-16 के दौरान सी एफ आई के प्राधिकरण के ऊपर ₹286.24 करोड़ के अधिक संवितरण हुए थे। सिविल मंत्रालयों/विभागों में यह आधिक्य दो अनुदानों/विनियोगो के दो खंडों में ₹210.37 करोड़ का और रेलवे मंत्रालय में छः अनुदानों/विनियोगों के छः खंडों में ₹75.87 करोड़ का था। इन अधिक संवितरणों को संविधान के अधिनियम 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमित करने की आवश्यकता है। .

(पैरा 3.4)

- 80 अनुदानों (सिविल डाक रेलवे एवं रक्षा सेवाओं सहित) के 98 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचते हुई जो ₹6,54,745 करोड़ की थीं। अनुदानों में बड़ी बचतें पायी गयी थीः विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान (₹4,95,571 करोड़), विनियोग- ब्याज भुगतान (₹18,819 करोड़), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (₹14,650 करोड़), राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अंतरण (₹11,938 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹9,239 करोड़), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹8,754 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹ 7,781 करोड़), आर्थिक मामले मंत्रालय (₹7,630 करोड़) शहरी विकास विभाग (₹4,309 करोड़) आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (₹3,868 करोड़) आदि।

(पैरा 3.7 एवं अनुबंध 3.5)

अध्याय-4

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि भारत की समेकित निधि से विधि द्वारा बनाये गये विनियोग के अंतर्गत के अलावा कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। वापसियों पर ब्याज पर ₹7,704 करोड़ का व्यय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा संसद के प्राधिकरण के बिना वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया था। ब्याज भुगतानों पर ₹55,939 करोड़ का कुल व्यय विगत आठ वर्षों में, लोक लेखा समिति द्वारा उसके 66वें एवं 96वें प्रतिवेदन में संस्तुतियों के

बावजूद आवश्यक विनियोगों के माध्यम से अनुमति लिए बिना किया गया था।

(पैरा 4.2)

- भारत की समेकित निधि से किसी निकाय या प्राधिकार और सब्सिडी को सहायता-अनुदान में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान की वृद्धि केवल संसद की पूर्व अनुमति से ही हो सकती है। पाँच अनुदानों के पाँच मामलों में, ₹11.32 करोड़ का व्यय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2015-16 के दौरान विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को संसद की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना वस्तु शीर्ष '31-सहायता-अनुदान सामान्य' के अंतर्गत प्रावधानों के संवर्धन द्वारा किया गया था। इसी प्रकार दो अनुदानों के दो मामलों में वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में संसद की पूर्व अनुमति के बिना मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹10.15 करोड़ का संवर्धन किया गया था। इसके अतिरिक्त युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में, ₹3.57 करोड़ की धनराशि का वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' में संसद की पूर्व अनुमति के बिना संवर्धन किया गया था औद्योगिक नीति एवं पदोन्नति विभाग में ₹199.97 करोड़ की कुल धनराशि वस्तु शीर्ष '33- सब्सिडी' में संसद की पूर्व अनुमति के बिना संवर्धित की गयी थी। ये सभी अधिक व्यय नयी सेवाएं/सेवाओं के नये साधन (एनएस/एनआइएस) की सीमाओं का उल्लंघन करती थीं।

(पैरा 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 एवं 4.3.4)

- वस्तु शीर्ष '53-प्रमुख निर्माण कार्यों' के अंतर्गत संवर्धन पर एनएस/एनआइएस के मामले के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक या पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक की निधि के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, चाहे वह संवर्धन नये निर्माण-कार्य के लिए हो या मौजूदा निर्माण कार्य के लिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹116.48 करोड़ का अधिक व्यय 2015-16 के दौरान संसद की पूर्व

अनुमति प्राप्त किये बिना वस्तु शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन किया गया था। इस अधिक व्यय ने नयी सेवा/नयी सेवा के साधन की सीमाओं का भी उल्लंघन किया।

(पैरा 4.3.5)

- विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने राजस्व व्यय को गलती से पूंजीगत व्यय एवं इसके विपरीत रूप में वर्गीकृत किया गया था। गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप पूंजीगत व्यय को ₹1928.24 करोड़ से अधिक बताया गया एवं पूंजीगत व्यय को ₹345.46 करोड़ से कम बताया गया। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव पूंजीगत व्यय को ₹1582.78 करोड़ से अधिक बताया गया।

(पैरा 4.4.1, 4.4.2 एवं 4.4.3)

- वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, 1978 का नियम 8, व्ययों के छः टीयर अर्थात् वस्तु शीर्ष में वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं सहित विनियोग के मानक प्राथमिक इकाइयां निर्धारित करता है। 35 मामलों में, 13 अनुदानों/विनियोगों में ₹387.32 करोड़ की धनराशि का व्यय विनियोग के प्राथमिक इकाइयों के मध्य गलत रूप से वर्गीकृत था।

(पैरा 4.5.3)

अध्याय-5

- संघ सरकार को 2015-16 के दौरान कुल राजस्व व्यय (रेलवे को छोड़कर) का लगभग 27 प्रतिशत सहायता अनुदान पर व्यय था।

(पैरा 5.2)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी सहायता-अनुदान पर व्यय के विस्तृत विश्लेषण ने आंतरिक मानीटरिंग प्रणाली में, योजनागत सहायता-अनुदान का असमान प्रवाह, सरकारी अनुदानों से सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों के डाटा को अनुरक्षित नही करना जैसी कमियां उदघाटित हुई थी। विद्युत मंत्रालय के संबंध में सहायता-अनुदान-वेतन से संबंधित वस्तु शीर्ष का

परिचालन नहीं हो रहा था, बावजूद इसके कि यह विद्युत मंत्रालय द्वारा खोला गया था और यह 1 अप्रेल 2011 से प्रभावी था।

(पैरा 5.4 एवं 5.5)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित विश्लेषण में अनुदानग्राही संगठनों का वाह्य समकक्ष समीक्षा न होना, अनुदानग्राही द्वारा निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करना, सहायता-अनुदान के रजिस्टर का अनुरक्षण न करना और उपयोग प्रमाण-पत्रों (उ.प्र.प.) की लंबिता जैसी अन्य कमियों का पता चला।

(पैरा 5.4)

1: संघीय वित्त 2015-16 का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में प्रस्तुत किए गए संघ सरकार के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे शामिल हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों के विवरणों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में व्यय तथा परिणामत: आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरणों को दर्शाते हैं।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार निधियां एवं लोक लेखा

समेकित निधि

- संघ सरकार द्वारा प्राप्त किये गये समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन मिलकर एक समेकित निधि निर्मित करते हैं जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" कहा जाता है।

आकस्मिक निधि

- संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में है जो उन्हें, संसद से प्राधिकार प्राप्त हो जाने तक अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है।
- इस प्रकार किये गये व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

लोक लेखा

- समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं।
- इस प्रकार प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण इसी से किए जाते हैं।

1.1.1 संघ सरकार वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय वर्ष 2015-16 के दौरान संघ सरकार के लेखाओं का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है। यह 2011-12 से 2015-16 अवधि के प्रारम्भ से

पाँच वर्षों से प्रचलित प्रवृत्तियों के संदर्भ में मुख्य राजकोषीय संचयो में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है, जिन्हें संघ सरकार के वित्त लेखाओं से लिया गया है।

तालिका 1.1 राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों, लोक लेखा प्राप्तियों तथा कुल संवितरण के अनुसार संघ सरकार के वित्त की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: प्राप्तियों तथा संवितरण 2015-16 के अनुमान तथा वास्तविक : संघ सरकार

(₹ करोड़ में)

		बजट अनुमान (बीई)	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक	बचतें (-) आधिक्य (+) बीई के सापेक्ष विपथन
1	**कुल प्राप्ति (7+8+9)**	**7016502**	**6540698**	**6953812**	**-62690**
2	राजस्व प्राप्तियाँ	1397620	1451247	1436160	38540
	कर प्राप्तियाँ[1]	925782	953618	949698	23916
	गैर-कर प्राप्तियाँ[2]	471838	497629	486462	14624
3	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	69500	25313	42132	-27368
4	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	22714	40916	41878	19164
5	***कुल गैर-ऋण प्राप्तियां (2+3+4)***	***1489834***	***1517476***	***1520170***	***30336***
6	लोक ऋण की प्राप्ति	4766718	4124288	4316950	-449768
7	सीएफआई में कुल प्राप्तियां(5+6)	6256552	5641764	5837120	-419432
8	आकस्मिक निधि	0	0	0	0
9	लोक लेखा प्राप्ति	759950	898934	1116692	356742
10	**कुल संवितरण (16+17)**	**7008544**	**5733019**	**6966982**	**-41562**
11	राजस्व व्यय	1792562	1793773	1779529	-13033
12	पूंजीगत व्यय	217354	264125	278866	61512

13	ऋण एवं अग्रिम	36073	48374	47272	11199
14	***कुल व्यय (11+12+13)***	***2045989***	***2106272***	***2105667***	***59678***
15	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4233227	3539459	3737657	-495570
16	सीएफआई से कुल संवितरण (14+15)	6279216	5645731	5843324	-435892
17	लोक लेखा संवितरण	729328	87288	1123658	394330
18	राजस्व घाटा(11-2)	394942	342526	343369	-51573
19	राजकोषीय घाटा (14-5)	556155	588796	585497	29342

1 संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्यों ₹ 5,23,958 करोड़ (बीई) तथा ₹ 5,06,193 करोड़ (वास्तविक) को प्रदान की गई आय पर कर शामिल नहीं है।

2 सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है।

यह तालिका विनिवेशों सहित विविध पूंजीगत प्राप्तियां (₹42,132 करोड़) ₹69,500 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से कम रहा दर्शाती है। व्यय की ओर, पूंजीगत व्यय उससे (₹ 61,512 करोड़) तक बढ़ा जितना बजट में प्रावधान किया गया था।

राजस्व लेखे पर असंतुलन राजस्व घाटा दर्शाता है, जो ₹3,94,942 करोड़ के बजट आंकड़े के प्रति ₹3,43,369 करोड़ था। समग्र असंतुलन का परिणाम राजकोषीय घाटे में होता है जो ₹5,56,155 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹5,85,497 करोड़ था। राजस्व घाटा 13.06 प्रतिशत तक कम था फिर भी राजकोषीय घाटा उससे 5.28 प्रतिशत तक कम था जो सरकार ने अनुमान लगाया था। **पैरा 1.4** में घाटे के संकेतको पर विस्तृत टिप्पणियां शामिल है।

1.1.2 सकल घरेलू उत्पाद

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, अपने प्रैस नोट दिनांक 31 मई 2016 के माध्यम से, 2015-16 हेतु सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान जारी किए है जैसा कि **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 : सकल घरेलू उत्पाद 2015-16

(₹ करोड़ में)

जीडीपी	2011-12 (एनएस का दूसरा आर ई)	2012-13 (एन एस का दूसरा आर ई)	2013-14 (एन एस का दूसरा आर ई)	2014-15 (पहला आरई)	2015-16 (पीई)
स्थिर मूल्यों पर	8736039	9226879	9839434	10552151	11350249
पिछले वर्ष से प्रतिशतता परिवर्तन	*उ.न.*	*5.6*	*6.6*	*7.2*	*7.6*
वर्तमान मूल्यो पर	8736039	9951344	11272764	12488205	13576086
पिछले वर्ष से प्रतिशतता परिवर्तन	*उ.न.*	*13.9*	*13.3*	*10.8*	*8.7*

आर ई- संशोधित अनुमान: एन एस- नई श्रृंखला; पीई- प्रावधानिक अनुमान

वर्ष 2015-16 के लिए स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीडीपी ने ₹1,05,52,151 करोड़ के वर्ष 2014-15 हेतु जीडीपी के प्रथम संशोधित अनुमान के प्रति ₹1,13,50,249 करोड़ का स्तर प्राप्त किया है। 2015-16 में जीडीपी में वृद्धि को 2014-15 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 7.6 प्रतिशत पर सूचित किया गया था।

वर्ष 2015-16 के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी में 2014-15 में ₹1,24,88,205 करोड़ के प्रथम संशोधित अनुमान के प्रति ₹ 1,35,76,086 करोड़ अनुमानित किया है, जो पिछले वर्ष से 8.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

स्थिर दरों पर जी.डी.पी. की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में अधिक थी। वर्तमान दरों पर जी.डी.पी. पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में कम थी। इस प्रतिवेदन में विभिन्न राजस्व संबंधी सूचकों का विश्लेषण करते समय वर्तमान दरों पर जी.डी.पी. को आधार बनाया गया है।

1.2 संसाधन का सृजन

राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो संघ सरकार के संसाधन निर्मित करते हैं। कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा बाह्य एजेंसियों से सहायता अनुदान को मिलाकर राजस्व प्राप्तियां बनती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो संघटक हैं-ऋण प्राप्तियां, जो भविष्य में पुनर्भुगतान बाध्यताओं को सृजित करती है तथा गैर-ऋण

प्राप्तियां, जिनमें विनिवेश तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियां शामिल है जिससे वास्तविक अथवा संभावित परिसंपत्तियों में कटौती होती हैं।

तालिका 1.3 : संसाधन एवं जी.डी.पी.

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल राजस्व प्राप्तियां* (1)	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2)	सकल ऋण प्राप्तियां (3)	लोक लेखे में सकल उपार्जन (4)	सकल प्राप्तियां (1+2+3 +4) (5)	वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी@ (6)	सकल प्राप्तियां/जीडीपी (7)
2011-12	1165691 (20)	54906 (1)	4063177 (69)	620667 (11)	5904441	8736039	67.59
2012-13	1347438 (22)	52513 (1)	3968038 (66)	660784 (11)	6028773	9951344	60.58
2013-14	1536024 (24)	53917 (1)	3994966 (64)	692960 (11)	6277867	11272764	55.69
2014-15	1666717 (25)	64287 (1)	4218196 (62)	850506 (12)	6799706	12488205	54.45
2015-16	1942353 (26)	84010 (1)	4316950 (58)	1116692 (15)	7460005	13576086	54.95

राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े (वर्तमान वर्ष हेतु ₹5,06,193 करोड़) सम्मिलित हैं। वर्तमान वर्ष में ₹14,36,160 करोड़ केंद्र की निवल राजस्व प्राप्तियां हैं। जिसे **तालिका 1.1 में दिखाया गया है।*

नोट: (।) कोष्टक में आंकडे सकल प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

जैसा कि **तालिका 1.3** से देखा जा सकता है, जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल प्राप्ति ने 2011-15 के दौरान घटती हुई प्रवृति दर्शाई है तथा 2014-15 में 54.45 प्रतिशत के स्तर पर रही। यह पिछले वर्ष से सीमान्त रूप से सुधरी है तथा 2015-16 में 54.95 प्रतिशत तक पहुंची है। वर्ष 2015-16 का 2014-15 में 8.51 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में सकल राजस्व प्राप्ति में 16.54 प्रतिशत की वृद्धि बताई गई। सकल प्राप्तियों की तुलना में सकल ऋण प्राप्तियों का अनुपात 2014-15 में 62.03 प्रतिशत के प्रति 2015-16 हेतु 57.87 प्रतिशत तक कम हुआ। यद्यपि, ऋण प्राप्तियों से सकल प्राप्तियों का अंश कम हो रहा है, जोकि काफी अधिक है, जोकि बजट को संतुलित करने हेतु ऋण पर निरंतर निर्भरता दर्शाता है।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां जिसमें कर एवं गैर-कर प्राप्तियां शामिल होती हैं, राजस्व की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि इन प्राप्तियों द्वारा किसी तरह की भविष्य देयताओं की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती। राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की चर्चा आगामी पैरों में की गई है।

1.2.2 राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल

तालिका 1.4 राजस्व प्राप्तियाँ सकल एवं निबल दोनों के संबंध में संघ सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल

(₹ करोड़ में)

अवधि	कर राजस्व (सकल)	राज्यों का अंश•	कर राजस्व (निवल)	गैर-कर राजस्व#	राजस्व प्राप्ति (निवल)	राजस्व प्राप्तियों (सकल)
2011-12	889118	255414	633704	276573	910277	1165691
2012-13	1036461	291547	744914	310977	1055891	1347438
2013-14	1138996	318230	820766	397028	1217794	1536024
2014-15	1245136	337808	907327	421581	1328909	1666717
2015-16	1455891	506193	949698	486462	1436160	1942353
औसतन वार्षिक वृद्धि दर (*प्रतिशत*)						
2011-12	12.08	16.47	10.40	-22.89	-2.40	1.19
2012-13	16.57	14.15	17.55	12.44	16.00	15.59
2013-14	9.89	9.15	10.18	27.67	15.33	14.00
2014-15	9.32	6.15	10.55	6.18	9.12	8.51
2015-16	16.93	49.85	4.67	15.39	8.07	16.54

#बाह्य अभिकरणों द्वारा सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल हैं

• संघ सरकार के वित्त लेखाओं के संबंध में केन्द्रीय राजस्व में अंश के तौर पर राज्यों को किया गया अंतरण धारा 279(1) के तहत प्रमाणीकरण एवं अंतिम जांच के अधीन है।

वर्ष 2015-16 के दौरान सकल कर राजस्व की वृद्धि पिछले वर्षों से 16.93 प्रतिशत तक बढ़ी तथा वर्तमान मूल्यों पर 8.71 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि को भी पीछे छोड़ दिया (**तालिका 1.5**)।

सरकार के गैर-कर राजस्व ने 2011-16 के दौरान उच्च उतार-चढ़ाव दर्शाया तथा 2015-16 में 15.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

2015-16 में सकल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि 16.54 प्रतिशत थी, जो 2014-15 में 8.51 प्रतिशत की तुलना में, जीडीपी के वृद्धि से लगभग दुगुनी थी।

1.2.3 राजस्व प्राप्तियों के संघटक: बी.ई. तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर

यथार्थवादी बजटीय अनुमानों का निरूपण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित चार्ट वास्तविक राजस्व प्राप्तियों एवं बजट प्रस्ताव के मुख्य संघटकों को दर्शाता है।

चार्ट 1.1 बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक मुख्य राजस्व संघटक: 2015-16

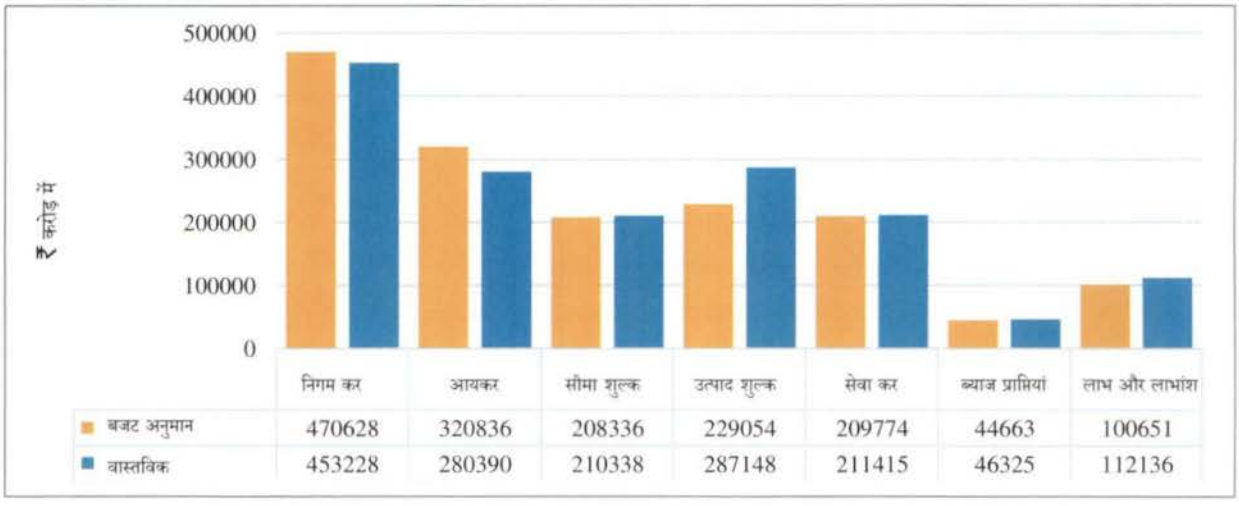

चार्ट 1.1 दर्शाता है कि निगम कर एवं आयकर वसूली के संबंध में वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान (बीई) से कम थी। उत्पाद शुल्क वसूली, बजट अनुमान से 25.36 प्रतिशत अधिक थी।

1.2.4 कर राजस्व

तालिका 1.5 पिछले पांच वर्षों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व की सुनिश्चित शर्तों के साथ-साथ उसकी वृद्धि की वार्षिक दर दर्शाती है।

तालिका 1.5: कर राजस्व (सकल) के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व #	प्रत्यक्ष कर*				अप्रत्यक्ष कर					वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी
		निगम कर	आयकर	अन्य	कुल	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य	कुल	
2011-12	889118	322816	164525	6778	494119	149328	144901	97509	3261	394999	8736039
2012-13	1036461	356326	196844	6063	559233	165346	175845	132601	3436	477228	9951344
2013-14	1138996	394678	237870	6211	638759	172085	169455	154780	3916	500400	11272764
2014-15	1245136	428925	258374	8668	695967	188016	189038	167969	4146	549169	12488205
2015-16	1455891	453228	280390	8575	742193	210338	287148	211415	4797	713698	13576086
वृद्धि की वार्षिक दर (*प्रतिशत*)											
2011-12	12.08	8.08	18.28	-17.35	10.79	9.95	5.23	37.31	16.98	13.77	@
2012-13	16.57	10.38	19.64	10.56	13.18	10.73	21.36	35.99	5.39	20.84	13.09
2013-14	9.89	10.76	20.84	2.45	14.22	4.08	-3.63	16.73	13.99	4.80	12.86
2014-15	9.32	8.68	8.62	39.55	8.96	9.26	11.56	8.52	5.91	9.78	10.78
2015-16	16.93	5.67	8.52	-1.07	6.64	11.87	51.90	25.87	15.20	29.95	8.71

 # राज्यों/सं.शा.क्षे को दिए गए करों/शुल्कों के आकड़े शामिल हैं।

**प्रत्यक्ष कर में मुख्य शीर्ष 0029-2-राजस्व एवं 0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त आयकर, संपदा शुल्क सम्पति कर, उपहार कर, प्रतिभूतियां लेन-देन कर, बैंकिग नगद लेन-देन कर शामिल है।*

@जीडीपी से 2011-12 के आधार वर्ष में परिवर्तन के कारण आकड़े उपलब्ध नहीं।

सकल कर की 16.93 प्रतिशत वृद्धि पिछले दो वर्षों अर्थात् 2013-15 की प्रवृत्ति के विपरीत 2015-16 में जीडीपी की वृद्धि से अधिक थी।

2015-16 में, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि पिछले पांच वर्षों में अचानक गिरकर 6.64 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर रही। प्रत्यक्ष कर के सभी संघटको में वृद्धि वर्ष 2015-16 में पिछले वर्ष की तुलना में कम रही। हालांकि पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष के दौरान वृद्धि दर्ज की जिसका परिणाम 2014-15 में 9.78 प्रतिशत की वृद्धि तुलना में 2015-16 के दौरान 29.95 प्रतिशत की अप्रत्यक्ष कर की वृद्धि में हुआ।

2015-16 तथा 2014-15 के दौरान कर राजस्वों के संघटकों के सापेक्ष अंशो की तुलना **(चार्ट 1.2)** उत्पाद शुल्कों (पांच प्रतिशत) एवं सेवा कर (एक प्रतिशत) के अंशों में वृद्धि तथा निगम कर (3 प्रतिशत) एवं आयकर (2 प्रतिशत) के अंशों में कमी दर्शाती है। दोनों वर्षों में सीमा शुल्क का अंश 15 प्रतिशत है।

चार्ट 1.2 कर राजस्व के संघटक

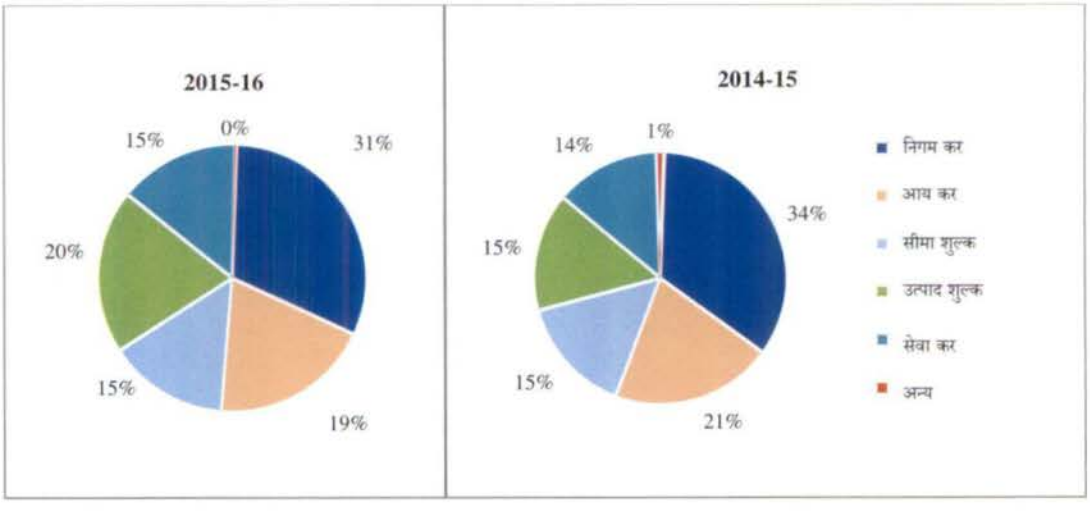

शून्य प्रतिशत वह मूल्य है जो 0.5% से कम है।

1.2.5 कर- जीडीपी अनुपात

कर जीडीपी अनुपात सरकार के संसाधन संघटन प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता तथा कर क्षमता की वसूली की इसकी सीमा का संकेतक है। **तालिका 1.6** 2011-16 की अवधि से इस अनुपात की प्रवृतियों को प्रस्तुत करती है जो कि यह दर्शाती है कि अनुपात 10 प्रतिशत के आस-पास रहा।

तालिका 1.6: मुख्य करों का कर/जीडीपी अनुपात

(प्रतिशत में)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य
2011-12	10.18	3.70	1.88	1.71	1.66	1.12	0.11
2012-13	10.42	3.58	1.98	1.66	1.77	1.33	0.10
2013-14	10.10	3.50	2.11	1.53	1.50	1.37	0.09
2014-15	9.97	3.43	2.07	1.51	1.51	1.35	0.10
2015-16	10.72	3.34	2.07	1.55	2.12	1.56	0.10

1.2.6 उपकर संग्रहण

उपकर, सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजनार्थ निधियां/धन बटोरने के लिए आरोपित कर है। उपकर संग्रहण को आरंभ में सीएफआई में क्रेडिट किया जाता है। संघीय वित्तीय खातों में गैर विभाजनीय कर का अलग से पृथकिकरण होता है। संघ सरकार वित्त लेखा वि.व. 2015-16 में, ₹1,06,485 करोड़ की धनराशि संघीय उत्पाद शुल्क गैर विभाजनीय कर के रूप में दर्शाई गई है। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान कुल वार्षिक उपकर संग्रहण **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.7 उपकर संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा उपकर	उच्चतर एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर	स्वच्छ उर्जा उपकर	कच्चे तेल पर उपकर	सड़क उपकर	अन्य	कुल
2011-12	16899	8067	2580	8122	18362	3219	57249
2012-13	20946	9867	3053	14510	19979	2990	71345
2013-14	22837	11266	3082	14533	20478	4489	76685
2014-15	24219	11960	5393	14655	25122	4035	85384
2015-16	18783	9240	12676	14311	69540	7847	132397
वार्षिक वृद्धि दर (*प्रतिशत*)							
2011-12	16.94	11.67	142.03	7.45	6.75	7.87	13.36
2012-13	23.95	22.31	18.33	78.65	8.81	-7.11	24.62
2013-14	9.03	14.18	0.95	0.16	2.50	50.13	7.48
2014-15	6.05	6.16	74.98	0.84	22.68	-10.11	11.34
2015-16	-22.45	-22.74	135.05	-2.35	176.81	94. 47	55.06

तालिका 1.7 दर्शाती है कि 2015-16 के दौरान उपकर संग्रहण में 55.06% की समग्र वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान स्वच्छ उर्जा उपकर एवं सड़क उपकर में

इसी अवधि के दौरान क्रमश: 135.05% एवं 176.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि प्राथमिक शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर विकास दर में क्रमश: 22.45% एवं 22.74% की कमी आई है।

1.2.7 गैर-कर राजस्व

सरकार के गैर-कर राजस्वों को दो संघटकोः इसके शासकीय कार्यों जैसे न्यायपालिका पुलिस, मुद्रा एवं सिक्के आदि; से आय तथा इसकी परिसम्पत्तियों/ विनिवेशों अथवा लाभांश या उपभोक्ता प्रभारो जैसे कि रेलवे, डाक तथा विभागीय उपक्रमों से सृजित से बना माना जा सकता है। गैर कर राजस्व की संरचना **तालिका 1.8** में दी गयी है।

तालिका 1.8: गैर-कर राजस्व की संरचना (अंश एवं वृद्धि की प्रवृत्ति)

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर कर राजस्व#	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	शासकीय तथा अन्य कार्य••
2011-12	276573	40054	50609	988	158283	26639
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	14.48	18.30	0.36	57.23	9.63
2012-13	310977	38860	53762	4819	184662	28874
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	12.50	17.29	1.55	59.38	9.28
2013-14	397028	44027	90442	1316	227661	33582
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.09	22.78	0.33	57.34	8.46
2014-15	421582	48007	89861	1735	243512	38467
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11.39	21.32	0.41	57.76	9.12
2015-16	486462	46325	112136	10100	279710	38191
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	9.52	23.05	2.08	57.50	7.85
वृद्धि की वार्षिक दर						
2011-12	(-)22.89	13.47	5.45	21.38	(-)36.24	1.20
2012-13	12.44	(-)2.98	6.23	387.75	16.67	8.39
2013-14	27.67	13.30	68.23	(-)72.69	23.29	16.31
2014-15	6.18	9.04	(-)0.64	31.84	6.96	14.55
2015-16	15.39	-3.50	24.79	482.12	14.86	-0.72

#बाह्य अभिकरणों द्वारा सहायता अनुदान एवं योगदान शामिल हैं।

सामाजिक सेवाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं।

आर्थिक सेवाएं डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी, वृक्षारोपण, खाद्य संचयन तथा भंडारण, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता, प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सरकारी विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम की प्राप्तियां इत्यादि शामिल हैं।

•• राजकोषीय सेवाएं तथा सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, रक्षा, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, सहायता-अनुदान तथा अंशदान आदि)

2015-16 में, गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा अंश (57.50 प्रतिशत) ऐसे विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए उपभोक्ता प्रभारों से आया है जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं **(तालिका 1.8)**। ब्याज प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का 9.52 प्रतिशत (पिछले वर्ष से 1.87 प्रतिशतता बिन्दु कम) रही जबकि लाभांश तथा लाभ का योगदान लगभग 23.05 *प्रतिशत* रहा (पिछले वर्ष से 1.73 प्रतिशतता बिन्दु अधिक)। गैर-कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर 2014-15 में 6.18 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 15.39 प्रतिशत हो गयी। यह मुख्यत: सामाजिक सेवाओं में 2014-15 में 31.84 प्रतिशत के प्रति 2015-16 में 482.13 प्रतिशत, लाभांश एवं लाभ से प्राप्तियों (2014-15 में-0.64 प्रतिशत से 2015-16 में 24.79

प्रतिशत) में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक सेवाओं (2014-15 में 6.96 प्रतिशत से 2015-16 में 14.86 प्रतिशत) से प्राप्तियों में उच्च वृद्धि के कारण थी।

सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में 'सूचना एवं प्रचार' से ₹2,552 करोड़ तथा 'प्रसारण' से ₹6,753 करोड़ की प्राप्ति के कारण 2015-16 के दौरान 482.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आर्थिक सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं से प्राप्ति गैर-कर राजस्व का मुख्य संघटक है। ब्यौरे **तालिका 1.9** में दिये गये हैं।

तालिका 1.9: आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व के प्रमुख संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईन	पेट्रोलियम	सड़क एवं पुल	अन्य सामान्य आर्थिक सेवांए	कोयला एवं लिग्नाइट	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2011-12	103312 (37.35)	12581 (4.55)	3053 (1.10)	3595 (1.30)	36 (0.01)	285 (0.10)
2012-13	122953 (39.54)	14806 (4.76)	4007 (1.29)	3148 (1.01)	88 (0.03)	311 (0.10)
2013-14	138776 (34.95)	16525 (4.16)	5298 (1.33)	3368 (0.85)	136 (0.03)	345 (0.09)
2014-15	155904 (36.98)	14480 (3.43)	6103 (1.45)	4774 (1.13)	6179 (1.47)	348 (0.08)
2015-16	163497 (33.61)	9492 (1.95)	6889 (1.42)	5231 (1.08)	545 (0.11)	363 (0.07)

कोष्ठक में आंकड़े गैर-कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत, वृद्धि के लिए मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम/क्रियाकलाप उत्तरदायी थेः 'भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाइनें') जो 2014-15 में ₹1,55,904 करोड़ से 2015-16 में ₹1,63,497 करोड़ तक बढ़ा, 'सड़कें एवं पुल' से प्राप्तियां जो उसी अवधि के दौरान ₹6,103 करोड़ से ₹6,889 करोड़ तक बढ़ीं। फिर भी कोयला एवं लिग्नाइट तथा पेट्रोलियम से राजस्व पिछले वर्षों से 2015-16 में कम हुआ। जो कि क्रमशः ₹6,179 करोड़ की तुलना में ₹545 करोड़ तथा ₹14,480 करोड़ की तुलना में ₹9,492 करोड़ रहा।

लाभांश एवं लाभ के रूप में प्राप्त गैर कर राजस्व के ब्यौरे **तालिका 1.10** में दिये गये हैं।

तालिका 1.10: लाभांश एवं लाभ का संघटन

(₹ करोड़ में)

अवधि	आरबीआई से अधिशेष लाभ का अंश	लोक उपक्रमों से लाभांश	राष्ट्रीयकृत बैंको से लाभ का अंश	अन्यों से लाभांश	कुल लाभांश तथा लाभ	गैर कर राजस्व
2011-12	15009 (5.43)	29034 (10.50)	5029 (1.82)	1537 (0.56)	50609	276573
2012-13	16010 (5.15)	30630 (9.85)	5656 (1.82)	1466 (0.47)	53762	310977
2013-14	33010 (8.31)	47333 (11.92)	8184 (2.06)	1915 (0.48)	90442	397028
2014-15	52679 (12.50)	32996 (7.83)	2456 (0.58)	1730 (0.41)	89861	421582
2015-16	65896 (13.55)	39897 (8.20)	4214 (0.87)	2129 (0.44)	112136	486462

कोष्ठक में आकड़े गैर-कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाते है।

आरबीआई से अधिशेष लाभ अंतरण जो कि 2014-15 में गैर-कर राजस्व का 12.50 प्रतिशत था 2015-16 में 13.55 प्रतिशत तक बढ़ा। लोक उपक्रमों से लाभांश, 2014-15 के ₹32,996 करोड़ से 2015-16 में ₹39,897 करोड़ तक बढ़ा।

1.2.8 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों से विविध पूंजीगत प्राप्तियों (बोनस शेयर, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, बनती हैं। 2011-16 की अवधि के दौरान, बी.ई. की तुलना में विविध पूंजीगत प्राप्तियां काफी कम थी। दूसरी ओर, कथित अवधि के दौरान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, बी.ई. से काफी अधिक रही, जिससे बी.ई. को तैयार करने में कमी का पता चलता है **(तालिका 1.11)**।

तालिका 1.11: गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से वसूली

अवधि	विविध पूंजीगत प्राप्ति			ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		
	ब.अ.	वास्तविक*	वास्तविक की ब.अ. से प्रतिशतता	ब.अ.	वास्तविक	वास्तविक की ब.अ. से प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*		
2011-12	40000	16471	41.18	26510	36818	138.88
2012-13	30000	25408	84.69	23095	26624	115.28
2013-14	55814	29368	52.62	22054	24549	111.31
2014-15	63425	37737	59.50	22817	26547	116.35
2015-16	69500	42132	60.62	22714	41878	184.37

स्त्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं संघ सरकार के वित्त लेखे

**बोनस शेयरों से प्राप्तियां शामिल नहीं है।*

विविध पूंजीगत प्राप्ति का प्रमुख भाग विनिवेश बनाता है। **चार्ट 1.3** दर्शाता है कि तीन ईकाईयों अर्थात् भारतीय तेल निगम लि., एनटीपीसी लि. तथा हिन्दुस्तान वैमानिकी लि. ने कुल ₹24,311 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियों के 76.79 प्रतिशत (₹18,668 करोड़) का योगदान किया था। अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके शेयरों का विनिवेश किया गया, विद्युत वित्त निगम (₹1,672 करोड़, 6.88 प्रतिशत) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (₹1,608 करोड़, 6.62 प्रतिशत) तथा अन्य[1] (₹2,362 करोड़, 9.72 प्रतिशत) थे।

चार्ट 1.3 विनिवेश प्राप्तियों के संघटक

(₹ करोड़ में)

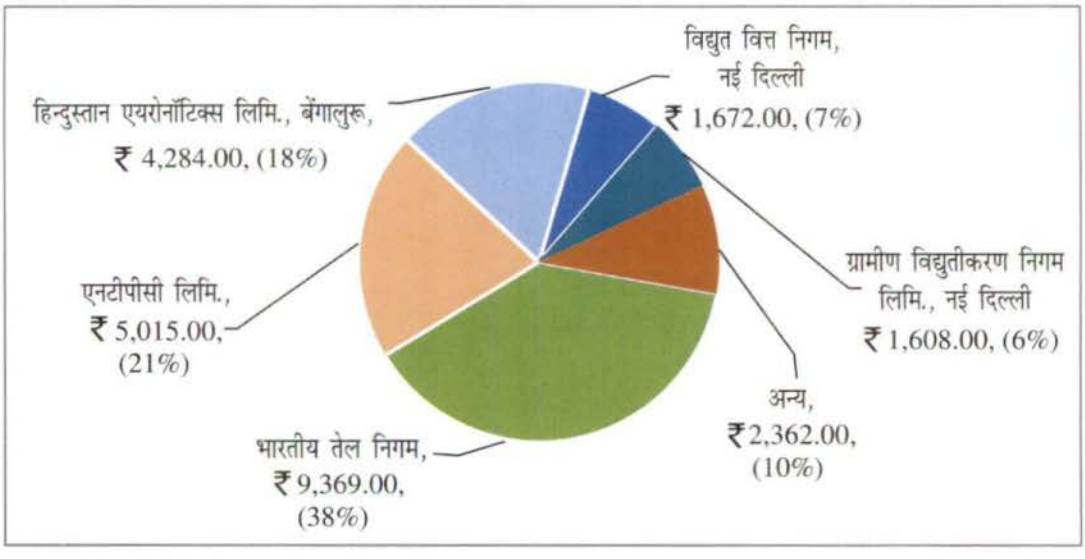

1.2.9 निवेशों पर रिटर्न

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों इत्यादि की मंत्रालय/विभागवार संख्या तथा इनमें निवेश के ब्यौरों सहित वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त लाभांश के विवरण **तालिका 1.12** में प्रस्तुत किए गए हैं।

[1] अन्य में नौ कंपनियां शामिल हैं नामतः ड्रैजिंग कॉर्पोरेशन लि., ईआईएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉनकोर), भारत डायनेमिक लि., विशाखापत्तनम् स्टील परियोजना, मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लि., चंडीगढ़ स्टेट फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी, द मनीमाजरा कॉपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसायटी लि. तथा द मनीमाजरा, पट्टी तरली, कॉप. एग्रीकल्चर सोसायटी।

तालिका 1.12: लाभांश का भुगतान करने वाले पीएसयू की संख्या

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	पीएसयू की संख्या	प्राप्त लाभांश	मंत्रालय/विभाग	पीएसयू की संख्या	प्राप्त लाभांश
नागर विमानन एवं पर्यटन	4	841	कोयला	3	14271
वित्त	8	3215	उद्योग	5	124
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	8	8612	नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा	1	204
इस्पात एवं खान	11	5264	पोत परिवहन	4	117
रेल	7	657	शहरी मामले	2	100
रक्षा	8	965	परमाणु उर्जा	6	773
विद्युत	9	6566	अन्य •	36	71004
कुल				**112**	**112713••**

स्त्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखाओं की विवरणी सं. 11

•अन्य में राज्य सहकारी बैंक/संस्थान शामिल हैं।

••2015-16 में प्राप्त लाभांश प्राप्ति की तुलना में तालिका 1.10 के आंकड़ों में अंतर के लिए अध्याय 2 की तालिका 2.5 देखें।

वर्ष 2015-16 के दौरान संघ सरकार ने 336 पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) में ₹6,07,604.78 करोड़ के कुल निवेश के एवज में 112 सरकारी कंपनियों एवं निगमों से ₹1,12,713 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया जो कि 31 मार्च 2016 को निवेश का 18.55 प्रतिशत था। 31 मार्च 2016 को प्रगामी कुल निवेश 31 मार्च 2015 के ₹4,72,159.22 करोड़ से बढ़कर ₹6,07,604.78 करोड़ हो गया। लाभांश के प्रमुख अंशदाता थे जीवन बीमा निगम (₹1,804 करोड़), तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि. (₹3,391 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड, (₹13,785 करोड़), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि. (₹1,256.14 करोड़), एन.टी.पी.सी. (₹2,072 करोड़), पावर फाइनैंस कार्पोरेशन, नई दिल्ली (₹1,243.94 करोड़), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹1,529.22 करोड़), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (₹1,720.80 करोड़), नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., (₹3,901.49 करोड़), भारतीय रिजर्व बैंक (₹65,896.42 करोड़) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (₹4,214.30 करोड़)।

1.3 व्यय विश्लेषण

भारत की समेकित निधि तथा लोक लेखा से 2015-16 के लिए कुल संवितरण ₹69,66,982 करोड़ के थे, जैसा कि **बॉक्स 1.2** में दर्शाया गया है।

बॉक्स 1.2: कुल संवितरणों के संघटक

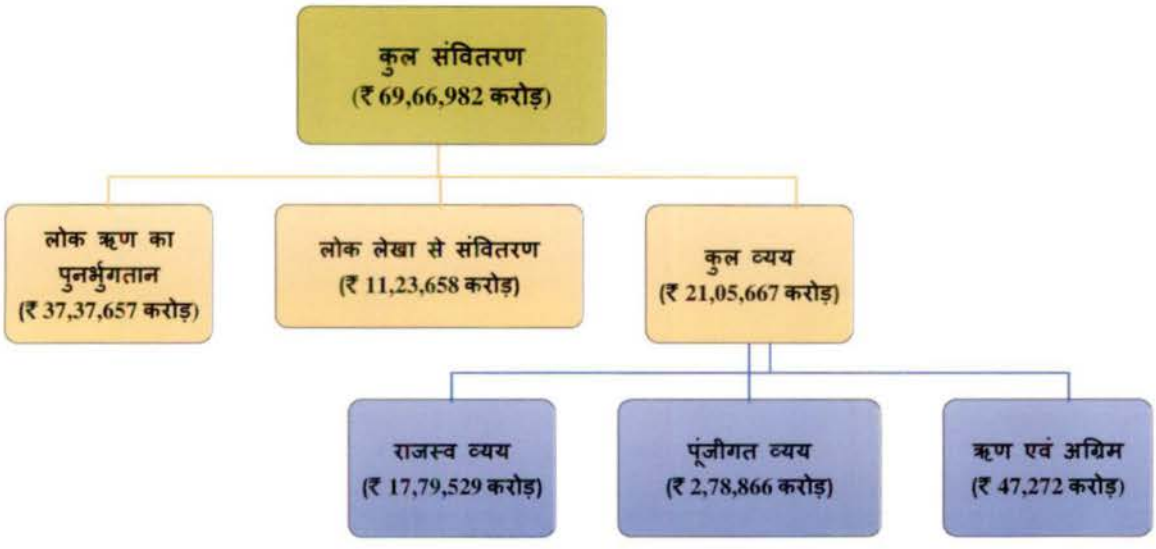

वर्ष 2015-16 में कुल संवितरण ₹ 65,39,743 करोड़ के वर्ष 2014-15 से 6.53 *प्रतिशत* तक बढ़े। ₹ 69,66,982 करोड़ के कुल संवितरण में से सीएफआई से संवितरण 83.87 *प्रतिशत* (लोक ऋण का पुनर्भुगतान 53.65 *प्रतिशत* तथा कुल व्यय 30.22 *प्रतिशत*) था। शेष 16.13 *प्रतिशत* संवितरण लोक लेखा से था।

तालिका: 1.13 दर्शाती है कि कुल व्यय का अंश वर्ष 2014-15 के 29.19% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 30.22% हो गया है।

तालिका 1.13: कुल संवितरण के विभिन्न घटकों का अंश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कुल संवितरण के घटक					
ऋण का पुनर्भुगतान	3495929 (62.06)	3426893 (60.27)	3511291 (59.11)	3707700 (56.70)	3737657 (53.65)
लोक लेखा से संवितरण	654043 (11.61)	656403 (11.54)	654239 (11.01)	922899 (14.11)	1123658 (16.13)
कुल व्यय (टी.ई.)	**1483064** (26.33)	**1602918** (28.19)	**1774941** (29.88)	**1909144** (29.19)	**2105667** (30.22)
कुल व्यय के घटक					

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व व्यय (आर.ई.)	1305195 (88.01)	1420473 (88.62)	1575097 (88.74)	1695137 (88.79)	1779529 (84.51)
पूंजीगत व्यय (सी.ई.)	139465 (9.40)	150382 (9.38)	168844 (9.51)	172085 (9.01)	278866 (13.24)
ऋण व अग्रिम (एल.ए.)	38404 (2.59)	32063 (2.00)	31000 (1.75)	41922 (2.20)	47272 (2.24)

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कुल संवितरण में ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात 2014-15 में 56.70 *प्रतिशत* से 2015-16 में 53.65 *प्रतिशत* तक घट गया है। 2011-15 के दौरान कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय लगभग 88 प्रतिशत पर रहा जो कि 2015-16 में 84.51 प्रतिशत तक घटा।

1.3.1 क्षेत्रीय व्यय

संघ सरकार के लेखाओं में लेन देन विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। फिर इन्हें क्षेत्रों में समूहित किया जाता है नामत: सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें एवं आर्थिक सेवायें।

तालिका 1.14 क्षेत्रीय व्यय का समेकित चित्र प्रस्तुत करता है। कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में सामान्य सेवाओं ने 2011-12 में 46.25 प्रतिशत से 2015-16 में 50.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। इसी अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं में वृद्धि 41 से 45 प्रतिशत के बीच रही है।

तालिका 1.14:- संघ सरकार का क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य सेवाएं		सामाजिक सेवाएं		आर्थिक सेवाएं		कुल
	राशि	कुल व्यय की % के रूप मे	राशि	कुल व्यय की % के रूप मे	राशि	कुल व्यय की % के रूप मे	
2011-12	597504	46.25	119953	9.29	574371	44.46	1291828
2012-13	666406	47.42	124725	8.87	614306	43.71	1405437
2013-14	767915	49.14	142426	9.12	652316	41.74	1562657
2014-15	843093	54.16	68663	4.41	645003	41.43	1556759
2015-16	896486	50.56	100682	5.68	775879	43.76	1773047

टिप्पणियां:- क्षेत्रीय वर्गीकरण में विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, सं.शा.क्षे. सरकारों को कर्जे तथा सहायता अनुदान के कारण राजस्व व्यय जो किसी विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, शामिल नहीं है।

1.3.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता। यह सरकार के नियमित परिचालन के लिए होता है। कार्यों के अनुसार, समग्र व्यय को सामान्य सेवाओं (प्रशासन तथा रक्षा शामिल है), सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं से बना माना जा सकता है। इसमें सहायता अनुदान (जीआईए) तथा राज्यों, संघ शासित प्रदेशों एवं विदेशी सरकारों को अंशदान भी शामिल है। **तालिका 1.15** राजस्व व्यय के क्षेत्रीय संघटक प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.15: राजस्व व्यय के क्षेत्रीय संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	सामान्य सेवाएं•	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	जीआईए एवं योगदान	कुल
2011-12	521326 (39.94)	111577 (8.55)	492398 (37.73)	179894 (13.78)	1305195 (100)
2012-13	586927 (41.32)	116712 (8.22)	535434 (37.69)	181400 (12.77)	1420473 (100)
2013-14	679852 (43.16)	133981 (8.51)	561860 (35.67)	199404 (12.66)	1575097 (100)
2014-15	752908 (44.42)	59437 (3.50)	544682 (32.13)	338109 (19.95)	1695137 (100)
2015-16	804758 (45.22)	88444 (4.97)	569645 (32.01)	316682 (17.80)	1779529 (100)
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)					
2011-12	14.69	-8.52	9.46	12.61	10.04
2012-13	12.58	4.60	8.74	0.84	8.83
2013-14	15.83	14.80	4.94	9.93	10.89
2014-15	10.75	-55.64	-3.06	69.56	7.62
2015-16	6.89	48.80	4.58	-6.34	4.98

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजस्व व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

कुल राजस्व व्यय की वृद्धि 2013-14 में 10.89 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 प्रतिशत में 7.62 प्रतिशत से 2015-16 में 4.98 प्रतिशत तक पर्याप्त रूप से कम हुआ है। 'जीआईए तथा अंशदान' पर व्यय में 2014-15 में 69.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। क्योंकि सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के बड़े अंश का जीआईए तथा अंशदान में अंतरण किया गया था। हालांकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जीआईए तथा अंशदान में वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में 6.34% की कमी आई।

(क) सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय

तालिका 1.16 2011-16 की अवधि के दौरान सेवाओं के मुख्य संघटको पर व्यय तथा उनकी वार्षिक वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.16: सामान्य सेवाओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	प्रशासनिक सेवाएं	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	रक्षा सेवाएं	अन्य	कुल
2011-12	286982	42294	72873	107624	11553	521326
2012-13	330171	47201	80766	116485	12304	586927
2013-14	395200	53509	87552	129890	13701	679852
2014-15	425098	59698	107911	145146	15055	752908
2015-16	457270	66286	111285	151600	18317	804758
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2011-12	17.29	15.58	9.30	11.65	13.04	14.69
2012-13	15.05	11.60	10.83	8.23	6.50	12.58
2013-14	19.70	13.36	8.40	11.51	11.35	15.83
2014-15	7.57	11.57	23.25	11.75	9.88	10.75
2015-16	7.57	11.04	3.13	4.45	21.67	6.89

ब्याज भुगतान पर व्यय सामान्य सेवाओं का 56.82 प्रतिशत बनता है। वर्ष 2015-16 में ब्याज भुगतान पर व्यय की वृद्धि 7.57% रही है परन्तु पूर्णावधि में यह वृद्धि 32,172 करोड़ थी। पेंशन एवं विभिन्न सामान्य सेवाओं में वार्षिक वृद्धि 2014-15 में 23.25% की तुलना में 2015-16 में 3.13% रही।

(ख) सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय

संघ सरकार द्वारा शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, एससी, एसटी एवं ओबीसी का कल्याण; श्रम एवं श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदा हेतु राहत आदि सहित सामाजिक सेवाओं पर व्यय लेखाशीर्ष के तहत संघ सरकार के व्यय में पिछले वर्ष से 2015-16 में वृद्धि दर्शाई है **(तालिका 1.17)** जो सामाजिक सेवाओं को उच्च प्राथमिकता दर्शाता है।

तालिका 1.17: सामाजिक सेवाओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	अन्य	कुल
2011-12	57251	21399	19527	660	12740	111577
2012-13	62741	22460	19503	348	11660	116712
2013-14	68480	26824	22358	606	15713	133981
2014-15	30636	1899	11142	1564	14196	59437
2015-16	33038	4654	13202	3377	34173	88444
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2011-12	11.72	-4.86	7.95	3.13	-56.81	-8.52
2012-13	9.59	4.96	-0.12	-47.27	-8.48	4.60
2013-14	9.15	19.43	14.64	74.14	34.76	14.80
2014-15	-55.26	-92.92	-50.17	158.09	-9.65	-55.64
2015-16	7.84	145.08	18.49	115.92	140.72	48.80

(i) जलापूर्ति एवं स्वच्छता, (ii) 'एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण' क्षेत्र के अंश में वृद्धि के कारण 2015-16 में क्रमश: 145.08% एवं 115.92 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। 2015-16 में प्रसार भारती को अनुदान में काफी हद तक वृद्धि हुई जो कि 2014-15 के ₹ 2,458 करोड़ की तुलना में ₹ 13,913 करोड़ थी जिसके फलस्वरूप अन्य में 140.72% तक व्यय में वृद्धि हुई।

(ग) आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय

आर्थिक सेवाओं के संघटकों पर राजस्व व्यय में प्रवृतियों के साथ-साथ 2011-16 के दौरान उनकी वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.18** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.18: आर्थिक सेवाओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	परिवहन	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	अन्य	कुल
2011-12	148767	142096	83100	35391	83044	492398
2012-13	158525	153714	105680	34775	82740	535434
2013-14	174475	159327	96622	40969	90467	561860
2014-15	190721	170066	75014	52990	55891	544682
2015-16	201625	202375	42475	53204	69966	569645
वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
2011-12	5.79	5.84	72.10	-10.64	-4.61	9.46
2012-13	6.56	8.18	27.17	-1.74	-0. 37	8.74
2013-14	10.06	3.65	-8.57	17.81	9.34	4.94
2014-15	9.31	6.74	-22.36	29.34	-38.22	-3.06
2015-16	5.72	19.00	-43.38	0.40	25.18	4.58

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं क्षेत्र में 2014-15 में 6.74 प्रतिशत के प्रति 2015-16 में 19 प्रतिशत की वृद्धि दिखी। 2013-14 से ऊर्जा क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि रही है जिसका मुख्य कारण एलपीजी एवं केरोसिन सहित पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी की वजह से व्यय में कमी है।

1.3.2.1 प्रमुख राजस्व व्यय की प्रवृति

(क) ब्याज भुगतान:

यह शीर्ष लोक ऋण पर ब्याज (दोनों आंतरिक तथा बाह्य) तथा सरकार की अन्य ब्याज वहन करने वाली देयताओं के भुगतान का प्रावधान करता है जिसमें बीमा एवं पेंशन निधियां, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, विभिन्न कम्पनियों, निगमों आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज आदि शामिल हैं। यह ऋण की कटौती अथवा परिहार पर व्यय को भी सम्मिलित करता है। राजस्व व्यय के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात वर्तमान वर्ष में 25.70 प्रतिशत रहा (**तालिका 1.19**)।

तालिका 1.19: राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज भुगतान (आईपी)	राजस्व प्राप्ति (आरआर)	राजस्व व्यय (आरई)	ब्या.भु. की वृद्धि	आरई को आईपी अंश
2011-12	286982	910277	1305195	17.29*	21.99
2012-13	330171	1055891	1420473	15.05	23.24
2013-14	395200	1217793	1575097	19.70	25.09
2014-15	425098	1328910	1695137	7.57	25.08
2015-16	457270	1436160	1779529	7.57	25.70

**वर्ष 2010-11 में ब्याज भुगतान पर व्यय ₹2,44,681 करोड़ था।*

2015 -16 में किए गए ब्याज भुगतान के घटक **चार्ट 1.4** में दर्शाए गए हैं। आंतरिक ऋण के कारण ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों (₹4,57,270 करोड़) का 89 *प्रतिशत* (₹4,05,242 करोड़) था।

चार्ट 1.4: ब्याज व्यय के प्रमुख घटक

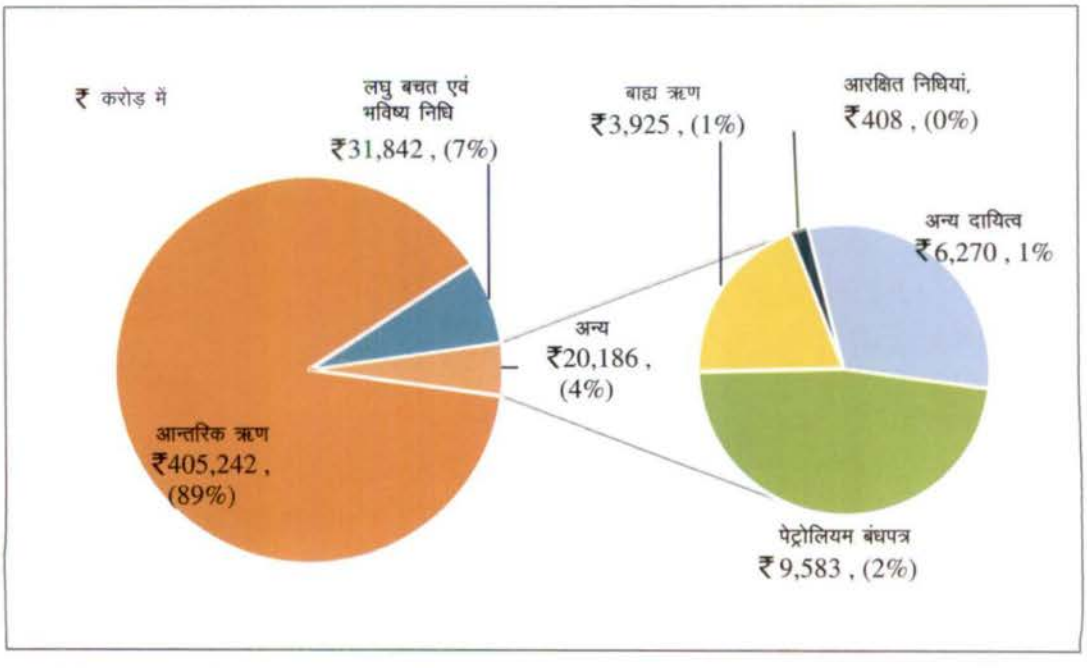

शून्य प्रतिशत 0.5 प्रतिशत से कम दर्शाती है।

(ख) पेंशन भुगतान

पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2014-15 में ₹ 93,611 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 96,771 करोड़ हो गया। रक्षा पेंशनों के मामले में, इसमें थोड़ी गिरावट आयी और यह 2015-16 ₹ 60,238 करोड़ रहा। पांच वर्षों की अवधि

के दौरान, रक्षा पेंशन भुगतान कुल पेंशन भुगतान के 60-65 प्रतिशत के बीच रहा **(चार्ट 1.5)**।

चार्ट 1.5: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

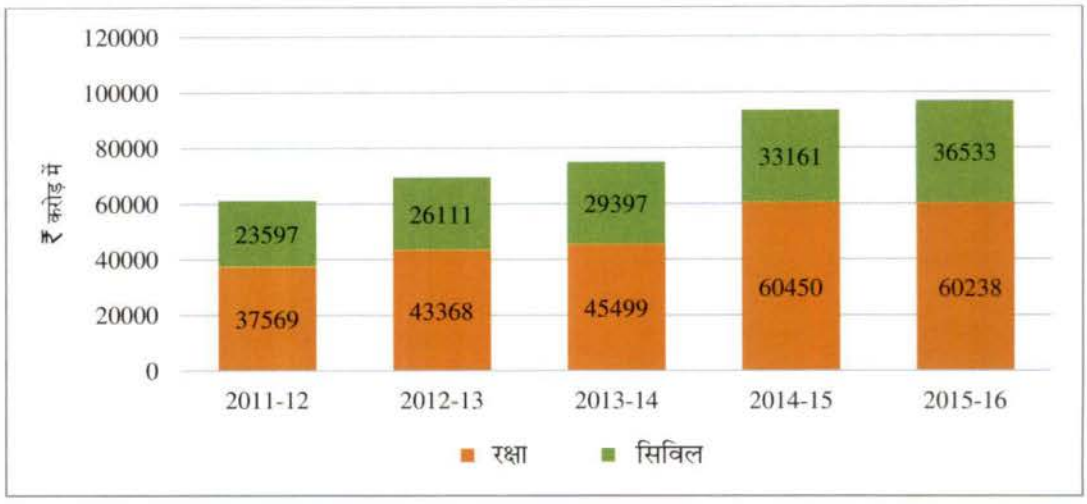

स्रोतः संघ सरकार वित्त लेखे का मुख्य शीर्ष 2071। इसमें डाक एवं रेल विभाग के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

1.3.2.2 आर्थिक सहायता प्रबन्धन

आर्थिक सहायताएं न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात् बजट के माध्यम से, बल्कि लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त लोक सेवाएं प्रदान करके भी प्रदान की जाती हैं। **तालिका 1.20** आर्थिक सहायताओं जिसे सरकार ने सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.20: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायता

अवधि	खाद्य	उर्वरक@ (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित)	पैट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता जी डी पी के प्रतिशत के रूप में	आर्थिक सहायता राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में
	(₹ करोड़ में)						*प्रतिशतता*	
2011-12	72822 (14)	33924 (39)	36108 (-13)	68481 (78)	6567 (-32)	217902 (23)	2.49	16.69
2012-13	85000 (17)	35132 (4)	30576 (-15)	96880 (41)	9591 (46)	257179 (18)	2.58	18.11
2013-14	92000 (8)	38038 (8)	29427 (-4)	85378 (-12)	9902 (3)	254745 (-1)	2.26	16.17
2014-15	117671 (28)	50423 (33)	20667 (-30)	60269 (-29)	9269 (-6)	258299 (1)	2.07	15.24
2015-16	139419 (18)	50478 (0)	21938 (6)	29999 (-50)	16637 (80)	258471 (0)	1.90	14.52

@ देशी एंव आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

 # विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

कोष्ठक में आंकड़े वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

** अन्य में ब्याज आर्थिक सहायता, मुद्रा नुकसान के लिए मुआवजा, आदि शामिल है।*

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का अधिकतम भाग खाद्य, उरर्वक एवं पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं की ओर था। आर्थिक सहायता पर कुल व्यय पिछले दो वर्षों (2014-16) के दौरान लगभग वही रहा। हालांकि, खाद्य एवं विनियंत्रित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता में पिछले वर्ष 2015-16 में क्रमश: ₹21,748 करोड़ (18 प्रतिशत) और ₹1,271 करोड़ (छ: प्रतिशत) तक वृद्धि हुई थी। 2015-16 में ब्याज आर्थिक सहायता पर व्यय में वृद्धि के कारण, 'अन्य' शीर्ष के अंतर्गत व्यय में 2014-15 में 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई थी। पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायता पर व्यय 2015-16 में 50% कम हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के स्तर पर आर्थिक सहायताओं पर राशि को रोक दिया।

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, आर्थिक सहायताओं पर व्यय 2014-15 में 2.07 प्रतिशत से 2015-16 में 1.90 प्रतिशत तक कम हो गया था। उसी प्रकार, उस अवधि के दौरान राजस्व व्यय में आर्थिक सहायता पर व्यय का अंश 15.24 प्रतिशत से 14.52 प्रतिशत तक कम हो गया था।

चार्ट 1.6 आर्थिक सहायताओं के विभिन्न घटकों का हिस्सा प्रस्तुत करता है। वर्ष 2015-16 में ₹2,58,471 करोड़ की कुल आर्थिक सहायता व्यय में से 54 प्रतिशत खाद्य पर था, 28 प्रतिशत उर्वरक पर, 12 प्रतिशत पेट्रोलियम पर तथा 6 प्रतिशत अन्य आर्थिक सहायताओं पर खर्च किया गया था।

चार्ट 1.6: सुस्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक

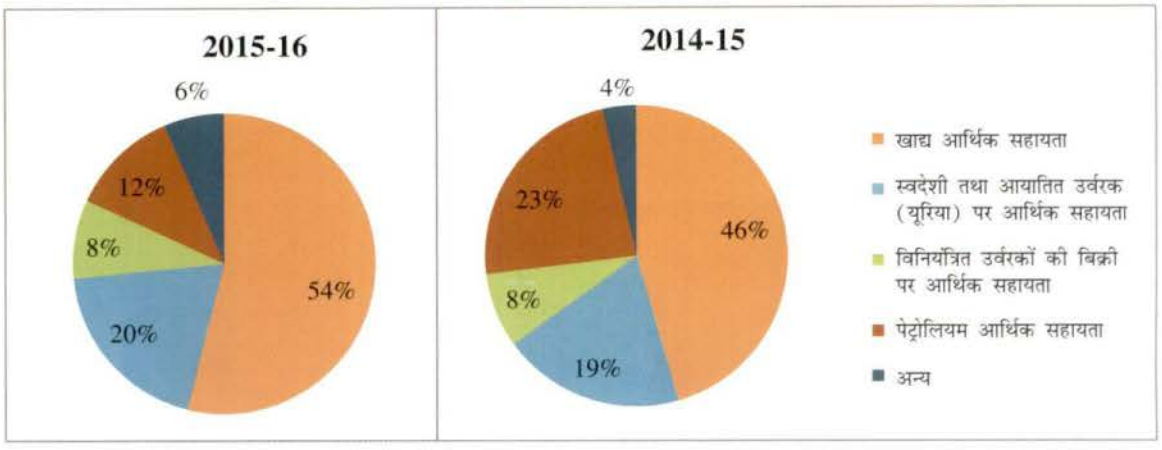

खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम के क्षेत्रों में कार्यरत निगम तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए प्राप्य संबंधित मंत्रालयों से पूर्ण सूचना के अभाव में संघ सरकार द्वारा की गई आर्थिक सहायता प्रतिपूर्तियों के साथ सहसंबंधित थे। फर्टिलाइजर्स एवं कैमिकल त्रावणकोर लि. तथा राष्ट्रीय उर्वरक लि. (एनएफएल), राष्ट्रीय रसायन उर्वरक लि., खाद्य तथा सार्वजनिक संवितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लेखाओं की जांच की गई और इस लेखापरीक्षा के दौरान सहसंबंध स्थापित किया गया था।

इस जांच के आधार पर, यह प्रकट हुआ कि ₹70,144.67 करोड़ के आर्थिक सहायता दावे (एफ सी आई को ₹37,776.56 करोड़ और उर्वरक को ₹5,088.05 करोड़ तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों में ₹ 27,280.06 करोड़) वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान संघ सरकार द्वारा अदा नहीं किए गए हैं जैसा **अनुबंध 1.1** में दर्शाया गया है। ₹70,144.67 करोड़ के आंकड़ों की, इस संख्या को निकालते समय 2015-16 की अंतिम तिमाही के दौरान सरकार को प्रस्तुत दावे बाहर रखे गए हैं। यदि वित्त वर्ष के दौरान तीन तिमाहियों के इन दावों का भुगतान किया गया होता तो सब्सिडी पर कुल व्यय ₹70,144.67 करोड़ से अधिक होता। इस संख्या को हिसाब में लेकर, आर्थिक सहायताओं पर व्यय 1.90 प्रतिशत के प्रति 2015-16 में जी डी पी का 2.42 प्रतिशत होता। इसके अतिरिक्त यदि चौथी तिमाही के दावों के

अतिरिक्त बकाया आर्थिक सहायता दावे विगत अप्रदत्त दावों सहित कुल जोड़ में लिए जाते 2015-16 के दौरान ₹1,62,529.50 करोड़ की राशि तब 2015-16 मे कुल आर्थिक सहायता व्यय ₹4,21,000.50 करोड़ प्रस्तुत की गई होता जो जी डी पी का 3.10 प्रतिशत बनता है।

1.3.3 पूंजीगत व्यय

तालिका 1.21 में परिसंपत्ति सृजन अथवा संघ सरकार की मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता एवं 2011-16 की अवधि हेतु वृद्धि के वार्षिक दर को बढ़ाने के लिए किए गये पूंजीगत व्यय का सारांश दिया गया है।

तालिका 1.21: पूंजीगत व्यय के क्षेत्रीय घटक

(₹ करोड़ में)

अवधि	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सामान्य सेवाएं	76178 (7.39)	79479 (4.33)	88063 (10.80)	90185 (2.41)	91727 (1.71)
रक्षा सेवाएं	67902 (9.42)	70499 (3.82)	79125 (12.24)	81887 (3.49)	79958 (-2.36)
पुलिस	5524 (10.73)	6123 (10.85)	6417 (4.80)	6035 (-5.95)	9177 (52.06)
लोक निर्माण	1116 (-56.67)	1270 (13.74)	1431 (12.66)	1076 (-24.78)	1001 (-6.97)
अन्य	1636 (24.62)	1587 (-3.00)	1090 (-31.32)	1187 (8.90)	1591 (34.04)
सामाजिक सेवाएं	4583 (15.49)	5102 (11.32)	3813 (-25.26)	4875 (27.85)	5407 (10.91)
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2699 (18.90)	3100 (14.86)	1909 (-38.42)	2880 (50.86)	3496 (21.39)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1141 (20.49)	1353 (18.58)	1280 (-5.40)	938 (-26.72)	1025 (9.28)
अन्य	743 (-60.59)	649 (-0.13)	624 (-3.86)	1057 (69.40)	886 (-16.18)
आर्थिक सेवाएं	58704 (-10.74)	65801 (12.09)	76968 (16.97)	77025 (0.07)	181732 (135.94)
परिवहन	30725 (4.59)	36361 (18.34)	48708 (33.96)	53154 (9.13)	68854 (29.54)
उद्योग एवं खनिज	2599 (21.78)	2305 (-11.31)	3230 (40.13)	4013 (24.26)	3634 (-9.44)

अवधि	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2160 (-10.48)	2438 (12.86)	3080 (26.33)	3188 (3.53)	4040 (26.73)
विद्युत	2763 (326.46)	1083 (-60.79)	733 (-32.36)	945 (28.92)	2105 (122.75)
अन्य	20457 (-34.50)	23614 (15.43)	21217 (-10.15)	15725 (-25.89)	103099 (555.64)
कुल	**139465 (-0.86)**	**150382 (7.83)**	**168844 (12.28)**	**172085 (1.92)**	**278866 (62.05)**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता में वृद्धि को दर्शाते हैं।

पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष के तुलना में ₹106781 करोड़ (62.05 प्रतिशत) वृद्धि हुई और यह 2015-16 में ₹2,78,866 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 2014-15 के 9.01 प्रतिशत से 2015-16 में 13.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। **(तालिका 1.13)**

आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष से वर्ष 2015-16 में 135.94 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। यह ठोस वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेश (₹25,000 करोड़), आईएमएफ में अंशदान (₹ 68,252 करोड़), एशियन डवलपमेंट बैंक (₹ 2,236 करोड़) तथा विश्व बैंक में (₹ 993 करोड़) निवेश के कारण ही संभव हो पाई।

सामान्य सेवाओं के अंतर्गत, 'पुलिस' (52.06 प्रतिशत) के अंतर्गत पूंजीगत व्यय, विगत वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी।

1.3.3.1 जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में व्यय (राजस्व+पूंजीगत)

जी डी पी से संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय इन क्षेत्रों को प्रदत्त सापेक्ष प्राथमिकताओं को इंगित करता है। 2011-16 के दौरान, संघ सरकार का सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय कुल मिलाकर जीडीपी का 6.92 प्रतिशत था। **तालिका 1.22** सामाजिक सेवाओं (अर्थात् शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास) पर व्यय का अंश दर्शाती है, उसमें 2011-12 से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी है और साथ में यह जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत बनाता है।

तालिका 1.22: जी डी पी के प्रतिशत के रूप में व्यय के महत्वपूर्ण घटक

अवधि	परिवहन	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	उद्योग एवं खनिज	शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जल आपूर्ति स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास
2011-12	2.05	1.64	0.43	0.66	0.24	0.28
2012-13	1.96	1.56	0.37	0.63	0.21	0.26
2013-14	1.98	1.42	0.39	0.61	0.21	0.25
2014-15	1.95	1.37	0.46	0.25	0.10	0.04
2015-16	1.99	1.49	0.42	0.25	0.10	0.06

2011-16 की अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं (अर्थात् कृषि, परिवहन एवं उद्योग) में व्यय अंश जीडीपी का लगभग चार प्रतिशत है।

1.3.4 राज्यों/यूटी को अंतरण

भारत में प्रचलित सहकारी संघवाद के अंतर्गत, वित्तीय संसाधन संघ सरकार से राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरित किए जाते हैं ताकि देश के संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता के द्वारा लोगों के जीने के स्थायी मानक और उसमें तीव्र वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वित्तीय संसाधनों को राज्यों को अनुच्छेद 270 के अंतर्गत संघ कर राजस्वों की कुल प्राप्तियों में अंश के रूप में अंतरित किया जाता है, इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 273, 275 और 293 के अंतर्गत राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान एवं ऋणों को प्रदान करता है।

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने कर न्यागमन को राज्यों को संसाधनों के अंतरण हेतु प्राथमिक रास्ते की दृष्टि से देखा है। राज्यों की आवश्यकताओं की गणना करने में, एफएफसी ने योजनागत एवं गैर योजनागत अंतर को नजर अंदाज किया और 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक करों के डिविजिनल पूल के संवर्धित न्यागमन को अनुदानों से कर न्यागमन के अंतरणों में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में मान लिया गया था। इस संवर्धित आवंटन ने पूर्व योजना आयोग द्वारा किए गए अंतरणों द्वारा संसाधन आवंटन द्वारा रिक्त स्थान को भर दिया है।

वित्त वर्ष 2015-16 एफएफसी के पांच वर्ष (2015-16 से 2019-20) की निर्णय अवधि को शामिल करने वाला प्रथम वर्ष है। नीचे दी गई **तालिका 1.23** 2011-16 के दौरान संघ से राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारों को संसाधनों का अंतरण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.23: राज्यों/सं.शा.क्षे. को अंतरण

(₹ करोड़ में)

	राज्यों/सं.शा.क्षे. को अंतरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2014-15 के समक्ष अंतरण में भिन्नता (%)
1.	राज्यों को सौंपे गए कर एवं शुल्क						
1.2	निगम कर	100720	104964	107296	118235	159742	35.11
1.3	आयकर	51161	62840	70651	84431	110933	31.39
1.4	सीमा शुल्क	44367	48558	52054	54759	81248	48.37
1.5	उत्पाद शुल्क	28709	33000	36764	30920	67717	119.01
1.6	सेवा कर	30067	42007	51170	49141	86138	75.29
1.7	अन्य कर	390	178	295	322	415	28.88
	कुल (1)	255414	291547	318230	337808	506193	49.85
2.	राज्यों/सं.शा.क्षे. को अन्य सहायता						
2.1	अनुदान [2]	177425	177708	194119	333040	311196	(-) 6.56
2.2	ऋण	10088	14059	11090	12012	12576	4.70
	कुल (2)	187513	191767	205209	345052	323772	(-) 6.17
	कुल अंतरण (1+2)	442927	483314	523439	682860	829965	21.54
3.	सकल कर राजस्व को कुल अंतरण की %	49.82	46.63	45.96	54.84	57.01	-
4.	कुल व्यय के कुल अंतरण की %	29.87	30.15	29.49	35.77	39.42	-

[2] वित्त लेखे की विवरणी सं. 9 के अनुबंध के अनुसार राज्यों/सं.शा.क्षे. को सहायता अनुदान के तौर पर ₹3,31,573 करोड़ जारी किए गए थे। हालांकि वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष 3601 एवं 3602 के तहत दर्ज किया गया व्यय ₹3,11,196 करोड़ था।

तालिका 1.23 से यह देखा जा सकता है कि एफएफसी की अनुशंसा के अनुसार राज्यों से संघ कर राजस्वों को 10 प्रतिशत न्यागमन में वृद्धि होने के साथ, 2014-15 की तुलना में 2015-16 में राज्यों/यूटी को सौंपे गए कुल करों एवं कर्त्तव्यों में 49.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में केन्द्रीय अंतरण 6.56 प्रतिशत तक गिर गया है। 2014-15 में 30.46 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2015-16 में करों, अनुदानों एवं ऋणों के रूप में राज्यों के कुल अंतरण में 21.54 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी।

संघ सरकार, वित्त लेखे 2015-16 में दर्शाए गए केन्द्रीय कर राजस्वों में अंश के रूप में राज्यों का अंतरण, अनुच्छेद 279(।) के अंतर्गत अंतिम अन्वेषण एवं प्रमाणीकरण के अधीन है।

1.3.5 सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम

संघ सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। जुलाई 2013 में, सरकार ने वर्तमान 137 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की और 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों सहित 66 योजनाओं में उन्हें पुनर्गठित किया। 17 फ्लैगशिप कार्यक्रमों, में से छः प्रमुख कार्यक्रमों का **तालिका 1.24** में विश्लेषण किया गया है।

छः फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय आंशिक रूप (0.66 प्रतिशत की वृद्धि) से 2014-15 में ₹97,880 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹98,527 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। इन छः योजनाओं में से, चार योजनाओं- मनरेगस, एसएसए, एमडीएम एवं आईएवाई ने बीई की तुलना में वृद्धि दर्ज की।

तालिका 1.24: संघ सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

		मनरेगस	स.शि.अ.	म.भो.यो.	रा.ग्रा.स्वा.मि.	इं.आ.यो.	प्र.ग्रा.स.यो.	कुल
2011-12	ब.अ.	40000	20413	10061	19838	10000	20000	120312
	वास्तविक	29213	20841	9891	17983	9872	19342	107142
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)26.97	2.10	(-)1.69	(-)9.35	(-)1.28	(-)3.29	(-)10.95
2012-13	ब.अ.	33000	24243	11643	22799	11075	24000	126760
	वास्तविक	30274	23873	10849	18661	7869	8884	100410
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)8.26	(-)1.53	(-)6.82	(-)18.15	(-)28.95	(-)62.98	(-)20.79

		मनरेगस	स.शि.अ.	म.भो.यो.	रा.ग्रा.स्वा.मि.	इं.आ.यो.	प्र.ग्रा.स.यो.	कुल
2013-14	ब.अ.	33000	26358	12879	23148	15184	21700	132269
	वास्तविक	32993	24802	10918	19385	12982	9805	110885
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)0.02	(-)5.90	(-)15.23	(-)16.26	(-)14.50	(-)54.82	(-)16.17
2014-15	प्रावधान	34000	27349	12828	10254	16000	9852	110283
	वास्तविक	32977	24068	10523	8468	11106	10738	97880
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)3.01	(-)12.00	(-)17.97	(-)17.42	(-)30.59	8.99	(-)11.25
2015-16	ब.अ.	35721	21295	8964	8219	10025	14048	98272
	वास्तविक	36269	21613	9145	7984	10116	13400	98527
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	1.53	1.49	2.02	(-)2.86	0.91	(-)4.61	0.26

** 2015-16 हेतु बजट अनुभाग में अनुपूरक शामिल है।*

मनरेगस= महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सशिअ= सर्व शिक्षा अभियान, मभोयो= मध्याह्न भोजन योजना, राग्रास्वामि= राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ईआयो= इंदिरा आवास योजना एवं प्र.ग्रा.स.यो. = प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

1.3.6 लिंग आधारित बजट

लिंग आधारित बजट का आरंभ 2005-06 में हुआ। संघ सरकार का लिंग आधारित बजट संपूर्ण बजट के अंदर महिलाओं के लिए बनी योजनाओं पर पूर्णतः या आंशिक रूप से लाभ पहुँचाने के लिए प्रस्तावित व्यय को उद्घाटित करता है। लिंग आधारित बजट से संबंधित योजनाओं को दो भागों में बाँटा गया, यथा-भाग-क, योजनाएं जिसमे बजट प्रावधान का 100 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित थे भाग 'ख'-योजनाए जिसमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित था। वर्ष-वार बीई, आरई.एवं 2011-12 से 2015-16 तक तक बीई एवं आर ई के मध्य अंतर **तालिका 1.25** में दिये गये हैं।

तालिका 1.25: 2011-16 के दौरान लिंग आधारित बजटीय आबंटन

वर्ष	बी ई			आर ई			₹ करोड़ में	
	भाग क	भाग ख	कुल	भाग क	भाग ख	कुल	अंतर (बीई और आर ई में अंतर)	% अंतर का प्रतिशत
2011-12	20548.35	57702.67	78251.02	20496.57	56449.52	76946.09	(-)1304.93	(-) 1.67
2012-13	22968.93	65173.87	88142.80	18878.48	59232.96	78111.44	(-)10031.36	(-) 11.38
2013-14	27248.19	69885.51	97133.70	24285.11	61210.31	85495.42	(-) 11638.28	(-) 11.98
2014-15	21887.61	75856.63	97744.24	17424.88	64168.04	81592.92	(-) 16151.32	(-) 16.52
2015-16	16657.11	62600.76	79257.87	11388.41	69860.71	81249.12	(+) 1991.25	(+) 2.51

(स्रोत: व्यय बजट भाग-I)

तालिका 1.25 दर्शाती है कि महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत 2011-12 से 2014-15 के दौरान बीई की तुलना में आरई में 1.67 प्रतिशत से लेकर 16.52 प्रतिशत तक की कमी हुई थी। तथापि, यह 2015-16 में अत्यल्प रूप से बढ़ा। बी ई 2015-16 में 34 मंत्रालयों/विभागों एवं 5 संघ शासित सरकारों ने लिंग आधारित बजट हेतु आबंटन किया था।

भाग क योजना में वर्ष 2015-16 के लिए ₹11,388.41 करोड़ के आरई के कुल आवंटन में से, ₹10.025 करोड़ (88 प्रतिशत) केवल एक योजना अर्थात् इंदिरा आवास योजना से संबंधित था जिसके प्रति ₹10,116 करोड़ का वास्तविक व्यय था।

निर्भया योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 हेतु बी ई में ₹1659.40 करोड़ का आबंटन था जो आगे ₹33.90 करोड़ तक आर ई में कम किया गया था। इसके प्रति, विभिन्न योजनाओं पर निर्भया निधि से ₹3.23 करोड़ का व्यय किया गया था। आर.ई. स्तर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा महिला सुरक्षा पर योजना से ₹653 करोड़ के आहरण प्रावधान के अलावा निर्भया निधि को अंतरण हेतु बजटीकृत ₹1000 करोड़ को आर.ई. स्तर पर निकाल लिया गया था।

1.4 घाटे

सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए सामान्यतया तीन प्रकार के घाटे **(बाक्स 1.3)** प्रयोग किए जाते हैं जो (I) राजस्व घाटा, (II) राजकोषीय घाटा और (III) प्राथमिक घाटा है।

बॉक्स 1.3: घाटे के प्रकार

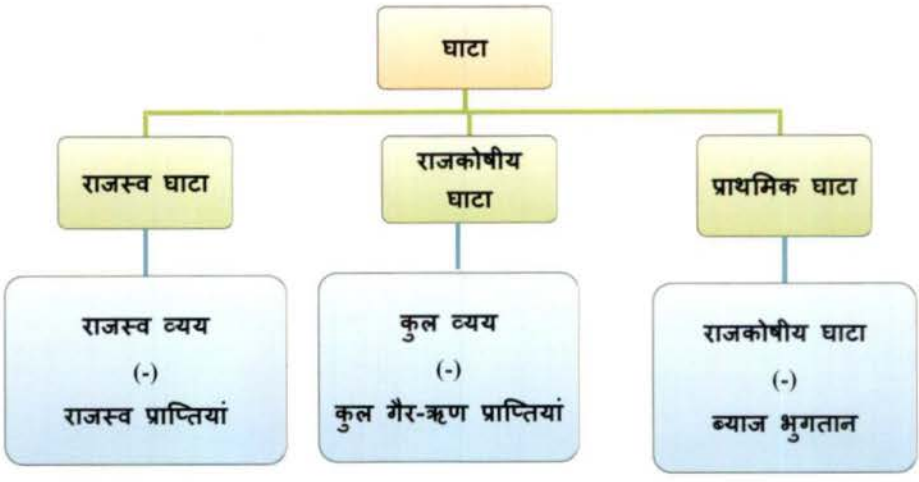

(क) राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह बिना तदनुरूप पूंजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि का कारण बनता है। तथा इस प्रकार यह एक बेमेल परिसंपत्ति देयता का सृजन करता है। इन कारणों से, राजस्व घाटा साधारणत: कम वांछनीय समझा जाता है।

तालिका 1.26 दर्शाती है कि राजस्व घाटा 2014-15 में ₹3,66,228 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹3,43,369 करोड़ हो गया था। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में, राजस्व घाटा 2014-15 में 2.93 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 2.53 प्रतिशत हो गया था।

तालिका 1.26: राजस्व घाटा

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
		(₹ करोड़ में)		राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	जीडीपी
2011-12	910277	1305195	394918	43.38	30.26	4.52
2012-13	1055891	1420473	364582	34.53	25.67	3.66
2013-14	1217794	1575097	357303	29.34	22.68	3.17
2014-15	1328909	1695137	366228	27.56	21.60	2.93
2015-16	1436160	1779529	343369	23.91	19.30	2.53

उपरोक्त को चार्ट 1.7 में ग्राफ के रूप में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7 राजस्व घाटा एवं जीडीपी की प्रतिशतता

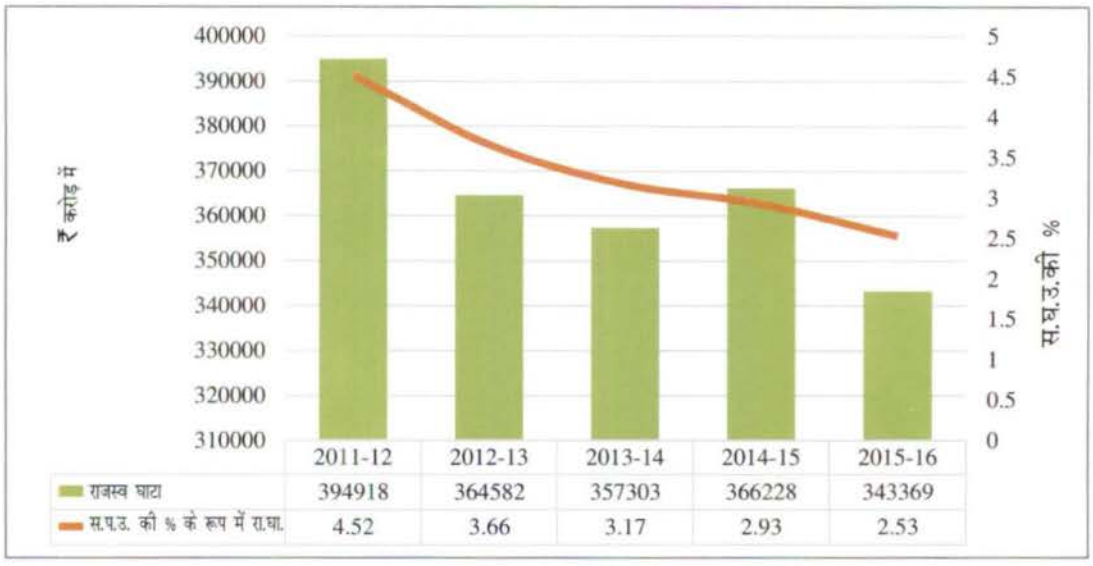

(ख) राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के अपेक्षित उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यत: सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं अथवा राजस्व तथा व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण को प्रस्तुत करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) उधार राशियां या लोक लेखे से अधिशेष निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है। जैसा कि **तालिका 1.27** में विस्तार से दिया गया है।

तालिका 1.27: राजकोषीय घाटा

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
				गैर-ऋण प्राप्तियां	वास्तविक व्यय	स.घ.उ
	(₹ करोड़ में)					
2011-12	965183	1483064	517881	53.66	34.92	5.93
2012-13	1108404	1602918	494514	44.61	30.85	4.97
2013-14	1271711	1774941	503230	39.57	28.35	4.46
2014-15	1393196	1909144	515948	37.03	27.03	4.13
2015-16	1520170	2105667	585497	38.52	27.81	4.31

तालिका 1.27 दर्शाती है कि राजकोषीय घाटे में 2014-15 के ₹5,15,948 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹5,85,497 करोड़ तक वृद्धि हुई। जीडीपी के प्रतिशत के

रूप में, राजकोषीय घाटा 2014-15 के 4.13 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 4.31 प्रतिशत था।

चार्ट 1.8 राजकोषीय घाटा एवं इसके मापदण्ड

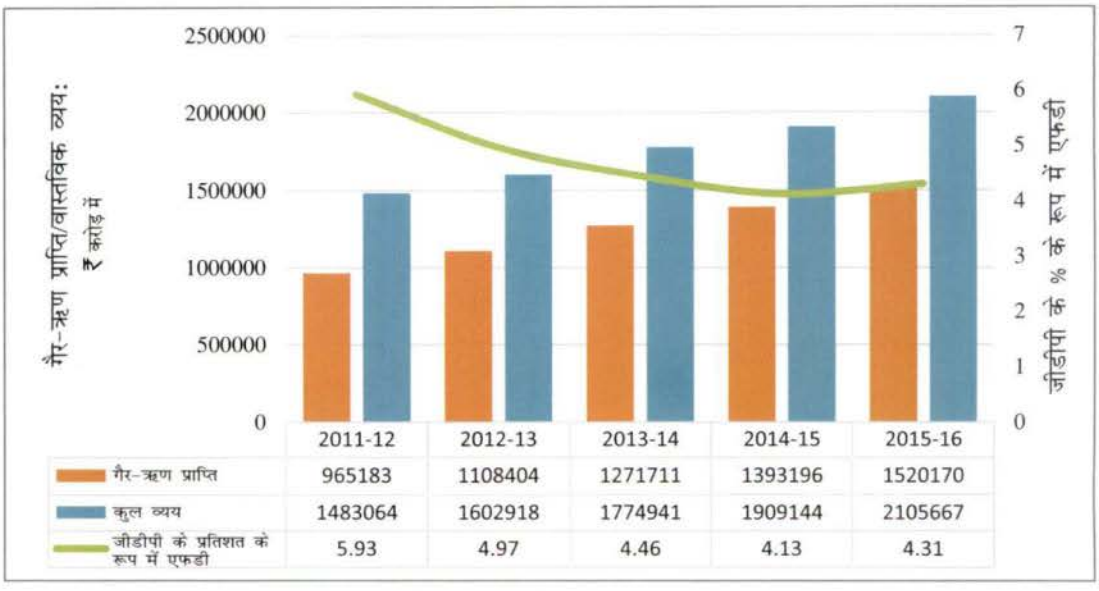

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश वास्तविक व्यय भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए अथवा पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों को वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है।

तालिका 1.28: राजकोषीय घाटे के संघटकों का अंश

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
2011-12	76.26	23.44	0.30
2012-13	73.73	25.17	1.10
2013-14	71.00	27.72	1.28
2014-15	70.98	26.04	2.98
2015-16	58.65	40.43	0.92

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 1.28** से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे का बड़ा भाग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के प्रति था। ₹5,85,497 करोड़ के राजकोषीय घाटे में से, राजस्व लेखे के कारण ₹3,43,369 करोड़ (58.65 प्रतिशत) था, जो कि राजस्व घाटा प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का शेष अंश पूंजीगत लेखे में था। यह निवल पूंजीगत व्यय के अंश में काफी वृद्धि के कारण हुआ था जो कि 2014-15 में 26.04 प्रतिशत के प्रति 2015-16 में 40.43 प्रतिशत तक बढ़ा था।

तालिका 1.29 संघ सरकार के राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के स्रोत को दर्शाती है।

तालिका 1.29: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्त्रोत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण (निवल)		वाह्य ऋण (निवल)		लोक लेखे (निवल)		नकद निकासी कमी		राजकोषीय घाटा
	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*	
2011-12	554799	107.13	12449	2.40	-33377	-6.44	-15990	-3.09	517881
2012-13	533944	107.97	7201	1.46	4380	0.89	-51011	-10.32	494514
2013-14	476383	94.67	7292	1.45	38721	7.69	-19166	-3.81	503230
2014-15	497564	96.44	12933	2.51	-72393	-14.03	77844	15.09	515948
2015-16	566544	96.76	12748	2.18	-6965	-1.19	13170	2.25	585497

(-) चिन्ह दर्शाता है कि संवितरण, प्राप्ति से अधिक थे।

जैसा कि यह तालिका से स्पष्ट है, राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः निवल आंतरिक ऋण से होता है। 2015-16 में वाह्य ऋण एवं नकदी नुकसान के अंश का भी उपयोग संघ सरकार को राजकोषीय स्थिति को समायोजित करने के लिए किया गया है।

(ग) प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा कर मापा जाता है। यह वर्तमान वर्ष के राजकोषीय परिचालन का मापक है जिसमें पूर्व में उधार ली गई राशियों के कारण सृजित ब्याज भुगतान की देयता शामिल नहीं है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा धीरे धीरे 2011-12 में 2.64 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 0.94 प्रतिशत हुई थी जैसा कि **तालिका 1.30** में दर्शाया गया है। तथापि, यह 2014-15 के 0.73 प्रतिशत की तुलना में अधिक था।

तालिका 1.30: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल ब्याज भुगतान•	प्राथमिक घाटा	जीडीपी के प्रतिशत में
2011-12	517881	286982	230899	2.64
2012-13	494514	330171	164343	1.65
2013-14	503230	395200	108030	0.96
2014-15	515948	425098	90850	0.73
2015-16	585497	457270	128227	0.94

*ऋण की कटौती या परिहार पर व्यय सम्मिलित है।

1.5 ऋण प्रबंधन

जबकि बजट संतुलन के लिए ऋण पर भरोसे का परिहार नहीं किया जा सकता है वहीं संघ सरकार (**बॉक्स 1.4**) जिसमें नीचे दी गयी 'भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं' निहित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2003 के माध्यम से उधारों की सीमाएं विवेकपूर्वक निर्धारित करती है। एफ.आर.बी.एम. नियम अनुबद्ध करते हैं कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए जीडीपी के नौ प्रतिशत से अधिक देयताओं (वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का उत्तरदायित्व नहीं लेगी और प्रत्येक वित्त वर्ष में जीडीपी के नौ प्रतिशत की सीमा जीडीपी के कम से कम एक प्रतिशत प्वाइंट तक प्रगामी रूप से कम की जानी थी।

बॉक्स 1.4: राजकोषीय देयताएं

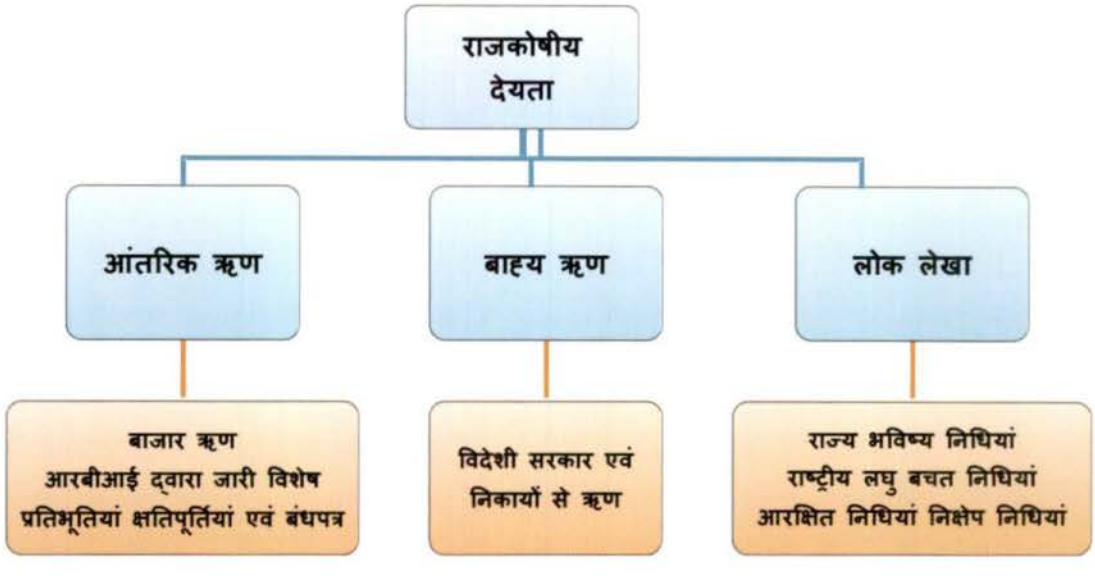

तालिका 1.31 आंतरिक ऋण की रचना को दर्शाती है, जिसमें विभिन्न घटकों अर्थात् संबंधित वर्षों के अंत तक के बाजार ऋण, राजकोषीय बिल, अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बॉड आदि शामिल हैं।

तालिका 1.31: आंतरिक ऋण की संरचना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	राजकोषीय बिल	प्रतिभूतियां जारी की गई			प्रतिपूर्ति एवं अन्य बॉड	अन्य	कुल
			अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	डाक जीवन बीमा			
2011-12	2516953 (77.91)	364835 (11.29)	29626 (0.92)	208183 (6.44)	14000 (0.43)	18705 (0.58)	78320 (2.43)	3230622 (100)
2012-13	2984309 (79.27)	418185 (11.11)	32226 (0.86)	216806 (5.76)	20894 (0.56)	13823 (0.37)	78321 (2.07)	3764566 (100)
2013-14	3441641 (81.16)	425950 (10.04)	35181 (0.83)	229165 (5.40)	20894 (0.49)	13614 (0.32)	74322 (1.76)	4240767 (100)
2014-15	3891734 (82.13)	435129 (9.18)	46395 (0.98)	261391 (5.52)	20894 (0.44)	13426 (0.28)	69322 (1.47)	4738291 (100)
2015-16	4300102 (81.06)	485822 (9.16)	106726 (2.01)	313856 (5.92)	20894 (0.39)	11114 (0.21)	66321 (1.25)	5304835 (100)

कोष्ठक में आंकड़े कुल आंतरिक ऋण की प्रतिशतता को दर्शाता है।

तालिका 1.32 विनिमय की वर्तमान दर (दर जिसपर ऋण मूल रूप में संविदित था) तथा ऐतिहासिक दर पर सरकार की कुल देयता, दोनों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.32: कुल राजकोषीय देयता

(₹ करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार के आंतरिक ऋण (1)	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर) (2)	लोक लेखा देयताएं (3)	कुल देयता (ऐतिहासिक दरों पर) (1+2+3)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर) (4)	कुल देयता (वर्तमान दरों पर) (1+3+4)
2011-12	3230622 (36.98)	170088 (1.95)	597765 (6.84)	3998475 (45.77)	322897 (3.70)	4151284 (47.52)
2012-13	3764566 (37.83)	177289 (1.78)	610016 (6.13)	4551871 (45.74)	332004 (3.34)	4706586 (47.30)
2013-14	4240767 (37.62)	184581 (1.64)	644060 (5.71)	5069408 (44.97)	374483 (3.32)	5259310 (46.66)
2014-15	4738291 (37.94)	197514 (1.58)	671010 (5.37)	5606815 (44.90)	366384 (2.93)	5775685 (46.25)
2015-16	5304835 (39.07)	210262 (1.55)	711608 (5.24)	6226705 (45.87)	406589 (2.99)	6423032 (47.31)

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े जीडीपी की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

**1999-2000 से लोक लेखा देयताएं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों एवं कुछ अन्य साधन में निवेश की सीमा तक लघु बचतों तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि परिचालनों में हुई हानियां के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।*

2012-15 के दौरान, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्तमान दर पर कुल देयता ने घटती प्रवृत्ति दर्शाई है। हालांकि, यह 2014-15 में 46.25 प्रतिशत से 2015-16 में 47.31 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। 31 मार्च 2016 को आन्तरित ऋण कुल लोक ऋण का लगभग 96.19 प्रतिशत बना था। हालांकि वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण की गणना करते समय आंतरिक ऋण, कुल सार्वजनिक ऋण का 92.88 प्रतिशत बनता है। बाह्य ऋण का अंश कुल देयताओं के 3 प्रतिशत से भी कम है जो कि दर्शाता है कि देयता को वैश्विक अस्थिरता के प्रति प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। 2015-16 में ऋण स्टॉक का स्तर जीडीपी का 47.31 प्रतिशत था जो कि 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश 43.60 प्रतिशत से अधिक था। (तालिका 1.36)

वित्त लेखा में आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2016 को, बकाया लोक लेखा देयताएं ₹7,11,608 करोड़ थीं, जैसा तालिका 1.32 के कॉलम (3) में दर्शाया गया है। यह कुल ₹7,11,608 करोड़ में से, ₹5,13,096 करोड़ लघु बचतों, भविष्य निधि आदि तथा अन्य देयताओं के रूप में ₹1,98,512 करोड़ को शामिल करता है।

हालांकि, लघु बचतें, भविष्य निधि आदि के कारण जमाकर्ताओं के प्रति संघ सरकार की कुल देयता वास्तविक रूप से ₹12,31,500 करोड़ है और न कि ₹5,13,096 करोड़। इस प्रकार, देयता को दर्शाने में ₹7,18,404 करोड़ से ₹(12,31,500 - 5,13,096) करोड़ कम बताया गया। ₹5,13,096 करोड़ के कम आंकड़े जैसा वित्त लेखा के कथन सं. 2 में वर्णित किया गया है कुछ निवेशों एवं हानियों के नेटिंग के बाद पहुंच गया है। ₹7,18,404 करोड़ के वास्तविक आंकड़े जैसा वित्त लेखा के कथन सं. 2 में वर्णित किया गया है राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के परिचालन में संग्रहित घाटे ₹1,04,217 करोड़ के नेटिंग ऑफ के अतरिक्त विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में ₹5,71,048 करोड़ निवेश तथा निधि प्रबंधकों के माध्यम से डाकघर बीमा के निवेश से संबंधित ₹43,139 करोड़ को शामिल करता है।

तालिका 1.33 लोक लेखा देयताओं के नेटेड तथा वास्तविक आंकड़ों दोनों को ध्यान में रखकर कुल राजकोषीय देयता की स्थिति को प्रकाश में लाता है।

तालिका 1.33: कुल राजकोषीय देयताओं को कम बताना

(₹ करोड़ में)

अवधि	लोक लेखा देयताएं (नेटेड आंकड़ों के अनुसार)	लोक लेखा देयताएं (वास्तविक)	कम बतायी गयी राशि (3-2)	कुल नेटेड देयताएं (वर्तमान दरों पर)	कुल वास्तविक देयता (वर्तमान दरों पर) (4+5)
1	2	3	4	5	6
2011-12	597765 (6.84)	1172243 (13.42)	574478	4151284 (47.52)	4725762 (54.10)
2012-13	610016 (6.13)	1198214 (12.04)	588198	4706586 (47.30)	5294784 (53.21)
2013-14	644060 (5.71)	1268854 (11.26)	624794	5259310 (46.66)	5884104 (52.20)
2014-15	671010 (5.37)	1341220 (10.74)	670210	5775685 (46.25)	6445895 (51.62)
2015-16	711608 (5.24)	14,30,012 (10.53)	718404	6423032 (47.31)	7141436 (52.60)

नोटः कोष्ठक में दिये गये आंकड़े जीडीपी की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वित्त लेखा के कथन सं. 2 में किया गया वर्णन केन्द्र के देयताओं को कम प्रतिवेदित करता है, जिसने एनएसएसएफ के परिचालन में संचित घाटे से हुई अपव्ययी हानियों को शामिल किया।

₹12,31,500 करोड़ के लघु बचतों, भविष्य निधि आदि की देयता के वास्तविक स्तर ध्यान में रखते हुए, लोक लेखा देयता ₹14,30,012 करोड़ (₹12,31,500 करोड़ लघु बचतों, भविष्य निधि आदि के रूप में तथा ₹1,98,512 करोड़ अन्य दायित्वों के रूप में) बनती है जैसा उपर्युक्त **तालिका 1.33** के कॉलम 3 में प्रकाश में लाया गया है। तदनुसार, 31 मार्च 2016 को संघ सरकार की कुल बकाया देयता, वर्तमान दरों पर बाह्य ऋण की गणना करते हुए ₹71,41,436 करोड़ थी जो कि जीडीपी का 52.60 प्रतिशत बनता है।

1.5.1 लोक ऋण का पुनर्भुगतान

2015-16 के दौरान, सरकार ने आन्तरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹4,05,242 करोड़ की राशि का भुगतान किया है (**तालिका 1.34**)। आन्तरिक ऋण पर प्रदत्त ब्याज का 84 प्रतिशत से अधिक विभिन्न दरों के ब्याज वाले बाजार ऋणों

(₹3,41,734 करोड़) पर ब्याज था। बाह्य ऋण पर प्रदत्त ब्याज ₹3,925 करोड़ थी बाह्य ऋण पर ब्याज का लगभग 88 प्रतिशत (₹3,465 करोड़) केवल चार संस्थाओं अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), जापान सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋणों के कारण था।

तालिका 1.34: लोक -ऋण प्राप्ति तथा पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण का भुगतान		बाह्य ऋण का भुगतन		लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान	लोक ऋण की कुल प्राप्ति	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8
2011-12	3482343	242569	13586	3501	3741999	4063177	965183
2012-13	3410785	281891	16108	4019	3712803	3968038	1108404
2013-14	3493167	344893	18124	3880	3860064	3994966	1271711
2014-15	3687099	371420	20601	3766	4082886	4218196	1393196
2015-16	3714352	405242	23305	3925	4146824	4316950	1520170

₹15,20,170 करोड़ के कुल गैर ऋण प्राप्ति के प्रति 2015-16 में ₹41,46,824 करोड़ के लोक ऋण का कुल पुर्नभुगतान हुआ था और इस प्रकार गैर-ऋण प्राप्ति के 273 प्रतिशत हुआ। इसके अतिरिक्त, 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों के प्रति लोक ऋण के पुर्नभुगतान का अनुपात 289 प्रतिशत था।

1.5.2 ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता सामान्य रूप से ऋण, प्राथमिक घाटे और जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में ब्याज लागत से मापी जाती है। गिरता हुआ ऋण/जीडीपी अनुपात को स्थिरता की और बढ़ता हुआ मान सकते है। ब्याज भुगतानों की राजस्व प्राप्तियों के साथ के अनुपात को ऋण स्थिरता को मापने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस भाग में, कुल देयता (लोक ऋण और अन्य देयताओं) की स्थिरता का आकलन महत्व परिवर्तनों में देखी गई प्रवृत्तियों का उपयोग करके किया जाता है।

(क) देयता- जीडीपी अनुपात

देयता-जीडीपी अनुपात में प्रवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है जोकि लोक ऋण स्थिरता को सूचित करती है और **चार्ट 1.9** में प्रस्तुत है।

चार्ट 1.9: देयता की प्रवृत्तियां- जीडीपी अनुपात

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ऐतिहासिक दर पर देयता	45.77	45.74	44.97	44.90	45.87
वर्तमान दर पर देयता	47.52	47.30	46.66	46.25	47.31

वर्तमान दर पर 2011-16 के दौरान संघ सरकार की देयता 2011-12 के ₹41,51,284 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹64,23,032 करोड़ तक बढ़ी। देयता-जीडीपी अनुपात 2014-15 के 46.25 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 47.31 प्रतिशत हो गई। यह विश्लेषण **तालिका 1.33** में उल्लेखित लोक लेखा में देयताओं के कम बताने को ध्यान में नहीं लिया गया है, लेकिन जिसके लिए देयता-जीडीपी अनुपात 2015-16 में 52.60 हो गया होता।

(ख) ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात

ऋण की ब्याज लागत सरकारी ऋण की स्थिरता का अन्य मुख्य संकेतक है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 **(चार्ट 1.10)** में सरकार हेतु ब्याज भुगतान के प्रति राजस्व प्राप्तियां (आईपी/आरआर) के अनुपात में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गई थी।

चार्ट 1.10: ब्याज भुगतान के प्रति राजस्व प्राप्ति अनुपात

(ग) औसत ब्याज लागत

औसत ब्याज लागत (एआईसी) एक वर्ष के दौरान औसत ऋण स्टॉक[3] के साथ ब्याज भुगतानों का भाग करके निकाली जाती है। गिरती हुई औसत ब्याज लागत सरकारी ऋण की स्थिरता के लिये शुभ संकेत है।

चार्ट 1.11: औसत ब्याज दर (ए.आई.सी.) और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि

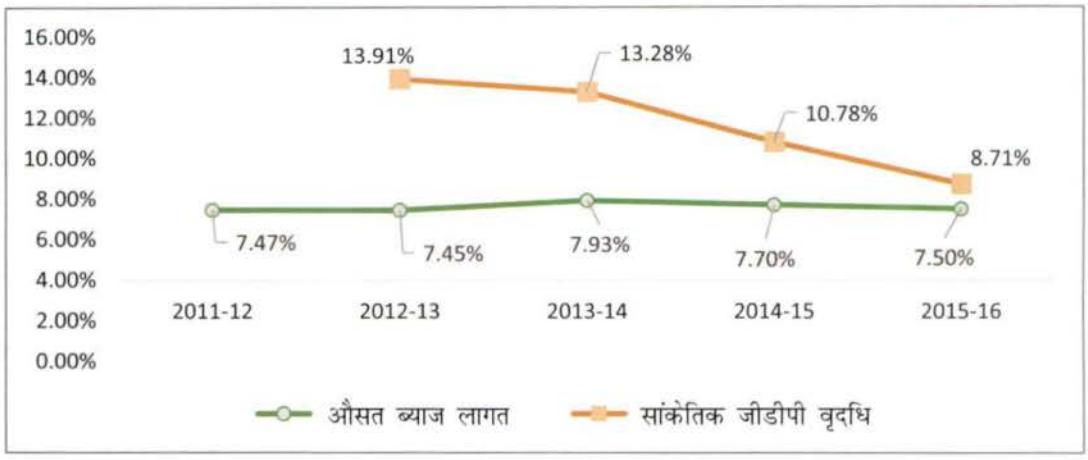

चार्ट 1.11 औसत ब्याज लागत में 2013-14 से गिरावट दर्शाता है। यह 2013-14 में 7.93 प्रतिशत से कम होकर 2015-16 में 7.50 प्रतिशत तक कम हुई थी। यह विश्लेषण जैसा **तालिका 1.32** के कॉलम 6 में प्रदर्शित कुल देयताओं के कम बतायी गयी आंकड़ों पर आधारित है।

एआईसी के साथ सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर की तुलना लोक ऋण की स्थिरता को सुदृढ़ बनाती है। जीडीपी में सांकेतिक वृद्धि दर औसत 2012-16 के दौरान ब्याज लागत से अधिक रही है।

(घ) बाजार ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल

2015-16 में ₹64,23,032 करोड़ की कुल बकाया देयताओं में, आंतरिक ऋण ₹53,04,835 करोड़ का था। आंतरिक ऋण का मुख्य घटक है बाजार ऋण जो दिनांकित प्रतिभूतियां है और वह ₹43,00,102 करोड़ का था (आंतरिक ऋण का 81.06 प्रतिशत)। जिन बाजार ऋणों की ऋणमुक्ति सात वर्षों के अंदर करनी थी,

[3] औसत ऋण स्टॉक, वर्ष के आरंभ एवं वर्ष के अंत में बकाया ऋण का सामान्य औसत है।

उनकी परिपक्वता प्रोफाइल 2015-16 की समाप्ति पर ₹17,63,762 करोड़ (बकाया बाजार ऋण के 41 प्रतिशत के आसपास) थी। (**चार्ट 1.12**)

चार्ट1.12: बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

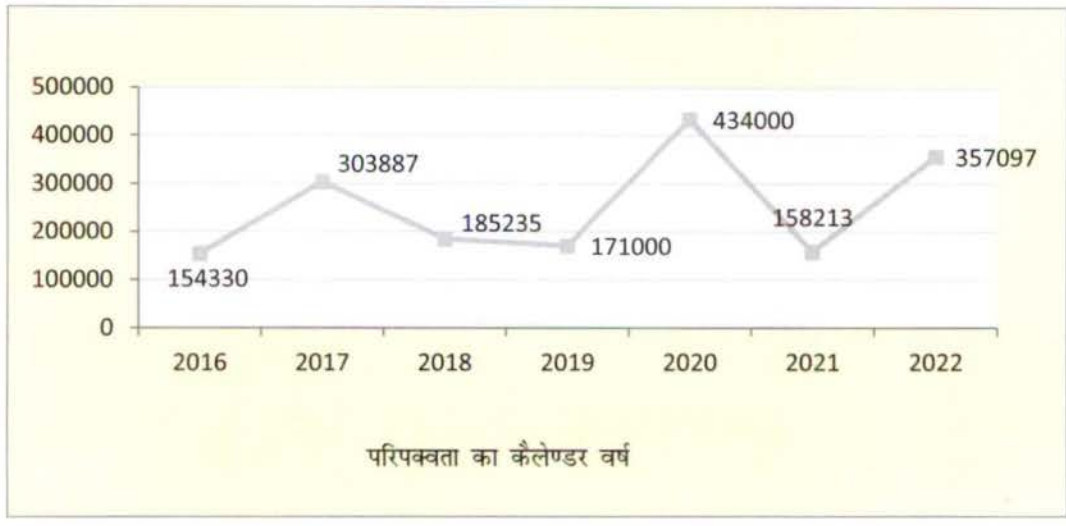

स्रोत: वि.व *2015-16 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे*

वर्ष 2015 में, सबसे लंबी परिपक्वता आयु वाली दिनांकित प्रतिभूतियां 40 वर्षों वाली थी।

1.5.3 अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

2015-16 के दौरान, वर्तमान दर पर बाह्य ऋण ₹4,06,589 करोड़ जबकि 31 मार्च 2016 को अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता ₹2,49,516 करोड़ तक सूचित किया गया है। सहायता - लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹41,053 करोड़), परमाणु ऊर्जा (₹33,286 करोड़), सड़कें (₹29,187 करोड़), विद्युत (₹17,387 करोड़), रेल (₹24,041 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹27,023 करोड़) जल संसाधन प्रबंधन (₹11,999 करोड़) एवं पर्यावरण तथा वानिकी (₹12,162 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे।

चार्ट 1.13: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

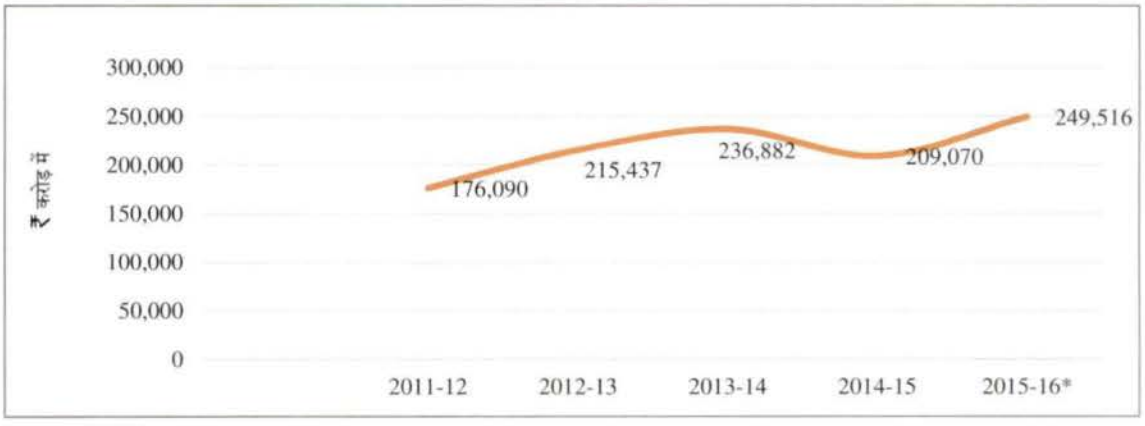

** 2011-12 से लेकर 2014-15 के आंकडे वास्तविक हैं और 2015-16 के आंकडे अनन्तिम हैं। ये सी.ए.ए.ए. द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।*

अनाहरित बाह्य सहायता पर प्रतिबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निधारित मूल राशि पर दिये जाते हैं। चूंकि प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज दायित्व' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। **तालिका 1.35** बाद की तिथियों में सहायता राशि के आहरण के पुनर्निधारण के लिए चार वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न निकायों/सरकारों को भुगतान किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों को दर्शाती है।

तालिका 1.35: प्रतिबद्धता प्रभार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एशियन विकास बैंक	जापान	जर्मनी	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक	कुल
2011-12	42.30	20.82	6.24	13.92	83.28
2012-13	47.18	25.67	7.43	12.24	92.52
2013-14	47.46	49.99	9.78	10.09	117.32
2014-15	49.21	46.11	8.47	6.74	110.53
2015-16	24.15	23.84	4.35	0.55	52.89

हालांकि वर्ष 2015-16 में पिछले वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत से अधिक प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी की कमी आई थी जिसके कारणवश 2015-16 में ₹ 52.89 करोड़ तक की राशि के प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ था जो कि निरंतर अपर्याप्त योजना दर्शाता है।

वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामला विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि अंर्तराष्ट्रीय जापान सहकारिता अभिकरण (जे.आई.सी.ए.) से प्राप्त अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता को 25 प्रतिशत तक घटा दिया जाएगा क्योंकि जे.पी.वाय 312774

मिलियन (100 येन = ₹56) की कुल ऋण प्रतिबद्धता वाली नौ परियोजनाओं से संबंधित ऋण अनुबंध जे.आई.सी.ए. द्वारा कार्यान्वित नहीं किए गए थे।

1.5.4 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा की तुलना में निष्पादन

चौदहवें वित्त आयोग (14वें वि.आ.) द्वारा उल्लिखित आकलनों की तुलना में अधिनिर्णय अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय कुल जमा को **तालिका 1.36** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.36: राजकोषीय रोड मैप तथा वास्तविक प्रदर्शन

(जीडीपी की प्रतिशतता)

मापदंड	14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित					वित्तीय लेखे के अनुसार वास्तविक निष्पादन
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2015-16
राजस्व घाटा	2.56	2.25	1.79	1.36	0.93	*2.53*
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.61	0.65	0.70	0.76	0.82	0.62
पूंजीगत व्यय	3.60	3.00	3.00	3.00	3.00	*4.31*
राजकोषीय घाटा	43.60	41.41	39.49	37.79	36.30	47.31

(वर्ष के अंत में देयताएं)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय घाटा तथा ऋण स्टॉक जी.डी.पी. के क्रमश: 3.60 प्रतिशत व 43.60 प्रतिशत की तुलना में 4.31 एवं 47.31 प्रतिशत थे।

1.6 संघ सरकार की गारंटियों में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियॉ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की गई है। संघ सरकार द्वारा (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान (iii) सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि के लिए क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि गारंटी दी जाती है। यह गारंटियॉ भा.स.नि. पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है।

गारंटियां अवसंरचना विकास और ऐसी परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए निवेशों की बढती आवश्यकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती हैं। संघ सरकार

की आकस्मिक देयताएं इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जबकि गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, वहां चूक होने की स्थिति में, सरकार के ऋणों में वृद्धि की सम्भावना रहती है।

गारंटियॉ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से धन उधार लेने योग्य बनाने हेतु दी जाती हैं। एफ.आर.बी.एम. नियमावली 2004 के नियम 3(3) में अनुबंधित है कि केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 0.5 *प्रतिशत* से अधिक गारंटियां नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एफआरबीएम नियम 2004 के नियम 6(1)(ख) के अनुपालन में केन्द्र सरकार के लिए राजकोषीय संचालन में वृहत् पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय गारंटियों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक है। क्रमश: चार्ट 1.1.4 और तालिका 1.37 में वित्त वर्ष 2011-16 के अंत में गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशि तथा बकाया बाह्य गारंटियों से संबधित स्थिति दी गई है। 31 मार्च 2016 तक बकाया गारंटीकृत राशि में से 69.82 *प्रतिशत* विदेशी कर्जदाता संस्थाओं से ऋणों के प्रति, 22.08 प्रतिशत आर.बी.आई./बैंकों/ औद्योगिक वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष 8.10 प्रतिशत शेयरपूंजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारंटी आदि के लिए थी। वित्त मंत्रालय द्वारा 2015-16 में मुख्य मंत्रालयों/विभागों जिनको गारंटी प्रदान की गई उनमें से कृषि एवं सहकारिता, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत, दूरसंचार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, विदेशी मामले मंत्रालय/विभाग थे।

चार्ट 1.14: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

तालिका 1.37: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि (कुल)	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
2011-12	203056	192501	114387	59.42
2012-13	242915	233769	136864	58.55
2013-14	270629	249503	150373	60.27
2014-15	305519	294700	186172	63.17
2015-16	352519	343650	239941	69.82

31 मार्च 2016 को कुल बकाया गारंटियां जीडीपी का 2.53 प्रतिशत तथा 2015-16 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 23.93 प्रतिशत थीं।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुपालन में, वर्ष के दौरान गारंटियों की वृद्धि ₹51,942.13 करोड़ (जीडीपी का 0.38 प्रतिशत) थी। हालांकि, वर्ष 2015-16 के दौरान गारंटियों की निवल अभिवृद्धि ₹43,341.11 करोड़ थी जोकि जीडीपी का 0.32 प्रतिशत था।

1.7 निष्कर्ष

वर्ष 2015-16 आर्थिक वृद्धि में सुधार द्वारा विशिष्ट था क्योंकि स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीडीपी के अनुमानों में 2014-15 में 7.2 प्रतिशत के प्रति 7.6 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाई गई थी। तथापि वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी 2015-16 में पूर्व वर्ष में 10.8 प्रतिशत की तुलना में 8.7 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर दर्शाता था। राजस्व घाटा में सुधार हुआ जो कि 2014-15 में जी.डी.पी. में

2.93 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015-16 में 2.53 प्रतिशत था, हालांकि जी.डी.पी. के संबंध में वित्तीय घाटे में 2014-15 के 4.13 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 4.31 प्रतिशत तक की कमी आई। वर्तमान विनिमय दर पर जी.डी.पी. की प्रतिशतता के तौर पर कुल देयता वर्ष 2014-15 में 46.25 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 47.31 प्रतिशत हो गई जो कि प्रासंगिक वर्ष हेतु 14 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित 43.60 प्रतिशत के स्तर से अति बढ़कर थी। 2015-16 में ऋण स्टॉक की वृद्धि 11.21 प्रतिशत की दर पर थी जो कि जीडीपी की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी।

2: लेखाओं पर टिप्पणियां

2.1 प्रस्तावना

संघ वित्त लेखे के प्रस्तुतीकरण (परिशुद्धता, पूर्णता तथा पारदर्शिता) में महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित टिप्पणियाँ अनुवर्ती पैराओं में दी गई हैं। विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 3, 4 तथा 5 में सम्मिलित किया गया है। सरकारी खर्च की नियमितता, मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता पर अभ्युक्तियां, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट होती है जो संसद को पृथक रूप से प्रस्तुत की जाती है।

2.2 पारदर्शिता के मुद्दे

2.2.1 सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता

(क) लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय में अपारदर्शिता

संघ सरकार वित्त लेखे 2015-16 की संवीक्षा ने उजागर किया कि लेखे के 12 मुख्य शीर्षों (जो सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करते हैं) के अतंर्गत कुल ₹14,963.66 करोड़ का व्यय किया गया जिसमें से ₹10,573.45 करोड़ को ही केवल लेखे में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अतंर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किए गए कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से अधिक था। यह लेखा में उच्च स्तर की अपारदर्शिता को दर्शाता है। कुछ कार्यों जिनमें व्यय में अपारदर्शिता विद्यमान है वे हैं अन्य सामाजिक सेवाएं, - अन्य ग्रामीण विकास, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, गैर-लौह खनन एवं धातु-उद्योग संबंधी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और अन्य दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, आदि। 12 मुख्य शीर्षों के विवरण **अनुबंध-2.1** में दिए गए हैं।

इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, कुछ महत्वपूर्ण पहलों पर व्यय जैसे गरीबी रेखा से नीचे की सर्वेक्षण (₹287.82 करोड़), निवेश संवर्धन योजना (₹259.05 करोड़), बीएसएनएल के बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम के अग्रिम प्रभारों की वापसी (₹4,199.84 करोड़), सीडीएमए स्पेक्ट्रम के अभ्यर्पण के बदले में सार्वजनिक क्षेत्र को क्षतिपूर्ति (₹598.11 करोड़), आईटीआई बैंगलोर (₹500 करोड़),

एमटीएनएल को वित्तीय सहायता (₹492.26 करोड़), एमटीएनएल बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान (₹384.35 करोड़), रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क (₹2,220 करोड़) तथा अवसंरचना विकास के लिए सहायता एवं भूमि एवं भवन की खरीद (₹623.50 करोड़) को वित्त लेखे में विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया था बल्कि लघु शीर्ष, 'अन्य व्यय' में जोड़ा गया था।

इस पहलू पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007-08 से लेकर 2014-15 तक को समाप्त संघ सरकार के लेखाओं पर प्रतिवेदनों में लगातार इस अनुशंसा के साथ टिप्पणी की गई थी कि इस कमी का निदान करने के लिए सरकारी लेखे की सरंचना की सरकार द्वारा एक व्यापक समीक्षा की जाए जिससे वित्तीय रिपोर्ट देने में अधिक पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सके। एक अंतरिम उपाय के रूप में, सीजीए ने वित्त लेखे में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत विलीन महत्वपूर्ण पहलों के ब्यौरों को वित्त लेखे में फुट नोटों के माध्यम से दर्शाया है। महत्वपूर्ण पहलों के लिए अलग लघु शीर्ष को सरकार की मौजूदा गतिविधियों को दर्शाकर लेखाओं की पुर्नसंरचना की बजाय संघ सरकार के वित्त लेखे में एक अल्पकालिक उपाय के रूप में पहलों को फुट नोट के माध्यम से समझाया गया।

(ख) लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियां में अपारदर्शिता

वर्ष 2015-16 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे की संवीक्षा प्रकट करती है कि लेखे प्राप्तियों के 20 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत (सरकार के कार्यों को प्रस्तुत करते हुए) ₹23,890.29 करोड़ रिकॉर्ड किए गए थे जिसमें से ₹18,402.72 करोड़ लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत थे, जो या तो संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अभिलेखित कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक का निर्माण करती थी। यह लेखे में वृहद् मात्रा में अस्पष्टता की ओर संकेत करता है। कुछ कार्य जहां प्राप्तियों में अस्पष्टता हैं वे हैं विद्युत, प्रसारण, रक्षा सेवाएं-वायुसेना अन्य वित्तीय सेवायें, रक्षा सेवायें - अनुसंधान एवं विकास तथा सड़क परिवहन आदि। 20 मुख्य शीर्षों का विवरण **अनुबंध 2.2** में दिया गया है।

यह सिफारिश की जाती है कि वित्तीय प्रतिवेदन में व्यापक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सरकारी लेखे की संरचना तथा महत्वपूर्ण

पहलों और प्राप्तियों की महत्वपूर्ण धारा के अंतर्गत लेन-देनों को दर्ज करने के लिए अलग खोले गये लघु शीर्षों का वृहत पुनरीक्षण कराना चाहिए।

2.2.2 सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने जनवरी 2005[1] में सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि नियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनुरक्षित किया जाए। तथापि, यह पाया गया था कि कुछ नियामक निकायों की निधियां, क्षतिपूरक वनरोपण हेतु एकत्रित निधियां/प्राप्तियां तथा भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण की कुछ निधियां सरकारी लेखाओं के बाहर पड़ी हैं जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

(क) सरकारी लेखाओं के बाहर पड़ी नियामक निकायों की निधियां

तेरह नियामक निकायों एवं स्वायत्त निकायों, जो अपने क्षेत्र विशेष में नियामक के रूप में कार्य करते हैं, के वार्षिक लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जनवरी 2005 में जारी उपरोक्त अनुदेशों के विपरीत ये निकाय मार्च 2016 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों, सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज, लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति, कॉर्पस निधि आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹3,973.10 करोड़ की निधियों को, सरकारी लेखाओं से बाहर रख रहे थे। 13 निकायों को **अनुबंध 2.3** में दर्शाया गया है।

सरकारी खाते के बाहर निधि को बनाये रखने के पहलू पर संघ सरकार के लेखे हेतु नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में वर्ष 2007-08 से 2014-15 समाप्ति तक इस मुद्दे पर टिप्पणियाँ की गई थीं।

इस विषय पर, वित्त मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया (सितम्बर 2011) कि सरकारी लेखे में निधियों को प्रचालित करने हेतु भारतीय लोक लेखे के ब्याज वहन न करने वाले वर्ग में मुख्य शीर्ष '8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत क्रमश: 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

[1] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) का.ज्ञा.सं. एफ.1(30)-बी (ए.सी.)/2004 दिनांक 07 जनवरी 2005

(सेबी) निधि' तथा 'बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (ईरडा) निधि' के नाम से अलग निधियाँ खोली जाएंगी।

सेबी के संबंध में, लोक लेखा में शुरू की गई सेबी सामान्य निधि 2013-14 से प्रभावी हुई थी।

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने बताया (जनवरी 2016) कि लोक लेखे के समक्ष सेबी उसके मौखिक प्रस्तुतीकरण से संबंधित मामले को एक बार फिर विधि मंत्रालय को मामले के अंतिम निष्पादन के लिए प्रेषित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, अक्तूबर 2016 में सेबी के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार के खाते में सेबी की निधि रखने से सेबी की स्वायत्तता कमजोर होगी और सेबी अधिनियम के तहत परिकल्पित रुप में वैधानिक नियामकों द्वारा बाजार के शासन के मूल सिद्धांत के विरुद्ध होगा।

डीईए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि सीजीए ने सेबी के सामान्य निधि का सृजन सरकारी खाते में जून 2014 में किया था जो 2013-14 से प्रभावी था। तथापि, निधि को 2015-16 के खाते में भी परिचालित नहीं किया गया था।

ईरडा निधि के संबंध में, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपने एटीएन में बताया (मई 2016) कि कार्यालय मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार मसौदा लेखांकन प्रक्रिया अनुमोदन हेतु भारत के सीएजी को प्रस्तुत की गई थी। भारत के सीएजी ने पहले ही सीजीए के कार्यालय को अवगत करा दिया है (दिसम्बर 2015) कि संशोधित मसौदा लेखांकन प्रक्रिया ईरडा निधि को लोक लेखा में लाने के तरीके का उल्लेख नहीं करता है।

ईरडा के संबंध में, संशोधित लेखांकन प्रक्रिया को अक्तूबर 2016 में सीएजी कार्यालय में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद (सी.सी.एच) ने बताया (सितम्बर 2016) कि निधियां इसकी 'अपनी प्राप्तियों' के अंतर्गत थीं और परिषद के बैंक खाते में रखी गई थीं और इन्हें 'सरकारी खाते से बाहर पड़ी हुई निधियों' के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारतीय नर्सिंग परिषद (आई.एन.सी.) ने बताया (अक्तूबर 2016) कि इसे भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के अनुसार अतिरिक्त निधि को सावधि जमा में जमा करवा दिया था और इस निधि को एन.यू.आई.डी. परियोजना, नया कार्यालय

भवन के पंजीकरण और नए कार्यालय के इंटिरियर को सुसज्जित/परिवर्तन करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

सी.सी.एच. और आई.एन.सी. के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि वह संबंधित क्षेत्रों के नियामकों के कार्यों का अनिवार्य रूप से निपटान करते थे। इस प्रकार, उन्हे नियामक निकायों के रूप में माना जाना चाहिए और इस प्रकार दिनांक जनवरी 2005 का वित्त मंत्रालय का का.ज्ञा. उन पर लागू होता था।

(ख) सरकारी खाते के बाहर टीआरएआई सामान्य निधि का प्रतिधारण

टीआरएआई अधिनियम, 1997 की धारा 22 में यह उल्लेख है कि:

(1) एक निधि बनायी जाएगी जिसे भारत का दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि कहा जाएगा तथा इसमें जमा होंगी -

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क एवं प्रभार, तथा

(ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गयी ऐसे अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशियां।

उपरोक्त विनियम के अनुसार 2015-16 के दौरान टीआरएआई ने कर लगाया तथा पंजीकरण शुल्क (₹2.32 लाख), टेलीमार्केटर के दंड (₹2.66 करोड़), ग्राहक शिक्षा शुल्क (₹8.48 करोड़) तथा वित्तीय निरूत्साहन (₹38.75 करोड़) के कारण ₹49.91 करोड़ संग्रहित किया। इन राशियों को टीआरएआई द्वारा रोके रखा गया था तथा कुल राशि को इसके लेखा में 'चालू सम्पत्ति' के रूप में दर्शाया गया है तथा बचत खाते में जमा किया गया है।

टीआरएआई अधिनियम के धारा 22 के अनुसार, इन सभी राशियों को लोक लेखा के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा अनुरक्षित टीआरएआई सामान्य निधि में जमा किया जाना था। लेकिन इन राशियों को टीआरएआई ने अपने बचत खाते में रोक रखा है।

इसके परिणामस्वरूप लोक लेखा के अंतर्गत भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि की प्राप्तियों को ₹49.91 करोड़ कम बताया गया।

2.3 लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ

2.3.1 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि को अप्रैल 2002 में राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (एनटीपी) 1999 में सार्वभौमिक सेवा उद्देश्यों के महत्व को प्राप्त करने हेतु स्थापित किया गया था। भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 ने यूएसओ निधि को सांविधिक महत्व दिया तथा निर्धारित किया कि निधि का उपयोग केवल आधारभूत टेलीग्राफ सेवाओं को पहुँच प्रदान करते हुए सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने हेतु किया जाना है, यथा, सार्वजनिक दूरसंचार एवं सूचना सेवाएं तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। इसमें ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं, चरणबद्ध रूप से गाँवों में ब्रॉडबैंड जुड़ाव ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीकॉम क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय विकासों के प्रवर्तन को प्रोत्साहन आदि की अवसंरचनाओं के विकास पर बल देना आदि विचारित थे। यूएसओ निधि को पूरा करने के लिए संसाधनों को "सार्वभौमिक पहुँच उगाही" (यूएएल) के माध्यम से एकत्र किया जाना था। यूएसओ से संबंधित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन पात्र सेवादाताओं द्वारा किया जाना था, जिन्हें नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त होनी है। इस निधि का प्रबंधन दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा किया जाता है।

यूएसओ के प्रति एकत्रित उगाही को सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है, तथा बाद में केन्द्र सरकार समय-समय पर कथित उद्देश्यों के प्रति विशिष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए भारत के लोक लेखा में गैर-व्यपगत यूएसओ निधि की एकत्रित उगाही के केवल एक भाग को जमा करती है। यूएसओ निधि में एकत्रित उगाही के एक भाग के अंतरण के फलस्वरूप शेषो के कम बताए जाने के मामले पर वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक के संघ सरकार के लेखे पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी।

पूर्व वर्षों के दौरान यूएसओ निधि पर सीएजी की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बावजूद यह पाया गया था कि वर्ष 2015-16 के दौरान सार्वभौमिक पहुँच उगाही के प्रति ₹9,835.70 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से लोक लेखे में 8235.118- यूएसओ निधि को केवल ₹3,100.00 करोड़ का अंतरण किया

जिसका चयनित उद्देश्यों पर ₹3,099.97 करोड़ के व्यय को पूरा करने हेतु उपयोग किया गया था और यूएसओ निधि के अंतर्गत अंत शेष को ₹0.03 करोड़ दर्शाया गया था। इसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए यूएसओ निधि को ₹6,735.70 करोड़ उगाही के कम अंतरण में हुआ।

इसके अतिरिक्त, 2002-03 से 2015-16 के दौरान ₹75,952.93 करोड़ के यू.ए.एल. के कुल संग्रहण के प्रति इन अवधियों के दौरान कुल ₹30,083.47 करोड़ की राशि (ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने हेतु 2002-03 से 2005-06 की अवधि में बीएसएनएल को कुल ₹6,948.64 करोड़ के लाइसेंस शुल्क एवं स्पैक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए) का निधि को अतंरण किया गया था तथा निधि से तद्नुसार व्यय किया गया था। ₹45,869.46 करोड़ की शेष उगाही का यूएसओ निधि को अतंरण नहीं किया गया था।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोकसभा 2009-10) में शामिल अपनी अनुशंसाओं में भी पाया था कि सरकार को यूएएल के रूप में एकत्रित पूरी राशि को यूएसओ निधि में क्रेडिट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी जबकि मुख्य रूप से निधि का उपयोग केवल सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए होना चाहिए था।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि मंत्रीमण्डल सचिवालय ने निर्देश दिया (जुलाई 2003) कि यूएसओ निधि को अंतरित की जाने वाली राशि को अंतिम रूप दिये जाने के समय डीओटी, एमओएफ से संपर्क कर सकता है। आईटी अधिनियम 2003 का खण्ड 9ख भी यह उल्लेख करता है 'धारा 4 के अंतर्गत सार्वभौमिक दायित्व के लिए प्राप्त राशि का योग पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा, तथा केन्द्र सरकार, यदि संसद इसके लिए उपलब्ध विधि द्वारा बनाए गए विनियोग द्वारा ऐसी प्राप्ती को जो विशिष्ठ रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए समय-समय पर उपयोग की जा रही है, को निधि में जमा कर सकती है। तद्नुसार, केन्द्र सरकार विशिष्ट रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए समय-समय पर उपयोग की जा रही है को निधि में जमा कर सकती है। इसने यह नहीं कहा सभी ऐसी प्राप्ति निधि में जमा की जाएगी। आगे, राशि को लोक लेखा में अवरूद्ध रखे रहना साधनों के उपयोग का सबसे विवेकी तरीका नहीं हो सकता तथा इसको देखते हुए, एमओएफ किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रही थी''।

मंत्रालय/विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 9ख में अभिव्यक्त होने वाली "ऐसी प्राप्ति" का मतलब है "धारा 4 के अंतर्गत यूएसओ को प्राप्त राशि का योग"। अभिव्यक्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा यूएसओ को भुगतान किया गया कर की विशिष्ट राशि को संदर्भ करता है। धारा 9ख, आगे प्रावधान करता है कि यूएसओ निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाएगा तथा यह एक समाप्त नहीं होनेवाली निधि है। इसके अतिरिक्त, अभिव्यक्ति "ऐसी प्राप्ति" का शब्दों में पालन नहीं किया जाता है "जैसा यह ठीक समझे" या इसी प्रकार ऐसी अभिव्यक्ति केन्द्र सरकार को धारा 4 के अंतर्गत यूएसओ को प्राप्त राशि के केवल एक भाग को यूएसओ निधि में जमा करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, भाग यह अनिवार्य करता है कि धारा 4 के अंतर्गत यूएसओ को प्राप्त संपूर्ण राशि को यूएसओ निधि में जमा किया जाता है।

2.3.2 अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग

1986 में अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम को देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी के आयात करने तथा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने तथा उसके साथ संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु आयतित प्रौद्योगिकी को अनुकूल बनाने के लिए किए गए सभी भुगतानों पर उपकर की उगाही तथा संग्रहण के प्रावधान हेतु लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 3 प्रौद्योगिकी के आयात के प्रति किए गए सभी भुगतानों पर उद्ग्रहित तथा संग्रहित किए जाने वाले उपकर के संग्रहण की ऐसी दरों जो पॉच प्रतिशत से अधिक न हों, जैसा कि केन्द्र सरकार राजपत्र में, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, का प्रावधान करता है। अधिनियम ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा संचालित की जाने वाली प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुप्रयोग हेतु एक निधि के सृजन को समर्थन किया है। निधि का अनुरक्षण सरकारी लेखे से बाहर किया जाता है। अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत जैसा कि 1995 में संशोधित किया गया, औघोगिक मामलों द्वारा प्रौद्योगिकी के आयात पर संग्रहित उपकर को, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों से क्रेडिट किया जाता है। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास उपकर संग्रहण का

प्रबंधन किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 उदग्रहित तथा संग्रहित उपकर की प्राप्तियों को प्रारम्भ में भारत की समेकित निधि में क्रेडिट किया जाना अपेक्षित करती है तथा सरकार, संसद की स्वीकृति से विकास बैंक (इस मामले में पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) को निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित ऐसी राशि अदा करेगी।

यह पाया गया है कि 1996-97 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान ₹6,698.30 करोड़ की सीमा तक का उपकर संग्रहित किया गया था। इसमें से, उसी अवधि के दौरान टीडीबी को सहायता अनुदान के रूप में केवल ₹579.16 करोड़ (8.65 प्रतिशत) संवितरित किए गए थे। टीडीबी ने, इसके बदले सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास कर रहे अथवा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने हेतु आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने से संबंधित औद्योगिक मामलों हेतु ₹1,296.81 करोड़ की वित्तीय सहायता तथा ऋण संवितरित किए।

यह देखा जा सकता है कि प्रत्याशित उद्देश्यों हेतु उपकर प्राप्तियों का उपयोग इष्टतम नहीं है। अपेक्षित उद्देश्यों हेतु प्राप्तियों के कम उपयोग तथा संग्रहित की जा रही दर पर उपकर की उगाही के मुद्दे को पिछले वर्ष भी उठाया गया था फिर भी प्रवृति वैसी ही बनी हुई है।

उत्तर में, टी.बी.डी. ने बताया (सितम्बर 2016) कि उन्होंने शासनादेश दिया था कि आगे के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा उसे जारी की गई संपूर्ण ₹579.16 करोड़ की राशि का निवेश किया था। हालांकि, तथ्य यही रहता है कि शुरूआत से वर्ष 2015-16 तक आर एवं डी उपकर के अंतर्गत प्राप्त ₹6,698.30 करोड़ में से मंत्रालय द्वारा टी.डी.बी. को केवल ₹579.16 करोड़ का संवितरण किया गया था। मंत्रालय से उत्तर अक्तूबर 2016 तक प्रतीक्षित था।

2.3.3 माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर (एसएचईसी) को माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वित्त अधिनियम 2007 में प्रारम्भ किया गया था।

2006-16 की अवधि के संघ के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹73,468.52 करोड़ के एसएचईसी का कुल सग्रंहण किया गया था।

यह पाया गया कि प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा उपकर के मामले में प्राथमिक शिक्षा कोष के सृजन के विपरीत न तो एसएचईसी की प्राप्तियों को जमा करने हेतु एक निधि को नामित किया गया था और न ही कोई चयनित योजनाएं थीं जिन पर उपकर प्राप्तियों का व्यय किया जाना था। परिणामस्वरूप, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना, जैसा कि वित्त अधिनियम में अभिकल्पित है, पारदर्शी रूप से पता लगाने योग्य नहीं था।

2.3.4 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

आयात किए गए कोयले तथा भारत में उत्पादन किए गए कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर की उगाही करके स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं परिवर्तनात्मक परियोजनाओं के निधीयन हेतु 2010-11 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एन.सी.ई.एफ) की स्थापना की गई थी।

वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान स्वच्छ ऊर्जा उपकर[2] संग्रहण, कुल ₹27,849.98 करोड़ किया गया था। इसके विपरीत, लोक लेखा में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि[3] को आरक्षित निधि 2810.797 के खाता के अंतरण से केवल ₹9,016.46 करोड़ (32.38 प्रतिशत) का ही अंतरण हुआ था। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु चिन्हित निधि से ₹18,833.52 (67.62 प्रतिशत) करोड़ के उपकर का कम अंतरण हुआ।

वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामला विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2016) में बताया कि एन.सी.ई.एफ. को अंतरण का उद्देश्य संबद्ध मंत्रालयों की अवशोषण क्षमता से संबंधित है। वित्त की स्थाई समिति ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट (16वीं लोक सभा) में अनुशंसित किया कि परियोजनाओं/योजनाओं के विशेष विवरणों की अनुपस्थिति में, दो वर्षों से अधिक के लिए एनसीईएफ में पड़ी हुई अप्रयुक्त निधियां भारत की समेकित निधि में अंतरित की जा सकती है, ताकि यह निधियां अन्य प्राथमिकृत योजनाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकें। इस प्रकार, संबंद्ध मंत्रालयों की अवशोषण क्षमता के साथ जोड़े बिना

2 एम.एच. 0038.03.112- स्वच्छ ऊर्जा उपकर

3 एम.एच. 8235.129- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

एनसीईएफ में एकत्रित पूरी उपकर राशि को अंतरित कर देने की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अप्रयुक्त निधियों का पूल सृजित कर देगी और वह भी बहुत कम लोक ब्याज के साथ। यह वित्त की स्थायी समिति की अनुशंसाओं के विरूद्ध भी होगा। आगे यह बताया गया था कि जब भी संबद्ध मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन हेतु न्यायसंगत योजनाएं/परियोजनाएं होंगी, एनसीईएफ के अंतर्गत संचय हेतु देय निधि की सीमा तक निधियां उपलब्ध कारवाई जाएंगी।

मंत्रालय का तर्क कि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि का अंतरण करने का उद्देश्य संबद्ध मंत्रालयों की अवशोषण क्षमता से संबंधित है, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा उपकर से एकत्रित राजस्व को एनसीईएफ को अंतरित किया जाना अपेक्षित है और इसे केवल उसी विशेष उद्देश्य अर्थात् स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में अनुसंधान तथा परिवर्तनात्मक परियोजना के लिए खर्च करना चाहिए जिसके लिए इसे लगाया गया है।

2013, 2014 के सीएजी के प्रतिवेदन सं.1 और 2015 के प्रतिवेदन सं. 50 में मामले को इंगित किया गया था परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2.3.5 लोक लेखे में केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) को उपकर का कम अंतरण

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2004 का पैरा 4 अनुबद्ध करता है कि धारा 3 के तहत् वसूले उपकर की प्राप्तियों को पहले भारत की समेकित निधि में क्रेडिट किया जाएगा तथा यदि संसद इस संबंध में विधि द्वारा किए विनियोग के माध्यम से प्रावधान करती है तो केन्द्र सरकार, संग्रहण के व्ययों की कटौती करने के पश्चात केवल इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु उपयोग किए जाने के लिए समय-समय पर ऐसी प्राप्तियों का सीआरएफ को क्रेडिट कर सकती है।

वर्ष 2010-11 से 2015-16 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे, विवरणी सं. 8 की जांच से पता चला कि ₹1,70,682.25 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति लोक लेखे में सी.आर.एफ. (शीर्ष 8224.00.101) को केवल ₹1,43,097.49 करोड़ का अंतरण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹27,584.76 करोड़ का कम अंतरण किया गया था।

चूंकि ये विशेष उद्देश्य उपकर हैं, इसलिए पूर्ण उपकर संग्रहण को लोक लेखे में नामित निधि को अंतरित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर टिप्पणी वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 और 2015 के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 50 में निरंतर रूप से होती आ रही है।

2.3.6 लोक लेखे में चिन्हित निधियों को उपकर का कम अंतरण

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे की विवरणी सं. 8 एवं 13 की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान निम्न कुछ मुद्दों पर एकत्रित निम्न उपकर को लोक लेखे में चिन्हित निधियों को पूर्ण रूप से अंतरित नहीं किया गया था। ₹1,599.31 करोड़ के उपकर के कम अंतरण के विवरण **तालिका 2.1** में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: उपकर का कम अंतरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उपकर की प्राप्ति		लोक लेखे में अंतरण		कम अंतरण
	उपकर/प्राप्ति शीर्ष का नाम	राशि	निधि का नाम	राशि	
1	चलचित्र पर उपकर (0038.04.130)	4.13	सिनेमा कर्मचारी कल्याण निधि (8229.115)	1.93	2.20
2	चाय पर उपकर (0038.04.103)	60.12	चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि (8229.126)	शून्य	60.12
3	लौह अयस्क पर उपकर (0038.04.110)	15.84	खान कल्याण निधि (8229.00.114)	35.42	11.25
4	लाईम स्टोन और डोलोमाईट पर उपकर (0038.04.112)	30.83			
5	स्वच्छ भारत उपकर (0044.506)	3,925.74	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (8235.135)	2,400.00	1,525.74
	कुल	**4,036.66**		**2,437.35**	**1,599.31**

चलचित्र पर उपकर के मामले में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि बजटीय प्रावधान के अनुसार उपकर की निधि को अंतरित किया गया था तथा ₹ 2.20 करोड़ उपकर के शेष भाग को अगले वित्त वर्ष में अंतरित किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने यही उत्तर (सितम्बर 2015) वित्त वर्ष 2014-15 के लिए दिया था कि वित्त वर्ष 2014-15 से

संबंधित ₹2.11 करोड़ का उपकर का कम अंतरण वित्त वर्ष 2015-16 में अंतरित कर दिया जाएगा। तथापि, मंत्रालय ने 2015-16 में राशि को निधि को अंतरित नहीं किया।

चाय पर उपकर के संदर्भ में, सीजीए ने बताया (अगस्त-2016) कि संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दे दिया गया था।

2.3.7 आयकर कल्याण निधि

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने ₹100 करोड़ के कार्पस के साथ आयकर कल्याण निधि (आईटीडब्ल्यूएफ) का सृजन किया तथा तीन वर्षों की अवधि तक 2006-07, 2007-08 में ₹30 करोड़ और 2008-09 में ₹40 करोड़ लोक लेखे के ब्याज वाले भाग में निधि का अंतरण किया गया था। निधि का सृजन (i) आयकर विभाग के कर्मचारियों के कल्याण, मनोरंजन तथा अन्य बाह्य गतिविधियों के उन्नयन, (ii) आकस्मिकताओं जैसे चोट लगना, दुर्घटना होना, के दौरान कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, (iii) मृत कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान प्रदान करने, (iv) आपातकालीन जोखिम बीमा एवं सीजीएचएस प्रतिपूर्ति नियमावली के अंतर्गत पूर्णत: प्रतिपूर्ति न होने की गंभीर परिस्थिति सहित विभिन्न चिकित्सा अनुरक्षण प्रदान करना (v) अधिकारियों के उपयोग हेतु निमार्ण/किराये पर लोन/पट्टे पर लेना/सजाना/अवकाश गृह का रखरखाव, आदि के उद्देश्य से किया गया था। आयकर कल्याण निधि नियमावली 2007 के पैरा 3 में निर्दिष्ट कॉर्पस निधि पर मिलने वाले ब्याज और अतिरिक्त वृद्धि को उपरोक्त उद्देश्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग करना होगा।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निधि का सृजन इस निधि द्वारा आच्छदित की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल करने तथा सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित करने के आधार पर सहमत नहीं थे। लोक लेखे के ब्याज वहन करने वाले वर्गों के अंतर्गत निधि पर ब्याज वहन होता है जो संसदीय वित्तीय नियंत्रण पर लागू नहीं होता था। निधि का उपयोग, संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांगों की तरह मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा जिसके कारण प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती जीएफआर नियमावली किसी एक

वर्ग के लोगों या व्यक्तियों के लाभ हेतु लोक धन से व्यय अनुमत नहीं करती जब तक कि कथित व्यय मान्यता प्राप्त नीति या नियमावली के अनुसरण में हो। उद्धृत अन्य उद्देश्य को मंत्रालय के अनुदानों के लिए मांग में मानक विषय शीर्षों "पुरस्कार" "चिकित्सा उपचार" "कार्यालय व्यय" "सहायता अनुदान" के अंतर्गत शामिल कर सकते है।

इस मामले पर सीएजी के वर्ष 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 और वर्ष 2014-15 हेतु प्रतिवेदन सं. 50 में टिप्पणी की गई थी। विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2015) कि ₹100 करोड़ की संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा प्रारम्भ से ही इस निधि में कोई ब्याज भी क्रेडिट नहीं किया गया था। इसने आगे बताया (जून 2016) जून 2014 में मॉनीटरिंग कक्ष, व्यय विभाग को पिछले पैरा पर अंतिम ए.टी.एन. पहले ही प्रस्तुत कर दिया था।

हालांकि, मंत्रालय का उत्तर यह स्वीकार नहीं करता कि लेखापरीक्षा ने कभी भी आईटीडब्ल्यूएफ के साथ आगे बढ़ने की विभाग की कार्रवाई के साथ सहमति नहीं जताई थी। बल्कि, एटीएन के उत्तर में भी, लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों ने आईटीडब्ल्यूएफ के बंद होने और भारतीय समेकित निधि में कथित निधि में उपलब्ध शेष की कथित निधि में क्रेडिट करने की बात को दोहराया था।

2.3.8 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल अंत शेष

बीड़ी श्रमिक क्ल्याण निधि को बीड़ी स्थापनाओं में लगे व्यक्तियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु उपायों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत लोक लेखे[4] में सृजित किया गया था। इस उद्देश्य हेतु, सरकार ने उत्पादित बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क के रूप में एक उपकर को प्रारम्भ किया। उपकर के संग्रहण को प्रांरम्भ में सीएफआई को क्रेडिट किया जाता है तथा बाद में विनियोग के माध्यम से लोक लेखे में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।

निधियों में से प्राप्तियों से काफी अधिक व्यय होने के कारण वर्षों से बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में प्रतिकूल शेष हुआ था। 2011-12 से 2015-16 की

[4] एमएच 8229.200 - अन्य विकास तथा कल्याण निधि

अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में व्यय, प्राप्तियों तथा अंत शेष के संबंध में समग्र स्थिति, जैसा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विनियोग लेखे के साथ चिन्हित निधि लेखे ने उजागर किया है, को **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में निरंतर प्रतिकूल अंत शेष

विभाग द्वारा मिलान के बाद वर्ष 2011-12 का अंत शेष परिवर्तित किया गया।

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था, जो कि 2011-12 में (-)₹205.75 करोड़ से 2015-16 में (-)₹172.58 करोड़ तक गया।

इस मामले पर वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 को समाप्त वर्ष हेतु नियंत्रक महालेखापरीक्षक के संघ सरकार के लेखे पर प्रतिवेदन में टिप्पणी भी की गयी थी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर सहमत हुआ (अगस्त 2016) तथा कहा कि बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों को भविष्य में निपटान किया जायेगा।

2.3.9 महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत शेषों का अनियमित प्रतिधारण

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनमें बचत आदत को बढ़ावा देने के लिए महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा योजना का नोडल अभिकरण होने से, अक्टूबर 1993 में महिला समृद्धि योजना (एम.एस.वाई) को शुरू किया गया था। योजना के अतंर्गत, 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाली ग्रामीण महिलाएं अपने स्वंय के क्षेत्र के ग्रामीण डाक घर में अपना

बचत खाता खोल सकती है। जमा का शीर्ष 8013.60.101- ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लोक लेखे में हिसाब रखा जाता था।

योजना को इस शर्त के साथ जुलाई 2001 से बंद कर दिया गया था कि एमएसवाई खाते को या तो बचत बैंक खाते (एसबी) में परिवर्तित किया जाए या फिर आहरण की अनुमति प्रदान करके खाते को बंद किया जाए। तथापि, यह पाया गया था कि 31 मार्च 2016 को शीर्ष 8013.60.101-ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के अतंर्गत ₹2.92 करोड़ की राशि पड़ी थी। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, विभाग द्वारा ₹6.50 लाख की थोड़ी सी राशि का समायोजन किया गया है।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2016) में कहा कि एमएसवाई खाता बन्द करने या एसबी खाते में परिवर्तित करने के लिए सीपीएमजी के द्वारा कार्रवाई करने हेतु डाक निदेशालय के एफएस डिविजन को सलाह दी गई है।

2.4 डाटा प्रमाणिकता एवं समाधान संबंधी मुद्दे

2.4.1 कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में असंगति

वित्तीय वर्ष 2015-16 के संघ सरकार वित्त लेखे के विवरणी सं. 14 में लोक लेखे[5] में कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के अंतर्गत ₹2,001.27 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) द्वारा अनुरक्षित कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 (ईडीएलआई) के तुलन पत्र में 31 मार्च 2016 तक ₹8,149.86 करोड़ का अंत शेष लोक लेखे में दर्शाया गया था। इस प्रकार, दोनों आंकड़ों में ₹6,148.59 करोड़ का अंतर था। वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के सीएजी रिपोर्ट में पिछले वर्ष के आंकड़ों के दो सेटों में अंतर से संबंधित टिप्पणी की गई थी।

दिसम्बर 2013 में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ तथा संघ सरकार वित्त लेखे के तुलन पत्र के अनुसार ईडीएलआई योजना की विशेष जमा के शेष में विसंगति है तथा इसे आरबीआई के परामर्श के साथ

[5] एमएच 8012.124 - कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना की विशेष जमा

पुनर्मिलान करना चाहिए। तथापि, लगभग तीन वर्षों की चूक के बावजूद, मामले पर प्रगति नहीं पाई गई है।

2.4.2 पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण का गलत दर्शाया जाना

पोत परिवहन विकास निधि समिति (एसडीएफसी) को 1986 से समाप्त कर दिया गया था तथा इसकी परिसंपत्तियों एवं देयताएं एसडीएफसी (उन्मूलन) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के अनुसार केन्द्र सरकार को हस्तांतरित हो गयीं। वर्ष 2015-16 के संघ के वित्त लेखे की विवरणी सं.15 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹(-)231.71 करोड़ (डेबिट) का निवल ऋण, जैसाकि नीचे **तालिका 2.2** में ब्यौरा दिया गया है, अभी तक एसडीएफसी के प्रति बकाये के रूप में दिखाया जा रहा था, जबकि एसडीएफसी की सभी परिसम्पत्तियॉ एवं देयताएं केन्द्र सरकार को पहले ही हस्तांतरित हो गयी थी।

तालिका 2.2: एसडीएफसी को ऋणों का गलत चित्रण

शीर्ष का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
7052-01-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	53.83 डे.
7052-60-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	8.59 डे.
7052-02-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	(-)294.13 डे.
कुल	**(-)231.71 डे.**

जनवरी 2015 में, लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने पहले के एससीआईसीआई लि. को नियुक्त किया था, जिसका बाद में एसडीएफसी पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने, जिसे शिपिंग/फिसिंग कम्पनियों से ऋणों की शीघ्र वसूली हेतु उपयुक्त समझा जाए, हेतु अपने नामित व्यक्ति के रूप में आईसीआईसीआई बैंक के साथ विलयन कर दिया गया था। उसने आगे बताया कि आईसीआईसीआई बैंक ने ऋणों का ब्यौरा दिए बिना मूलधन तथा उस पर ब्याज के रूप में धन को सरकारी खातों में वापस रख दिया था। आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त राशियों को सरकारी ऋण शीर्ष में जमा कर दिया गया था जिसका परिणाम अन्य शीर्षों में प्रतिकूल शेष में हुआ। इस

मामले को समाधान हेतु आईसीआईसीआई बैंक तथा वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ पहले ही उठाया गया था।

नवम्बर 2015 में अपने अनुवर्ती उत्तर में, आर्थिक मामला विभाग ने बताया कि मामले को पहले ही आईसीआईसीआई और पीएओ (बैंकिंग) के साथ उठाया गया है और उन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान प्रतिकूल शेष को परिसमाप्त करने की आशा है। इस मामले को वर्ष 2012-13 और 2013-14 के प्रतिवेदन सं. 1 और वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं. 50 में इंगित किए जाने के बावजूद सुलझाया नहीं जा सका है।

2.4.3 निष्क्रिय निधियां तथा जमाएं

निधियां एवं जमा लोक लेखे का एक हिस्सा बनाते हैं, जिसमें उस संबंध में लेन-देनों को दर्ज किया जाता है जिसमें सरकार प्राप्त धन को वापस करने की देयता तथा उसमें से पुनर्भुगतान करती है। आरक्षित निधि के सृजन में आमतौर से भारत की समेकित निधि से लोक लेखा में राशि का अंतरण जिसे विशेष उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना है, शामिल है। दूसरी ओर जमाकर्ता द्वारा प्रतिभूति के रूप में तथा/या जमाकर्ता की ओर से सरकार द्वारा कुछ काम निष्पादित करवाने हेतु किए गए सरकार के जमा शामिल है। निष्क्रिय निधियां/जमा उन निधियों अथवा जमा का गठन करती हैं जो लम्बे समय से प्रचालन में नहीं है तथा उनकी उपयोगिता समाप्त तथा लेखे अव्यवस्थित हो चुके होंगे। लोक लेखे में निष्क्रिय निधियों जमा को बंद करने तथा उनके शेष को वापिस भारत की समेकित निधि को अंतरित किये जाने की आवश्यकता है।

वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2015-16 के अंत तक समग्र शेष ₹1,538.27 करोड़ वाली 43 निधियां/जमा[6], जैसा **अनुबंध 2.4** में शामिल किया गया है, सात से 28 वर्षों के बीच की अवधि तक निष्क्रिय पड़े थे।

अधिकांश मामलों में, छोटी राशियों पड़ी हैं तथा उनकी निरंतरता किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। इन मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा

[6] 13 आरक्षित निधियां, 25 जमा और 5 अन्य देयता

इस प्रकार के शेषों को भारत की समेकित निधि में जमा कर निधियों/जमा को बन्द किए जाने की आवश्यकता है।

सीजीए ने बताया (अगस्त 2016) कि वह प्रत्येक वर्ष निष्क्रिय निधियों की समीक्षा करने तथा यदि संभव हो पाए तो सीएफआई को शेष क्रेडिट करके कथित निधियों के समापन पर विचार करने के लिए महालेखाकार को छोडकर संबंधित लेखांकन प्राधिकारियों को लिख रहे थे।

सीएजी के 2013, 2014 और 2015 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 और 2015 की प्रतिवेदन सं. 50 में इस विषय में टिप्पणी की गयी थी, परंतु कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.4.4 अन्य विसंगतियां

2.4.4.1 गारंटी शुल्क में विसंगतियां

विवरणी सं. 4 में 2015-16 के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क ₹ 778.76 करोड़ की राशि को दर्शाता है जबकि विवरणी सं. 8 शीर्ष 0075.108 - गारंटी शुल्क के अंतर्गत ₹ 779.42 करोड़ के आंकड़े को दर्शाती है। सीजीए ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि ₹ 0.66 करोड़ का अंतर रेलवे के आंकड़ों के कारण है तथा मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया है। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

2.4.4.2 संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.11 में सूचना का अधूरा दर्शाया जाना

वित्त लेखे की विवरणी सं.11 सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में संघ सरकार के निवेश का ब्यौरे प्रदान करती है।

वि.व. 2015-16 हेतु विवरणी सं. 11 में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई है जैसा **तालिका 2.3** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.3: पीएसयू में सरकारी निवेश में विसंगतियां

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	अभ्युक्ति		टिप्पणियां
1.	भारत इलेक्ट्रानिक लि. बंगलोर	संघ सरकार वित्त लेखे 2015-16 के अनुसार 31 मार्च 2016 को प्रगामी निवेश ₹60.01 करोड़ था, जबकि महानियंत्रक रक्षा लेखा (सीजीडीए) के अनुसार प्रगामी निवेश ₹180.04 करोड़ था।		सीजीडीए ने बताया (अगस्त 2016) कि मामला रक्षा पीएसयू के साथ उठाया गया था।
2.	भारत डायनोमिक्स लि. हैदराबाद	संघ सरकार के वित्त लेखे 2015-16 के अनुसार 31 मार्च 2016 को प्रगामी निवेश ₹115 करोड़ था जब कि महानियंत्रक रक्षा लेखा (सीजीडीए) के अनुसार प्रगामी निवेश ₹97.75 करोड़ था।		सीजीडीए ने बताया (अगस्त 2016) कि मामला सीजीए के साथ उठाया गया था तथा स्वीकृति की प्राप्ति पर शोधक उपाय किए जाएंगे।
	पीएसयू का नाम	**सरकारी अंश का अंकित मूल्य (₹करोड़ में)**		**टिप्पणियां**
		2014-15 के वित्त वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 के अनुसार	**2014-15 के सीपीएसयू के वार्षिक लेखे के अनुसार**	
3.	हिन्दुस्तान जैव रसायन लिमिटेड	309.50	39.48	विवरणी सं. 11 में 2014-15 की समाप्ति पर ₹270.02 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन
4.	उर्वरक तथा रसायन ट्रावणकोर लिमिटेड	637.77	582.36	विवरणी सं. 11 में 2014-15 की समाप्ति पर ₹55.41 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन
5.	एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	85.90	58.70	विवरणी सं. 11 में 2014-15 की समाप्ति पर ₹27.20 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन
6.	स्कूटर इण्डिया लिमिटेड	168.61	80.03	विवरणी सं. 11 में 2014-15 की समाप्ति पर ₹88.58 करोड़ तक सरकारी निवेश का अधिकथन
7.	भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड	2925.01	3028.84	विवरणी सं. 11 में 2014-15 की समाप्ति पर ₹103.83 करोड़ तक सरकारी निवेश का कम बताया जाना

		2015-16		
8.	दमन एवं दीव बहु प्रयोजन औद्योगिक विकास निगम	22.01	26.07	विवरणी सं. 11 में ₹4.06 करोड़ तक सरकारी निवेश को कम बताया गया था।

उजागर कमी का निपटान करने हेतु सीजीए द्वारा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय सहित शीघ्र प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(क) निवेश की अपूर्ण सूचना

निम्नलिखित मामलों में, निवेश के संबंध में पूर्ण सूचना विवरणी सं.11 में उपलब्ध नहीं है। अनुपलब्धता को फुटनोट से बताया गया कि सूचना प्रतीक्षित थी।

तालिका 2.4: निवेश की अपूर्ण सूचना

क्र.सं.	नाम	निवेश का वर्ष	अभ्युक्तियां
1.	राज्य कृषि उद्योग निगम	1966-67 से 2001-02	शेयरों की संख्या तथा इसका अंकित मूल्य
2.	राष्ट्रीय कौशल प्रमाणीकरण एवं मौद्रिक इनाम योजना	2013-14	शेयरों का प्रकार, शेयरों की संख्या तथा इसका अंकित मूल्य
3.	रेल अवसंरचना विकास कम्पनी (कर्नाटक) लिमि.	2002-03 से 2009-10	शेयरों की संख्या तथा इसका अंकित मूल्य
4.	रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी	2013-14	कुल प्रदत्त पूंजी के प्रति सरकारी निवेश की प्रतिशतता
5.	राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमि.	2015-16	कुल प्रदत्त पूंजी के प्रति सरकारी निवेश की प्रतिशतता
6.	एलगिन मिल्स लिमि. कानपुर	1977-78	कुल प्रदत्त पूंजी के प्रति सरकारी निवेश की प्रतिशतता
7.	टाटा अभियांत्रिकी लोकोमोटिव लिमि.	1971-72	कुल प्रदत्त पूंजी के प्रति सरकारी निवेश की प्रतिशतता

सीजीए ने अपने उत्तर (अगस्त 2016) में बताया कि यह सूचना संबंधित मंत्रालयों/विभागों, जिन्होंने निवेश किया है, द्वारा प्रस्तुत की जानी है। प्रत्येक वर्ष संमीक्षा के दौरान उन्हें अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया

गया है। अपेक्षित सूचना की लंबित प्राप्ति के लिए इस संबंध में विवरणी में एक फुटनोट डाला गया है।

सीजीए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लंबित सूचना का प्रति वर्ष फुटनोट डालना संघ सरकार के निवेशों की स्पष्ट स्थिति नहीं प्रदान करता है।

(ख) लाभाशों के आंकडों में अंतर

लाभांशों की प्राप्तियों में अंतर था जैसा वित्त लेखे की विवरणी सं. 8 तथा विवरणी सं. 11 में दर्शाया गया है जिसका ब्यौरा नीचे **तालिका 2.5** में दिया गया है:

तालिका 2.5: लाभांशों के आंकड़ों में अंतर

(₹ करोड़ में)

अभ्युक्ति	विवरणी- 8[7]	विवरणी-11	अंतर
सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों सहकारी बैंकों, सोसायटी आदि से लाभांश	112113	112713	600

सीजीए ने बताया (अगस्त 2016) कि विवरणी सं. 8 तथा 11 में दर्शाए लाभांश आंकड़ो में अंतर का समाधान प्रक्रियाधीन है।

(ग) सांवधिक कम्पनियों के संबंध में लाभांशों के भुगतान में कमी

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यय विभाग ने सितम्बर 2014 में अभिकल्पना की कि सभी लाभ बनाने वाले सीपीएसई इक्विटी पर या फिर कर पश्चात लाभ पर, जो भी अधिक हो, 20 प्रतिशत (तेल, पेट्रोलियम, रसायन तथा अन्य अवसंरचना सीपीएसई के मामले में 30 प्रतिशत) का न्यूनतम लाभांश घोषित करेगी।

[7] मुख्य शीर्ष 0050, - रेलयात्री भाड़ा पर करों के बदले लघु शीर्ष 104 अंशदान को छोड़कर

वर्ष 2015-16 हेतु रक्षा मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सांविधिक कम्पनियों के संबंध में लाभांश के भुगतान की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वित्त मंत्रालय के वर्तमान प्रावधान के उल्लंघन में सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश में ₹349.20 करोड़ की कमी थी (**तालिका 2.6**)।

तालिका 2.6: सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई[8] का नाम	प्रदत्त पूंजी	कर पश्चात लाभ	2015-16 के दौरान घोषित लांभांश	20% प्रदत्त पूंजी	कर पश्चात लांभाश का 20%	घोषित किए जाना अपेक्षित न्यूनतम लाभांश	कमी
1.	बी.ई.एल.	240	1357.67	45.01	48	271.53	271.53	226.52
2.	बी.ई.एम.एल	41.64	52.65	4.16	8.33	10.53	10.53	6.37
3.	एम.डी.एन.एल.	187.34	118.03	35.41	37.47	23.61	37.47	2.06
4.	बी.डी.एल.	97.75	562.70	67.62	19.55	112.54	112.54	44.92
5.	जी.एस.एल.	29.1	61.89	9.51	5.82	12.38	12.38	2.87
6.	एच.एस.एल.	301.99	19.00	शून्य	60.40	3.80	60.40	60.40
7.	टी.सी.आई.एल.	43.2	21.37	2.58	8.64	4.27	8.64	6.06

मामला एमओडी (वित्त) तथा डीओटी को प्रेषित किया गया था (सितम्बर 2016) फिर भी, उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

2.4.4.3 संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.-15 में विसंगतियां/असंगतियां

संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 15 की धारा 3 'अन्य ऋणी इकाइयों अथवा संस्थानों से बकायों में पुनर्भुगतान' को दर्शाती है।

(क) ऋणों के बकायों के संबंध में ब्याज को न दर्शाया जाना

इस प्रकटीकरण की संवीक्षा से पता चला कि कुछ ईकाईयों के संबंध में प्रदान किए गए ऋणों की मूल राशि बकाया है जबकि उन ऋणों के प्रति

[8] 1-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमि., 2-भारत अर्थ मूवर्स लिमि., 3-मिश्र धातु निगम लिमि., 4- भारत डायनिक लिमि., 5-गोवा शिपयार्ड लिमि., 6-हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमि., 7-टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमि.।

बकाया ब्याज को दर्शाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में यद्यपि ऋण तथा अग्रिम में प्रतिकूल शेष है फिर भी अभी ब्याजों को इनके प्रति प्राप्त किया गया के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे मामलों के ब्यौरे **तालिका 2.7** में दिए गए हैं:

तालिका 2.7: ऋणों के बकायों के संबंध में न दर्शाया गया ब्याज

क्र.सं.	इकाई का नाम	31 मार्च 2016 को कुल बकाया ऋण (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1.	श्री सीताराम शुगर कम्पनी; बैथालपुर, उत्तर प्रदेश	3.48	उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि मामलों से संबंधित फाईलें लगभग 25 वर्ष पुरानी थी तथा वह शीघ्र पता लगाने योग्य नहीं थीं। इस मामले को 2015 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 50 में भी उजागर किया गया था।
2.	देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया उत्तर प्रदेश	3.63	
3.	राजा बुलन शुगर लि. रामपुर, उत्तर प्रदेश	1.06	

(ख) ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति क्रेडिट किया गया ब्याज

निम्नलिखित मामलों में ब्याज ऋण तथा अग्रिम के प्रतिकूल मूल राशि के प्रति क्रेडिट किया गया था।

तालिका 2.8: ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति क्रेडिट किया गया ब्याज

(₹ लाख में)

क्र.स.	शीर्ष	01.04.2015 को शेष	31.03.2016 को शेष	क्रेडिट किया गया ब्याज
1.	7601.04.411-सहयोग-क्रेडिट सहकारिता	-325.22	-326.87	0.22
2.	7601.04.413-अन्य सहकारिताएं	-16.86	-14.73	1.38
3.	7601.04.436-फसल कृषि वाणिज्यिक फसलें	-1312.83	-1350.28	28.61
4.	7601.04.443-फसल कृषि-अन्य ऋण	-3367.15	-3388.37	229.20
5.	7601.04.501-मृदा एवं जल संरक्षण-मृदा सरंक्षण योजनाएं	-962.29	-990.04	30.39
6.	7610.00.203-अन्य वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	-3910.98	-3936.64	198.54

क्र.सं. 1 से 5 में शीर्षों के संबंध में कृषि मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि इन शीर्षों के प्रति प्रतिकूल शेष 13वें वित्त आयोग की सिफारियों की अनुपालन में ऋणों को बट्टे खाते में डालने के कारण है। ऋणों के बट्टे-खाते में

डालने के बावजूद इन शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से क्रेडिट प्राप्त किए गए थे। इसने आगे बताया कि वर्ष 2015-16 में पिछले वर्ष से संबंधित सुधार/समायोजन के कारण ब्याज क्रेडिट किया गया था।

उत्तर ऋण एवं अग्रिम के संबंध में उपयुक्त लेखांकन क्रियाविधि के अभाव को दर्शाता है क्योंकि ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया था तथा अभी भी पिछले वर्ष से संबंधित ब्याज 2015-16 में भी संघ सरकार के खाते में वापस क्रेडिट किया जा रहे थे।

क्र.सं. 6 के संबंध में, सीजीए ने बताया (अगस्त 2016) कि मामले को रेल, डाक तथा यूटी चण्डीगढ़ मंत्रालयों के साथ उठाया गया है तथा उत्तर प्रतीक्षित थे।

(ग) ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति पुनर्भुगतान

निम्नलिखित मामलों में, ऋणों तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान ऋण तथा अग्रिम के प्रतिकूल शेषों के प्रति किया गया था।

तालिका 2.9: ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिकूल शेषों के प्रति पुनर्भुगतान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	01.04.2015 का शेष	वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान	31.03.2016 का शेष
1	7601.03.413-सहयोग क्रेडिट सहाकारिताएं	-41.84	0.05	-41.89
2	7601.03.501-मृदा एवं जल संरक्षण-मृदा संरक्षण योजना	-21.23	0.62	-21.85
3	7601.04.411- सहयोग क्रेडिट सहाकारिता	-325.22	1.65	-326.87
4	7601.04.436- फसल कृषि वाणिज्यिक फसले	-1312.83	37.45	-1350.28
5	7601.04.443-फसल कृषि- अन्य ऋण	-3367.15	21.22	-3388.37
6	7601.04.501-मृदा एवं जल संरक्षण-मृदा संरक्षण योजनाएं	-962.29	27.75	-990.04
7	7602.04.412- सहयोग - उपभोक्ता सहकारिता	-0.14	5.79	-5.93

कृषि मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि राज्य सरकार से 2015-16 में ऋण का कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। पुनर्भुगतान को वर्ष 2015-16 में पिछले वर्ष से संबंधित सुधार/समायोजन के कारण दर्ज किया गया था।

उत्तर दोषपूर्ण लेखांकन क्रियाविधि को दर्शाता है क्योंकि पिछले वर्षों के ऋण के पुनर्भुगतान को 2015-16 में क्रेडिट किया जा रहा था। यहां तक की मंत्रालय भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि पुनर्भुगतान किस वर्ष से संबंधित है।

(घ) ऋण के नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप न दिया जाना

राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली को ₹29.29 करोड़ के ऋण 1994-95 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये गये थे परंतु ऋणों के नियमों एवं शर्तों के 21 वर्षों के अंतराल के बाद भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

सीजीए ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि इस मुद्दे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए कई बार रखा गया था।

यह मुद्दा सीजीए के 2000 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 से लेकर 2015 के प्रतिवेदन सं. 50 में उजागर हुआ था। प्रशासनिक मंत्रालय का यहां प्रदत्त ऋणों की वसूली एवं उसके अन्य पहलुओं को लेकर अगंभीर रूप दिखायी देता है।

(ङ) 20 वर्षों से अधिक के लिए बकाया में ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2015-16 हेतु संघ सरकार द्वारा तैयार विवरणी-सं. -15 ऋणों तथा अग्रिमों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 31 मार्च 2016 को राज्य/यूटी सरकार तथा अन्य ईकाईयों के प्रति बकाया कुल ऋण ₹2,56,353.52 करोड़ था। इसमें से ₹26,333.68 करोड़[9] के पुनर्भुगतान को 2 वर्ष से 50 वर्षों के बीच बकाया में ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, ₹26,333.68 करोड़ की राशि में से ₹11,321.87 करोड़ (42.99 प्रतिशत) गैर-

[9] ₹26,333.68 करोड़ राज्यों तथा यूटी के प्रति लंबित है तथा ₹21,583.95 करोड़ ऋणी ईकाईयों या संस्थानों के प्रति लंबित है।

वसूली के कारण 20 वर्षों (₹10 करोड़[10] से अधिक के मामले) से अधिक बकाया रहा है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए मूल राशि पर ब्याज होने से ₹29,770.45 करोड़ की राशि भी बकाया में रही। यह दर्शाता है कि ऋणों तथा अग्रिमों की भारी राशि, जिसके पुनर्भुगतान बकाया में है, की वसूली करना असंभावित है **(अनुबंध 2.5)**।

अपने उत्तर (जुलाई 2016) में सीजीए ने बताया कि ऋणों की वसूली तथा मूल एवं ब्याज राशि के भुगतान की संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा निगरानी की गई थी। तथापि संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्रेषित किए जा रहे है तथा लेखापरीक्षा को उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

2.4.5 सीमा-शुल्क प्राप्तियों का कम बताया जाना

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अग्रिम सीमा-शुल्क प्राप्ति जो किसी भावी अवधि से संबंधित हो, को लोक लेखे के अंतर्गत एक अस्थायी उच्चंत शीर्ष (8658.136 - प्राप्ति शीर्ष को अंतरण हेतु प्रतीक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियां) के अंतर्गत रखा जाता है। अग्रिम प्राप्तियों को भारतीय समेकित निधि (सीएफआई) में उस वर्ष में क्रेडिट किया जाता है जिससे यह संबंधित है।

वित्त लेखे की संवीक्षा से पता चला कि 2015-16 में अथ शेष के रूप में अस्थायी उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹20.75 करोड़ उपलब्ध थे। इसे भारत की समेकित निधि में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना था। ₹1.02 करोड़ की राशि का 2015-16 के दौरान निपटान किया गया था तथा ₹19.73 करोड़ का अंत शेष उचंत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज रहा था। इसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹19.73 करोड़ तक भारत सरकार की सीमा शुल्क प्राप्तियों के कम बताए जाने में हुआ।

अपने उत्तर (अगस्त 2016) में सीजीए ने बताया कि यह राशि 2016-17 के दौरान अंतिम शीर्ष में अंतरित कर दी जाएगी।

[10] अन्य इकाईयों के मामले में।

2.5 लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

संघ सरकार के वित्त लेखे 2015-16 की परिशुद्धता कारकों जैसे (i) उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की बड़ी संख्या का होना, जिनका अंतिम वर्गीकरण शेष है; (ii) ऋण, जमा एवं प्रेषित धन (डीडीआर) लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों की बढ़ती संख्या तथा मात्रा से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है।

वर्ष 2015-16 हेतु प्रमुख उचंत लेखे के अंतर्गत बकाया शेषों की समीक्षा कार्यालय महालेखा नियंत्रक में की गयी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के ब्यौरे आगे के पैराग्राफों में दिये गये हैं :

2.5.1 मुख्य उचंत लेखाओं के अन्तर्गत बकाया शेष

"उचंत शीर्ष" नामित लेखे के कुछ मध्यवर्ती/समायोजक शीर्ष उन प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी लेखाओं में खोले गए हैं जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखे के इन शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से तब समाशोधित किया जाता है जब उनके अंतर्गत राशि को संबंधित लेखाशीर्षों को दर्ज किया जाता है। यदि ये राशियॉ समाशोधित नहीं होती हैं तो उचन्त शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित होगा तथा सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को यह सही रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा।

उचंत शेषों के लिए खाता बही को वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) द्वारा उप/विस्तृत शीर्ष-वार, जैसा भी आवश्यक हो, तथा प्रधान एओ द्वारा पीएओ द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लघु शीर्ष वार अनुरक्षित किया जाना है। संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक से अपेक्षित है कि वह उचंत शेषों की समीक्षा करें तथा मॉनीटरिंग उद्देश्य हेतु महा-लेखा नियंत्रक (सीजीए) को सूचित करे।

31 मार्च 2016 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार सहित संघ वित्त लेखे में उचंत शीर्षों के अन्तर्गत कुल निवल शेष ₹22,119.80 करोड़ (डेबिट) था। इस शेष में सिविल के संबंध में ₹2,332.43 करोड़ (डेबिट), रक्षा हेतु

₹14,404.02 करोड़ (डेबिट), रेलवे हेतु ₹1,802.06 करोड़ (डेबिट), डाक हेतु ₹2,602.40 करोड़ (डेबिट), दूरसंचार हेतु ₹154.79 करोड़ (क्रेडिट) तथा भारत सरकार क्षतिपूर्ति विमोचन (ईराक को परियोजना निर्यात) बंधपत्र, 2001 के संबंध में ₹1,133.68 करोड़ (डेबिट) शामिल है। वित्त लेखे उचंत शीर्ष के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत सही शेषों को केवल विभिन्न उचंत शीर्षों के अंतर्गत डेबिट तथा क्रेडिट शेषों को अलग से निवल करके परिकलित किया जा सकता है। डेबिट/क्रेडिट शेषों को निवल करने से वित्त लेखे में उचंत शेषों की अत्यधिक न्यूनोक्ति होती है। पिछले तीन वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों (मुख्य शीर्ष - 8658) के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत उचंत शीर्षों की स्थिति **तालिका 2.10** में दी गई है:

तालिका 2.10 : सिविल मंत्रालयों के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत उचंत शेष

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2013-14		2014-15		2015-16	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-पीएओ उचंत	2737.37	156.44	2532.65	532.93	2630.22	588.76
निवल	**डेबिट 2580.93**		**डेबिट 1999.72**		**डेबिट 2041.46**	
102-उचंत लेखा (सिविल)	1194.54	4670.36	1130.15	5292.32	1175.93	5982.81
निवल	**क्रेडिट 3475.83**		**क्रेडिट 4162.17**		**क्रेडिट 4806.88**	
107-नगद निपटान उचंत लेखा	497.97	36.34	497.80	36.34	413.60	36.33
निवल	**डेबिट 461.63**		**डेबिट 461.46**		**डेबिट 377.27**	
108-पी.एस.बी. उचंत	5969.95	2988.75	3688.87	3222.01	5982.12	2273.08
निवल	**डेबिट 2981.20**		**डेबिट 466.86**		**डेबिट 3709.04**	
109-रिजर्व बैंक उचंत (मु.)	11.37	185.41	11.59	185.07	12.31	297.06
निवल	**क्रेडिट 174.04**		**क्रेडिट 173.48**		**क्रेडिट 284.75**	
110-रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	58.39	502.62	51.17	1158.25	56.15	541.24
निवल	**क्रेडिट 444.23**		**क्रेडिट 1107.08**		**क्रेडिट 485.09**	
115- विदेश में क्रय इत्यादि हेतु उचंत लेखा	1941.34	52.00	978.30	0.0001	1991.46	0
निवल	**डेबिट 1889.34**		**डेबिट 978.30**		**डेबिट 1991.46**	
129-सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखा	212.08	78.32	210.27	66.86	212.32	61.09
निवल	**डेबिट 133.76**		**डेबिट 143.41**		**डेबिट 151.23**	

136-प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतीक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियां	--	223.26	--	20.75	--	19.73
निवल	**क्रेडिट 223.26**		**क्रेडिट 20.75**		**क्रेडिट 19.73**	
138-अन्य नामांकित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक) उचंत 1939 के युद्ध से संबंधित लेन-देन	51.98	593.43	5.60	550.22	196.20	607.33
निवल	**क्रेडिट 541.45**		**क्रेडिट 544.62**		**क्रेडिट 411.13**	

यह देखा जा सकता है कि पीएओ उचंत, उचंत लेखे (सिविल), रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय), विदेश में क्रय हेतु उचंत-लेखा तथा अन्य नामित बैंक उचंत लेखा के अंतर्गत डेबिट तथा क्रेडिट शेष पिछले वर्ष से 2015-16 में बढ़े हैं। सीजीए द्वारा उचन्त लघु शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया था।

(क) पीएओ उचंत

पीएओ उचंत में, मार्च 2016 की समाप्ति पर, बकाया डेबिट शेष ₹2,630.22 करोड़ था तथा क्रेडिट शेष ₹588.76 करोड़ था। इस प्रकार, कुल ₹3,218.98 करोड़ का शेष इस शीर्ष से निपटान की प्रतीक्षा में था।

बकाया शेष मुख्य रूप से आपूर्ति विभाग ₹1,517.49 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹658.09 करोड़ (डेबिट), परमाणु ऊर्जा विभाग ₹221.30 करोड़ (क्रेडिट), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹234.71 करोड़ (क्रेडिट) तथा केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ₹55.10 करोड़ (क्रेडिट) के संबंध में थे जो दर्शाता है कि इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य पीएओ की ओर से किए गए भुगतानों (डेबिट) या की गई प्राप्तियों (क्रेडिट) को उनके द्वारा 31 मार्च 2016 तक अभी भी वसूल/अदा किया जाना था। विदेश मंत्रालय के पास बकाया शेष प्रमुखत: अधिकारियों की विदेश यात्रा से संबंधित असमायोजित दावों के कारण था, जहाँ आतिथ्य एवं आवास शुल्क मंत्रालय द्वारा अदा किये गये थे। पीएओ उचंत के अंतर्गत बड़े डेबिट तथा क्रेडिट शेष तथा उनका निरंतर संचयन ने महत्वपूर्ण नियंत्रण की कमियों को प्रदर्शित किया।

(ख) उचंत लेखे (सिविल)

31 मार्च 2016 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹5,982.81 करोड़ (क्रेडिट) और ₹1,175.93 करोड़ (डेबिट) था। ₹7,158.74 करोड़ के कुल शेष का व्यक्तिगत रूप से निपटान किया जाना था, जिसे अंतिम लेखा शीर्ष में दर्ज नहीं किया गया था। मुख्य बकाया शेष आर्थिक कार्य विभाग ₹5,209.92 करोड़ (क्रेडिट), आपूर्ति विभाग ₹597.52 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹640.23 करोड़ (क्रेडिट) और उच्च आयोग ₹435.76 करोड़ (डेबिट) से संबंधित थे।

(ग) विदेशों में क्रय आदि हेतु उचंत लेखे

31.03.2016 को विदेश में क्रय आदि हेतु उचंत लेखा शेष ₹1,991.46 करोड़ (डेबिट) था। यह देखा गया था कि ₹220.51 करोड़ विभिन्न संगठनों से 2007 से बकाया था और प्रमुख ऋणदार थे- भारतीय हेलिकॉप्टर निगम लि. (₹67.24 करोड़), पवन हंस लि. (₹57.44 करोड़), पायराइट्स, फॉस्फेट्स एंड केमिकल लि. (₹24.95 करोड़) तथा कोल इंडिया लि. (डब्ल्यूबी) (₹23.18 करोड़)।

सीएए एंव ए द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह पाया गया था कि अनुवर्ती भुगतान विभिन्न आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों की ओर से किये गये थे जबकि उनसे पहले किए गए क्रय हेतु भुगतान अभी देय थे। इस मुद्दे को सीएजी के 2015 के प्रतिवेदन सं. 50 में इंगित किया गया था। विदेश मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, अनुदान, लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग ने 29 फरवरी 2016 के अपनी कार्रवाई टिप्पण में बताया कि कार्यालय सीएए एवं ए बकाया देयों के शीघ्र समायोजन हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। बकाया उचंत राशि को नियमित रूप से मॉनीटर किया गया है और परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकारियों को उचंत शेषों का निपटान करने के लिए अनुस्मारक भेजे गये हैं। तथापि, उचंत शेषों की स्थिति विगत वर्ष के ₹978.30 करोड़ के आंकड़े की तुलना में 2015-16 में अधिकता पर थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2016) में बताया कि 31.03.2016 को ₹1,991.46 करोड़ के बकाया उचंत लेखा शेष में से, 2016-17 में ₹1,702.73 करोड़ का निपटान कर दिया गया है और ₹288.71 करोड़ अभी बकाया है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत (पीएसबी उचंत)

31 मार्च 2016 को बकाया पीएसबी शेष कुल ₹5,982.12 करोड़ (डेबिट) तथा ₹2,273.08 करोड़ (क्रेडिट) था। इस प्रकार, मार्च 2016 की समाप्ति तक ₹8,255.20 करोड़ के कुल शेष का निपटान किया जाना अपेक्षित था। बकाया मुख्य शेष केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (व्यय) ₹1,072.35 करोड़ (क्रेडिट), केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (सीपीएओ) ₹780.82 करोड़ (क्रेडिट), आपूर्ति विभाग ₹285.70 करोड़ (डेबिट), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹525.45 करोड़ (डेबिट), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) ₹527.09 करोड़ (डेबिट), पोत परिवहन मंत्रालय ₹120.24 करोड़ (डेबिट), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ₹437.78 करोड़ (डेबिट), संस्कृति मंत्रालय ₹380.87 करोड़ (डेबिट), विद्युत मंत्रालय ₹158.30 करोड़ (डेबिट), सूचना एवं प्रौघोगिकी मंत्रालय ₹214.01 करोड़ (डेबिट), सामाजिक शिक्षा एवं साक्षरता ₹202.90 करोड़ (क्रेडिट), युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ₹126.85 करोड़ (डेबिट) तथा उच्च शिक्षा ₹105.88 करोड़ (डेबिट) से संबंधित थे।

(ङ) रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय (सीएओ)

मार्च 2016 की समाप्ति तक समाशोधन किये जाने वाले ₹597.27 करोड़ के कुल शेष के साथ, 31 मार्च 2016 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹56.15 करोड़ (डेबिट) तथा ₹541.12 करोड़ (क्रेडिट) था। बकाया आरबीआई (सीएओ) उचंत शेष मुख्य रूप से पोत परिवहन मंत्रालय ₹367.99 करोड़ (क्रेडिट), वाणिज्य मंत्रालय ₹115.24 करोड़ (क्रेडिट), आपूर्ति विभाग ₹37.68 करोड़ (डेबिट) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹8.19 करोड़ (डेबिट) से संबंधित थे।

लेखापरीक्षा ने आगे उचंत शेषों की विस्तार से जाँच हेतु विदेश मंत्रालय का चयन किया और निम्नलिखित पाया:

- उचंत लेखे (सिविल) में वि.मं. के पास 2007-08 में ₹21.39 (डेबिट) करोड़ का अंत शेष था। यह आगे ₹546.21 करोड़ (क्रेडिट) से बढ़ा और इस प्रकार अंत शेष 2008-09 में ₹524.82 करोड़ (क्रेडिट) पर बना रहा। ₹546.21 करोड़ (क्रेडिट) की वृद्धि में काठमांडु के पेंशनधारियों के फरवरी एवं मार्च 2009 से संबंधित ₹309 करोड़ (क्रेडिट) एवं ₹163 करोड़ (- डेबिट) की त्रुटिपूर्ण बुकिंग शामिल थी जिसे अब तक सही नहीं किया गया है। यह भी देखा गया था कि मंत्रालय ने काठमांडु के पेंशनधारियों के 2015-16 से संबंधित ₹41 करोड़ (- डेबिट) के अधिक निपटान को भी दर्ज किया था जिसके फलस्वरूप ₹640.23 करोड़ (क्रेडिट) का विशाल अंत शेष असमायोजित पड़ा रहा।

- उचंत लेखे- पीएसबी के संबंध में, ₹(-) 628 करोड़ (क्रेडिट) एवं ₹(-)41 करोड़ (डेबिट) को दर्ज कर 2015-16 के दौरान उचंत शेष का निपटान किया गया था जिसमें 2012-13 (सितंबर 2012) से संबंधित आरबीआई प्रस्तुति के ₹622.48 करोड़ (₹39.37 करोड़ + ₹539.54 करोड़ + ₹43.57 करोड़) शामिल है। यह देखा गया था कि आरबीआई प्रस्तुति के ₹(-)622.48 करोड़ की प्रविष्टि 2012-13 में छोड़ दी गयी थी और मार्च 2016 में टीई के माध्यम से उसे समायोजित किया गया था। यह दर्शाता है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रविष्टियों पर ध्यान दिया गया है, तंत्र सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- 2015-16 हेतु शीर्ष रिजर्व बैंक सीएओ के अंतर्गत अथ शेष ₹70.83 लाख (डेबिट) था जो आरबीआई द्वारा दावे के रद् किये जाने के समय ₹(-)203.00 लाख (डेबिट) के गलत वर्गीकरण के कारण ₹(-)153.31 लाख (डेबिट) तक बढ़ गया था। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि इस गलत वर्गीकरण को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2016-17 में समायोजित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, शीर्ष-रिजर्व बैंक उचंत मुख्यालय (8658-00-109), परिमंडल-101 के अंतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु विद्युत मंत्रालय के 'उचंत शेषों' की समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि अथ शेष को 'शून्य' के रूप में

दर्शाया गया था जबकि, ₹112 करोड़ की राशि को (-) डेबिट के रूप में दर्ज किया गया था।

विभाग ने बताया कथित राशि जो भूलवश शीर्ष-रिजर्व बैंक उचंत मुख्यालय (8658-00-109), परिमंडल-101 के अंतर्गत दर्ज की गई थी उसे 31 मई 2016 को अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से मार्च 2016 में सुधार दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इसे सीजीए द्वारा अपने लेखाओं में नहीं सुधारा गया था।

इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी के प्रधान लेखा कार्यालय में शेषों की नमूना जांच ने दर्शाया कि ₹(-)1,52,478.10 करोड़ (डेबिट) एवं ₹(-)45,242.65 करोड़ (क्रेडिट) के शेष वर्ष 2015-16 के अंत तक बकाया थे जिसमें 1988-89 तक की अवधि हेतु ₹43.15 करोड़ का डेबिट शेष और ₹31.85 करोड़ का क्रेडिट शेष बकाया थे।

सीजीए ने बताया (अक्तूबर 2016) कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों को संघ सरकार के वित्त लेखाओं की विवरणी सं. 13 की समीक्षा के समय उचंत शेष को परिसमाप्त करने के निर्देश दिए गए थे।

2.5.2 ऋण, जमा एवं प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष की अधिक संख्या

प्रतिकूल शेष वे ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं जहाँ ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी भी ऋण या अग्रिम के लेखांकन शीर्ष के प्रति, ऋणात्मक शेष, प्रदान की गई वास्तविक अग्रिम राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

वर्ष 2015-16 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अतंर्गत प्रतिकूल शेषों के 78 मामले हैं जिन्हे **अनुबंध 2.6** में दिया गया है। आठ मामले वर्ष 2015-16 के दौरान प्रतिकूल हो गए तथा शेष 70 मामले पहले के वर्षों से बकाया थे। इनमें एक वर्ष से अधिक से पांच वर्षों तक के 37 मामले, पांच वर्षों से अधिक से 10 वर्षों तक के 15 मामले तथा 10 वर्षों से अधिक पुराने 18 मामले शामिल थे।

सीजीए ने बताया (सितंबर 2016) कि प्रमुख शीर्ष 7601 (क्र.सं. 48-74) के अंतर्गत 27 मामलों में प्रतिकूल शेष 13वें वित्त आयोग के सिफारिश पर शेषों को बट्टे खाते में डालने के कारण था तथा इन शेषों को स्वीकृति करने का मामला वित्त मंत्रालय के सक्रिय विचार प्रक्रिया में था। छः मामलों में, मुख्य शीर्ष 6002 (क्र.सं. 17-21), प्रतिकूल शेष विनिमय दर की भिन्नता के कारण था और उसका संहिताबद्ध प्रक्रियाओं के अनुसार परिसमापन कर दिया जाएगा। शेष में पूर्व- विभागीकृत अवधि (दो मामले) शामिल थे जिसे संबंधित मंत्रालय/विभाग के समक्ष प्रतिकूल शेषों के परिसमापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उठाया गया था। तथापि, इसका एक समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम से निपटान किए जाने की आवश्यकता है।

2.5.3 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

यह शीर्ष लेन-देनों, जिन्हें अन्ततः समाशोधित किया जाना होता है, को आरम्भ में दर्ज करने के लिए एक मध्यवर्ती लेखांकन शीर्ष हैं। लेखाओं के विभागीकरण की योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा आरबीआई या अधिकृत बैंकों की शाखाओं पर आहरित चैकों द्वारा सरकार के प्रति दावों का भुगतान किया जाता है।

जब दावे पीएओ/विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तब भुगतान को निर्धारित जांचों तथा भुगतान आदेश को दर्ज करने के उपरान्त चैक जारी करने के माध्यम से प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष '8670-चैक एवं बिल' को माह के दौरान वितरित चैकों की कुल राशि से क्रेडिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/(सीएएस) आरबीआई, नागपुर से जारी चैकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाने वाले तिथि-वार मासिक विवरणी (डीएमएस)/शेषों की मासिक विवरणी की प्राप्ति होने पर, जैसा भी मामला हो, 'शीर्ष 8670-चैक एवं बिल' को ऋणात्मक क्रेडिट तथा उचंत शीर्ष '8658.108-पीएसबी उचंत'/'8675-101-आरबीआई के पास जमा-केन्द्रीय सिविल' को क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

2015-16 के संघ के वित्त लेखे में भारी शेष 'चैक एवं बिल' के विभिन्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए थे जैसे विवरण **तालिका 2.11** में दिए गए हैं:

तालिका 2.11: चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

8670.101	पूर्व-लेखापरीक्षा चैक	क्रेडिट	0.42
8670.102	वेतन एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	7671.62
8670.103	विभागीय चैक	क्रेडिट	1064.42
8670.104	खजाना चैक	क्रेडिट	4.62
8670.105	इरला चैक	क्रेडिट	0.59
8670.106	दूरसंचार लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	910.69
8670.107	डाक चैक	क्रेडिट	12626.62
8670.108	रेलवे चैक	क्रेडिट	4872.47
8670.109	रक्षा चैक	डेबिट	60.24
8670.110	इलेक्ट्रॉनिक सलाह	क्रेडिट	30.31
8670.111	वेतन एवं लेखा कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सलाह	क्रेडिट	1914.84
8670.112	प्रधान संचार लेखे नियंत्रण कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सलाह	क्रेडिट	39.48
8670	**चैक एवं बिल (कुल)**	**क्रेडिट**	**29075.84**

केन्द्रीय सरकारी लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 के नियम 45 में विनिर्दिष्ट है कि चैक जारी करने की तिथि के पश्चात तीन माह के भीतर किसी भी समय देय होगा। इसके अतिरिक्त, नियम 47(2) में विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के माह से छः माह की अवधि तक अदत्त रहे तथा नवीनीकरण हेतु अभ्यर्पित नहीं किए गए चैकों को '8670-चैक एवं बिल' में ऋणात्मक क्रेडिट करके वापस या रद्द किया जाना होता है, तथा क्रियाशील मुख्य/लघु शीर्ष जिसमें व्यय को वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था, को ऋणात्मक डेबिट किया जाता है तथा लेखे में राशि को पुनः लिखा जाना होता है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत ऐसी भारी बकाया राशियां दर्शाती हैं कि लेखांकन प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई जैसा कि नियमावली के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी, नहीं कर रहे थे। 'चैक एवं बिल' के अन्तर्गत बकाया राशि की सीमा तक सरकारी नगद शेष अधिक बताए गए रहे तथा गलत स्थिति को दर्शाते हैं।

प्रधान लेखा कार्यालय में नमूना जांच ने प्रकट किया कि विदेश मंत्रालय में ₹12.44 करोड़ की राशि के 808 चैक, आपूर्ति विभाग में ₹1.56 करोड़ की

राशि के 521 चैक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹105.42 करोड़ की राशि के 406 चैक, सीबीडीटी में ₹20.53 करोड़ की राशि के 13,355 चैक तथा आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) में ₹0.69 करोड़ की राशि के 691 चैक छः माह से अधिक समय तक बिना भुगतान किए रहे।

31 मार्च 2016 को शीर्ष 8670 - 'चैक एवं बिल' के अंतर्गत कुल बकाया शेष ₹29,075.84 करोड़ (क्रेडिट) पर रहा। इसलिए बैंक के साथ समाधान करने हेतु मंत्रालयों/विभागों के संबंधित पीएओ की ओर प्रयास अपेक्षित है।

2.5.4. प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना

संघ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के राईट्स निर्गम में ₹9,996 करोड़ का निवेश किया था। नकद निर्गम की बजाय सरकार ने विशेष प्रतिभूतियाँ (एमएच 8012.120 राष्ट्रीय बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां) जारी करते हुए लोक लेखे में देयता का सृजन कर दिया। इन प्रतिभूतियों का विमोचन एक भावी तिथि पर भारत की समेकित निधि (एमएच 3465.01.797-प्रतिभूति विमोचन निधि) से लोक लेखे में निधियों के अन्तरण द्वारा 'प्रतिभूति विमोचन निधि' के सृजन के माध्यम से करना था।

वित्त लेखाओं की संबीक्षा से पता चला कि वर्ष 2008-09 से 2015-16 के दौरान, प्रत्येक वर्ष ₹625 करोड़ प्रतिभूति विमोचन निधि के अंश के कारण व्यय का लेखांकन हुआ था। ₹5000 करोड़ की राशि को लोक लेखे में प्रतिभूति विमोचन निधि के रूप में इस एकमात्र उद्देश्य से क्रेडिट करना चाहिए था, कि भविष्य में कभी एसबीआई को विशेष प्रतिभूतियों के ₹9,996 करोड़ निर्मुक्त किया जा सकें। तथापि, ₹5000 करोड़ की राशि आज तक उचंत शीर्ष के अंतर्गत पड़ी थी।

नवम्बर 2015 में, अपने उत्तर में, आर्थिक कार्य विभाग ने बताया कि राशि 8658 - उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत पड़ी है क्योंकि प्रतिभूति विमोचन निधि हेतु प्रस्तावित लघु शीर्ष आज तक खोला नहीं गया है क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है और बजट प्रभाग, सीजीए तथा सीएजी के बीच नियमित पत्राचार किया जा रहा है। राशि को नए शीर्ष, जब कभी इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, में अंतरित किया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत के सीएजी ने मई 2014 में पहले ही संशोधित/परिवर्तित लेखांकन प्रक्रिया के संबंध में अपनी अभ्युक्तियां/ सुझाव दे दिए हैं।

2.5.5 मुद्रा, सिक्के एवं ढलाई लेखा

लेखा के इस अस्थायी मुख्य शीर्ष (8656) का परिचालन ढ़लाई के बाद सिक्कों के स्टॉक (अंकित मूल्य) हेतु परिकलन के लिए किया जाता है। इस लेखा शीर्ष को ऋणात्मक डेबिट से पूंजीगत शीर्ष 4046 द्वारा स्टॉक में लिए गये सिक्के के अंकित मूल्य द्वारा नामे किया जाता है जो धातु खरीदने के लिए होता है। सिक्के के अंकित मूल्य एवं धातु के मूल्य के बीच अंतर को सिक्के को परिचालित करने के बाद राजस्व शीर्ष 0046 में अंतरित कर दिया जाता है। अतः इस शीर्ष में नामे प्रविष्टि स्टॉक में ढाले गये सिक्कों के अंकित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है एवं क्रेडिट प्रविष्टि सिक्कों के परिचालन पर राजस्व में अंतरित किये जाने वाले लाभ को दर्शाता है। यह देखा गया था कि 2006 में भारतीय सुरक्षा मुद्रण एवं ढ़लाई निगम के सृजन के बाद, ₹2,003.91 करोड़ (₹131.19 करोड़ का क्रेडिट शेष एवं ₹2,135.10 करोड़ का डेबिट शेष) की कुल राशि के ढले सिक्कों का स्टॉक मार्च 2006 से स्थिर था। आंकड़े स्टॉक में बचे उन सिक्कों के मूल्य को दर्शाते हैं जिन्हे अभी परिचालित करना शेष था।

2.5.6 प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की न की गई संवीक्षा

सिविल नियम पुस्तिका के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पीएओ यह निर्धारण करने के लिए कि व्यक्तियों/दलों, जिनसे शेष वसूल किया जाना है अथवा जिनको यह देय है, द्वारा शेषों की सत्यता को स्वीकार किया गया है, विभिन्न ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अंतर्गत शेषों की समीक्षा तथा जांच करेगा तथा उसे प्रधान लेखा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष के 15 सितम्बर तक वार्षिक रूप से गैर-समाधान किए शेषों को दर्शाने वाली एक विस्तृत विवरणी तथा मामले, जिनमें शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित हैं, प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रधान लेखा कार्यालय से बदले में मंत्रालय/विभाग की समेकित रिपोर्ट को पूर्ण में प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक महालेखा नियंत्रक को भेजना अपेक्षित है। इस समीक्षा को संचालित करने का उद्देश्य लेखे की

विभिन्न पुस्तिकाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता का पता लगाना और डीडीआर के आंकड़ों का पुर्नमिलान करना था।

सिविल विभागों के संबंध में, 70 प्रधान लेखा कार्यालयों में से 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए क्रमश: 38, 35, 37, 40 और 27 विभागों के शेष की समीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय विभिन्न उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेषों की समीक्षा तथा परिसमापन करने हेतु एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र स्थापित करे। मंत्रालयों/विभागों को यथार्थ सरकारी लेखाओं को अंकित करने हेतु ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों तथा चैक एवं बिल के अंतर्गत शेषों का निपटान करना भी अपेक्षित है।

2.6 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रारूप लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 84 प्रावधान करता है कि वाणिज्यिक अथवा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह से सरकार द्वारा निर्धारित अनुषंगी लेखे तथा प्रारूप लेखे अनुरक्षित करेंगे।

वाणिज्यिक या अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के 61 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम थे जिनके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इनमें से, 37 उपक्रम लेखे मार्च 2016 तक बकाया बने थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणामों को प्रोफॉर्मा लेखे, जिसमें सामान्यत: व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सम्मिलित होते हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से सुनिश्चित किया जाता है। जबकि भारत सरकार की प्रेस व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करती है फिर भी प्रकाशन विभाग केवल भण्डारण लेखा तैयार करता है।

तालिका 2.12: अवधि जिसके लिए प्रोफॉर्मा लेखे बकाया पड़े थे

क्र.सं.	उपक्रमों की संख्या	लेखे का वित्तीय वर्ष	बकाया वर्षों की सं.
1.	16	2014-15	1
2.	7	2011-12 से 2013-14	2-4
3.	9	2007-08 से 2010-11	5-8
4.	5	2006-07 एवं पहले	9 वर्ष तथा उससे अधिक
कुल	**37**		

तालिका 2.12 दर्शाती है कि 16 उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे में एक वर्ष की अवधि तक के विलंब थे। 7 उपक्रमों के संबंध में दो वर्ष से चार वर्ष के बीच का विलंब था। सरकारी प्रेस, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, शहरी विकास मंत्रालय के मामले में 1987-88 से प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किए गए थे। इसी प्रकार, पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोत परिवहन मंत्रालय के मामले में वित्तीय वर्ष 1991-92 से प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किए गए थे। विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों, जिनके लिए प्रारूप लेखे बकाया थे, के ब्यौरे **अनुबंध 2.7** में दिए गए है।

अद्यतित प्रोफॉर्मा लेखे के अभाव में, इन संगठनों, जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधित किया जाना नियत है, द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत का पता नहीं लगाया जा सकता। उनकी गतिविधियों हेतु निवेश पर वापसी, लाभकारिता आदि जैसे निष्पादन संकेतकों को निर्धारित करना भी संभव नहीं था।

2.7 हानियॉ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 33 विचार करता है कि हानि के कारण तथा पहचान के ढंग का ध्यान किए बिना लोक धन, विभागीय राजस्व अथवा प्राप्तियां, रसीदी टिकटें, अफ़ीम, भण्डार अथवा सरकार द्वारा अथवा ओर से नियंत्रित अन्य सम्पत्ति की किसी भी हानि अथवा कमी को संबंधित अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अगले उच्च अधिकारी के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा संबंधित प्रधान लेखा अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा चाहे ऐसी हानि की उत्तरदायी पक्ष द्वारा पूर्ति कर दी गई है। ₹2,000 से कम मूल्य वाली छोटी हानियों को सूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों से 2015-16 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई हानियों तथा स्थगित की गई वसूलियों के ब्यौरों की मांग की गई थी। तथापि, केवल 38 मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई थी। 38 में से 11 मंत्रालयों/विभागों में 1,007 मामलों में कुल ₹56.10 करोड़ की हानियों को बट्टे खाते में डाला गया था तथा 19 मामलों में कुल ₹0.11 करोड़ की वसूलियों को स्थगित किया गया था, जैसा **अनुबंध 2.8** में ब्यौरा दिया गया है।

2.8 निष्कर्ष

2015-16 हेतु संघ के वित्त लेखे में प्रकटीकरण, यथार्थता, सम्पूर्णता तथा पारदर्शिता से संबंधित सार्थक कमियां थीं। इनमें से अधिकांश विसंगतियां संबंधित लेखांकन प्राधिकारियों द्वारा बिना किसी सुस्पष्ट शोधक कार्रवाईयों के आवर्ती है जबकि आनुक्रमिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इन पर टिप्पणी की गई थीं। भारत के संविधान के तात्पर्य के अंतर्गत 'राज्य' के रूप में कार्य कर रहे कुछ नियामक निकायों ने भी सरकारी खाते के बाहर निधियों की बड़ी राशि को रखा था। संग्रहीत किए गए विशेष उद्देश्य उपकर को भी चिन्हित निधियों, जब कभी लोक लेखे में सृजित किया गया था, को क्रेडिट किया गया था। वित्त लेखे में दर्शाए गए सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी बैंकों, समितियों आदि के इक्विटी आधार में सरकारी स्वामित्व को दर्शाने वाले आंकड़ों की तुलना में उन अस्तित्वों के प्रमाणित तुलन पत्र तथा वार्षिक लेखाओं में दर्शाए गए अनुकूल आंकड़ों में विसंगतियों के कुछ मामले भी थे। लेखाओं में भारी उचंत शेषों के संचयन भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में उपलब्ध नकद शेष की तुलना में संघ सरकार की बहियों में नकद शेष स्थिति, जैसा वित्त लेखाओं में दर्शाया गया है, में बेमेल का कारण बने। संघ सरकार द्वारा राज्य/यूटी सरकार तथा अस्तित्वों को प्रदान किए गए के बड़े भाग की वसूली नहीं की जा रही है क्योंकि इन अस्तित्वों से देय पुनर्भुगतान 20 वर्षों से अधिक से बकाया में हैं। ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों, जहॉ शेषों को वर्ष दर वर्ष आगे लाया गया है, के संबंध में कुछ मंत्रालयों/विभागों में लेखाओं तथा लेन-देनों का उचित प्रकार से अनुरक्षण तथा पता नहीं लगाया गया था जो संबंधित लेखा शीर्ष में प्रतिकूल

शेषों की बड़ी संख्या तथा उचंत शेषों के संचयन का कारण बना। 32 उपक्रमों के प्रोफॉर्मा लेखाओं में एक से नौ वर्षों के बीच का विलम्ब था तथा 5 उपक्रमों के प्रोफॉर्मा लेखाओं में नौ वर्षों से अधिक का विलम्ब था।

3: विनियोग लेखे: 2015-16

3.1 प्रस्तावना

संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को चयनित सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि (सीएफआई) से उपयुक्त विशिष्ट राशियों के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत करती है। विनियोग अधिनियमों में अनुच्छेद 114 तथा 115 के नियमानुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत की गई सेवाओं पर संवितरण तथा अनुच्छेद 112(3) के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 273, 275 तथा 293 के अनुसार सीएफआई को प्रभारित किए गए संवितरण को प्राधिकृत किया गया है। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर उसके द्वारा वास्तव में व्यय की गई सकल राशि तथा विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यय के विवरणों को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

महालेखा नियंत्रक (सीजीए) सिविल मंत्रालयों के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेल तथा डाक विभाग अपने सबंधित अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विनियोग लेखे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इन्हे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2015-16 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्नानुसार है :

मंत्रालय	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	102
रक्षा	6
डाक	1
रेलवे	16
योग	**125**

इस अध्याय में विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा), पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं जिनमें आवंटन से अधिक व्यय, जिसके लिए संसद द्वारा विनियमन आवश्यक हो, अव्ययित प्रावधान जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना प्राप्त किए गए अनुपूरक प्रावधान तथा अवास्तविक बजटीकरण का विश्लेषण शामिल है। सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सम्बन्धी अनुदानों/विनियोगों के सबंध में आधिक्यों के साथ-साथ बचतों पर इस अध्याय में विचार किया गया है। तथापि, रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष, 2015-16 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं। तथापि, रेलवे के अनुदानों/विनियोगों का आधिक्य के साथ-साथ बचतों की स्थिति को शामिल करने हेतु भी संदर्भ दिया गया है।

3.2 2015-16 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश

नीचे **चार्ट 3.1** वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान मंत्रालयों/विभागों, डाक, रेलवे तथा रक्षा में व्यय के ब्यौरे को दर्शाता है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है कि 90.73 *प्रतिशत* तक का अधिकतम व्यय सिविल मंत्रालयों द्वारा, रेलवे द्वारा 4.94 *प्रतिशत*, रक्षा द्वारा 4.00 *प्रतिशत* किया गया था जबकि कुल सकल व्यय का 0.33. *प्रतिशत* डाक विभाग द्वारा किया गया।

चार्ट: वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, रेलवे, डाक तथा रक्षा के बीच व्यय का ब्योरा

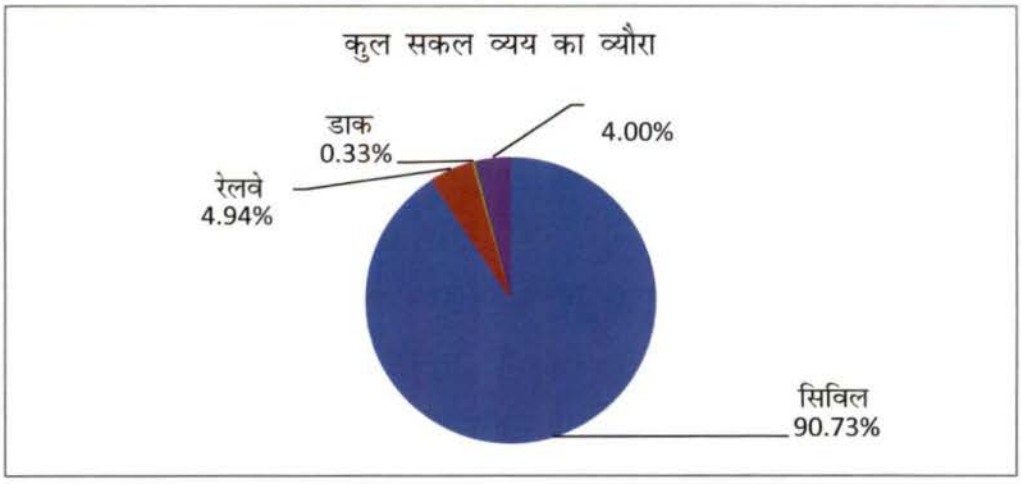

नीचे तालिका 3.1 वर्ष 2015-16 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, रेलवे, डाक तथा रक्षा में व्यय दर्शाती है।

तालिका 3.1- वर्ष 2015-16 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

सिविल		रेलवे		डाक		रक्षा		कुल	
5529473		301316		19990		243534		6094313	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1232487	4296986	301011	305	19989	1	243285	249	1796772	4297541
22.29%	77.71%	99.90%	0.10%	99.99%	0.01%	99.90%	0.10%	29.48%	70.52%

तालिका 3.2 में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सरकार के कुल प्रावधानों (प्रभारित तथा दत्तमत दोनों) तथा संवितरणों को दर्शाया गया है। **अनुबंध 3.1** सिविल मंत्रालयों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

तालिका 3.2: 2015-16 के दौरान प्रावधान, संवितरण तथा बचतें

(₹ करोड़ में)

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)	कुल प्रावधान की तुलना में बचतों की प्रतिशतता
सिविल	6128623.85	5529473.30	(-) 599150.55	9.78
डाक	20532.66	19989.84	(-) 542.82	2.64
रक्षा सेवाएं	264141.56	243534.09	(-) 20607.47	7.80
रेलवे	338368.80	301316.19	(-) 37052.61	10.95
कुल योग	**6751666.87**	**6094313.42**	**(-) 657353.45**	**9.74**

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, ₹5,99,150.55 करोड़ की निवल बचत 101 विनियोगों/अनुदानों में ₹5,99,360.92 करोड़ की बचत तथा दो विनियोगों/अनुदानों के अंतर्गत ₹210.37 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी।

सिविल मंत्रालयों/विभागों में ₹5,99,360.92 करोड़ के समग्र बचत में से अनुदान संख्या 39 -विनियोग-ऋणों के पुनर्भुगतान (₹4,95,571 करोड़), अनुदान सं.36- विनियोग-ब्याज भुगतान (₹18,819 करोड़), अनुदान सं.37- राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अतंरण (₹11,938 करोड़), आदि में भारी बचतें हुई थीं।

सिविल मंत्रालयों/विभागों में ₹210.37 करोड़ के समग्र अधिक व्यय में से ₹210.22 करोड़ (राजस्व दत्तमत) का अधिक व्यय अनुदान सं. 15 -दूरसंचार विभाग में दर्ज हुआ।

सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 101 अनुदानों के 206 खण्डों[1] में बचतें और दो अनुदानों के दो खण्डों में आधिक्य; डाक विभाग के चार खण्डों में बचतें; रेलवे के 25 खण्डों[2] में बचतें और छः खण्डों में आधिक्य तथा रक्षा के 12 खण्डों में बचतें हुई। **अनुबंध 3.2** बचतों और आधिक्य के सार को दर्शाता है।

3.3 प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच एक अन्तर बनाया गया है। प्रभारित व्यय वह व्यय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 112(3), 273, 275(1) तथा 293(2) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित व्यय के अनुमानों को संसद के मत के अधीन नहीं लाया जा सकता जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 113(1) में निर्धारित है, परंतु संसद के किसी भी सदन में उस पर चर्चा की जा सकती है। **अनुबंध 3.3** में 2000-01 से 2015-16 की अवधि के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की प्राधिकृत मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण शामिल है।

2015-16 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत ₹55,29,473 करोड़ के कुल संवितरण 2014-15 के दौरान ₹52,89,684 करोड़ के कुल संवितरण की तुलना में ₹2,39,789 करोड़ तक अधिक थे। यह 2011-12 में ₹47,62,240 करोड़ से 16.11 *प्रतिशत* तक बढ़ा था। प्रभारित संवितरण 2011-12 के ₹38,40,960 करोड़ से 11.87 *प्रतिशत* बढ़ कर 2015-16 में ₹42,96,986 करोड़ हो गए तथा उसी अवधि में दत्तमत संवितरण ₹9,21,280 करोड़ से 33.78 *प्रतिशत* बढ़ कर ₹12,32,487 करोड़ तक हो गए

[1] प्रत्येक अनुदान/विनियोग में चार खण्ड जैसे राजस्व दत्तमत्त, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत्त और पूंजी प्रभारित है।

[2] रेलवे के अनुदान सं. 16 के तीन दत्तमत्त तथा तीन प्रभारित खण्ड हैं।

थे। 2011-12 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण कुल संवितरणों के 81 *प्रतिशत* थे जो 2015-16 के दौरान घटकर 78 प्रतिशत हो गया।

2015-16 में मुख्य प्रभारित संवितरणों में विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान (₹37,37,657 करोड़), विनियोग-ब्याज भुगतान (₹4,57,270 करोड़) तथा राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अंतरण (₹97,077 करोड़) सम्मिलित थे। चूंकि प्रभारित संवितरण के अनुमान संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं इसलिए संसद द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरण के 22 *प्रतिशत* तक ही सीमित होती है।

सिविल, डाक, रक्षा सेवाएं और रेलवे को शामिल करते हुए, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 75 प्रतिशत (₹38,41,325 करोड़) के प्रति 2015-16 के दौरान सीएफआई से ₹60,94,313 करोड़ के कुल संवितरणों की पृष्ठभूमि के प्रति प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 71 *प्रतिशत* (₹42,97,541 करोड़) थी **(चार्ट 3.2)**।

चार्ट 3.2: वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत खण्डों के अन्तर्गत व्यय

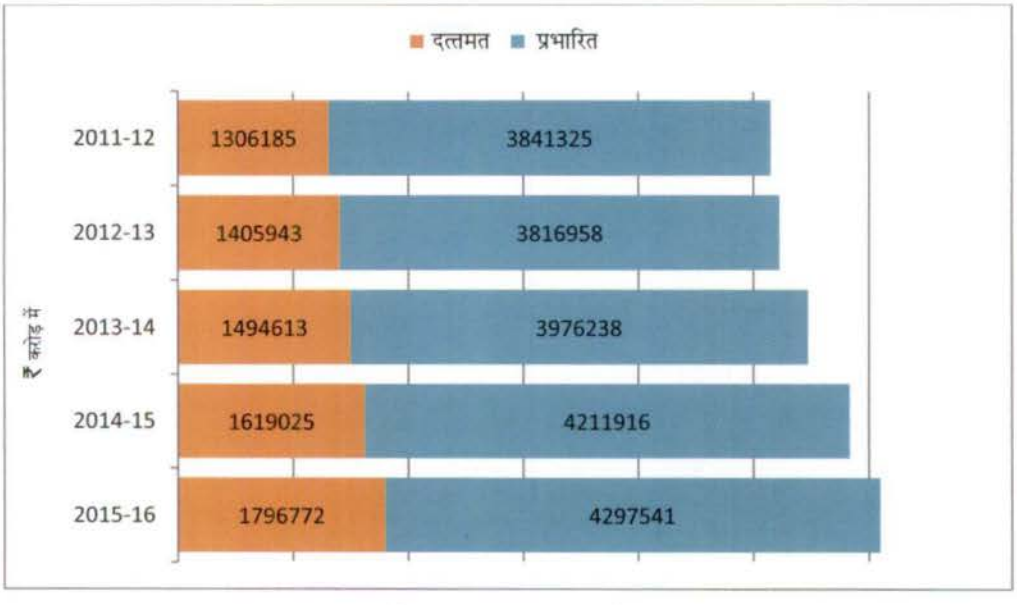

विनियोग लेखे 2015-16: एक विश्लेषण

3.4 अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग

संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अतिरिक्त, कोई भी धन भारत की समेकित निधि से आहरित नहीं किया जा सकता। सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005, का नियम 52(3) अनुबंध करता है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसका प्रभाव किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से आधिक्य में हो जाए। 2015-16 के दौरान सीएफआई में से प्राधिकरण से ₹286.24 करोड़ का अधिक संवितरण था जिसमें से सिविल मंत्रालयों/विभागों में दो अनुदानों/विनियोगों के दो खण्डों में ₹210.37 करोड़ तथा रेलवे के छः अनुदानों/विनियोगों के छः खण्डों में ₹75.87 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ था।

अधिक व्यय, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमित करना आवश्यक था, के ब्यौरे **तालिका 3.3** में दिए गए हैं।

तालिका 3.3: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	राशि ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
सिविल				
राजस्व (दत्तमत)				
1.	15-दूरसंचार विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	209592100,000 211694320526 2102220526	पेंशन और परिवार पेंशन के प्रति अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण।
राजस्व (प्रभारित)				
2.	22-रक्षा पेंशन	*विनियोग* *व्यय* *आधिक्य*	*30000000* *31465728* *1465728*	*न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन के कारण*

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	राशि ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
रेलवे				
राजस्व (दत्तमत)				
1.	2-विविध व्यय (सामान्य)	अनुदान व्यय आधिक्य	9053132000 9809425767 756293767	स्टाफ लागत पर अधिक व्यय और मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) उपकर के अतंर्गत व्यय हेतु बजट के गैर-प्रावधान के कारण ।
राजस्व (प्रभारित)				
2.	3-सामान्य संचालन एवं सेवाएं	*विनियोग* *व्यय* *आधिक्य*	*26043000* *27078362* *1035362*	*प्रत्याशित की तुलना में अधिक आज़प्ति भुगतान को कार्यान्वित करना।*
3.	4- स्थायी तरीके और कार्यों का मरम्मत और रखरखाव	विनियोग व्यय आधिक्य	*10542000* *10584943* *42943*	
4.	6- वाहनो व वैगन का मरम्मत और रखरखाव	विनियोग व्यय आधिक्य	*221000* *221158* *158*	*मामूली बदलाव, वास्तविक आज़प्ति भुगतान प्रत्याशित से थोड़ा अधिक था।*
5.	11- स्टाफ कल्याण और सुविधाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	*57000* *57200* *200*	
6.	13- भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	विनियोग व्यय आधिक्य	*6680000* *8005381* *1325381*	*प्रत्याशित की तुलना में अधिक आज़प्ति भुगतान को कार्यान्वित करना,*

अनुदान/विनियोग आंकड़ों में अनुपूरक अनुदान/विनियोग, यदि कोई हो तो, शामिल हैं।

रेलवे के अनुदानों से संबंधित विस्तृत टिप्पणियाँ, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015-16 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

3.5 अनुदानों में निरंतर आधिक्य

2011-12 से 2015-16 तक की पाँच वर्षों की अवधि हेतु लगातार आधिक्य को दर्ज करने वाली अनुदानों की संवीक्षा की गई थी। संवीक्षा से पता चला कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान तीन विनियोगों के राजस्व

प्रभारित खंडों में निरंतर आधिक्य हुए थे। प्राधिकरण की तुलना में निरंतर आधिक्यों का अनुदानवार तथा वर्षवार विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: अनुदानों/विनियोगों में निरंतर आधिक्य

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सिविल राजस्व (प्रभारित)			राशि ₹ में			
1.	*रक्षा पेंशन*					
	आधिक्य	*2854467*	*39960400*	*7486943*	*45450236*	*1465728*
	व्यय	*8254467*	*48160400*	*49786943*	*145450236*	*31465728*
	अनुदान	*5400000*	*8200000*	*42300000*	*100000000*	*30000000*
रेलवे राजस्व (प्रभारित)						
2.	*03-* सामान्य संचालन एवं सेवाएं					
	आधिक्य	*2729201*	*4182995*	*3847888*	*23862*	*1035362*
	व्यय	*3034201*	*4273995*	*8878888*	*13756862*	*27078362*
	विनियोग	*305000*	*91000*	*5031000*	*13733000*	*26043000*
3.	*13* - भविष्य निधि, पेशंन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ					
	आधिक्य	*409113*	*1563329*	*1638105*	*2101513*	*1325381*
	व्यय	*6267113*	*7383329*	*7445105*	*8664513*	*8005381*
	विनियोग	*5858000*	*5820000*	*5807000*	*6563000*	*6680000*

रक्षा पेंशन तथा रेलवे में अनुदानों का निरंतर आधिक्य होना चिंता का विषय है। लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य के मामलों में कमी लाने की सिफारिश के बावजूद उक्त अनुदानों में निरंतर आधिक्य देखे गए हैं। मंत्रालयों/विभागों को ठोस प्रयास करना चाहिए तथा अत्यधिक व्यय से बचने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए।

3.6 लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय

जीएफआर 2005 के नियम 58(1) के अनुसार व्यय करने वाले अधीनस्थ प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके अधीन रखे गए आवंटन में आधिक्य न हो। यदि कहीं आवंटन से अधिक व्यय की शंका हो तो अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिक व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त आवंटन प्राप्त कर लेना चाहिए।

तथापि, वर्ष 2015-16 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं में पाया गया कि 19 अनुदानों के 41 लघु/उप-शीर्षों में, उपलब्ध प्रावधानों से ₹5 करोड़ तथा इससे अधिक का व्यय था। इन लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों से ₹2,660.46 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था लेकिन संबंधित अनुदान/विनियोग प्रबंधन अधिकारी ने उपलब्ध प्रावधान से किए गए अधिक व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे जो बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। लघु/उप-शीर्षों, जिसमें अधिक व्यय किए गए थे, की सूची **अनुबंध 3.4** में दी गई है।

3.7 अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें

लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा, 1993-94) ने अपनी 60वीं रिपोर्ट (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचतें होना त्रुटिपूर्ण बजट बनाने तथा एक अनुदान या विनियोग में निष्पादन की कमी को दर्शाता है। अत: समिति ने इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक वर्ष अनुदान के खंड में ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचतों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 80 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे, रक्षा सेवाओं सहित) के 98 खंडों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत हुई थी जिसके लिए लोक लेखा समिति (पीएसी) को एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी भेजनी आवश्यक थी। भारी बचतें इन अनुदानों में देखी गयी थीं: *विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान (₹4,95,571 करोड़), विनियोग-ब्याज भुगतान (₹18,819 करोड़),* रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय *(₹14,650 करोड़),* राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अतंरण (₹11,938 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹9,239 करोड़), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹8,754 करोड़),

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹7,781 करोड़), आर्थिक कार्य विभाग (₹7,630 करोड़), शहरी विकास विभाग (₹4,309 करोड़), आवास एंव शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (₹3,868 करोड़), आदि। विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा कुल ₹6,54,745.17 करोड़ से अधिक की बचतें[3] **अनुबंध 3.5** में दी गईं हैं।.

मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों हेतु बताए गए कुछ कारण 'राज्य सरकारों से गैर-व्यवहार/कम प्रस्तावों की प्राप्ति' 'कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न करना', 'दावों का निपटान न होना,' 'योजनाओं को अंतिम रूप देने में विलंब/अंतिम रूप न दिया जाना,' 'कम दावों की प्राप्ति,' 'उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होना,' 'पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता,' 'अर्थोपाय अग्रिम का कम उपयोग' एवं अधिविकर्ष आदि थे।

इसके अतिरिक्त 49 अनुदानों/विनियोगों के 60 खण्डों में पिछले तीन वर्षों (2013-14 से 2015-16) के दौरान ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरंतर बचतें पाई गई थी जिनके विवरण **अनुबंध 3.6** में दिए गए हैं।

3.8 बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 56 प्रावधान करता है कि, अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान हो, उन्हें वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। बचतों को भविष्य में संभावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के 101 अनुदानों/विनियोगों के 206 खण्डों के अंतर्गत ₹ 5,99,360.92 करोड़ की बचतें थीं। इसे दो अनुदानों के दो खण्डों के अंतर्गत ₹210.37 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था जिसका परिणाम ₹5,99,150.55 करोड़ की निवल बचत में हुआ। सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभ्यर्पित राशियां **तालिका 3.5** में दर्शाई गई हैं।

[3] बचतों में आर्थिक उपाय का भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू अनिवार्य कटौती भी शामिल हैं।

तालिका 3.5: सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत बचतों और अभ्यर्पण के विवरण

(₹करोड़ में)

	निबल बचतें	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि के प्रति 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि प्रतिशतता में	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व					
दत्तमत	62927.65	44945.66	44945.66	100.00	17981.99
प्रभारित	23314.90	22326.42	22326.42	100.00	988.48
कुल राजस्व	**86242.55**	**67272.08**	**67272.08**	**100.00**	**18970.47**
पूंजीगत					
दत्तमत	17193.51	13548.76	13438.19	99.18	3644.75
प्रभारित	495714.49	539985.47	539985.47	100.00	(44270.98)
कुल पूंजी	**512908.00**	**553534.23**	**553423.66**	**99.98**	**3644.75***
कुल योग	**599150.55**	**620806.31**	**620695.74**	**99.98**	**22615.22***

नोट: कोष्ठक के आंकड़े दर्शाते हैं कि अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक है।
*अधिक अभ्यर्पित राशि में "अभ्यर्पित न की गई राशि" शामिल नहीं है।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत लगभग पूर्ण अभ्यर्पित राशि को मार्च 2016 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किया गया था। उपरोक्त तालिका को सकंलित करते समय मंत्रालयो/विभागो द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्पणों की तिथि पर विचार किये बिना, सम्बंधित मंत्रालयों/विभागो द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्पणों को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा आदेश जारी करने की तिथि को ध्यान में रखा गया है। यदि राशि का समय पर अभ्यर्पण किया जाता तो इस राशि को अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में उपयोग/आबंटित कर दिया जाता।

सिविल मंत्रालय/विभागों और डाक विभाग के नौ अनुदानों/विनियोगों के 10 खंडों में, अभ्यर्पित राशि अनुदानों के अंतर्गत बचतों से अधिक थी। यह घटिया बजटीय प्रबंधन का सूचक है। ऐसे मामलों के विवरण **अनुबंध 3.7** में दिए गए हैं।

3.9 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)

58 अनुदानों/विनियोगों के 76 खण्डों में, जहाँ बचतें ₹100 करोड़ से अधिक हुई थीं, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के

नियम 56 के उल्लंघन में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (अर्थात् 30/31 मार्च 2016) बचतों का अभ्यर्पण किया था। बचतों, अभ्यर्पित न की गई राशियों, जो वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो गई थीं, सहित अभ्यर्पणों के विवरण **अनुबंध 3.8** में दिए गए हैं।

3.10 अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदानें (मूल प्रावधान के 40 *प्रतिशत* से अधिक)

संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत, संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियाँ विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती हैं। संसद अनुच्छेद 114 के अंतर्गत उस वर्ष के उद्देश्य हेतु पहले बनाए गए प्राधिकार के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदानें भी प्राधिकृत करती हैं। व्यय के प्रारंभिक अनुमान तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमानों में सभी अपरिहार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार-विमर्श तथा बजट-पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात् बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देता है।

अनुच्छेद 114 के प्रावधान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष हेतु किसी विशेष सेवा पर खर्च किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि, उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाई जाती है या अनुपूरक हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई मांग उत्पन्न हुई हो, अथवा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा, जिसका उस वर्ष की वार्षिक वित्तीय विवरणी में विचार न किया गया हो, पर अतिरिक्त व्यय हो, तो अनुच्छेद 115(1)(क) के अनुसार उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाते हुए संसद में एक दूसरी विवरणी (अनुपूरक मांग) प्रस्तुत की जाती है।

तालिका 3.6 वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त अनुपूरक प्रावधान (नगद, टोकन और तकनीकी सहित) तथा मूल प्रावधान से उनकी प्रतिशतता दर्शाती है।

तालिका 3.6 मूल प्रावधान के प्रति अनुपूरक अनुदानों की स्थिति

क्षेत्र	2013-14			2014-15			2015-16		
	ओ	एस	ओ के प्रति एस का %	ओ	एस	ओ के प्रति एस का %	ओ	एस	ओ के प्रति एस का %
सिविल	5651863.26	63954.63	1.13	5784779.10	40796.22	0.71	5920371.35	208252.50	3.52
रक्षा	209282.80	8365.74	4.00	245664.72	8335.55	3.39	263395.38	746.18	0.28
डाक	17309.48	0.89	0.01	18659.85	350.57	1.88	19830.91	701.75	3.54
रेलवे	257245.22	7149.66	2.78	293728.54	5871.48	2.00	337237.92	1130.88	0.34
कुल	**6135700.76**	**79470.92**	**1.30**	**6342832.21**	**55353.82**	**0.87**	**6540835.56**	**210831.31**	**3.22**

ओ- मूल; एस- अनुपूरक

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि केवल रक्षा एवं रेलवे ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान मूल प्रावधान की तुलना में अनुपूरक प्रावधान में घटने की प्रवृति दर्शाई थी। उसी वर्ष सिविल और डाक विभाग में अनुपूरक प्रावधान में बढ़ती हुई प्रवृति है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों ने अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए जो सम्बंधित मांगो में मूल प्रावधानों से अपेक्षाकृत अधिक भी थे। वे मामले जिनमें अनुपूरक प्रावधान ₹100 करोड़ अधिक थे एवं मूल प्रावधान से 40 प्रतिशत से अधिक थे जैसा, **तालिका 3.7** में दिए गए है।

तालिका 3.7: अवास्तविक प्रारंभिक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण प्राप्त बड़े अनुपूरक अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के प्रति प्रावधान की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)				
1.	15-दूरसंचार विभाग	13284.10	7675.11	58
2.	19- कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय	242.78	129.25	53
3.	30-पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	6243.87	8087.02	130
4.	51-भारी उद्योग विभाग	275.73	207.91	75
5.	54-मंत्रीमंडल	416.99	296.28	71
6.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	3686.11	11116.81	302
7.	69-नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2708.21	1500.03	55
8.	71-पंचायती राज मंत्रालय	94.75	300.00	317
9.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	16560.00	6873.94	42
10.	107- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	6235.21	2829.66	45
11.	108- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	10382.40	7548.06	73
पूंजीगत (दत्तमत)				
12.	5-नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं	691.00	399.25	58
13.	8-उर्वरक विभाग	50.04	952.80	1904
14.	18-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	10587.25	10000.01	94
15.	29- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	327.00	135.00	41
16.	34-आर्थिक कार्य मंत्रालय	5601.69	72810.43	1300
17.	35-वित्तीय सेवाएं विभाग	17495.00	12221.24	70
18.	75- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1.00	1153.00	115300

बड़े अनुपूरक प्रावधान दर्शाते हैं कि मंत्रालयों/विभागों ने वास्तविक आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे तथा कि यथार्थवादी बजटीय अनुमान सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा तथा पूर्व-बजट बैठकें करने का तंत्र वांछित रूप से प्रभावी नहीं था।

लोक लेखा समिति ने अपने 92वें प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा 2013-14) में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अनुपूरक अनुदानों की बड़ी राशि प्राप्त करने के बावजूद दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित व्यय से अधिक किए गए व्यय को नियमित करते हुए पाया कि वित्त मंत्रालय का बजटीय प्रावधान के साथ व्यय के वृहत संगति को सुनिश्चित करने के लिए साधनों पर सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। राजकोषीय वर्ष के दौरान मूख्य बजट के अतिरिक्त अनुपूरकों का चलन बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को कम करता है। बहुधा अभ्यास में ज्ञात व्ययों को मुख्य बजट में अनुवर्ती अनुपूरकों द्वारा करने के लिए दबा दिया जाता है। अनुपूरक बजट सामान्यत: अपरिहार्य लोकहित के लिए किए गए व्यय के अप्रत्याशित मदों अथवा योजनाओं के लिए होना चाहिए। अन्य राजकोषीय संघीय मॉडलों के आधार पर वित्त मंत्रालय को साधनों एवं एक ऐसे ढाँचे का विकास करना चाहिए जो विनियोग खर्चों पर संसद की पहुँच एवं देख-रेख को सुनिश्चित करते हुए बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को बनाए रखे।

3.11 अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदान-वार)

20 अनुदानों में, जिनके ब्यौरे **तालिका 3.8** में दिए गए हैं, 2015-16 के दौरान ₹9,185.39 करोड़ के कुल नकद अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे, परंतु 16 अनुदानों में अंतिम व्यय, मूल प्रावधानों से भी कम था। अत: अप्रयुक्त नकद अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था जो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण का सूचक है।

'नकद अनुपूरक' प्राप्त करने के बजाय, मंत्रालयो/विभागों को, वर्ष के अंत में बचतों से बचने के लिए अनुदान के भीतर 'टोकन' या 'तकनीकी अनुपूरक' प्राप्त करके उपलब्ध बचतों का उपयोग करने की संभावना को तलाशना चाहिए।

तालिका 3.8: अनावश्यक नकद अनुपूरक जो बचतों का कारण बना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त कुल अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	वास्तविक संवितरण	बचत
सिविल अनुदानें राजस्व दत्तमत						
1.	10-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	813.34	49.39	49.36	807.08	55.65
2.	13- औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	2613.58	100.01	100.00	2418.25	295.34
3.	16-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2482.85	129.00	128.99	2479.87	131.98
4.	20-संस्कृति मंत्रालय	2091.50	30.06	30.00	1956.20	165.36
5.	33-विदेश मंत्रालय	11238.00	10.02	10.00	11097.17	150.85
6.	47- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	505.51	19.13	19.10	504.44	20.20
7.	48- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	31501.32	1401.07	301.00	31900.84	1001.55
8.	59- स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	69794.50	67.05	67.00	61107.42	8754.13
9.	62- श्रम और रोजगार मंत्रालय	5522.41	123.74	123.70	4819.17	826.98
10.	66- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	2997.12	13.47	13.42	2831.46	179.13
11.	72- संसदीय कार्य मंत्रालय	15.57	0.18	0.18	15.09	0.66
12.	80-राज्य सभा	335.32	1.96	1.66	320.01	17.27
13.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	16560.00	6873.94	1275.35	22060.40	1373.54
14.	84-ग्रामीण विकास विभाग	114047.58	14982.43	6008.00	119790.64	9239.37
15.	87-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	4024.00	7.01	5.70	4025.15	5.86
16.	96-वस्त्र मंत्रालय	4136.10	266.15	259.59	4016.80	385.45
17.	97-पर्यटन मंत्रालय	1568.02	20.03	20.00	900.32	687.73
18.	104-शहरी विकास विभाग	7448.41	2880.77	600.00	6275.72	4053.46
पूंजीगत दत्तमत्त						
19.	77-विधुत मंत्रालय	1952.30	320.22	79.17	1352.96	919.56
डाक सेवाएं राजस्व दत्तमत्त						
20.	14-डाक विभाग	19494.06	688.50	81.91	19654.20	528.36
पूंजीगत-दत्तमत						
21.	14-डाक विभाग	336.65	11.26	11.26	335.04	12.87
कुल				**9185.39**		

वित्त मंत्रालय को ऐसे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए तथा इस संबंध में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए।

3.12 लघु/उपशीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)

लेखाओं की जांच से प्रकट हुआ कि सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सेवाओं की 11 अनुदानों/विनियोगों के 15 मामलों में कुल ₹1,011.55 करोड़ का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था, क्योंकि लघु/उप-शीर्षों, जिसमें पुनर्विनियोग माध्यम से संवर्द्धन किया गया था, के अंतर्गत मूल प्रावधान, पर्याप्त से अधिक था। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें, इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। वे 15 मामले, जिनमें ₹5 करोड़ तथा अधिक के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किए गए थे, **अनुबंध 3.9** में दिए गए हैं।

3.13 लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)

इसी प्रकार, लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सिविल मंत्रालयों/विभागों की पांच अनुदानों/विनियोगों के पांच मामलों में कुल ₹9198.18 करोड़ की निधियों का अन्य शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किया गया था, हालांकि इन पांच उप-शीर्षों के अतंर्गत अंतिम संवितरण, पुनर्विनियोग से पहले भी, प्राधिकृत प्रावधान से अधिक था। इन प्रत्येक शीर्षों में अधिक व्यय पुनर्विनियोग के बाद उपलब्ध प्रावधान से पुनर्विनियोजित राशि से अधिक था। ऐसे ₹5 करोड़ तथा अधिक के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के विवरण **अनुबंध 3.10** में दिए गए हैं।

3.14 उप-शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने संसद को, विविध योजनाओं/क्रियाकलापों के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग सूचित की थी, लेकिन अन्ततः वे न केवल संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसका एक भाग बल्कि संपूर्ण बजट प्रावधान खर्च करने में असमर्थ थे। 12 अनुदानों/विनियोगों के 21 लघु/उप-शीर्षों, जिनमें मूल बजट प्रावधान के भाग सहित संपूर्ण अनुपूरक अनुदान, अव्ययित रहे थे, के विवरण **अनुबंध 3.11** में दिए गए हैं।

3.15 संपूर्ण प्रावधान की बचतें (उप-शीर्ष वार)

27 अनुदानों/विनियोगों के 38 उप-शीर्षों में, संसद द्वारा प्राधिकृत कुल ₹ 1,18,012.67 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान (₹50 करोड़ तथा अधिक) मंत्रालयों/विभागों द्वारा खर्च नहीं किया जा सका और अप्रयुक्त रहा।

संपूर्ण प्रावधान की बचतें होना इस तथ्य का सूचक है कि अनुमान परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा करने के बाद तैयार नहीं किए गए थे। प्रमुख योजनाएं जो संपूर्ण प्रावधान के उपयोग न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पायी अथवा प्रभावित हुई, निम्न हैं:-

- विनियोग- ऋण का पुर्नभुगतानः 'नकद प्रबंधन बिल' (₹1,00,000 करोड़),
- वित्तीय सेवाएं विभागः 'राष्ट्रीय निवेश निधि' (₹7,940 करोड़)
- आर्थिक कार्य विभाग: 'सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क' (₹1,000 करोड़), 'निर्भया निधि को अंतरण' (₹1,000 करोड़) और 'असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि' (₹607 करोड़),
- विनियोग- ब्याज भुगतान: नकद 'प्रबंधन बिल' (₹1,000 करोड़) और 'बैंक में धन का बाजार स्थिरिकरण योजना जमा पर भुगतान किया गया ब्याज/छूट' (₹686.60 करोड़);
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयः 'नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संयोजकता (राष्ट्रीय राजर्मांग और राज्य सड़के) के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम' (₹920 करोड़) तथा 'सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना' (₹653 करोड़);
- नागरिक उड्डयन मंत्रालयः 'हज चार्टरों के परिचालन हेतु आर्थिक सहायता' (₹527.66 करोड़);
- आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय: 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' (₹453.80 करोड़) और
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 'मैला ढ़ोने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना' (₹460.99 करोड़)

उन उप-शीर्षों जिनमें ₹50 करोड़ तथा इससे अधिक का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, के विवरण **अनुबंध 3.12** में दिए गए हैं।

3.16 एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचतें

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में ₹100 करोड़ या अधिक की बचतें पाई गई थी जो कि मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को इंगित करती हैं। मंत्रालय/विभाग द्वारा न केवल अनुमानों तथा वास्तविकताओं के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने, बल्कि दुर्लभ संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपनी बजटीय प्रक्रिया को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन मंत्रालयों/विभागों को अपनी बजटीय अनुमान की व्यवस्था और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। **अनुबंध 3.13,** एक उप-शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधानों के 10 *प्रतिशत* से अधिक की तथा ₹100 करोड़ या अधिक की 118 ऐसी बड़ी बचतों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए कारणों सहित प्रदर्शित करता है।

निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी बचतें हुई:-

- ***विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान:*** अर्थोपाय अग्रिमों के कम उपयोग तथा ओवर ड्राफ्ट के कारण 'भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों' (₹5,00,000 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत ₹4,16,157 करोड़;

- ***राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण:-*** वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार नीति आयोग के माध्यम से विशिष्ट हस्तक्षेप प्रदान करने हेतु जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निधियों के अंतरण के कारण 'विशेष सहायता-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों' के अंतर्गत (₹20,000 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) ₹9,110

करोड़; कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण अंतर्गत ₹3,070 करोड़ (₹29,988 करोड़ के बजटीकृत प्रवाधान के प्रति)।

- ***स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग:*** शिक्षा उपकर के कम संग्रहण के कारण 'प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) को अंतरण हेतु निधियां के अंतर्गत ₹8,277 करोड़ (₹27,575 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति ₹19,298 करोड़ का वास्तविक वितरण) ।

- ***सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय:*** राज्य लोक निर्माण कार्य विभागों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-फेज-IV के अंतरण तथा ठेकेदारों द्वारा बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारण 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' (एनएचएआई) के अंतर्गत ₹6,402 करोड़ (₹29,420 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति); नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संयोजकता के विकास में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण 'सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य' के अंतर्गत ₹5,118 करोड़।(₹5,718 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति)।

- ***आर्थिक कार्य विभाग:*** राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को अंतरण के प्रति निधियों की कम आवश्यकता के कारण 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को अतंरण' के अतंर्गत ₹4,600 करोड़ (₹4,700 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति)।

- ***विनियोग-ब्याज भुगतान:*** पैदावार की नर्मी के कारण "364 दिवसीय राजकोषीय बिलों" पर ब्याज के अंतर्गत ₹3,836 करोड़ (₹14,453 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति)।

- ***रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (थल सेना):*** प्रतिबद्ध देयता मामलों में चूक के कारण बहुत कम व्यय तथा प्रत्याशित संस्वीकृतियां न दिए जाने के कारण 'अन्य उपकरणों' के अंतर्गत ₹6,002 करोड़ (₹17,335 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति)।

- ***रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (नौ सेना):*** संवितरण अनुसूची तथा मुख्य जहाज बनाने वाली संविदाओं के संविदात्मक पड़ावों में चूक के कारण 'नौसेना बेड़ों के अंतर्गत ₹5,285 करोड़ (₹16,050 करोड़ के बजटीकृत प्रवाधान के प्रति)।

3.17 निरंतर बचतें (उप-शीर्ष वार)

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन वर्षों की अवधि 2013-14 से 2015-16 के दौरान 18 अनुदानों तथा विनियोगों के अन्तर्गत 25 उप-शीर्षों के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गई हैं, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना/क्रियाकलाप मदों के संबंध में खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को दर्शाती हैं। 25 उप-शीर्षों के ब्यौरे **अनुबंध 3.14** में दिए गए हैं।

3.18 मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56(3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अंधाधुंध व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमानों के क्रमश: 15 *प्रतिशत* तथा 33 *प्रतिशत* तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर **तालिका 3.9** में दिए गए 15 मामलों में यह पाया गया है कि संवितरण का मुख्य भाग माह मार्च 2016 या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था जिससे नियमों के प्रावधानों तथा प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन होता था।

तालिका 3.9: मार्च 2016 और/अथवा 2015-16 की अन्तिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता#	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण
सिविल							
1.	19-कोर्पोरेट मामला मंत्रालय	271.88 (411.53)	32.68	12 (8)	204.09	75 (50)	मंत्रालय ने जुलाई 2016 में बताया कि अंतिम तिमाही में इसने सीमा पार कर ली थी क्योंकि ₹148.40 करोड़ कुल अतिरिक्त निधि को अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के दूसरे एवं तीसरे बैच के माध्यम से आवंटित की गई थी।
2.	32- पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय	1937.60 (2121.69)	386.20	20 (18)	659.54	34 (31)	कारण प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2016)।
3.	34-आर्थिक कार्य विभाग	23376.57 (73668.11)	1825.33	8 (2)	74813.84	320 (102)	विभाग ने जुलाई 2016 में बताया कि अंर्तराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं /दायित्वों को पूरा करने के लिए 2015-16 की अंतिम तिमाही के दौरान संसद से अनुदान हेतु अनुपूरक मागों के तीसरे बैच को प्राप्त किया गया था जिसके कारण वर्ष 2015-16 की अंतिम तिमाही के दौरान अधिक व्यय हुआ था।
4.	35-वित्तीय सेवाएं विभाग	32806.80 (44211.25)	10067.38	31 (23)	10112.70	31 (23)	विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि मुख्य व्यय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के तीसरे बैच के आधार पर हुआ था। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में सचिव (व्यय) से अंतिम माह में निधि जारी करने के लिए छूट ली गई थी।
5.	37-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	136669.52 (134087.52)	23020.70	17 (17)	43261.64	32 (32)	कारण प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2016)।
6.	43- राजस्व विभाग	16187.69 (17082.25)	8688.45	54 (51)	8769.74	54 (51)	विभाग ने बताया (अक्टूबर 2016) कि राज्य सरकार को सी.एस.टी. क्षतिपूर्ति जारी करने के कारण अधांधुध व्यय हुआ था।

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता#	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण
7.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	5568.71 (5042.42)	1485.86	27 (29)	1781.16	32 (35)	कारण प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2016)।
8.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	3007.42 (3020.88)	584.59	19 (19)	774.68	26 (26)	कारण प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2016)
9.	77-विधुत मंत्रालय	8271.83 (9833.00)	1902.54	23 (19)	2303.36	28 (23)	विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतिम माह में 15 प्रतिशत की सीमा से ऊपर और अधिक व्यय मुख्य रूप से विद्युत मंत्रालय की दो योजनाओं जोकि समेकित विद्युत विकास परियोजना (आई.पी.डी.एस.) और विद्युत प्रणाली विकास निधि (पी.एस.डी.एफ.) हैं के अतंर्गत व्यय के कारण था। इन दो योजनाओं के संदर्भ में, जनवरी 2016 के माह में अनुपूरक के अंतिम बैच में अतिरिक्त निधि जारी की गई थी। तदनुसार, व्यय का उपयोग केवल अंतिम माह में नहीं किया जा सकता था।
10.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	79078.74 (86671.00)	20849.81	26 (24)	25093.24	32 (29)	मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि वित्त मंत्रालय के निर्णय के अनुसार अनुदान हेतु तीसरी अनुपूरक मांग प्राप्त करने के पश्चात कई नए शीर्ष खोले गए थे। इस प्रकार, अंतिम सप्ताह में अंधाधुंध व्यय हुआ था।
11.	101-दादरा एवं नागर हवेली	907.46 (1048.08)	213.94	24 (21)	322.70	36 (31)	कारण प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2016)
12.	103-लक्षद्वीप	1154.78 (1204.78)	228.09	20 (19)	357.84	31 (30)	कारण प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2016)
13.	104- शहरी विकास विभाग	16832.24 (18555.27)	2883.39	17 (16)	4071.76	24 (22)	विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अगस्त 2016) कि मार्च के माह के दौरान ₹685.63 करोड़ तक की राशि तृतीय अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और कथित अनुपूरक के आधार पर व्यय किया गया था।

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता#	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण
14.	107- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	6381.03 (8090.38)	2540.26	40 (31)	4283.69	67 (53)	कारण प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2016)
15.	109-युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	1540.23 (1371.00)	316.37	21 (23)	478.72	31 (35)	मंत्रालय ने बताया था कि आरई के समय पर, वित्त मंत्रालय ने कम व्यय के कारण बजट सीमा घटा दी थी। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2016 को ₹106.84 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान जारी किए थे।

 # कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित प्रतिशत दर्शाता है।

चूंकि विभिन्न संगठनों को मार्च में जारी की गई निधियॉ वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकती, जो उसी माह के अंतिम दिन पर समाप्त होती हैं इसलिए यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि क्या ये निधियां उसी वर्ष उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गई जिसके लिए वह प्राधिकृत की गई थीं।

3.19. योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का खराब कार्यान्वयन

संघ बजट 2013-14 से 2015-16 की अनुदानों के लिए मांग पर टिप्पणियों, संबंधित मंत्रालयों/विभाग के वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान के लिए मांग एवं विनियोग लेखाओं की जांच से पता चला कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान **तालिका 3.10** में दर्शाए गए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/ परियोजना के प्रति निधियों का आवंटन एवं व्यय किया गया था।

तालिका 3.10: योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम	2013-14			2014-15			2015-16		
		बीई	आर.ई	एई	बीई	आर.ई	एई	बीई	आर.ई	एई
विद्युत मंत्रालय										
1.	डिस्कॉम की ऋण पुर्नसंरचना को वित्तीय सहायता	1500.00	125.40	0.00	400.00	1.00	0.00	74.20	1.00	0.00
शहरी विकास मंत्रालय										
2.	राष्ट्रीय विरासत शहर कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	87.00	200.00	200.00	27.22
वस्त्र मंत्रालय										
3.	समेकित वस्त्र पार्क हेतु योजना	300.00	140.00	110.98	240.00	105.00	78.26	240.00	41.32	32.53
4.	हस्तकला अकादमी की स्थापना				30.00	10.00	0.05	50.00	0.00	0.00
5.	उत्तरपूर्वी क्षेत्र में जीओ- वस्त्रों के उपयोग हेतु योजना	114.00	46.00	0.00	85.00	8.00	0.00	85.00	15.00	3.63

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय										
6.	कॉयर उद्योग के कायाकल्प, आधुनिकिकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन (एम.एस.एम.ई.) की योजना	16.00	9.14	6.59	16.00	7.30	4.00	20.00	उ.न.	0.00
7.	परंपरागत उद्योगों के उत्थान हेतु निधि की योजना (एस.एफ.यू.आर.टी.आई.)	55.46	0.50	0.00	60.00	2.00	0.00	50.00	उ.न.	0.00
8.	भारत समावेशी नवाचार निधि	50.00	50.00	16.50	50.00	0.00	0.00	25.00	उ.न.	0.00
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय										
9.	सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना	0.00	0.00	0.00	50.00	30.50	1.43	653.00	0.00	0.00
भारी उद्योग विभाग										
10.	अति आधुनिक अत्यंत महत्त्वपूर्ण तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	100.00	13.23	0.00	50.00	0.00	0.00
औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग										
11.	राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास प्राधिकरण (एन.आई.सी.डी.ए.)	0.00	0.00	0.00	100.00	7.60	0.53	45.00	2.12	2.11

बी.ई.-बजट अनुमान; आर.ई. संशोधित अनुमान; ए.ई.- वास्तविक व्यय

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि:

क. आठ योजनाओं/कार्यक्रम/परियोजना(क्रम.सं.1,5,6,7,8,9,10 और 11) में संशोधित अनुमान के दौरान बजट प्रावधान कम कर दिया गया था परंतु इस कम आवंटन का भी बहुत कम व्यय हुआ था।

ख. तीन योजनाओं/कार्यक्रम/परियोजना(क्र.सं.2,3 और 4) में, योजनाओं के अंतर्गत किया गया व्यय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों के प्रति शून्य प्रतिशत से 13.61 प्रतिशत के बीच ही रहा।

3.20. रक्षा सेवाएं अनुदानों में निरंतर बचतें (लघु-शीर्षवार)

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने चार अनुदानों के लघु शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति (₹100 करोड़ से अधिक) प्रकट किया जिसका विवरण **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: वर्ष 2013-16 के दौरान निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण उप मुख्य/लघु शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
23 -रक्षा सेवाएं -थल सेना (मुख्य शीर्ष- 2076)				
1.	101-थल सेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	291.96	209.11	916.04
25 -रक्षा सेवाएं-वायु सेना (मुख्य शीर्ष- 2078)				
2.	800- अन्य व्यय (दत्तमत)	130.81	107.45	106.05
26 -रक्षा आयुध कारखाने (मुख्य शीर्ष- 2079)				
3.	110- भंडार (दत्तमत)	1130.47	920.47	703.65

4.	800- अन्य व्यय (दत्तमत)	139.04	363.28	107.49
28 - रक्षा सवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मुख्य शीर्ष- 4076)				
01-थल सेना				
5.	102- भारी एवं मध्यम वाहन (दत्तमत)	699.17	1385.50	336.98
6.	103- अन्य उपकरण (दत्तमत)	2033.47	5819.21	6002.17
02-जल सेना				
7.	205- नौसेना डॉकयार्ड (दत्तमत)	1378.84	977.42	500.94
03-वायु सेना				
8.	103- अन्य उपकरण (दत्तमत)	3744.57	7133.62	2594.42

अनुदानों के उपरोकथित शीर्षों में भारी बचतों की निरंतर प्रकृत्ति, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने तथा निरंतर बचतों से बचने हेतु प्रभावी उपचारी उपायों को करने की विफलता की संकेतक है।

3.21 रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रभारित खण्डों के अंतर्गत ₹47.12 करोड़ की बचत के प्रति ₹38.00 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था जिसमें अनुदान सं. 28 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में ₹2.47 करोड़ का अतिरिक्त अभ्यर्पण शामिल था। दत्तमत खण्ड के अंतर्गत ₹20,560.36 करोड़ की कुल बचत के प्रति ₹21,165.45 करोड़ समग्र अभ्यर्पित राशि का अभ्यर्पण किया गया था। ₹21,203.45 करोड़ की समग्र अभ्यर्पित राशि को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.12** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 3.12 : बचतों एवं अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान/विनियोग	बचतें		वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि (व्यपगत)	
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
23 - थल सेना	9.09	972.98	--	1703.74	9.09	(730.76)
24 - नौ सेना	9.29	795.55	8.70	917.30	0.59	(121.75)
25 - वायु सेना	0.09	2452.70	--	2474.61	0.09	(21.91)

26 - रक्षा आयुध कारखाना	4.90	1238.42	3.43	623.34	1.47	615.08
27 - अनुसंधान एवं विकास	0.34	451.14	--	324.33	0.34	126.81
28-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.40	14649.57	25.87	15122.13	(2.47)	(472.56)
कुल	**47.11**	**20560.36**	**38.00**	**21165.45**	**11.58**	**741.89**

नोट: 1. कोष्ठक में दिए आंकडे दर्शाते है कि अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक है।
2. अधिक अभ्यर्पित राशि 'अभ्यर्पित की गई राशि' में शामिल नहीं है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- ₹753.47 करोड़ (पांच अनुदानों में प्रभारित खण्ड में ₹11.58 करोड़ और दो अनुदानों में दत्तमत खण्ड में ₹741.89 करोड़) की राशि को अभ्यर्पित नहीं किया गया था और अंततः व्यपगत हो गई थी।
- चार अनुदानों के दत्तमत खण्ड और एक अनुदान के प्रभारित खण्ड में, ₹18,894.20 करोड़ की बचत के प्रति ₹20,243.65 करोड़ की कुल राशि अभ्यर्पित की गई थी, जिसका परिणाम ₹1,349.45 करोड़ के अधिक अभ्यर्पण में हुआ ।

उपरोक्त तथ्य त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण तंत्र का स्पष्ट सूचक है।

3.22 निष्कर्ष

संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आठ अनुदानों/विनियोगों के आठ खण्डो में ₹286.24 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया था जो वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए विनियोग अधिनियम के प्राधिकरण से अधिक था। इन अधिक व्ययों को संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (ख) के अनुसार नियमित किया जाना अपेक्षित है। रक्षा पेंशन तथा रेलवे के अनुदान/विनियोग निरंतर प्राधिकृत राशि से अधिक व्यय कर रहे हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया में अन्य कमियां जैसे अनुदानों/विनियोगों में कुल ₹6,54,745.17 करोड़ की बड़ी राशि की बचतें (₹100 करोड़ से अधिक) वर्ष के दौरान बड़ी राशि की अनुपूरक अनुदाने प्राप्त करना जो अंतत: अप्रयुक्त रहीं, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण आदि, दर्शाती है कि संघ सरकार द्वारा आंरभिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया के पुर्नविन्यास की आवश्यकता है।

4: विनियोग लेखे: लेखे पर टिप्पणियां

4.1 प्रस्तावना

वित्तीय मामलों में कार्य प्रणाली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (डीएफपीआर) 1978, सामान्य वित्तीय नियम-2005 से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अन्य स्थायी निर्देश इत्यादि सरकारी निधियों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन तथा सरकारी खातों से किये गये व्यय हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। विनियोग लेखाओं की संवीक्षा के दौरान कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले पाये गये। इस अध्याय में इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ दी गई हैं।

4.2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन - सी.बी.डी.टी द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 114(3) अनुबद्ध करता है कि विधि अनुसार किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि (सी.एफ.आई.) से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान सीएफआई पर एक प्रभार है, तथा इसलिए यह केवल विधि अनुसार किए गए उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाने के पश्चात ही देय है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 'ब्याज' को ब्याज व्यय के वर्गीकरण हेतु विनियोग की प्राथमिक इकाई के रुप में परिभाषित करता है।

राजस्व विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) अतिरिक्त कर की वापसियों पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है, तथा इस गलत प्रक्रिया पर संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी के प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों पर सीएजी के प्रतिवेदन में भी निरंतर टिप्पणी की गई हैं, परंतु विभाग द्वारा कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले की जांच लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा की गई तथा समिति ने अपनी 66वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2012-13) में पाया, कि विभाग के पास पिछली प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के व्यापक अनुमान न बना पाने का कोई वैद्ध आधार नहीं था।। विभाग ने स्वयं माना कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, उसके पास संसद द्वारा पारित विनियोग कानून की सहायता लिए बिना एकत्रित अतिरिक्त कर एवं

अनुदान वापसियों पर 'ब्याज' के आहरण का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त, समिति ने विभाग को स्मरण करवाया था कि संविधान का अनुच्छेद 114(3) स्पष्ट रूप से अधिदेशित करता है कि विधायिका द्वारा किए गए 'विनियोग' के अतिरिक्त सीएफआई से कोई धन नहीं निकाला जा सकेगा।

अपनी अनुपालन रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2013-14 की 96वीं रिपोर्ट) में पी.ए.सी. ने अपनी पहले की अनुशंसाओं को दोहराया था कि मंत्रालय संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप एक प्रक्रिया स्थापित करे ताकि वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा अनुदान हेतु मांगों में कर वापसियों पर ब्याज भुगतानों को दर्शा कर संसदीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके जैसा कि संविधान द्वारा विहित है।

पूर्व की भांति, वित्तीय वर्ष 2015-16 में भी बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था तथा विभाग द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वापसियों पर ब्याज पर कुल ₹7,704 करोड़ का व्यय किया गया था। आवश्यक विनियोग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना पिछले आठ वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों पर ₹55,939 करोड़ का व्यय किया गया था जिसका विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1: करों की वापसी पर ब्याज पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसियों पर ब्याज पर व्यय
2008-09	5,778
2009-10	6,876
2010-11	10,499
2011-12	6,486
2012-13	6,666
2013-14	6,598
2014-15	5,332
2015-16	7,704
कुल	55,939

मामला अक्तूबर 2015 में राजस्व विभाग को भेजा गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवम्बर 2015) में बताया कि वित्त मंत्री की स्वीकृति से, अटॉर्नी जनरल के वर्तमान अभ्यास को वैध बताई गई राय के आधार पर पीएसी की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थी। विभाग ने मार्च तथा अप्रैल 2016 में अपने उत्तर को दोहराया।

अपनी सिफारिशें करने के दौरान पीएसी द्वारा अपने 66वें एवं 96वें प्रतिवेदन में विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताये गये कारणों को पहले ही विचारार्थ लिया गया था।

4.3 प्रावधानों के संवर्धन हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता

4.3.1 वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन

नई सेवा (एन.एस.)/सेवा के नए साधन (एन.आई.एस.) से संबंधित मामलों का निर्धारण करते समय लागू की जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी निकाय या प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष- सहायता अनुदान में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

वर्गीकृत सार/ई-लेखा डाटा सहित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पांच अनुदानों के पांच मामलों में विभिन मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान के ₹ **11.32** करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसके फलस्वरूप एन.एस/एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ जिसका विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2: वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ•	उ.पू•	अ.प्रा.•	कु.प्रा.•	कु.व्य.•	कु.प्रा. से अधिक व्यय
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं. 01- कृषि एवं सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग							
1.	3601.02.789.63.03.31 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.10	0.10 + 3.00#	-	3.20	12.82	9.62

मुख्य शीर्ष 2552 (एनईआर शीर्ष) के अंतर्गत प्राप्त अनुपूरक

विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि कथित व्यय चालू योजनाओं हेतु राज्य सरकारों से संबंधित था तथा इसलिए वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. दिनाँक 25 मई 2016 के पैरा 5(ii) के अनुसार एनएस/एनआईएस की सीमाओं को लागू नहीं करता था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। का.ज्ञा. का पैरा 5(ii) का नियम बताता है कि राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के अंतरणों को इन सीमाओं से छूट प्राप्त है क्योंकि योजना नई नहीं है। व्यय बजट (खण्ड-1) 2015-16 के भाग III के अनुसार परम्परागत कृषि विकास योजना एक नई योजना है। इसलिए कथित लेखाशीर्ष के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन करने के लिए ससंद की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी।

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ•	उ.पू•	अ.प्रा.•	कु.प्रा.•	कु.व्य.•	कु.प्रा. से अधिक व्यय
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.20-संस्कृति मंत्रालय							
2.	2205.00.102.04.56.31 जलियांवालाबाग स्मारक का विकास	0.01	-	-	0.01	0.02	0.01
मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय को दर्ज किया जाना गलत वर्गीकरण के कारण था तथा ऐसा दोबारा होने से बचने के लिए भविष्य में उचित ध्यान रखा जाएगा।							
अनुदान सं.21-रक्षा मंत्रालय (सिविल)							
3.	3054.02.800.02.00.31 सड़क निर्माण कार्य	26.10	-	-	26.10	26.30	0.20
अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि सीमा सड़क सगंठन (बी.आर.ओ.) ने सूचित किया था कि संशोधित बढ़ी हुई अनुरक्षण दरों के कारण परियोजना दतक द्वारा निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया था कि अनुदान के राजस्व वर्ग के अंतर्गत ₹590.61 करोड़ की कुल बचत थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के किसी भी सवंर्धन को ससंद की पूर्वानुमति अपेक्षित है।							
अनुदान सं.48- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग							
4.	2210.06.107.03.03.31 राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, (उत्तर प्रदेश)	22.00	-	-	22.00	23.48	1.48
मामला अगस्त 2016 में विभाग को प्रेषित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।							
अनुदान सं. 61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय							
5.	2220.01.105.01.01.31 फिल्म प्रभाग	0.03	-	-	0.03	0.04	0.01
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि कथित लेखा शीर्ष के अंतर्गत अधिक राशि दर्ज किया जाना गलत वर्गीकरण के कारण था। उन्होंने यह भी बताया (अक्तूबर 2016) कि चूक के सुधार के लिए प्रस्तावित एक जर्नल प्रविष्टि को सीजीए द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित शीर्ष के प्रावधान के सवंर्धन हेतु ससंद की पुर्वानुमति अपेक्षित है। .							
	कुल						**11.32**

• ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य.= कुल व्यय *(वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

4.3.2 वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा. दिनांक 12 फरवरी 2010 के द्वारा विनियोग की प्राथमिक ईकाई के स्तर पर पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2009-2010 से तत्काल प्रभाव से एक नया वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' खोला। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के का.ज्ञा. से आगे स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष '35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के

अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से प्रावधान का संवर्धन अनुदानों के लिए पूरक मांगों के माध्यम से संसद के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दो अनुदानों के दो मामलों में कुल ₹10.15 करोड़ की निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद के पूर्व अनुमोदन बिना वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत संवर्धित की गई थी जिससे एन.एस/एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। **तालिका 4.3** उन शीर्षों का ब्यौरा देती है जहाँ संसद के अनुमोदन बिना संवर्धन किया गया था।

तालिका 4.3: वस्तु शीर्ष पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.व्य*	कु.व्य*	कु.प्रा. से अधिक व्यय
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.06-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय							
1.	2210.05.200.01.00.35 केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान	4.00	0.20	3.00	7.20	8.35	1.15
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि यद्धपि अतिरिक्त बजट वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदाने' के अतंर्गत सं.अ. स्तर पर प्रदान किया गया था फिर भी ससंद की अनुपूरक स्वीकृति अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग (एसडीजी) के तृतीय बैच में प्राप्त नहीं की जा सकी थी। उपरोक्त के अनुसार यह स्पष्ट है कि वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत प्रावधान का सवंर्धन ससंद की पुर्वानुमति के बिना किया गया था। .						
अनुदान सं. 48- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग							
2.	2210.05.105.43.00.35 क्षेत्रीय औषधि विज्ञान संस्थान, इम्फाल	0.00	60.92	-	60.92	69.92	9.00
मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2016) कि क्षेत्रीय औषधि विज्ञान संस्थान, इम्फाल को भविष्य में ऐसे मामलों में अधिक सचेत रहने तथा यह सुनिश्चित करने कि अधिक व्यय के ऐसे मामले भविष्य में न हो, निर्देश दिया गया था।							
	कुल						**10.15**

* ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी.2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य.= कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.3.3 वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 जून 2011 के अपने का.ज्ञा. के माध्यम से वेतनों के भुगतान हेतु सहायता अनुदान पर व्यय को विशेष रूप से दर्शाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' आरंभ किया। मंत्रालय ने दिनांक 21 मई 2012 के का.ज्ञा. द्वारा आगे स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के अतंर्गत प्रावधान में संवर्धन करने के लिए अनुदान हेतु अनुपूरक मांगो के माध्यम से संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16 हेतु युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 109 की जांच ने प्रकट किया कि ₹3.57 करोड़ की कुल निधियाँ वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत संवर्धित की गई थी जिससे एन.एस./एन.आई.एस. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। जैसा **तालिका 4.4** में ब्यौरा दिया गया है

तालिका 4.4: वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.प्रा. से अधिक व्यय
	(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.109- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय						
2204.00.104.11.01.36 भारतीय खेल प्राधिकरण-स्थापना एवं कार्यक्रम	206.00	-	-	206.00	209.57	3.57
मंत्रालय ने जब लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जुलाई 2016) को स्वीकार किया तब बताया कि वि.मं. ने संशोधित अनुमान के समय स्टाफ वेतन हेतु बजट सीमा को बढ़ा दिया था। इसलिए ससंद सबंधित शीर्ष को निधियों के पुनर्विनियोजन हेतु टोकन अनुपूरक प्रदान किया गया था। परंतु वि.मं. ने 30 मार्च 2016 को पुनर्विनियोग के प्रावधान को अस्वीकार कर दिया।						

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.3.4 वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के प्रावधान का संवर्धन

मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्विनियोग के माध्यम से वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अंतर्गत उपलब्ध विनियोग में प्रावधान के संवर्धन हेतु, यदि अतिरिक्तता, पहले से संसद द्वारा दत्तमत्त मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय ने आगे 21 मई 2012 को माध्यम से स्पष्ट किया कि वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अतंर्गत निधियों के सवंर्धन (या तो निधियों के पुनर्विनियोग अथवा अतिरिक्तता के माध्यम से) हेतु सभी मामलों को बिना किसी छूट के अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगो के माध्यम से ससंद की पूर्वानुमति अपेक्षित है।

औधोगिक नीति एवं उन्नयन विभाग से संबंधित अनुदान सं.13 के वर्गीकृत सार सहित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना वस्तु शीर्ष '33-सब्सिडी' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा कुल ₹199.97 करोड़ की निधियॉ

व्यय की गई थीं। जिससे एन.एस./एन.आई.एस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ जिसका ब्यौरा **तालिका 4.5** में दिया गया है।

तालिका 4.5: वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के प्रावधान की वृद्धि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.•	उ.पू.•	अ.प्रा.•	कु.प्रा.•	कु.व्य.•	कु.प्रा. से अधिक व्यय
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.13-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग (डी.आई.पी.पी.)							
1.	2885.02.101.04.00.33 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना	0.01		-	0.01	0.41	0.40
2.	2885.02.101.05.00.33 उत्तर पूर्व हेतु व्यापक बीमा योजना	0.01	-	-	0.01	0.23	0.22
3.	2885.02.101.10.00.33 पूंजी निवेश सब्सिडी	0.01	-	-	0.01	199.36	199.35
	कुल						**199.97**

विभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि वित्त मंत्रालय के डी.ओ. पत्र सं. एफ. 2 (66)- बी(सीडीएन)/2001 दिनाँक 12 जून 2001 के अनुसार संबंधित योजनाओं को एनईआर के एक मुश्त प्रावधान से निधियों के पुनर्विनियोग की शक्तियाँ मंत्रालय/विभागों के सचिव को प्रदान की गई है जो इन शक्तियों का उपयोग अपने वित्तीय सलाहकारों के सहयोग से कर सकेंगे। उसने आगे बताया (सितंबर 2016) कि डीडीजी 2015-16 ने स्पष्ट रूप से प्रावधान प्रदान किया था कि डीआईपीपी को एनई क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाईयों को योजना उत्तर-पूर्वी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (एनईआईआईपी) के अंतर्गत 'सब्सिडी' (विभिन्न प्रकार की) प्रदान करने हेतु ₹200 करोड़ का व्यय करना प्रत्याशित था। सब्सिडी के तीन सघंटको हेतु टोकन प्रावधान ₹1 लाख प्राप्त किया था तथा लगभग ₹199.97 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान निष्क्रिय शीर्ष में प्राप्त किया था जिसे एनईआईआईपी सब्सिडियों के तीन सघंटको के बीच बांटा जाना प्रत्याशित था। डीडीजी एनईआईआईपी सब्सिडी का ब्यौरा नहीं दर्शाती थी परंतु वह एन.ई. क्षेत्र के लाभ हेतु एक मुश्त प्रावधान रखने की बजटीय योजना का सारांश है। यह विभाग को औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, जो योजना के अतंर्गत दर्ज, सत्यापित तथा योग्य पाए गए दावों पर निर्भर है, के संवितरण हेतु नम्यता प्रदान करने हेतु एक लाभकारी बजटीय प्रक्रिया है।

उत्तर तर्कसगंत नहीं है क्योंकि विभाग ने वर्ष 2015-16 के डीडीजी में कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत योजना-वार ब्यौरा उपलब्ध कराया था। यद्यपि, योजना-वार विश्लेषण गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत गायब थी, जिसकी बजट विभाग ओएम सं. एफ.2 (66)-बी(सीडीएन)/2001 दिनांक 14 सितम्बर 2005 के अनुसार आवश्यकता थी। इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि योजना-वार ब्यौरा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए डीडीजी में विभाग द्वारा गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत दर्शायी जा रही थी, जो अब बंद की गई है। इस मामले को भी सीएजी के 2015 के प्रतिवेदन सं. 1 तथा 2015 के 50 में बताया गया था। यद्यपि, विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये हैं।

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.3.5 वस्तु शीर्ष '53 मुख्य निर्माण कार्य' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने नयी सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशानिर्देश से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा. के संदर्भ में स्पष्ट किया (दिनांक 21 मई 2012) कि वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एन.एस./एन.आई.एस. के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत्त विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक, की निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो अथवा मौजूदा निर्माण कार्यों के लिए।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 83 कुल ₹116.48 करोड़ की निधियों का मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संवर्धन किया गया जिससे नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। **तालिका 4.6** ऐसे शीर्ष का ब्यौरा देती है जहाँ संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना संवर्धन किया गया था जिससे एन.एस/एन.आई.एस की सीमाओं का उल्लंघन हुआ।

तालिका 4.6: वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण-कार्य' के प्रावधान का संवर्धन

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.प्रा. से अधिक व्यय
अनुदान सं. 83- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
5054.01.337.02.03.53 उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम "सड़क स्कंध/राज्य पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत निर्माण कार्य"	-	3590.00	-	3590.00	3706.48	116.48

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि मु.शी. 4552 के अंतर्गत ₹4000.00 करोड़ का प्रावधान था तथा ₹900 करोड़ को अनुदान हेतु तृतीय अनुपूरक मांग के माध्यम से ससंद की स्वीकृति प्राप्त करके जोड़ा गया था। इसलिए एनईआर के अंतर्गत कुल ₹4900 करोड़ था जिसके प्रति कुल व्यय ₹4845.87 करोड़ था।

आगे सड़क स्कंध (बीआरडीबी) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरपीडी) के अंतर्गत सड़क विकास निर्माण कार्य से एनईआर प्रावधान के अंतर्गत ₹90 करोड़ के अव्ययित शेष का उपयोग करने के लिए गैर-क्रियात्मक शेष '4552' आवंटनों को सचिव की स्वीकृति से ₹90 करोड़ का बीआरडीबी-एसएआरडीपी के सड़क स्कंध- एसएआरडीपी के अंतर्गत निर्माण कार्य को पुर्वनियोजन करके परिवर्तित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मुख्य शीर्ष 4552 पर आधारित है जिसके अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दो योजनाएं अर्थात् बीआरडीबी तथा एसएआरडीपी थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मुख्य शीर्ष 53 मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत केवल बाद की योजना हेतु है। इसके अतिरिक्ति ₹900 करोड़ हेतु तीसरी अनुपूरक अन्य योजना, सड़क स्कंध योजना एसएआरडीपी निर्माण कार्य के अंतर्गत ली गई थी जो केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित है।

इसके अतिरिक्ति मुख्य शीर्ष 4552 के अंतर्गत सड़क स्कंध/बीआरडीबी के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में से वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' से एनईआर में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' को निधियों के पुनर्विनियोजन के लिये संसद की पूर्वानुमति अपेक्षित है।

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.4 पूंजीगत लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरणियों में राजस्व लेखे पर व्यय अन्य व्यय से भिन्न दर्शाया जायेगा। तदनुसार राजस्व लेखे एवं पूंजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धान्तों की अनुपालना की जानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 2013-14 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 तथा वर्ष 2014-15 के प्रतिवेदन सं. 50 में राजस्व प्रकृति के व्यय के पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत वर्गीकरण के मामले इंगित किए गए थे। यद्यपि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने गलत संसदीय प्राधिकरण प्राप्त करना जारी रखा जो अंतिम व्यय को दर्ज करने में गलत वर्गीकरण का कारण बना जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.4.1 पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 विनियोग की प्राथमिक इकाईयों का वर्गीकरण करता है। पूंजीगत परिसंपित्तयों को अधिग्रहित करने एवं अन्य पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान प्राप्त करने के संदर्भ में 51 से 56 तथा 60 वस्तु शीर्ष को वर्ग छः में समाहित किया गया है। जैसा **अनुबंध 4.1** में दर्शाया गया है। ये वस्तु शीर्ष पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है, और इसलिए केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के होने चाहिए।

वर्ष 2015-16 हेतु वर्गीकृत/ई-लेखा डाटा सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में तीन मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित चार मामलों का पता चला जहाँ इन वस्तु शीर्षों का राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ उपयोग किया गया था जैसा **तालिका 4.7** में दर्शाया गया है, यदि यह व्यय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के प्रति किया जाता, इसका परिणाम पूंजीगत व्यय को ₹28.23 करोड़ से कम बताये जाने में होता।

तालिका 4.7: पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51/52/60	10.71	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।
2.		3401	51/52	11.26	
3.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	2202	53	2.99	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।
4.	66- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	2851	52	3.27	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।
	योग			28.23	

व्यय आकड़े स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प/समेकित सार.

4.4.2 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली,1978 (डी.एफ.पी.आर.) का नियम 8, मोटे तौर पर वस्तु वर्ग 6 के अतिरिक्त किसी भी अन्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों को राजस्व प्रकृति के व्यय के तौर पर वर्गीकृत करता है। तदनुसार, वस्तु वर्ग 6 के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों को सामान्यत: पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2015-16 के वर्गीकृत सार सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से तीन मंत्रालयों/विभागों से संबंधित चार मामले प्रकाश में आए जहां राजस्व प्रकृति के वस्तु शीर्षों को गलत प्रकार से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ परिचालित किया गया था। यदि यह व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं अन्य पूंजीगत मदों पर नहीं किया गया होता तो इन गलत वर्गीकरणों का परिणाम संघ सरकार के राजस्व व्यय को ₹3.61 करोड़ से कम दर्शाए जाने में होता जैसा कि **तालिका 4.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	89-पोत परिवहन मंत्रालय	5051	50	0.64	मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि आईटी व्यय हेतु आवश्यक प्रावधान वर्ष 2017-18 से राजस्व वर्ग के अंतर्गत रखे जाएंगे।
2.		5052	50	0.35	
3.	97-पर्यटन मंत्रालय	5452	28	0.62	मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि 2016-17 में, वित्त मंत्रालयों के निर्देश पर इसने योजनागत एवं गैर-योजनागत के तर्कसंगत ढंग से पुनर्गठन के नए प्रतिमान के अंतर्गत राजस्व वर्ग के अंतर्गत उपरोक्त शीर्ष खोला है। भविष्य में इस प्रकार का व्यय राजस्व वर्ग के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
4.	103-लक्षद्वीप	4810	35	2.00	विभाग ने बताया (जून/अगस्त 2016) कि मामले को शोधक कार्रवाई हेतु मंत्रालय/कार्यालय सीजीए के साथ उठाया गया था। इस मद को वि.व. 2016-17 से मुख्य शीर्ष-2810 के अंतर्गत राजस्व वर्ग को पहले ही अंतरण कर दिया गया है।
	कुल			**3.61**	

4.4.3 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 79 अनुबंधित करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव तथा कार्य चालन व्ययों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों

के क्रियात्मक स्थिति में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तथा संगठन के दिन-प्रति-दिन परिचालन हेतु स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित, किये गये सभी अन्य व्यय को भी, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2015-16 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखाओं के साथ ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित 13 मामलों में राजस्व प्रकृति का व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया गया था जिसका परिणाम राजस्व व्यय के ₹1607.40 करोड़ कम बताए जाने में हुआ जैसा कि **तालिका 4.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.9: अनुदान के विभिन्न खण्डों में गलत वर्गीकरण

क्र.स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	15-दूरसंचार विभाग	319.99	विभाग ने एएफएनईटी (वायु सेना नेटवर्क) हेतु बैंडविथ किराया भारत संचार निगम लिमि. (बीएसएनएल) प्रभारों के रूप में ₹319.99 करोड़ की राशि अदा की जिसे पूंजीगत लेखा शीर्ष 5275.00.800.03.00.60 तथा 4552.00.203.01.00.60 के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60- अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलती से दर्ज किया गया था। बैंडविथ किराया प्रभारों के कारण व्यय को राजस्व प्रवृत्ति का होने से अनुदान के राजस्व वर्ग में वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अतंर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।
2.	21-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1600.25	मंत्रालय ने राजमार्गों, सुरक्षा प्रदान करने तथा विमान उत्थापन प्रभारों से अलग सड़क के अनुरक्षण पर ₹1600.25 करोड़ का व्यय किया तथा इसे वस्तु शीर्ष 5054.02.337.03.00.53-'मुख्य निर्माण कार्य' के अतंर्गत अनुदान के पूंजीगत वर्ग में दर्ज किया। व्यय राजस्व प्रकृति के होने के कारण अनुदान के राजस्व विभाग के अंतर्गत उचित वस्तु शीर्ष में वर्गीकृत होना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि इस शीर्ष के अंतर्गत कई वर्षों से बुकिंग की जा रही थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि मौजूद प्रावधान में मुख्य शीर्ष - 5054 के बदले में 3054 में प्रकरण को आरडीआर की पुस्तिका (राजस्व ऋण एवं प्रेषण) में शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है।

क्र.स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
3.	93-अंतरिक्ष विभाग	0.11	ऊपरी लाईन के स्थान परिवर्तन हेतु बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (बीईएसकॉम) को भुगतान के प्रति ₹11.19 लाख के व्यय को इसरो उपग्रह (आईएसएसी) केन्द्र द्वारा पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '60- अन्य पूंजीगत व्यय' के अतंर्गत गलत प्रकार से दर्ज किया गया था जबकि विद्युत व्यय को सही प्रकार से राजस्व वर्ग के अंतर्गत '13-कार्यालय व्यय' के अतंर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)
4.		0.76	इसरो के विभिन्न कार्यों हेतु टेलीमेटरी ट्रेकिग एवं कमांड (टीटीसी) नेटवर्क स्टेशन सहायता के प्रति ₹76.04 लाख के व्यय को पीएओ आईसएसी परियोजना द्वारा गलत प्रकार से पूंजीगत वर्ग के अतंर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अतंर्गत दर्ज किया गया था जबकि डीओएस द्वारा उपभोग की गई इन ट्रेकिग सेवाओं को राजस्व वर्ग के अंतर्गत '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अतंर्गत सही प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए था।	
5.		0.20	कैपेसिटरो हेतु तकनीकी सेवा प्रभारो के प्रति ₹20.38 लाख के व्यय को पीएओ आईएसएसी-परियोजना द्वारा गलत प्रकार से पूंजीगत वर्ग के अतंर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसे राजस्व वर्ग के अंतर्गत '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	
6.		1.54	तरल नाईट्रोजन के प्रापण के प्रति ₹1.54 करोड़ के व्यय को पीएओ आईएसएसी-परियोजना द्वारा गलत प्रकार से पूंजीगत वर्ग के अतंर्गत वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया था जिसे सही प्रकार से राजस्व वर्ग के अंतर्गत '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अतंर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	

क्र.स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
7.		0.33	डेस्कटॉप कम्प्यूटर तथा बैटरी के प्रापण के प्रति ₹32.63 लाख के व्यय को पीएओ आईएसएसी- केन्द्र द्वारा गलत प्रकार से 'पूंजीगत वर्ग' के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे सही प्रकार से राजस्व वर्ग में विस्तृत शीर्ष-99 के अंतर्गत '13-कार्यालय व्यय' के अतंर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	
8.		1.45	एक्साईड बैटरी बैंक, क्नैक्टर्स, इलैक्ट्रॉलाईट, माईल्ड स्टील स्टैंड एवं स्टैंड इन्सुलैक्टर्स, थर्मामीटर, आदि के प्रापण के प्रति ₹1.45 करोड़ के व्यय जिसे राजस्व वर्ग में वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था, जिसे पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 52-मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
राजस्व व्यय को ₹1924.63 करोड़ तक कम बताया गया।				
राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	93-अतंरिक्ष विभाग	306.31	व्यय को गलत प्रकार से राजस्व व्यय के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे सही प्रकार से पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि वह उपग्रह तथा लांच वाहन मिशन के मिशन/अंतरिक्ष उपभोज्य थे तथा उनका जीवन एक वर्ष से अधिक है।	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)
2.		7.10	इन व्यय को गलत प्रकार से राजस्व वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किया गया था जिसे सही प्रकार से पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि वह उपग्रह तथा लांच वाहन मिशन के मिशन/अंतरिक्ष उपभोज्य थे तथा उनका जीवन एक वर्ष से अधिक है।	

क्र.स.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
3.		3.13	जीएसएटी-15 एवं जीएसएटी-16 लांच अभियान के दौरान मैसर्स एरियन स्पेस, फ्रांस द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त सेवाओं के प्रति ₹3.13 करोड़ के व्यय को गलत प्रकार से राजस्व वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे वर्तमान आदेश के अंतर्गत सही प्रकार से पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	
4.		0.52	स्थिर यादृच्छिक अभिगम स्मृति (एसआरएएम) (जिसका उपयोग उपग्रह में किया जाएगा) के प्रापण के प्रति व्यय की गई ₹51.83 लाख की राशि को पीएओ आईएसएसी केन्द्र द्वारा गलत प्रकार से राजस्व वर्ग के अंतर्गत वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	
5.		0.17	आरएफ डायोड्स एक्स रे डिटेक्टर्स के प्रापण के प्रति ₹16.74 लाख के व्यय को पीएओ आईएसएसी-केन्द्र द्वारा गलत प्रकार से राजस्व वर्ग मे वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसे पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत' '52- मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत सही प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए था।	
राजस्व व्यय को ₹317.23 करोड़ तक अधिक बताया गया				
समग्र प्रभावः ₹1607.40 करोड़ तक राजस्व व्यय का कम बताना।				

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव पूंजीगत व्यय के ₹1928.24 करोड़ द्वारा अधिकथन एवं पूंजीगत व्यय के ₹345.46 करोड़ से न्यूनोक्ति में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹1582.78 करोड़ से पूंजीगत व्यय के अधिकथन में हुआ। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹1582.78 करोड़ के बराबर राशि के राजस्व घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

4.5 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

4.5.1 भारतीय लोक लेखे के स्थान पर भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) एवं (2) प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजकोषीय बिल जारी कर उगाहे गये सभी ऋण, अन्य ऋण अथवा अर्थोपाय अग्रिम तथा उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त की गई समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे 'भारत की समेकित निधि' कहा जाएगा। उस सरकार की सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त जो कि समेकित निधि से संबंधित हैं, कुछ अन्य लेन-देन सरकारी लेखाओं में प्रविष्ट किए जाते हैं जिनके संबंध में सरकार बैंकर के रूप में अधिक अथवा अंतरणकर्ता के रूप में कार्य करती है। अत: प्राप्त किए गए सार्वजनिक धन को लोक लेखे में रखा जाता है, तथा संबंधित संवितरण भी वहीं से किए जाते हैं।

(क) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2015-16 से संबंधित अनुदान सं.11 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु सी.एफ.आई से पूंजीगत लेखा शीर्ष 4803.00.800.01.00.54 में ₹1099.84 करोड़ का व्यय किया था तथा उस व्यय को कोल इंडिया लिमि. (सीआईएल) से ₹1100 करोड़ की प्राप्तियों के साथ निवल किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्रों को सी.आई.एल. द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति अधिग्रहित किया गया था, इस लेन-देन को सीएफआई के माध्यम से पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

महालेखा नियत्रंक ने अगस्त 2013 के अपने सुझाव की निरंतरता में (जून 2016) अपने विचारों को दोहराया कि उन सरकारी निकायों जो वित्तीय रूप से स्वतंत्र है, से ऐसे निकायों हेतु अधिग्रहित भूमि की क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु पेशगी में प्राप्त निधियों को मुख्य शीर्ष '8443-सिवल जमा' के अतंर्गत लघु शीर्ष '117-सार्वजनिक निकायों अथवा निजी विशेष हेतु किए कार्य का जमा' को क्रेडिट किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, अधिग्रहित भूमि हेतु क्षतिपूर्ति से संबंधित सभी भुगतानों को इस लेखा शीर्ष को डेबिट भी किया जाना है।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि पीएसयू की ओर से भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्राप्ति/भुगतानों के अतंर्गत एक नया शीर्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 से लोक लेखे में खोला गया है।

(ख) वर्ष 2015-16 हेतु विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 77 से संबधित सार की तुलना में विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि भारत की समेकित निधि से पूंजीगत शीर्ष 4801.02.190.02.02.54 में कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु ₹76.83 करोड़ का व्यय किया गया और इस व्यय को एनटीपीसी से ₹76.83 करोड़ की प्राप्तियों के साथ निवल किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्र एन.टी.पी.सी. द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति अधिग्रहीत किए गए थे, लेन-देन भारत की समेकित निधि के माध्यम से पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि सीजीए कार्यालय ने जून 2016 में स्पष्ट किया कि एक पीएसयू द्वारा उनके लिए सरकारी विभाग द्वारा किए गए कार्य की एवज में जमा राशि के लेन-देन को, भारत की समेकित निधि के अतंर्गत लेखाबद्ध करना मुख्यत: गलत है और मुख्य शीर्ष 8443 - सिविल जमा को क्रेडिट किया जाना था। मंत्रालय ने आगे बताया कि उपरोक्त लेखांकन की प्रक्रिया को अगले वित्तीय वर्ष से प्रचालित किया जाए।

दोनों मामले नि.म.ले.प. के 2015 के प्रतिवेदन सं.1 एवं प्रतिवेदन सं. 50 में भी उठाये गये थे।

4.5.2 वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन न होना

वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2011 से एक नया वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 8 के नीचे वस्तु श्रेणी-4 के अंतर्गत वस्तु शीर्षों की सूची में प्रस्तुत किया।

वर्ष 2015-16 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा द्वारा ज्ञात हुआ कि इस वस्तु शीर्ष को निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित नहीं किया गया था, जिसका विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है:

तालिका 4.10: वस्तु शीर्ष 'सहायता-अनुदान-वेतन' का परिचालन न होना'

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग का उत्तर
1.	16-इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	जांच ने प्रकट किया कि वस्तु शीर्ष 36-सहायता अनुदान-वेतन आईटी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) के संबंध में प्रचलित नहीं था। आईटीआरए की संस्थापना हेतु डाईट वाई की स्वीकृति दिनाँक 4 नवम्बर 2010 हेतु आईटीआरए को निधियों के चरण वार निर्गम का प्रावधान करती है, जिसने अपेक्षा की कि वेतन सहित सभी परियोजना सघंटको को प्रत्येक निर्गम में शामिल किया जाए। डिजीटल भारत कार्यक्रम, (2852.07.202.85.04.31) के अतंर्गत ₹26 करोड़ की राशि वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य के अतंर्गत बजट प्रावधान के रूप में आबंटित की गई थी। प्राप्त अनुदान में से, आईटीआरए ने वर्ष 2015-16 के दौरान वेतन शीर्ष के अंतर्गत ₹1.30 करोड़ का व्यय किया था। जिसे 36-सहायता अनुदान वेतन के रूप में अलग से वर्गीकृत और बजट में शामिल किया जाना चाहिए था। विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि आईटीआरए की स्थापना ₹148.83 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ की गई थी। जब परियोजना को स्वीकृत तथा कार्यान्वित किया गया था उस समय सहायता अनुदान का कोई विभाजन नही था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईटीआरए की संस्थापना हेतु आईटीआरए को निधियों के चरणवार निर्गम का प्रावधान करती है जिसने अपेक्षा की कि वेतन सहित सभी परियोजना सघंटको को प्रत्येक निर्गम में शामिल किया गया था। तथा इसे '36- सहायता अनुदान वेतन' के रूप में वर्गीकृत और बजट में शामिल किया जाना चाहिए था।
2.	77-विद्युत मंत्रालय	मंत्रालय ने गोवा तथा यू.टी. एक अनुदानग्राही निकाय के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जे.ई.आर.सी.) को ₹5.70 करोड़ का अनुदान जारी किया जिसमें से उन्होंने वेतन पर व्यय को पूरा करने के लिए ₹1.15 करोड़ का उपयोग किया। तथापि, कुल ₹5.70 करोड़ की जारी राशि वस्तु शीर्ष 2801.80.800.23.00.31 'सहायता अनुदान सामान्य' के अन्तर्गत बुक की गई जबकि वस्तु शीर्ष '36-अनुदान सहायता-वेतन' के अन्तर्गत वेतन घटक पर ₹1.15 करोड़ का व्यय वर्गीकृत किया जाना चाहिये था। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से गोवा एवं यूटी हेतु जे.ई.आर.सी. के गैर-योजना व्यय को पूरा करने के लिए आबंटन सामान्य अनुदान तथा वेतन अनुदान हेतु अलग वस्तु शीर्ष में किया गया है।
3.	95-वस्त्र मंत्रालय	मंत्रालय ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली को उसके रायबरेली केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु ₹1.00 करोड़ की अनुदान सहायता जारी की जिसे वस्तु शीर्ष '36-अनुदान सहायता वेतन' के अन्तर्गत सही प्रकार व्यय वर्गीकृत करने के बजाय वस्तु शीर्ष 2852.08.202.61.00.31-'अनुदान सहायता सामान्य' के अन्तर्गत लेखे में उसे बुक किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निधि केवल सामान्य शीर्ष में उपलब्ध थी तथापि निधि एनआईएफटी को संस्वीकृत की गई थी। मंत्रालय का उत्तर तर्कसगंत नहीं है क्योंकि वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' 01 अप्रैल 2011 से खोला गया था इसलिए मंत्रालय को अनुपूरक प्रावधान वेतन अनुदान शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त करना चाहिए।

4.5.3 अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत वस्तु शीर्षों में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों का निर्धारण करता है। वस्तु शीर्षों की सूची तथा इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले व्यय के विवरण **अनुबंध-4.1** में दिए गए हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 13 अनुदानों/विनियोगों के 35 मामलों में कुल ₹387.32 करोड़ की निधियों के विनियोजन की इन प्राथमिक इकाईयों अर्थात वस्तु शीर्षों के मध्य गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिनका विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: अनुदान के उसी प्रभाग में वस्तु शीर्षों के अंतर्गत गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	8-उर्वरक विभाग	2.69	2852/50	₹0.73 करोड़ का व्यय एमएफएमएस अनुप्रयोग आदि की लेखापरीक्षा करने हेतु गतिशील उर्वरक प्रबंधन तंत्र (एमएफएमएस) परियोजना के लिए परामर्शी सेवा प्रभारों के भुगतान पर किया गया था तथा ₹1.96 करोड़ का कम्प्यूटर, इसके उपसाधनो, उपभोज्यों के प्रापण तथा उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के अनुरक्षण आदि पर व्यय किया गया था। तथापि, ₹2.69 करोड़ का कुल व्यय वस्तु शीर्ष '50 - अन्य प्रभार' के अंतर्गत लेखाओं में दर्ज किया गया था। डीएफपीआर के अनुसार आउटसोर्स कार्मिक, सलाहकारों की नियुक्ति के भुगतानों पर व्यय का सही वर्गीकरण '28-व्यवसायिक सेवाएं' तथा कम्प्यूटर पर व्यय को '13-कार्यालय व्यय' करना चाहिए था।
मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, के निर्देशों के अनुसार योजनागत तथा गैर-योजनागत योजनाओं को पुनर्गठित किया जाना था तथा 2016-17 हेतु डीडीजी को इनको मिलाने के पश्चात तैयार किया जाना चाहिए था। उर्वरक विभाग (सचिवालय) हेतु कम्प्यूटरों एवं इसके उपसाधनों, उपभोज्यों के प्रापण को शीर्ष 3451.00.090.33.99.13 "कार्यालय व्यय" के अतंर्गत दर्ज किया जाना है तथा एफएमएस/एमएफएमएस हेतु कम्प्यूटर एवं इसके उप-साधनों के प्रापण को शीर्ष 3451.00.090.33.99.50 'अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किया जाना है। वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 2016-17 के एफ.एम.एस. एवं एम.एफ.एम.एस. के व्यवसायिक प्रभारों को शीर्ष 3451.00.090.33.01.28 के अंतर्गत दर्ज किया जाना है।				
2.	15-दूरसंचार विभाग	0.07	3275/51 ,52	विभाग ने ₹0.07 करोड़ का व्यय किया तथा इसे गलत प्रकार से राजस्व वर्ग मुख्य शीर्ष-3275 में वस्तु शीर्ष 51-मोटर वाहन तथा 52-मशीनरी एवं उपकरण के अतंर्गत दर्ज किया था।
विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि जीएफआर 2005 का नियम 79 अनुबंध करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत एवं रखरखाव पर प्रभारों तथा कार्य व्यय, जो परिसम्पत्तियों को चालू स्थिति में बनाए रखने हेतु अपेक्षित है, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इसलिए बुकिंग सही प्रकार से की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूंजीगत परिसम्पत्तियों तथा पूंजीगत व्यय हेतु वस्तु श्रेणी-6 से संबंधित वस्तु शीर्ष '51-मोटर वाहन' तथा '52-मशीनरी एवं उपकरण' का राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था।				
3.	17-उपभोक्ता मामले विभाग	4.95	3475/52	विभाग ने मशीनरी एवं उपकरणों की केन्द्रीकृत खरीद तथा उनकी सीधे राज्यों/यूटी को आपूर्ति की और कुल ₹4.95 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '35 जो पूंजीगत परिसम्पत्तियो के सृजन हेतु अनुदान के बजाए वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत प्रकार से दर्ज किया।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि 2007-08 से पूर्व राज्यों/यूटी की भार एवं माप अवसरंचना हेतु निधियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी किया गया था परंतु बाद में केन्द्रीयकृत खरीद करने के पश्चात राज्यों/यूटी को मशीनरी एवं उपकरण की आपूर्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत शीर्ष के अतंर्गत प्रावधान प्राप्त करने हेतु इस विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार (नवम्बर 2011) कर दिया था तथा कथित व्यय को राजस्व लेखाओं के अतंर्गत दर्ज करने का निर्देश दिया था। विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा चिंताओं का निपटान नहीं करता है। विभाग को प्रावधान प्राप्त करना तथा राजस्व लेखा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करना चाहिए था।				
4.	21-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	285.96	5054/53	सीमा सड़क सगंठन (बीआरओ) द्वारा श्रेणी 'क' भण्डार/उपकरण पर किए गए ₹285.96 करोड़ के व्यय को मशीनरी एवं उपकरण से संबंधित वस्तु शीर्ष-52 के अंतर्गत दर्ज करने के स्थान पर गलत प्रकार से वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2016) कि वस्तु शीर्ष- 53 को उपकरण की अधिप्राप्ति के प्रति व्यय को दर्ज करने के लिये वस्तु शीर्ष- 52 के रूप में वित्त वर्ष 2017-18 से सही कर लिया जायेगा।				
5.	21-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	7.99	3053/31	सीमा सड़क सगंठन द्वारा भूटान में तैनात मंत्रालय के अधिकारियों को "भूटान क्षतिपूर्ति भत्ता" के रूप में ₹7.99 करोड़ की राशि अदा की थी। इसे वेतनों से संबंधित वस्तु शीर्ष 01 के अंतर्गत दर्ज करने की बजाए इसे वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2016) कि यह निधि भूटान प्रतिपूर्ति भत्ते से संबंधित है। बीआरओ ने सूचित किया कि वित्त वर्ष 2017-18 से मुख्य शीर्ष- 2052 के अंतर्गत बजट प्रावधान हेतु एक प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा				
6.	34-आर्थिक कार्य विभाग	7.75	3475/50	भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर किए गए व्ययों को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को किए गए ₹7.75 करोड़ के भुगतानों को वस्तु शीर्ष 50- अन्य प्रभार के अतंर्गत दर्ज किया गया था। व्यय को वस्तु शीर्ष 20-अन्य प्रशासनिक व्यय के अतंर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
आर्थिक कार्य विभाग, आईईएस प्रभाग ने बताया (जुलाई 2016) कि आईईएस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्ययों हेतु वस्तु शीर्ष को वित्तीय वर्ष 2016-17 से "20-अन्य प्रशासनिक व्यय" में परिवर्तित कर दिया गया है।				

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
7.	66 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	1.25	2851/32	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना पर किए गए ₹1.25 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष 32- अंशदान के अंतर्गत लेखाओं में दर्ज किया गया था। उपरोक्त योजना के अंतर्गत किया गया व्यय सामान्य/विशिष्ट उद्देश्य हेतु सगंठनों, पंजीकृत समितियों आदि को अनुदानों के रूप में था जिसे "32-अशंदान" के बजाए सही प्रकार से वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अतंर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि वह वर्ष 2017-18 से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के अतंर्गत व्यय को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज करने में समर्थ होगा।				
8.	70- प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय	0.65	2061/50	मंत्रालय ने 'भारतीय विकास प्रतिष्ठान-प्रवासी भारतीय', एक स्वायत्त निकाय, को सहायता अनुदान का संवितरण करने हेतु ₹0.85 करोड़ का प्रावधान प्राप्त किया तथा ₹0.65 करोड़ के व्यय को सहायता अनुदान हेतु वस्तु शीर्ष के स्थान पर गलत प्रकार से लेखा शीर्ष '50- अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया।
उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016).				
9.	77- विद्युत मंत्रालय	6.00	2801/31	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) को शिवपुरी, मध्य प्रदेश में एनपीटीआई के अतंर्गत एक नए विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने हेतु जारी ₹6.00 करोड़ की सहायता अनुदान को वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत व्यय को सही प्रकार से वर्गीकृत करने के स्थान पर वस्तु शीर्ष 2801.80.003.02.00.31 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत लेखाओं में दर्ज किया गया था।
मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2016) कि अभ्युक्ति को वित्तीय वर्ष 2017-18 से अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।				
10.	82- उप राष्ट्रपति सचिवालय	0.33	2012/13	वीवीआईपी के मनोरजंन पर किए गए ₹0.33 करोड़ के व्यय की डीएफपीआर के अनुसार उपयुक्त वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के स्थान पर गलत प्रकार से लेखा शीर्ष 2012.02.090.01.00.13- कार्यालय व्यय के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय सचिवालय ने बताया (अगस्त 2016) कि वस्तु शीर्ष-20 परिचालन हेतु एक टिप्पण वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया था।				

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
11.	83- **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**	28.24	3055/20	प्रचार उपायों तथा सर्तकता अभियानों जिसमें साथ-साथ डीएवीपी आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा संदेशो का मुद्रण, प्रचार सामग्री की आपूर्ति, प्रचार अभियान तथा दूरदर्शन/प्रसारण शामिल है, के कारण किए गए ₹28.24 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '26-विज्ञापन एवं प्रसारण' के अतंर्गत वर्गीकृत करने के बजाए वस्तु शीर्ष '20 अन्य प्रशासनिक व्यय' के अतंर्गत दर्ज किया किया गया था।
मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2016) कि गलत वर्गीकरण का सुधार कर लिया गया है तथा प्रचार सामग्री के मुद्रण, प्रदर्शनी, मेलों आदि पर व्यय को दर्ज करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से नया शीर्ष 3055.00.004.20.02.26 खोला गया है।				
12.	93-अंतरिक्ष विभाग	4.66	5402/60	₹4.66 करोड़ की लागत पर प्रापण की गई पूंजीगत मद (लार्ज एरिया स्वेप्ट चार्ज डिवाइस (एससीडी) एक्स रे डिटेक्टर्स) को वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के बजाए वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत प्रभार' के अतंर्गत दर्ज गलत रूप से दर्ज किया गया था।
13.		0.49	5402/53	आंतरिक प्रकार के ट्रासफार्मरो के प्रापण के प्रति ₹49 लाख की राशि अदा की गई थी और वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के बजाए वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
14.		0.27	5402/52	समेकित सर्किट/इलेक्ट्रानिक सघंटको (अतंरिक्ष अपभोज्य) के प्रापण के प्रति ₹27 लाख की राशि अदा की गई थी और वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत प्रभार' के बजाए वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
15.		0.51	3402/50	पुस्तिकाओं के मुद्रण तथा आपूर्ति करने के प्रति ₹51 लाख का व्यय किया गया था और '16 प्रकाशन' के अतंर्गत दर्ज किये जाने के बजाए 50-अन्य प्रभार के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
16.		0.45	3402/50	₹45.47 लाख की राशि के विज्ञापन प्रभार वस्तु शीर्ष '26-विज्ञापन एवं प्रचार' के बदले '50-अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किये गये थे।
17.		0.57	3402/50	पीएओ, इसरो मुख्यालय द्वारा अंतरिक्ष अध्ययन कार्यक्रम-2015 के शिक्षा शुल्क के प्रति अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय को ₹56.63 लाख की राशि जारी की गई थी जिसे '20 अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था परंतु इसे '50-अन्य प्रभारों के अतर्गत दर्ज किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
18.	93-अंतरीक्ष विभाग	0.43	3402/50	पीएओ, इसरो मुख्यालय द्वारा बीएसएनएल से संविदानिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु बीएसएनएल को अदा की गई ₹43.38 लाख की राशि को वस्तु शीर्ष "30-अन्य संविदानिक सेवाएं' के बजाए '50-अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
19.		0.68	3402/50	स्वायत्त निकाय पीआरएल, अहमदाबाद को ग्रहीय विज्ञान कार्यक्रम (प्लेनेक्स) के अतंर्गत जारी ₹45.68 लाख की सहायता अनुदान जिसे वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अतंर्गत दर्ज किया जाना था। परंतु उसे वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त ई.ओ.ए.एम. के अंतर्गत एन.ई.एस.ए.सी. को जारी किए गए ₹22 लाख को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' में दर्ज करने के बजाए वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' दर्ज किया गया था।
20.		3.15	3402/50	स्वायत्त निकाय पीआरएल अहमदाबाद को इसरो बायोस्फेयर कार्यक्रम (आईजीबीपी) के अतंर्गत जारी ₹3.15 करोड़ की सीमा तक की सहायता अनुदान, जिसे वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अतंर्गत दर्ज किया जाना था, को वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
21.		1.42	3402/30	पीएओ, इसरो मुख्यालय ने केन्द्रीय विघालय, राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (एनएएल) को अर्धवार्षिक किश्त के रूप में ₹1.42 करोड़ की राशि जारी की जिसे वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के बजाए वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवांए' के अतंर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
22.		6.78	3402/50	पीएओ, इसरो मुख्यालय ने वायुमण्डलीय विज्ञान कार्यक्रम के अतंर्गत ₹6.63 करोड़ की राशि राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) को जारी की जिसे वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के बजाए वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, अर्द्ध-चालक प्रयोगशाला (एससीएल), चण्डीगढ़ को अंशांकन-सत्यापन (सीएएल-वीएएल) के लिए जीपीएस रेडियोसोन्डस के उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु ₹0.15 करोड़ की राशि भी जारी की गई थी जिसे वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के बजाए वस्तु शीर्ष' '50 - अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
23.		8.35	3402/50	आईएसएसी (पी) ने मार्स ऑरबिटर मिशन (एमओएम) की ट्रेकिग, नेवीगेशन तथा दूरसंचार सहायता सेवाओं के प्रति नासा, यूएसए को ₹8.35 करोड़ की राशि अदा की जिसे वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के स्थान पर वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
24.		3.78	3402/30	आईएसएसी (सी) ने रेप्रोग्राफिक सहायकों एवं रेप्रोग्राफिक पर्यवेक्षकों तथा श्रमशक्ति प्रभारों के भुगतान पर ₹3.78 करोड़ का व्यय किया जिसे वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के स्थान पर '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
25.	93-अंतरिक्ष विभाग	1.18	3402/21	आईएसएसी (सी) ने रेप्रोग्राफिक सहायको, रेप्रोग्राफिक पर्यवेक्षकों, डाटा इंटरी/प्रशासनिक सेवाओं तथा श्रमशक्ति प्रभारों के भुगतान के प्रति ₹1.18 करोड़ का व्यय किया जिसे वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के बजाए '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
26.		1.37	3402/21	आईएसएसी (सी) ने कुर्सियों, टी.वी. डेस्कटॉप, पीसी, लैपटाप/नोटबुक, इरेजेबल प्रोगामेबल रीड ओनली मेमोरी (ईपीआरओएम) आदि के प्रापण के प्रति ₹1.37 करोड़ का व्यय किया जिसे वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय के बदले वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रियां' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
27.		0.33	3402/20	₹32.86 लाख का व्यय आईएसएसी अतिथिगृह का अनुरक्षण/ रखरखाव करने (श्रमशक्ति संविदा) के प्रति किया गया था जिसे गलती से वस्तु शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के बजाए वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
28.		0.10	3402/50	₹10.19 लाख का व्यय आईएसएसी अतिथिगृह का अनुरक्षण/ रखरखाव करने (श्रमशक्ति) के प्रति किया गया था जिसे गलती से वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किए जाने के बजाए वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अतंर्गत दर्ज किया जाना था।
29.		0.48	3402/30	₹48.43 लाख का व्यय आईएसएसी में कैन्टीन के अनुरक्षण (श्रमशक्ति) के प्रति किया गया था जिसे वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाएं' के अतंर्गत दर्ज किए जाने के बजाए वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अतंर्गत दर्ज किया जाना था।

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
30.		0.30	3402/21	₹30.21 लाख का भुगतान चैम्बर एवं शेकर्स के प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रति किया गया था तथा गलत रूप से वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्री के अतंर्गत दर्ज करने के बजाए वस्तु शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
31.		0.13	3402/50	₹13.19 लाख का व्यय आईएसएसी अतिथि गृह तथा अन्य स्थानों पर सुरक्षा सेवाओं के प्रति किया गया था तथा गलत रूप से वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अतंर्गत दर्ज किए जाने के बजाए वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
32.		0.36	3402/30	कनैक्टरों के प्रापण के ₹36.12 लाख के व्यय को पीएओ आईएसएसी परियोजना द्वारा गलत प्रकार से वस्तु शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवांए' के अतंर्गत दर्ज किया गया था जिसे सही प्रकार से वस्तु शीर्ष '21-आपूर्तियां एवं सामग्रिया' के अतंर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
अंतरिक्ष विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था। (अक्तूबर 2016)				
33.	94-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	0.01	3454/52	₹1.14 लाख का व्यय कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के प्रापण पर किया गया था तथा इसे गलत प्रकार से वस्तु शीर्ष '52- मशीनरी एवं उपकरण', जो श्रेणी-VI के अंतर्गत आता है जो पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के लिए है, के अतंर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को, राजस्व प्रवृति का होने से, राजस्व वर्ग में उपयुक्त वस्तु शीर्ष के अतंर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (सितंबर 2016) किया तथा बताया कि व्यय को सही प्रकार से दर्ज करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे।				

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	राशि (₹ करोड़ में)	मुख्य/ वस्तु शीर्ष जहाँ डेबिट किया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
34.	105- लोक निर्माण कार्य	2.15	2059/53	गणतंत्र दिवस समारोह तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रबंधन करने जिसमे प्राथमिक रूप से राष्ट्रपति डायस के लिए डिजाईन एवं निर्माण आधार पर हटायी जा सकने वाली छत की सरंचनात्मक डिजाईनिंग तथा जांच, उघोग भवन का अस्थायी प्रदीपन, तबूं करना/प्रबंधन, बैठने की व्यवस्था करने वाला कैम्प कार्यालय तथा अन्य सबंधित निर्माण कार्य आदि शामिल है, पर दिए गए ₹2.15 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अतंर्गत लेखाओं में दर्ज किया गया था। किए गए निर्माण कार्यों की मदों का परिणाम स्थायी प्रवृति की परिसम्पत्तियों के सृजन में नहीं हुआ था। इसलिए इस मामले में उपयुक्त लेखाशीर्ष का उपयोग अनुदान के राजस्व वर्ग से किया जाना चाहिए था।
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि उपरोक्त कार्य हेतु प्रावधान वर्ष 2016-17 से शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य' के अतंर्गत किया गया है।				
35.	105- लोक निर्माण कार्य	3.49	2059/50	स्माधि स्थल परिसर में सेना को तैनात करने पर तथा विभिन्न समाधियों पर अनुरक्षण तथा कार्यों से सबंधित विविध मरम्मत निर्माण कार्यों हेतु किए गए ₹3.49 करोड़ के व्यय को वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अतंर्गत लेखाओं में दर्ज किया गया था। इस व्यय को सही प्रकार से वस्तु शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अतंर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया(अगस्त 2016) कि शहरी विकास मंत्रालय को अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 से उपशीर्ष 2059.80.800.06 'अन्य स्माधियों का अनुरक्षण' के अतंर्गत नया वस्तु शीर्ष-व्यवसायिक सेवाएं का परिचालन करने का अनुरोध किया जा रहा था।				
	कुल	**387.32**		

4.5.4 'विशेष केन्द्रीय सहायता' का लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, राज्य सरकारों को राज्य जनजाति उप-योजना के अनुपूरक के रूप में, विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) प्रदान की जाती है। जहाँ 'जनजातीय क्षेत्र उप योजना' हेतु आवंटित निधियों को लेखे के विशिष्ट लघु शीर्ष अर्थात '796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित है, वही लेखाओं के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार,

'जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' को दर्ज करने हेतु एक पृथक लघु शीर्ष कोड, अर्थात 794 चिन्हित किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 98 की संवीक्षा से पता चला कि ₹1,250 करोड़ के कुल प्रावधान में से मंत्रालय द्वारा ₹1,132.17 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 के दौरान 'जनजातीय उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के रूप में जारी की गयी थी एवं यह व्यय लघु शीर्ष '796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसका लघु शीर्ष '794-जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के अंतर्गत प्रावधान तथा दर्ज किया जाना चाहिए था जैसा कि प्रचलित अनुदेशों में निर्धारित था।

वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 के लिए इस मामले को संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी के प्रतिवेदन सं. 1 तथा 2014-15 के प्रतिवेदन सं. 50 में भी इंगित किया गया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 2016) कि जनजातीय उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए वर्ष 2017-18 के लिए डीडीजी में लघु शीर्ष '794' खोला जाएगा।

4.6 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन

सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान करने हेतु मध्यस्थता योजना के रूप में क्रमश: अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातीय उप-योजना प्रारम्भ की गई थी। ऐसी योजनाएं, इन विशेष समूहों को उनकी संबंधित जनसंख्या के आकार के अनुपात में, सभी संबंधित विकास क्षेत्रों से, निधियों की गारंटी प्रदान करके लाभ सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। इन दोनों उप योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, भौतिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार से, परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों से लाभों को दिशा देना है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजनागत आवंटन के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) तथा जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.) हेतु अलग आवंटन करने की पहल की गई थी। सरकार ने समर्पित मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक (कोड 789)' तथा 'जनजातीय उपयोजना (कोड 796)' को प्रारम्भ करके ऐसे आवंटनों को दर्ज करने हेतु एक उपयुक्त लेखांकन क्रियाविधि स्थापित की थी। तदनुसार, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों में एक योजनागत योजना के

अंतर्गत सामान्य योजना', अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक' तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' हेतु अलग बजट सीमाओं सहित पृथक रूप से प्रावधान प्राप्त किया जाता है। अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक' तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत किए गए प्रावधान को, एस.सी.एस.पी. तथा टी.एस.पी. के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उन्हीं लघु शीर्षों को छोडकर, पुनर्विनियोजित किया जाना अनुमत नहीं है, ताकि विपथन की किसी भी संभावना से बचा जा सके।

जी.एफ.आर.-2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 के पैरा 4 (जिसमें बजट बनाने के लिये अनुदेश समाहित हैं) में प्रावधान है कि जहां एक योजना/ परियोजना पर प्रारम्भिक खर्चों की पूर्ति हेतु या आकस्मिक स्थितियों की पूर्ति हेतु तात्कालिक उपायों मापदण्डों का प्रावधान किया जाना हो, के अतिरिक्त, बजट में एक मुश्त प्रावधान नहीं किये जायेंगे, जो वित्तीय वर्ष में चालू करने हेतु, सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(क) वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग के समेकित सार के साथ विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने अनुदान के लिए पूरक मांग में सामान्य घटक, अनुसूचित जाति के लिये विशेष संघटक योजना तथा जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत राशि विशेष घटक वार ब्यौरे दिए बिना अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों से वस्तु-शीर्ष '31 सहायता अनुदान सामान्य' (2202.03.102.10.01.31) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय योजना के लिए पुनर्विनियोग हेतु ₹350 करोड़ का सांकेतिक पूरक प्राप्त किया (मार्च 2016)।

₹350 करोड़ के एकमुश्त पूरक को संसद के विशेष पूर्व अनुमोदन बिना योजना के तीन घटकों के बीच संविभाजित किया गया था। चूंकि व्यय आर्थिक सहायता अनुदान पर किया गया व्यय होने पर बजट प्रभाग के ओएम दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार नई सेवा/ सेवा के नए साधन की सीमाओं के उल्लंघन में था; इसलिए तीन योजनाओं के लिए अलग-अलग संसद का राशि-विशेष पूर्व अनुमोदन आवश्यक था जिसे प्राप्त नहीं किया गया था।

विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि ₹350 करोड़ के पुनर्विनियोग हेतु टोकन अनुपूरक अनुदान मार्च 2016 में अधिसूचित पूरक अनुदान की मांग (एसडीजी) के तीसरे बैच में प्राप्त किया गया था। इस राशि को एससीएसपी तथा टीएसपी संघटको के अतंर्गत अनुपूरक मांगों भी शामिल थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एससीएसपी तथा टीएसपी संघटको हेतु राशि-विशिष्ट स्वीकृति को 26 मार्च 2016 को वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा जारी एसडीजी के तीसरे बैच में दर्शाया नही गया था।

(ख) इसी प्रकार, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 109 में, मंत्रालय ने अनुदान हेतु अनुपूरक मांग में सामान्य सघंटक, अनुसूचित जाति हेतु विशेष सघंटक योजना तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना हेतु राशि विशिष्ट सघंटक-वार ब्यौरा प्रदान किए बिना वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदाने' (2204.00.104.50.00.35) के अतंर्गत शहरी खेल अवसरंचना योजना हेतु ₹20 करोड़ के पुनर्विनियोग हेतु एक टोकन अनुपूरक प्राप्त किया था। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि ₹20.00 करोड़ का टोकन अनुपूरक अनुदान वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदाने' के अतंर्गत ससंद से प्राप्त किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपूरक अनुदान केवल सामान्य सघंटक में शहरी खेल अवसरंचना विकास के लिए थी। इसकी बजाए मंत्रालय को प्रत्येक सघंटक हेतु अलग से राशि विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी क्योंकि डीडीजी में सभी तीनों सघंटको की अलग बजट रेखा थी।

4.7 वस्तु शीर्ष '42- एकमुश्त प्रावधान' के अतंर्गत अधिक प्रावधान प्राप्त करना

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 में अनुबंधित है कि एकमुश्त शीर्ष (वस्तु शीर्ष 42) के अंतर्गत, प्रावधान में योजना/उप योजना/संगठन, जहां प्रवाधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होते हैं, से सम्बंधित व्यय शामिल होगा। सभी अन्य मामलों में व्यय का ब्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2015-16 के लिए तीन अनुदानो के विनियोग लेखे की जांच में पता चला कि निम्नलिखित मामलों में वर्तमान नियमों के अन्तर्गत व्यय के पूर्ण विवरण के साथ संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय ₹10 लाख से अधिक के एकमुश्त प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

तालिका 4.12: एक मुश्त प्रावधान

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
		(₹लाख में)		
अनुदान सं.29- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय				
1.	2552.00.800.03.00.42 एनईसी सचिवालय में	30.00	7.10	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय, मंत्रालय ने बताया (अगस्त

	परियोजना, योजना एवं मॉनीटरिंग सैल की स्थापना			2016) कि ₹30.00 लाख का प्रावधान उत्तर पूर्वी परिषद में परियोजना, योजना तथा मॉनीटरिंग सैल की स्थापना के लिए किया गया था। चूंकि व्यय में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत व्यय शामिल थे इसलिए इस प्रकार के सभी व्ययों को निर्धारित वस्तु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। तथापि वर्ष 2016-17 के लिए ₹10.00 लाख का प्रावधान कथित शीर्ष के अतंर्गत प्राप्त किया गया था।
अनुदान सं. 34-आर्थिक कार्य विभाग				
2.	5475.00.800.12.00.42 अवसरंचना विकास व्यवहार्यता अतंर निधीयन हेतु सहायता	102850.00	62350.00	विभाग का उत्तर प्रतिक्षित था (अक्तूबर 2016)।
अनुदान सं.35-वित्तीय सेवाएं विभाग				
3.	3475.00.105.04.00.42 कार्यालय कोर्ट परिसमापक, कोलकात्ता को एकमुश्त प्रावधान का भुगतान	70.00	40.02	वित्तीय सेवाएं विभाग ने बताया (सितंबर 2016) कि कार्यालय कोर्ट परिसमापक, कोलकता की मद वार बजटीय आवश्यकता प्राप्त कर ली गई थी तथा इसका वर्ष 2016-17 हेतु वित्त मंत्रालय की डीडीजी में प्रावधान कर दिया गया था।

4.8 अतंरिक्ष विभाग में त्रूटिपूर्ण संस्वीकृति आदेशों को जारी करना

परिशिष्ट-3 तथा 4 के साथ पठित सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम, 48 सगंठन द्वारा वस्तु शीर्ष स्तर पर पूर्ण लेखा वर्गीकरण सहित व्यय के अनुमान तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 25(1) आदेश देता है कि व्यय हेतु सभी संस्वीकृतियां सबंधित अनुदान अथवा विनियोग में प्रावधानों के विवरणों को दर्शाएंगी जिससे इस प्रकार के व्यय को पूरा किया जाना है। परियोजना के वित्तीय प्रोफाईल को बेहतर समझने के लिए विनियोग की इकाई पर आधारित लागत अनुमानों को वित्तीय संस्वीकृतियों में सूचित किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान सं. 93-अतंरिक्ष विभाग के विनियोग लेखाओं की जाँच ने प्रकट किया कि अनुदानों की विस्तृत मांग में अनुमान अथवा व्यय योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय हेतु अलग से राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं पर वस्तु स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण के साथ तैयार किए गए थे जैसी संघ सरकार के अन्य मंत्रालयो/विभागों में प्रचलित प्रक्रिया है। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि:-

- अतंरिक्ष विभाग द्वारा, व्यय करने को प्राधिकृत करते हुए, जारी संस्वीकृति आदेश राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं और राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं के अंतर्गत योजनागत तथा गैर-योजनागत को अलग से डेबिट किए जाने वाले व्यय की राशि को अलग से निर्धारित नहीं करता है।
- संस्वीकृति आदेश वर्गीकरण के छठे टियर तक पूर्ण निर्देशन प्रदान करने के बजाए केवल उप शीर्ष स्तर अर्थात् वर्गीकरण का चौथा टियर तक वर्गीकृत किए जाने वाले व्यय की राशि को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार, अतंरिक्ष विभाग में प्राधिकारियों द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश त्रूटिपूर्ण थे क्योंकि वह व्यय को उचित प्रकार से दर्ज करने तथा वर्गीकरण के सबंध में स्पष्ट निर्देश प्रदान नहीं करते थे।

संस्वीकृति आदेशों में वर्गीकरण के ब्यौरो के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं में छठे टियर तक वर्गीकरण को दर्शा कर लेखाओं को कैसे तैयार तथा सकंलित किया गया है। जारी वित्तीय संस्वीकृति आदेशो के निर्दर्शी मामलों का **तालिका 4.13** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 4.13: त्रूटिपूर्ण वित्तीय संस्वीकृति आदेशों के निर्दर्शी मामले

क्र.सं.	सस्वीकृति सं. तथा दिनाँक	परियोजना का नाम (लेखाशीर्ष)	संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	सं.सी12012/1/2013.धारा 3 दिनाँक 5 जून 2015	पीएसएलवी निरतंर कार्यक्रम परिचालन वायुयान पीएसएलवी सी 36 से सी 50 (3402.00.101.04, 5402.00.101.20)	कैबिनेट सचिवालय	3090.00
2.	सं.सी.12011/4/2014.धारा .3 दिनाँक 29 मई 2015	जीसेट 18 संचार उपग्रह (3252.00.053.17, 5252.00.203.13) तथा लॉचं सेवाएं (3252.00.053.18, 5252.00.203.14)	कैबिनेट सचिवालय	1022.00
3.	सं.सी.12011/3/2014.धारा.3 दिनाँक 29 मई 2015	जीसेट 17 संचार उपग्रह (3252.00.053.15, 5252.00.203.11) तथा लॉचं सेवाएं (3252.00.053.16, 5252.00.203.12)	कैबिनेट सचिवालय	1013.20
4.	सं.सी.19013/81/2014. धारा 3 दिनाँक 20 मई 2015	कार्टोसेट-3 रिमोट सेंसिग उपग्रह (3402.00.101.51, 5402.00.101.44)	सदस्य वित्त, अंतरिक्ष	351.16

क्र.सं.	सस्वीकृति सं. तथा दिनाँक	परियोजना का नाम (लेखाशीर्ष)	संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	राशि (₹ करोड़ में)
			आयोग	
5.	सं.सी.12029/1/2015. धारा.3 दिनाँक 6 नवम्बर 2015	ओसिनसेट-3/ 3ए रिमोट सेंसिग उपग्रह (3402.00.101.54, 5402.00.101.47)	अंतरिक्ष आयोग	797.17
6.	सं.सी.19013/44/2014. धारा 3 दिनाँक 20 अप्रैल 2015	जीसेट 19 अंतरिक्षयान परियोजना (3252.00.053.19, 5252.00.203.15)	डीओएस	94.00
7.	सं.सी.12034/2/2015. धारा 3 दिनाँक 27 मई 2015	नासा-इसरो सिंथेटिक छिद्र राडार मिशन एनआईएसएआर (3402.00.101.61, 5402.00.101.54)	अंतरिक्ष आयोग	513.00
8.	सं.सी.12026/1/2015. धारा 3 दिनाँक 23 दिसंबर 2015	आरआईएसएटी आईए उपग्रह परियोजना (3402.00.101.53, 5402.00.101.46)	सदस्य वित्त, अंतरिक्ष आयोग	490.00
9.	सं.सी.12032/1/2009. धारा 3 (भाग-II) 20 नवम्बर 2015	आदित्य एल 1 अंतरिक्ष यान परियोजना हेतु संशोधित लागत अनुमान (3402.00.103.14, 5402.00.103.07)	सदस्य वित्त, अंतरिक्ष आयोग	378.53
		कुल		7749.06

मामले पर नि.म.ले.प. के वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 हेतु प्रतिवेदन सं. 1 में भी टिप्पणी की गई थी परंतु विभाग द्वारा कोई विवेकी कार्रवाई नहीं की गई थी।

अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि वह भविष्य में विनियोग की इकाई अर्थात् वर्गीकरण के छठे टियर तक के आधार पर परियोजना संस्वीकृति आदेश जारी करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रहा था।

4.9 अनुदान के एक ही वर्ग के अंतर्गत मुख्य शीर्षों में गलत वर्गीकरण

वर्ष 2015-16 हेतु अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) से सबंधित अनुदान सं. 93 के समेकित सार की तुलना में शीर्षवार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने अनुदान के एक ही वर्ग के अतंर्गत मुख्य शीर्षों में गलत वर्गीकरण के निम्नलिखित मामले प्रकट किए।

तालिका 4.14: अनुदान के एक ही वर्ग के अतंर्गत मुख्य शीर्षों में गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	3252	01/11/13/20 /27/28/50	1.70	डीओएस के विकासात्मक मिशनों (उपग्रह तथा लॉचं वाहनों) को प्रौद्योगिकीयों का प्रदर्शन करना है तथा प्रचालन मिशन मूल्य वसूली हेतु प्रत्याशित है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए डीओएस ने विकासात्मक उपग्रह को विकासात्मक लॉचं वाहन तथा प्रचालन उपग्रह को प्रचालन लॉचं वाहनों में लॉचं किया। डीओएस ने अप्रैल 2015 में जीसेट 19 प्रौद्योगिकी

				प्रदर्शन उपग्रह को संस्वीकृत किया तथा व्यय को अतंरिक्ष अनुसंधान मुख्य शीर्ष 3402 के बजाए इनसेट प्रचालन मुख्य शीर्ष 3252 के अतंर्गत दर्ज किया है।
2.	5252	52/60	3.97	डीओएस के विकासात्मक मिशनों (उपग्रह तथा लॉचं वाहनों) को प्रौद्योगिकीयों का प्रदर्शन करना है तथा प्रचालन मिशन मूल्य वसूली हेतु प्रत्याशित है। इस प्रकार डीओएस ने विकासात्मक उपग्रह को विकासात्मक लॉचं वाहन तथा प्रचालन उपग्रह को प्रचालन लॉचं वाहनों में लॉचं किया। डीओएस ने अप्रैल 2015 में जीसेट 19 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह को संस्वीकृत किया तथा किए गए व्यय को अतंरिक्ष अनुसंधान मुख्य शीर्ष 5402 के बजाए इनसेट प्रचालन मुख्य शीर्ष 5252 के अतंर्गत दर्ज किया है।
कुल			**5.67**	

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय डीओएस ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि डीडीजी 2016-17 में जीसेट-19 हेतु बजट प्रावधान राजस्व तथा पूंजीगत वर्गों में क्रमश: मुख्य शीर्ष '3402' तथा '5402' के अतंर्गत किया गया है।

4.10 सबंधित उप-शीर्ष के गैर-प्रचालन के कारण व्यय का गलत वर्गीकरण

डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार विभागीय कैन्टीनों से सबंधित विभिन्न व्ययों को मुख्य लेखाशीर्ष, जिसमें मंत्रालय/विभाग से सबंधित व्यय को आमतौर पर डेबिट किया जाता है, के अतंर्गत लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के नीचे एक नए उप-शीर्ष 'विभागीय कैन्टीन' के अतंर्गत उपयुक्त वस्तु शीर्ष के अतंर्गत दर्ज किया जाना है, जैसा वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन नियमावली के नियम 8 के तहत प्रावधान है, तथा इसे उस प्रकार दर्शाना है जैसा अनुदानों हेतु विस्तृत मांगो में दर्शाया गया है।

वर्ष 2015-16 हेतु अनुदान सं. 93-अतंरिक्ष विभाग की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग की विभिन्न इकाईयों ने 2015-16 के दौरान विभागीय कैन्टीन के अनुरक्षण पर किए गए ₹2.40 करोड़ के व्यय को गलत वर्गीकृत किया जैसा **तालिका 4.15** में दिया गया है।

तालिका 4.15: व्यय का गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	पीएओ	व्यय (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	3402	001	01	इसरो मुख्यालय	0.95	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय, जिसे '3402.00.800- 'अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अतंर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था, को उप शीर्ष '3402.00.001.01' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
2	3451	090	18	इसरो मुख्यालय	0.20	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय, जिसे '3402.00.800 अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अतंर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था, को उप-शीर्ष '3451.00.090.18' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
3	3402	101	10	आईएसएसी केन्द्र	1.25	विभागीय कैन्टीन पर किए गए व्यय, जिसे '3402.00.800 अन्य व्यय' के नीचे एक अलग उप-शीर्ष के अतंर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित था, को उप-शीर्ष '3402.00.101.10' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।
कुल					**2.40**	

डीओएस ने उत्तर दिया (जुलाई 2016) कि वस्तु शीर्ष 'अन्य प्रशासनिक सेवाएं' के अतंर्गत कैन्टीन पर व्ययों को दर्ज किया जाना डीओएस द्वारा व्यय दर्ज करने के सारांश के अनुसार किया गया था तथा इसलिए सही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने डीओपीटी के निर्देशों के विरूद्ध कार्य किया था।

रक्षा अनुदानें

4.11 पूंजीगत अनुदान से राजस्व अनुदान में कुल ₹1976.72 करोड़ की निधि का अप्राधिकृत अतंरण

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट नियमपुस्तिका 2010 का पैरा 3.2 बताता है कि तीन अवसर हैं जब तकनीकी अनुपूरक[1] मांग की जा सकती है (क) चार वर्गों

[1] जब किसी एक खंड में बचत है तथा उसे किसी विभिन्न खंड के अंतर्गत दूसरी योजना के लिए उपयोग करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है, यह 'तकनीकी अनुपूरक' द्वारा संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत्त) में से किसी से अभ्यर्पण तथा इसका मांग के अतंर्गत अन्य वर्ग में उपयोग करना, (ख) एक मांग से अन्य मांग में योजना का स्थानातंरण जिसका परिणाम उस मांग, जिसमें से योजना का स्थानांतरण किया गया है, से राशि के अभ्यर्पण तथा अन्य मांग जिसमें योजना का स्थानांतरण किया गया है, में इसके उपयोग में होगा तथा (ग) छूट/बट्टे खाते।

रक्षा मंत्रालय में अनुदानों हेतु छः मांगे (अनुदान सं. 23 से 28) है, अनुदान सं. 23 से 27 राजस्व वर्ग से सबंधित है तथा अनुदान सं. 28 पूंजीगत वर्ग से संबंधित है।

वर्ष 2015-16 के लिए रक्षा अनुदानों की जांच के दौरान, यह प्रकट हुआ कि ₹660.95 करोड़ की राशि का तकनीकी अनुपूरक पर आधारित मांग सं. 28 से मांग सं. 26 - रक्षा आयुध फैक्टरी को अंतरण हुआ था। यह तकनीकी अनुपूरक बजट मैन्यूअल में शामिल निर्देशों के उल्लंघन में था।

तकनीकी अनुपूरक प्राप्त करना तथा निधियों का एक मांग से दूसरे में बिना किसी योजना के अंतरण की इस गलत प्रक्रिया, के विषय में सीएजी के 2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 तथा 2015 के 50 में बताया गया था। फिर भी, मंत्रालय द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं।

आगे, संविक्षा ने प्रकट किया कि ₹660.95 करोड़ के तकनीकी अनुपूरक राशि के प्रति, मंत्रालय ने ₹1976.72 करोड़ पूंजीगत मांग से राजस्व मांग (मांग सं. 26 सहित) को अंतरित किया था, जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी पूरक द्वारा आवृत नहीं की गई सीमा तक निधियों का अनधिकृत अंतरण हुआ।

मंत्रालय के पास मामले को सितंबर 2016 में भेजा गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2016) में बताया कि बीई-2015-16 एवं प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत 2015-16 के दौरान प्राप्त अनुपूरक अनुदानों के प्रावधान, 2015-16 हेतु संशोधित विनियोग (एम.ए.) पर अंतिम आबंटन से अधिक था। अतः एम.ए. 2015-16 पर वि.मं. द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि हेतु संसद से तकनीकी अनुपूरक की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूंजीगत मांग से राजस्व मांग में किसी धनराशि के अंतरण को बजट नियम पुस्तिका 2010 के पैरा 3.2 के अनुसार तकनीकी अनुपूरक से आवृत्त करना आवश्यक होता है।

4.12 वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' को प्रावधान का सवंर्धन

वित्त मंत्रालय ने 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशानिर्देश (एनएस/एनआईएस) से संबंधित का.ज्ञा. दिनाँक 25 मई 2006 के संदर्भ में स्पष्ट किया (21 मई 2012) कि वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अतंर्गत सवंर्धन पर एनएस/एनआईएस के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ अथवा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों को, इस तथ्य का ध्यान किए बिना कि संवर्धन नए निर्माण कार्य अथवा मौजूदा निर्माण कार्य के लिए है, ससंद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की वर्ष 2015-16 की मांग सं. 28-पूंजीगत परिव्यय की संवीक्षा ने प्रकट किया कि टोकन प्रतिपूरक के द्वारा 4076.01-सेना के अंतर्गत संसद से ₹1588.00 करोड़ का प्राधिकरण प्राप्त किया जिसमें से ₹2099.86 करोड़ की राशि को तीन उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था। जैसा **तालिका 4.16** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 4.16: वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' को प्रावधान का सवंर्धन

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग की राशि	टोकन अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से ससंद से प्राप्त प्रावधान (दूसरे एसडीजी में)	अधिक व्यय
मुख्य शीर्ष-4076-पूंजीगत परिव्यय (अनुदान-28)			
01-थल सेना 202-निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	1774.20	1588.00	186.20
02- नौ सेना 202- निर्माण कार्य	76.00	0	76.00
03-वायु सेना 202-निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	249.66	0	249.66
कुल	**2099.86**	**1588.00**	**511.86**

इसका परिणाम संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना ₹511.86 करोड़ के संवर्धन में हुआ जिससे नई सेवा/सेवा के नए साधन में कमी के रूप में हुआ था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2016) में वि.मं. के ओएम दिनाँक 25 मई 2006 का उद्धरण दिया तथा बताया कि निर्माण कार्य व्यय से सबंधित सीमाओं सहित उपर कथित सीमाएं रक्षा सेवाएं अनुमानों के मामले में सुरक्षा के विचार के तहत इन विभागो पर लागू होगीं।

उसने आगे बताया कि 4076-01-202 (थल सेना-निर्माण कार्य) के अतंर्गत ₹1774.20 करोड़ तथा 4076-03-202 (वायु सेना-निर्माण कार्य) के अंतर्गत ₹249.66 करोड़ का पुनर्विनियोग को परिवर्तित विनियोग (एमए) स्तर (2015-16) पर प्रस्तावित किया गया था तथा वह सचिव (व्यय) द्वारा उचित प्रकार से स्वीकृत थे।

उत्तर इस तथ्य के अनुसार स्वीकार्य नहीं है क्योंकि थलसेना, नौ सेना तथा वायु सेना के अतंर्गत 2015-16 के रक्षा सेवा अनुमानों में 'निर्माण कार्य' हेतु अलग बजट सीमा थीं तथा सवंर्धन की वित्तीय सीमांए प्रत्येक बजट सीमा हेतु अलग से लागू थी। इसके अतिरिक्त 'निर्माण कार्य' के अतंर्गत किया गया व्यय वस्तु शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' की श्रेणी के अतंर्गत आता है इस प्रकार वित्त मंत्रालय के 25 मई 2006 के ओएम में निर्धारित सवंर्धन की वित्तीय सीमाएं सुरक्षा के विचार के तहत, समान रूप से रक्षा को भी लागू होती है। इस प्रकार प्राधिकृत प्रावधानों से ऊपर किए गए ₹511.86 करोड़ के अधिक व्यय को ससंद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित थी।

डाक विभाग

4.13 ₹51.26 करोड़ की 'नगद अनुपूरक' अनुदान का अप्राधिकृत संवितरण

वर्ष 2015-16 के लिए डाक विभाग से संबंधित अनुदान सं. 14 के अतंर्गत ससंद से प्राप्त अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगो के दूसरे बैच की जाँच ने प्रकट किया कि ₹40.00 करोड़ तथा ₹11.26 करोड़ की नगद अनुपूरक[2] अनुदानों को योजनागत

[2] नकद अनुपूरक राशि मूल बजट प्रावधानों से अधिक है तथा जिसका परिणाम मांग/सहायता अनुदान के लिए आवंटन की वृद्धि में हुआ।

योजनाओं हेतु क्रमश: राजस्व दत्तमत्त तथा पूंजीगत-दत्तमत्त वर्ग के अंतर्गत प्राप्त किया गया था जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

- ₹40.00 करोड़ की मुख्य शीर्ष '3201-डाक सेवाएं' के अतंर्गत भारतीय डाक बैंक तथा नेटवर्क सघंटन की स्थापना के प्रति आवश्यकता थी।
- ₹11.26 करोड़ की मुख्य शीर्ष '5201-डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अंतर्गत लंबित मामलों के निपटान हेतु "बैंकिंग तथा डाक जीवन बीमा समाधानों का विकास एवं परिनियोजन" के अंतर्गत भुगतान करने के प्रति आवश्यकता थी।

शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की विस्तृत संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹40.00 करोड़ की कुल अनुपूरक अनुदान में से केवल ₹37.45 करोड़ को मुख्य शीर्ष '3201-डाक सेवाएं' के अंतर्गत दर्शाया गया था जबकि ₹2.55 करोड़ की शेष राशि को मुख्य शीर्ष 2552-एनई क्षेत्र हेतु आबंटन के अंतर्गत दर्शाया गया था।

इसी प्रकार, ₹11.26 करोड़ की कुल अनुपूरक अनुदान में से ₹8.68 करोड़ को मुख्य शीर्ष '5201-डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अतंर्गत दर्शाया गया था तथा ₹2.58 करोड़ की शेष राशि को मुख्य शीर्ष 4552 के अंतर्गत दर्शाया गया था। ब्यौरे **तालिका 4.17** में दिए गए है। :

तालिका 4.17: अनुपूरक अनुदानों का अप्राधिकृत संवितरण

क्र.स.	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
राजस्व दत्तमत्त खंड (योजनागत)		
1.	3201.02.104.01- अनुसंधान एवं विकास	30.20
2.	3201.03.101.12-भारतीय डाक बैंक की स्थापना	7.25
	एमएच-3201 के अतंर्गत अनुपूरक चित्रण	**37.45**
3.	2552.02.104.01-अनुसंधान एवं विकास	1.80
4.	2552.03.101.12-भारतीय डाक बैंक की स्थापना	0.75
	एमएच- 2552 के अतंर्गत अनुपूरक चित्रण	**2.55**
	कुल	**40.00**
पूंजीगत दत्तमत खंड (योजनागत)		
5.	5201.00.104.62-परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	8.68
6.	4552.00.104.62-परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	2.58
	कुल	**11.26**

इसका परिणाम वर्तमान प्रावधानों के उल्लघंन में अप्राधिकृत संवितरण तथा शीर्ष वार विनियोग लेखाओं में अनुपूरक अनुदान के दर्शाए जाने में हुआ।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि योजना खंड के अंतर्गत मूल आवंटन ₹468.61 करोड़ था, जिसे वर्ष 2015-16 के लिए एसडीजी के दूसरे बैच द्वारा ₹51.26 करोड़ (दत्तमत) तथा ₹0.13 (प्रभारित) का अतिरिक्त आवंटन प्रदान कर संशोधित अनुमान स्तर पर ₹520 करोड़ बढ़ाया गया था।

इसने आगे बताया कि अतिरिक्त आवंटन उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत अनिवार्य को ध्यान में रखकर किए गए थे जिसमें ₹2.55 करोड़ तथा ₹2.58 करोड़ क्रमशः मुख्य शीर्ष 2552 तथा 4552 के अंतर्गत शामिल किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग संसद द्वारा संस्वीकृत अनुपूरक अनुदान के मूल लक्ष्य को परिवर्तित नहीं कर सकता है।

4.14 निष्कर्ष

संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित विनियोग लेखे में कमी, वित्तीय नियमावली का पालन नहीं होना आदि लेखापरीक्षा में पाया गया है, जो कि संपादित लेखाओं की परिशुद्धता पर प्रभाव डालता है। करों की वापसी पर ब्याज के भुगतान के लिए संसद से बजटीय प्रावधान की अनुपलब्धता, नई सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित अनुदेशों का पालन नहीं होना जो कि लोक लेखा समिति की सहमति से पारित हुए थे, गलत वस्तु शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्रावधान, प्राप्त करना जो गलत वर्गीकरण का कारण बना जिसका राजस्व घाटे पर प्रभाव है। कुछ क्षेत्र है जो मुख्य लेखा प्राधिकारी की जानकारी में होना चाहिए। इसके साथ ही, भारत की संचित निधि से लेन-देन पारित किए गए थे जो लोक लेखे में लेखाबद्ध होने थे तथा मूल्य विशिष्ट प्रावधानों की जगह एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए थे तथा रक्षा मंत्रालय में निधियों को पूंजीगत अनुदान से राजस्व अनुदानों में अप्राधिकृत प्रकार से अंतरण किया गया भी पाया गया था जिसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई अपेक्षित थी।

5: सहायता-अनुदान: एक विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

सहायता-अनुदान एक सरकार द्वारा अन्य सरकार, संस्थान अथवा व्यक्ति विशेष को प्रदान की गई सहायता, दान अथवा अंशदानों के रूप में किए गए भुगतान हैं। सहायता-अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा/अथवा पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की जाती हैं। संघ सरकार अन्य अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों को भी सहायता अनुदान के रूप में पर्याप्त निधियां प्रदान करती है। इसी प्रकार, राज्य सरकारें अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों जैसे कि विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारिता संस्थानों तथा अन्य को भी सहायता अनुदान संवितरित करती हैं। इस प्रकार, जारी किए गए अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन व्ययों को पूरा करने तथा सेवाओं के वितरण के अतिरिक्त पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जाता है।

5.2 व्यय की प्रवृत्ति

सहायता अनुदान नकद अथवा सेवा के रूप में प्रदान किया जाता है, किंतु इसे, उस उद्देश्य जिसके लिए यह प्रदान किया गया है, पर विचार किए बिना अनुदान दाता के खातों में हमेशा राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाना होता है। 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि के दौरान, सहायता-अनुदान पर व्यय संघ सरकार के राजस्व व्यय (रेलवे को छोड़कर) का लगभग 27 *प्रतिशत* था, जैसा कि नीचे **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.1: राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में सहायता-अनुदान

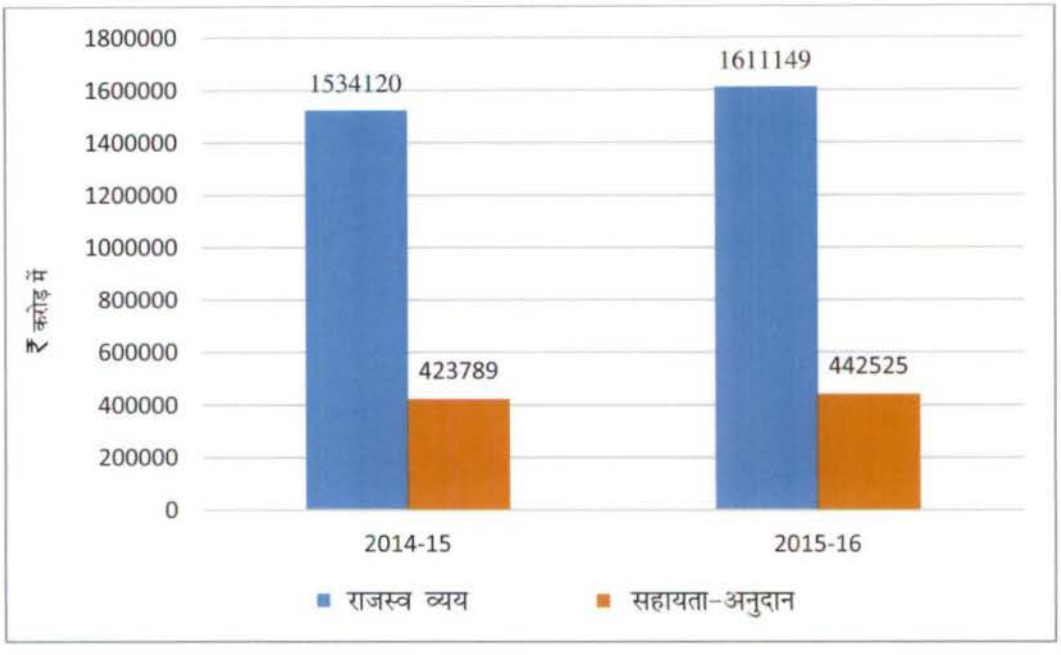

स्रोत : (i) राजस्व व्यय - वित्त लेखे (रेलवे को छोड कर)

(ii) सहायता-अनुदान - महा लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा प्रदत्त ई-लेखा डाटा डम्प (नवम्बर 2015 और अक्तूबर 2016)। डाटा में रेलवे को छोड़कर व्यय, वसूलियों का निवल शामिल है (वस्तु शीर्ष -70 वसूलियों की कटौती)।

(iii) सहायता-अनुदान आंकड़े में केवल राजस्व वर्ग के अंतर्गत दर्ज सहायता अनुदान ही शामिल है।

2014-15 की तुलना में, 2015-16 में सहायता अनुदान में निरपेक्ष रूप में चार *प्रतिशत* की वृद्धि हुई तथा राजस्व व्यय में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सहायता अनुदान व्यय बजट तथा लेखों में विभाजन के सबसे नीचे स्तर पर अर्थात एक वस्तु शीर्ष के रूप में दर्शाया गया है। 2008-09 तक सहायता अनुदान पर संघ सरकार के व्यय को एक ही वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान' के अंतर्गत दर्ज किया जाता था। वर्तमान में इस व्यय को दर्ज किए जाने हेतु अलग से तीन वस्तु शीर्ष संचालित किए जा रहे हैं। ये वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य; 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा; 36-सहायता अनुदान वेतन हैं। वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' को वित्तीय वर्ष 2009-10 से खोला गया था तथा विद्यमान वस्तु शीर्ष नामत: '31- सहायता अनुदान' को वित्तीय वर्ष 2010-11 से संशोधित कर '31-सहायता अनुदान सामान्य' पढ़ा जाने

लगा। आगे वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' को वित्तीय वर्ष 2011-12 से खोला गया था।

नीचे दिया गया **चार्ट 5.2** 2014-15 तथा 2015-16 में राजस्व लेखे के अंतर्गत संघ सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के सहायता अनुदानों को दर्शाता है।

चार्ट 5.2: सहायता-अनुदान के प्रकार (₹करोड़ में)

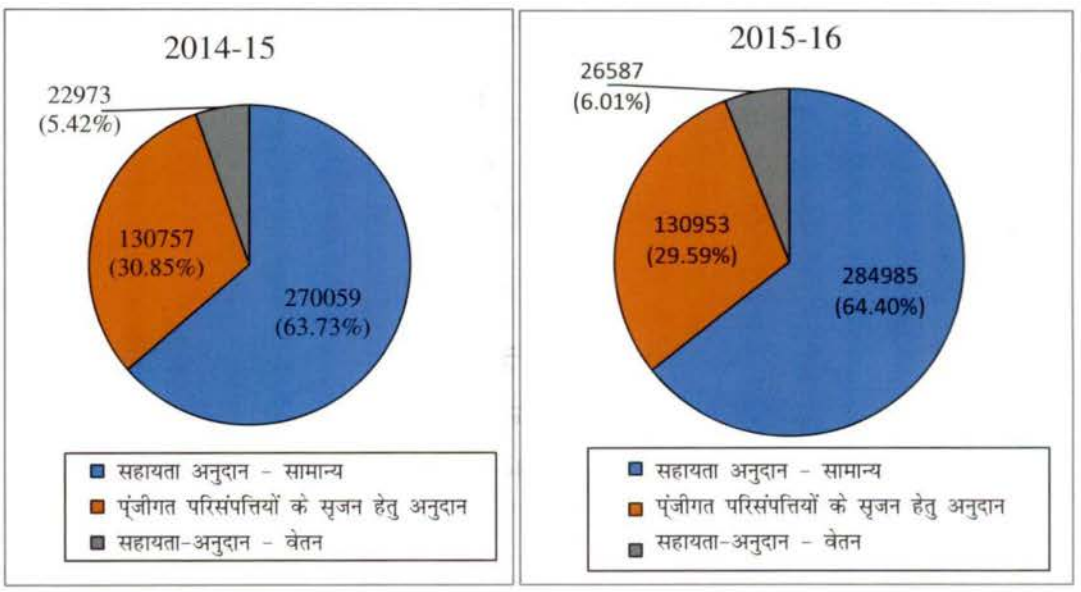

स्रोत:- महा लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा प्रदत्त ई-लेखा डाटा डम्प (नवम्बर 2015 और अक्तूबर 2016)। डाटा में रेलवे को छोड़कर व्यय, वसूलियों का निवल शामिल है (वस्तु शीर्ष -70 वसूलियों की कटौती)।

5.2.1 प्रभारित तथा दत्तमत सहायता-अनुदान

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सहायता अनुदान व्यय में से प्रभारित व्यय लगभग 15 *प्रतिशत* था जो कि वर्ष 2015-16 के दौरान 20 प्रतिशत तक बढ़ गया था। ये अनुदान, जो प्रकृति में गैर-योजनागत होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अनुसार बनाए गए हैं।

चार्ट 5.3, 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि के राजस्व लेखे के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदानों का विभाजन दर्शाता है।

चार्ट 5.3: प्रभारित तथा दत्तमत सहायता-अनुदान (₹ करोड़ में)

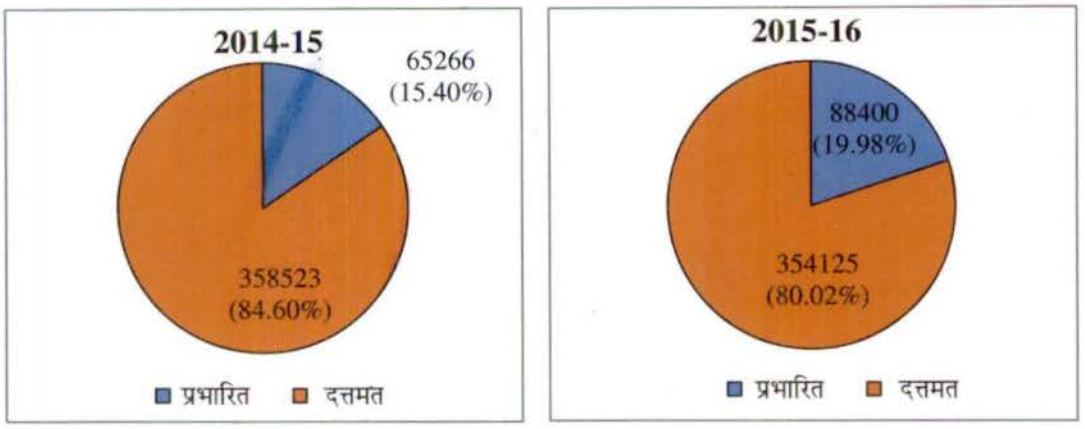

स्रोत: महा लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा प्रदत्त ई-लेखा डाटा डम्प (नवम्बर 2015 और अक्तूबर 2016)। डाटा में रेलवे को छोड़कर व्यय, वसूलियों का निवल शामिल है (वस्तु शीर्ष -70 वसूलियों की कटौती)।

5.2.2 योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान

संघ सरकार द्वारा, नियोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु तथा अन्य उद्देश्यों दोनों हेतु सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। **चार्ट 5.4** योजनागत तथा गैर-योजनागत वर्ग के अधीन सहायता अनुदानों के विभाजन दर्शाता है। सहायता अनुदानों का एक बड़ा हिस्सा नियोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु प्रदान किया गया सहायता अनुदान है। 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान योजनागत सहायता अनुदान का अंश राजस्व लेखे के अंतर्गत कुल सहायता अनुदान का क्रमश: 74.86 प्रतिशत तथा 64.40 *प्रतिशत* था।

चार्ट 5.4: योजनागत और गैर-योजनागत सहायता-अनुदान (₹करोड़ में)

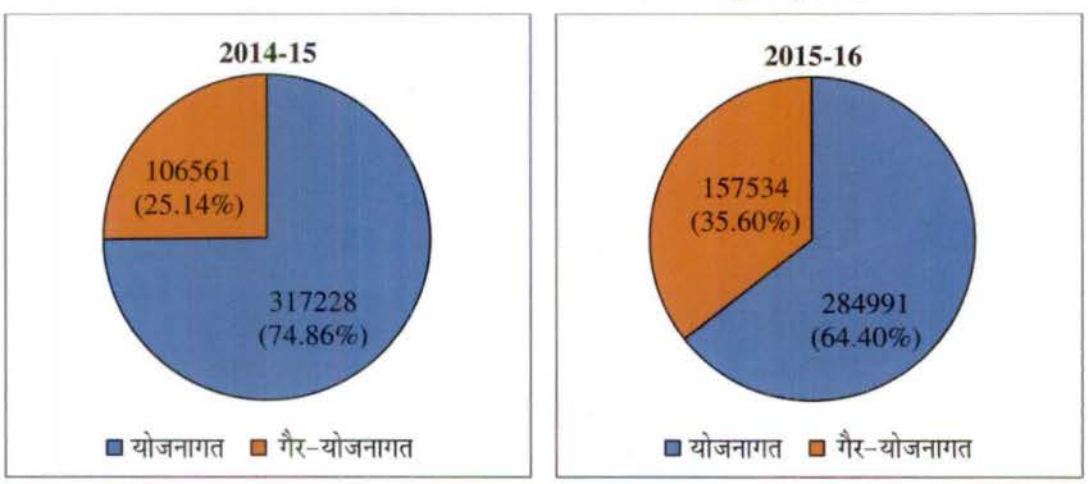

स्रोत: महा लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा प्रदत्त ई-लेखा डाटा डम्प (नवम्बर 2015 और अक्तूबर 2016)। डाटा में रेलवे को छोड़कर व्यय, वसूलियों का निवल शामिल है (वस्तु शीर्ष -70 वसूलियों की कटौती)।

2014-15 की तुलना में 2015-16 में योजनागत व्यय में ₹32,237.31 करोड़ की कमी हुई जबकि गैर योजनागत में ₹50,973 करोड़ की वृद्धि हुई।

5.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और विद्युत मंत्रालय में सहायता अनुदान पर व्यय की विस्तृत जांच

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और ऊर्जा मंत्रालय में सहायता अनुदान पर किए गए व्यय की समीक्षा लेखापरीक्षा में की गई ताकि अनुदानों को जारी करने तथा उसकी अनुवीक्षण पद्धती एवं किए गए व्यय की गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता, आदि के संदर्भ में आश्वासन प्राप्त हो सके। ऐसी समीक्षा से निकले परिणामों की चर्चा नीचे दिए गए पैराग्राफों में की गई है।

5.4 अनुदान सं. 48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

5.4.1 प्रस्तावना

संघ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वन के लिए सहमत तथा प्रमुख सक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण उन्नयन तथा पारम्परिक स्वदेशी चिकित्सा पद्धति उन्नयन हेतु उत्तरदायी है।

मंत्रालय के निम्नलिखित तीन विभाग है:

i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग;
ii. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग; एवं
iii. एड्स नियंत्रण विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य देखभाल जिसमें जागरूकता अभियान, टीकाकरण अभियान, निवारक दवाईयाँ, और सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल हैं के लिए जिम्मेदार है विशेषकर वह परिवार कल्याण मुख्यत: प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, बाल चिकित्सा, सूचना, शिक्षा एवं संचार; एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय सहायता दलों के साथ सहयोग; और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित पहलुओं के लिए उत्तरदायी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 29 स्वायत्त निकाय हैं।

5.4.2 बजट एवं व्यय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का कुल राजस्व व्यय 2013-14 में ₹ 26,799.55 करोड़, 2014-15 में ₹ 29,055.74 करोड़ और 2015-16 में ₹ 31,177.01 करोड़ था। सहायता अनुदान पर व्यय विभाग के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में से एक था। विवरण **तालिका 5.1** में दिए गए हैं।

तालिका 5.1: राजस्व लेखे पर प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		राजस्व व्यय		सहायता-अनुदान में व्यय		व्यय की तुलना में सहायता अनुदान की प्रतिशतता	
	योजनागत	गैर योजनागत	योजनागत	गैर योजनागत	योजनागत	गैर योजनागत	योजनागत	गैर योजनागत
2013-14	29,165.00	4,113.00	22,137.70	4,661.85	19963.50	1,767.04	90.18	37.90
2014-15	30,145.00	4,518.00	23,406.65	5,649.09	21312.01	2,007.74	91.05	35.54
2015-16	24,549.00	5,104.00	25,137.41	6,039.60	22742.37	2,322.16	90.47	38.45

स्रोत: लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) डाटा के अनुसार प्रधान लेखा कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 हेतु वस्तु शीर्षों '31-सहायता अनुदान सामान्य' '35 पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' तथा '36 सहायता अनुदान वेतन' द्वारा अनुदानों पर योजनागत व्यय का विसमूहन **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2: सहायता अनुदान पर वस्तु शीर्ष-वार योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
31-सहायता अनुदान-सामान्य	16418.93 (82.24)	18005.99 (84.49)	18058.45 (79.40)
35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2829.96 (14.18)	2341.30 (10.98)	3447.16 (15.16)
36-सहायता अनुदान वेतन	714.61 (3.58)	964.72 (4.53)	1236.76 (5.44)
कुल	**19963.50**	**21312.01**	**22742.37**

स्रोत: प्रधान लेखाकार कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोष्ठक में आंकड़े कुल योजनागत सहायता अनुदान की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

तालिका से यह स्पष्ट है कि 'सहायता अनुदान सामान्य' पर व्यय 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा अनुदानों पर किए गए कुल योजनागत व्यय का सहायता अनुदान (79 प्रतिशत से लेकर 84 प्रतिशत तक) पर कुल व्यय का बड़ा भाग संस्थापित करता था।

5.4.3 सहायता अनुदान पर व्यय का माह-वार प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212(1) के अनुसार, मंत्रालय अथवा विभाग को पूरे वर्ष में व्यय का एक समान प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए।

वर्ष के दौरान विभाग के योजनागत व्यय के प्रवाह की जांच विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना की मदद से की गयी। यह पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान सहायता अनुदान जारी करते समय उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया था।

2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान योजनागत सहायता अनुदान पर मासिक व्यय का प्रवाह वर्ष भर एक समान नहीं था। सहायता अनुदान पर योजनागत व्यय का बड़ा भाग जून माह में (2013-14 के दौरान 19.72 प्रतिशत और 2015-16 के दौरान 26.81 प्रतिशत) और 2014-15 के दौरान सितम्बर में 20.26 प्रतिशत था, जबकि 2013-14 से 2015-16 और वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए जनवरी की अवधि के दौरान अप्रैल, अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में व्यय नगण्य था।

5.4.4 डी.डी.जी. में अनुसूची को संलग्न न करना

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र के अनुसार, विभाग से गैर-सरकारी निकायों को सहायता अनुदान के भुगतान हेतु बजट अनमानों में शामिल प्रावधानों को दर्शाते हुए विस्तृत अनुदानों की मांग (डीडीजी) में अनुसूची संलग्न करना अपेक्षित है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए ₹5.00 लाख के सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों की सूची डीडीजी में शामिल की जानी थी। हालांकि

संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान दो निजी संगठनों[1] को संस्वीकृत ₹12.54 करोड़ एवं ₹6.87 करोड़ की राशि डीडीजी में शामिल नहीं पाई गई थी।

उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

5.4.5 सरकारी अनुदान में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों के डाटाबेस का गैर-अनुरक्षण

वित्त वर्ष 2009-10 से एक नया वस्तु शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' शुरू किया गया जिसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ग्राही निकायों को जारी अनुदानों को सुस्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना था। लेखाओं का मुख्य सिद्धांत है कि बही में परिसम्पत्तियां दर्ज करने करने के लिए परिसंपत्तियों का स्वामित्व इकाई के पास होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 215(3)(1) आदेश देता है कि प्रायोजित परियोजनाओं तथा योजनाओं के निधीयन के मामले में यह अनुबंध किया जाना चाहिए कि ऐसी निधियों से सृजित अथवा प्राप्त भौतिक तथा बौद्धिक परिसम्पत्तियों का स्वामित्व प्रायोजक के पास रहेगा।

विभाग द्वारा प्रदत्त डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान वस्तु शीर्ष 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत ₹8,618.42 करोड़ के कुल अनुदान जारी किए थे जिसमें से ₹2,379.07 करोड़ की राशि 17 स्वायत्त निकाय/संस्थानों को जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, अनुदान जारी करने से संबंधित अनुदान-वार/प्रभाग-वार अभिलेखों की जांच से पता चला कि :-

- केवल एक धारा "अनुदानों से सृजित परिसंपत्तियों का मंत्रालय की अनुमति के बिना निपटान नहीं जाएगा" को अनुभागों/डिवीजनों द्वारा संस्वीकृति आदेश में दर्ज किया गया था।

(i) भारतीय चिकित्सा संघ, नई दिल्ली और (ii) कैथोलिक विशप कान्फ्रैंस ऑफ इंडिया का सम्मेलन, दिल्ली

- अभिलेखों/डाटाबेस में अनुदानग्राही का नाम, सृजित परिसम्पत्तियों के ब्यौरे, ऐसी परिसम्पत्तियों का स्वामित्व आदि, के ब्यौरे को विभाग के अनुभागों में अनुरक्षित नहीं किया गया था।
- विभाग में ऐसा कोई तंत्र नही था जिससे अनुदानग्राही निकायों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु जारी किए गए सहायता अनुदान के उचित उपयोग को मॉनीटर किया जा सके।

इस प्रकार, किसी प्रासंगिक वस्तुसूची के न होने की वजह से तथा उपयुक्त मॉनीटर प्रणाली के अभाव में यह आश्वासन प्राप्त नहीं हो सका कि इस वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज 2013-14 से लेकर 2015-16 की अवधि में 17 स्वायत्त निकायों/संस्थानों को जारी किए गए सहायता अनुदान की राशि ₹2,379.07 करोड़ से वास्तविक रूप में परिसम्पत्तियों का सृजन हुआ जिसके लिए इन्हें जारी किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2016) कि अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया था।

5.4.6 सहायता अनुदान के रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जाना

जी.एफ.आर. 212(4)(क) तथा सी.ए.एम. के पैरा 4.27.2 के अनुसार, दोहरे भुगतान की संभावना से बचने के लिए मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा फार्म क्रमश: जी.एफ.आर.-39 तथा सी.ए.एम.-28 में दिए गए प्रपत्र में अनुदानों के एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा। किसी भी बिल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे जब तक कि उसे अनुभाग के अनुदान रजिस्टर में संबंधित संस्वीकृति के प्रति दर्ज न किया गया हो। यह एकमुश्त संस्वीकृति के मामले में किश्तों, यदि कोई हो, में भुगतानों पर निगरानी करने हेतु भी सुविधा प्रदान करता है।

यह पाया गया था कि विभाग के आठ अनुभागों/प्रभागों ने स्वायत्त संस्थानों को ₹3315.18 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए थे परंतु अनुभागीय स्तर पर अनुदानों के रजिस्टर को अनुरक्षित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अनुदानों के रजिस्टर के गैर-अनुरक्षण के कारणवश कोडल प्रावधान का उल्लंघन हुआ और अनुदानों की संस्वीकृति/संवितरण/उपयोग की मॉनीटरिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था।

5.4.7 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 208 (vii) के अनुसार प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ से अधिक के सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संगठनों के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) करना होगा, जिसमें अनुरूप इनपुट आवश्यकताओं के साथ कार्य के कार्यक्रम और आउटपुट में सुधार के विवरण स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए। निष्पादन परिणाम को इकाईयों के रूप में दिए गए आउटपुट लक्ष्य को इन संगठनों को प्रदत्त सहायता का बजटीय आधार बनना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा 19 संस्थानों/संगठनों (कुल मिलाकर ₹11,824.18 करोड़) को ₹5 करोड़ से अधिक के अनुदान किए गए थे, परंतु इन संगठनों के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृति आदेशों में (एम.ओ.यू) करने की आवश्यकता को भी नहीं दर्शाया गया था।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि अभ्युक्ति को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया था।

5.4.8 उपयोग प्रमाणपत्रों में अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212(1) के नीचे नोट 2 में बताया गया है कि केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के संदर्भ में, उपयोगिता प्रमाणपत्र में किए गए व्यय और भंडारों एवं परिसंपत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं निर्माण अभिकरणों, स्टाफ (मकान निर्माण एवं वाहन के क्रय, आदि) को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए जिसे अप्रयुक्त अनुदानों के रूप में माना जाएगा परंतु आगे

ले जाना स्वीकार्य हैं। अगले वर्ष के लिए अनुदानों का विनियमन करते हुए, आगे ले जाई गई राशि को भी ध्यान में रखा जाएगा।

स्वायत्त निकायों (ए.बी.)/संस्थान द्वारा विभाग के समक्ष प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों की नमूना जांच से पता चला कि 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं, निर्माण अभिकरणों, स्टाफ सदस्यों आदि, को ए.बी./संस्थानों द्वारा ₹1581.15 करोड़ के ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण कर दिया गया परंतु किए गए वास्तविक व्यय और दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों जिसमें व्यय शामिल नहीं था से संबंधित अलग प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया था। इस प्रकार, अपेक्षित सूचना के अभाव में विभाग ने संपूर्ण अनुदानों को संबंधित स्वायत्त निकायों/संस्थानों द्वारा प्रयुक्त किया जा चुका माना।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि अनुपालना हेतु अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया था।

5.4.9 स्वायत्त संगठनों के समकक्ष समीक्षा न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 208 (V) स्वायत्त संगठनों के कार्य के आकार तथा प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक तीन अथवा पांच वर्षों पर बाह्य अथवा समकक्ष समीक्षा के एक तंत्र का प्रावधान करता है। ऐसी समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ यह ध्यान देना चाहिए जैसे कि क्या उद्देश्यों की प्राप्ति हुई जिसके लिए संगठन स्थापित किया गया था; संगठन की गतिविधियों को जारी रखा जाये या नहीं क्योंकि या तो वे अब प्रासंगिक नहीं थी अथवा पूर्ण हो चुकी थी या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक असफल रही थी; क्या सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग शुल्क उचित दरों से लगाए गए थे; आंतरिक संसाधन बढ़ाये जाने की गुंजाईश की समीक्षा ताकि सरकारी बजटीय सहायता पर निर्भरता आदि को कम किया जाए, आदि विषयों पर भी इस समीक्षा में बल दिया जाना चाहिए।

2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान, विभाग ने 19 स्वायत्त निकायों/संस्थानों को ₹11824.18 करोड़ का कुल सहायता अनुदान जारी किया था,

परंतु इन निकायों/संस्थानों का कोई बाह्य या समकक्ष समीक्षा विभाग द्वारा कभी भी संचालित नहीं करवाई गई थी।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया।

5.4.10 निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना

जीएफआर का नियम 212(3)(i) निर्धारित करता है कि अनुग्राही संस्थान या संगठन से अपेक्षित है कि वह निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट को वित्त वर्ष समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत करेंगे। इस संदर्भ में संबधित संस्वीकृति प्राधिकरण द्वारा समय सीमा निर्धारित की जा सकती है और इस आवश्यकता को सहायता अनुदान संस्वीकृति आदेश में शामिल किया जाना जाना चाहिए।

विभाग द्वारा स्वायत्त निकायों/अभिकरणों/संस्थानों/आदि को दिए गए सहायता-अनुदान हेतु संस्वीकृति आदेशों के नमूना परीक्षण में पता चला कि ये संस्वीकृति आदेश इस आवश्यकता की और उस समय-सीमा को चिन्हित नहीं करते जिसमें अनुदेयी संगठनों द्वारा निष्पादन सह उपलब्धि प्रतिवेदन जमा करना अपेक्षित हो। इसके अलावा, संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद निष्पादन-सह-उपलब्धि की प्राप्ति को मॉनीटर करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2016) कि अभ्युक्तियों को अनुपालना हेतु दर्ज कर लिया गया है।

5.4.11 अवास्तविक बजट अनुमान

जीएफआर का नियम 209(6)(ii) व्यवस्था करता है कि अनुदेयी संस्थानों को सहायता अनुदान की संस्वीकृति अथवा अनुदान प्रदान करने में विलंब से बचने के लिए मंत्रालय या विभाग को सरकारी अनुदान पाने की इच्छा रखने वाले संस्थान या संगठन को जिस वर्ष के लिए सहायता-अनुदान माँगा गया हो उसे पूर्ववर्ती वर्ष के अक्तूबर माह की समाप्ति तक समर्थन ब्यौरों सहित अपनी आवश्यकता प्रस्तुत

करने के लिए दबाव डालना चाहिए। मंत्रालय अथवा विभाग को उनके अनुरोधों की जॉच को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और जहॉ अनुदान की संस्वीकृति तय की जाए वहॉ आवश्यक बजट प्रावधान किये जाने चाहिए। संस्थानों या संगठनों को उत्तरगामी वर्ष के अप्रैल तक उनके अनुरोधों के परिणाम सूचित किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने वाले निम्नलिखित योजनाओं में उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसके ब्यौरे **तालिका 5.3** में दिये गये हैं। 2013-14 से 2015-16 की अवधि हेतु ₹180.02 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से; संपूर्ण प्रावधान योजना के शुरूआत नहीं होने के कारण विभाग द्वारा जारी नहीं किया जा सका। यह अवास्तविक बजट मूल्यांकन को दर्शाता है।

तालिका 5.3: सहायता अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान के प्रति समग्र बचतों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	जारी की गई राशि	बचतें	बचतों की %	बचतों के कारण
1	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड	2210.05.800.05	2013-14	30.00	0.00	30.00	100	योजना आरंभ न होने के कारण
			2014-15	0.01	0.00	0.01		
			2015-16	0.01	0.00	0.01		
2	स्वास्थ्य बीमा (सीजीईआईपीएस)	2210.06.800.39	2013-14	50.00	0.00	50.00	100	योजना आरंभ न होने के कारण
			2014-15	50.00	0.00	50.00		
			2015-16	50.00	0.00	50.00		
					कुल	**180.02**		

5.4.12 मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना का अधूरा प्रकटीकरण

सा.वि.नि. का नियम 209(1) सहायता अनुदान देने के लिए सिध्दांतों तथा प्रक्रिया संचालन में निर्धारित करता है कि सहायता अनुदान की मांग कर रहे संस्थान अथवा संगठन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि इसने भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग से एक ही उद्देश्य अथवा कार्य हेतु अनुदान प्राप्त अथवा आवेदन नहीं किया है। कथित नियम के नीचे दी गई टिप्पणी

में भी बताया गया है कि सहायता अनुदान में पुनरावृत्ति से बचने हेतु मंत्रालय अथवा विभाग को अपनी वेबसाईट पर प्रदान की गई अनुदानों की राशि तथा उद्देश्य के ब्यौरे सहित संस्थानों अथवा संगठनों की एक सूची रखनी चाहिए।

यह देखा गया कि अनुदानग्राही संस्थानों/संगठनों के नाम वाली एक सूची मंत्रालय की वैबसाईट (*www.mohfw.gov.in*) पर मौजूद है। तथापि, उनको दिए गए अनुदान की राशि तथा उद्देश्य के ब्यौरों का उल्लेख इसमें नहीं किया गया था। ऐसी सूचना के उजागर होने के अभाव में अनुदानग्राही द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों से उसी उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान की प्राप्ति को नकारा नहीं जा सकता था। उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

5.4.13 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र (यू सी)

जी.एफ.आर. 2005 का नियम 212(1) निर्धारित करता है कि किसी संगठन के संस्थान संबंधी अनुवर्ती अनुदान का वास्तविक उपयोग, जिस उद्देश्य हेतु संस्वीकृति किया गया था, का उपयोगिता जीएफआर 19-क फार्म में प्रस्तुत करने की अनिवार्यता संस्वीकृति आदेश में दर्ज की जानी चाहिए। आवर्ती अनुदानों के संबंध में यू सी में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या विनिर्दिष्ट, परिभाषित एवं गुणात्मक लक्ष्य जिनकी उपलब्धि प्रयुक्त राशि के प्रति हुई थी, प्राप्त हुए थे और यदि नही, तो उसके कारण क्या थे। यू.सी. में इनपुट आधारित निष्पादन मूल्यांकन के बजाय आउटपुट आधारित निष्पादन मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। आवर्ती अनुदानों के मामले में ,संबंधित मंत्रालय व विभाग को परवर्ती- वित्त वर्ष हेतु किसी प्रकार की संस्वीकृति धनराशि को तभी जारी करना चाहिए जब पूर्ववर्ती वित्त वर्ष हेतु अनुदानों से संबंधित यू सी जमा किये जाएं।

इसके अतिरक्त यू सी को संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति के बारह माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे यू.सी. की प्राप्ति की संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए। जहाँ अनुदेयी से निर्धारित समय में ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होता, ऐसे मामलों में मंत्रालय अथवा

विभाग के पास ऐसे संस्थानों या संगठनों को किसी भावी सरकारी अनुदान, छूट या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता से वंचित करने की स्वतंत्रता होगी। इस तथ्य को भी जीएफआर के नियम 209(1) के अंतर्गत नोट में संदर्भित वेबसाइट पर डालना होगा।

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, ₹8055.27 करोड़ के कुल 3786 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2016 तक बकाया थे जिसके ब्यौरे **अनुबंध 5**.1 में दिए गये हैं। अनुदानों की पूर्ववर्ती अवधि जिसके लिए यू.सी. बकाया थे, वे वर्ष 1976 से संबंधित थे। विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जॉच से उजागर हुआ कि विभाग ने न तो दोषी संस्थानों/संगठनों को काली सूची में डालने का कार्य शुरू किया और न ही उसने 2011-12 के बाद बकाया यू.सी. के लम्बन को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया था।

चूंकि यू.सी. की प्राप्ति ही इसका एकमात्र साक्ष्य है कि निधियों का अभिप्रेत उद्देश्यों हेतु उपयोग हुआ है, विभाग को अनुदेयी निकायों द्वारा यू.सी. की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र बनाना चाहिए/निधियों के गबन/दुर्विनियोजन की संभावना से उन मामलों में इंकार नहीं किया जा सकता जहॉ अनुदेयी संगठनों ने यू.सी. की प्रस्तुति असाधारण रूप से विलंबित की थीं।

उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

5.4.14 त्रुटिपूर्ण आंतरिक निरीक्षण

संघ सरकार के लेखे के विभागीकरण की योजना लेखाओं में परिशुद्धता तथा लेखांकन ढ़ाँचे के संचालन में दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्थापना का प्रावधान करती है।

जीएफआर का नियम 212(1) यह भी व्यवस्था करता है कि मंत्रालय या विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं वर्ष हेतु प्राप्त निष्पादन प्रतिवेदनों, यदि कोई हो, का भी आगे अनुदानों की संस्वीकृति प्रदान करने में ध्यान में रखा

जाएगा। विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकायों/संस्थानों आदि सहित इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं।

724 इकाइयों में से केवल 97,110 एवं 51 इकाईयों में क्रमश: वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 में लेखापरीक्षा आयोजित करने की योजना थी। जबकि, केवल 47, 55 एवं 49 इकाइयों की ही क्रमश: वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा की गयी थी। सहायता अनुदान पर भारी धनराशि व्यय करने के बावजूद, आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने विभाग द्वारा सहायता-अनुदान की संवीक्षा नहीं करायी थी। अत: आंतरिक पर्यवेक्षण तंत्र तथा विभाग की गतिविधियाँ व्यय के आकार के साथ अनुपातिक नहीं थीं। एक मजबूत एवं सक्षम आंतरिक प्रबंधन के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि विभाग अनुदेयी निकायों के दैनिक कार्य एवं कार्यक्रमों के निष्पादन में नियमों, विनियमों एवं विषय पर मौजूदा निर्देशों का अनुपालन किस प्रकार सुनिश्चित करता है।

उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

5.5 अनुदान सं. 77-विद्युत मंत्रालय

5.5.1 प्रस्तावना

विद्युत भारतीय संविधान की सातवी अनुसूची के अंतर्गत एक समवर्ती विषय है। विद्युत मंत्रालय मुख्यत: देश में बिजली ऊर्जा के विकास के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय का कार्य परिप्रेक्ष्य नियोजन, नीति निर्माण निवेश निर्णयों हेतु परियोजनाओं छँटाई की प्रसंस्करण, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण एवं श्रमशक्ति विकास तथा, जलीय विद्युत उत्पादन, संचार एवं संवितरण से संबंधित विधान के प्रशासन एवं अधिनियम से संबंधित है।

विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 17 संगठन/निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम आते हैं।

एमओपी ने विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं पर 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान सहायता-अनुदान के रूप में ₹12,388.60 करोड़ का व्यय किया था। गॉवों/अधिवासों एवं घरों तक बिजली पहुँचने के लिए (ग्रामीण विद्युतिकरण से संबंधित) दीन दयान उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), (वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण से संबंधित),एकीकृत विद्युत योजना (आईपीडीएस) एवं (ग्रिड को सुरक्षित संचालन से संबंधित) विुद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) जैसी योजनाओं के अंतर्गत विकास एवं जीवन स्तर सुधारने के लिए काफी व्यय किया गया था। इन योजनाओं का प्रमुख जोर देश भर में विद्युत अवसंरचना के विकास पर था।

5.5.2 बजट एवं व्यय

मंत्रालय का कुल राजस्व व्यय 2013-14 के ₹3,736.65 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹7863.27 करोड़ हो गया था। सहायता-अनुदान पर व्यय मंत्रालय के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में से एक है जैसाकि **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4: बजट प्रावधान एवं व्यय

वर्ष	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)		राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)			सहायता अनुदान पर व्यय (₹ करोड़ में)		राजस्व व्यय की तुलना में सहायत-अनुदान की प्रतिशतता	
	योजनागत	गैर योजनागत	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	योजनागत	गैर योजनागत
2013-14	7337.95	707.90	3054.14	682.51	3736.65	3000.33	43.60	98.24	6.39
2014-15	7571.50	166.80	4395.26	242.25	4637.51	3972.80	42.14	90.39	17.40
2015-16	6141.44	178.09	7701.25	162.02	7863.27	5282.67	47.06	68.59	29.05

स्रोत:- वि.मं. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2013-14 से 2015-16 के दौरान, योजनागत राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता-अनुदान पर व्यय 98.24 प्रतिशत से घटकर 68.59 प्रतिशत हो गया, जबकि गैर-योजनागत राजस्व व्यय के संबंध में यह 6.39 प्रतिशत से बढ़कर 29.05 प्रतिशत हो गया।

5.5.3 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वर्तमान में, तीन अलग वस्तु-शीर्ष हैं जिनके अंतर्गत सहायता अनुदान व्यय बही खाते में दर्ज किए जाते हैं यथा '31-सहायता-अनुदान सामान्य'; '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' एवं '36-सहायता-अनुदान वेतन'। 2013-14 से 2015-16 की अवधि से जारी किए गये वस्तु-शीर्ष-वार सहायता-अनुदानों के ब्यौरे **तालिका 5.5** में दिये गये हैं।

तालिका 5.5: जारी किए गये वस्तु-शीर्ष-वार सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	योग
31-सहायता अनुदान सामान्य	126.07 *(4.15)*	290.75 *(7.24)*	182.98 *(3.43)*	599.80
35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2917.86 *(95.85)*	3724.19 *(92.76)*	5146.75 *(96.57)*	11788.80
कुल	**3043.93**	**4014.94**	**5329.73**	**12388.60**

स्रोत: विद्युत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

कोष्ठक में दिए आंकड़े कुल सहायता अनुदान की प्रतिशतता दर्शाते है।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान पर किये गये कुल व्यय (93 प्रतिशत से लेकर 97 प्रतिशत तक) का उल्लेखनीय भाग निर्मित करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान वस्तु शीर्ष- '36-सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन नहीं किया था। जबकि वस्तु-शीर्ष का सृजन वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 से किया गया था। इस प्रतिवेदन के अध्याय-IV के पैरा 4.5.2 में इसे उजागर किया गया है।

5.5.4 सहायता अनुदान पर व्यय का माह-वार प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 212 (1) के अनुसार, मंत्रालय अथवा विभाग की सहायता - अनुदान पर व्यय के प्रवाह को वर्ष भर समान बनाये रखना चाहिए। 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के प्रवाह की

जॉच की गयी थी। यह देखा गया कि मंत्रालय के तीनों में से किसी भी वर्ष में सहायता अनुदान जारी करते समय उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया था।

सहायता-अनुदान पर पूंजीगत व्यय का बड़ा भाग 2013-14 से 2015-16 की अवधि में सितम्बर (2013-14 के दौरान 25.52 प्रतिशत, 2014-15 के दौरान 53.56 प्रतिशत एवं 2015-16 के दौरान 33.98 प्रतिशत) एवं दिसम्बर (2013-14 के दौरान 28.54 प्रतिशत, 2014-15 के दौरान 21.77 प्रतिशत एवं 2015-16 के दौरान 26.94 प्रतिशत) के माह में खर्च किया गया था, जबकि बहुत छोटा व्यय अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्तूबर एवं जनवरी में किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2016) कि समेकित ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत सहायक-अनुदान लाभार्थी उपयोगिताओं की परियोजना की प्रगति, पूर्व में प्रदत्त धनराशि के उपयोग एवं निधियों के निर्गम हेतु उपयोगिताओं के अनुरोध के आधार पर जारी किया गया था। तथापि तथ्य यही है कि सा.वि.नि. के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था।

5.5.5 विद्युत वित्त निगम को धनराशि के निर्गम में विलंब

सिविल लेखा नियम पुस्तिका (सीएएम) के पैरा 2.3.1 के अनुसार, भुगतान के लिए बिलों को उनकी प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के भीतर पास करके चैक जारी कर दिए जाने चाहिए। बिलों को जल्दी पास करने और भुगतानों को कम समयांतराल में पूरा करने के प्रयास किये जाने चाहिए और प्रधान सीसीए/सीसीए/सीए को उस संबंध में नियम बनाने के साथ ही उनकी अनुपालना को व्यक्तिगत रूप से मॉनीटर करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अध्याय-IV के पैरा 10 के अनुसार दिनांक 3 दिसम्बर, 2014 के वि.मं. का का.आ. सं. 26/1/2014-एपीआरडीपी के अंतर्गत जारी निधि संवितरण दिशानिर्देशों के अनुसार यो.मं. से ऊर्जा वित्त नि. (पीएफसी) से उपयोगिताओं और उससे आगे की कड़ी में निधियों के निर्गम में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी एफ एम एस) का उपयोग अनिवार्य है।

आई.पी.डी.एस. के संचालन हेतु राज्य ऊर्जा उपयोगिताओं को अनुदान संवितरित करने के लिए पी.एफ.सी. को वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत ₹146.79 करोड़ की राशि जारी करने के लिए 04 जून 2015 को मंत्रालय ने संस्वीकृति आदेश जारी किया था। संस्वीकृति आदेश की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अनुदान को पी.एफ.सी. के अलग बैंक खाते में 15 जुलाई 2015 अर्थात् सिविल लेखा नियमपुस्तिका के पैरा 2.3.1 की अनदेखी करते हुए बिल जमा करने की तिथि के 29 दिन बीत जाने के बाद जमा किया गया था।

यह भी नोट किया गया था कि संस्वीकृति आदेश के पैरा 4(ii) के अनुसार, निधियों को राज्य उपयोगिताओं को केवल पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से ही दिया जाना था। 07 जुलाई 2015 को, पी.एफ.एम.एस. पर केवल चार राज्य उपयोगिताओं को दर्ज किया गया था जिसमें नौ उपयोगिताओं हेतु ₹146.79 करोड़ के कुल अनुदान में से पी.एफ.सी. द्वारा ₹50.31 करोड़ तक के कुल अनुदान जारी किए गए थे जिसके प्रति केवल चार राज्य उपयोगिताएं पी.एफ.एम.एस. पर जारी किए गए थे। अत: पी.एफ.एम.एस. में मैपिंग और ₹146.79 करोड़ के शेष निर्गम हेतु पांच उपयोगिताओं में शर्तों की आवश्यक अनुपालना 07 जुलाई 2015 तक लंबित थी।

एमओपी ने अपने उत्तर (अगस्त 2016) में बताया कि लाभग्राही संस्थाओं को निधियाँ उनके द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार शर्तों का अनुपालन करने पर ही जारी की जानी थीं और पीएफसी द्वारा सभी नौ राज्यों में लाभग्राही को पीएफसीएस के माध्यम से पूरे अनुदान के वास्तविक संवितरण की तिथि प्रस्तुत करनी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वि.मं. को पीएफसी को निधियों की संस्वीकृति के पूर्व सभी अनुपालनाओं के पालन को सुनिश्चित करना चाहिए था। इसमें विफलता से राज्य लाभग्राहियों को निधियों के संवितरण में 3 से 238 दिनों का विलंब हुआ।

एमओपी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आगे बताया (सितम्बर 2016) कि पी एफ सी ने वि.मं. से अनुरोध भी किया था कि निधियों के निर्गम हेतु अनुरोध उपयोगिताओं द्वारा आवश्यक शर्तों की अनुपालना के बाद यो.मं. से करना चाहिए

था। तबसे यह प्रक्रिया कार्यान्वित की जा रही है और यो.मं. से धनराशि प्राप्त होने के बाद उपयोगिताओं को निधियों के निर्गम ने कोई विलंब नहीं हुआ था।

5.5.6 सरकारी अनुदानों में से अनुदान ग्राही द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का अनुरक्षण न किया जाना

वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम (एफआरबीएम) , 2004 के नियम 6 (1) एवं वित्त मंत्रालय के दिनांक अप्रैल 2005 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र डी-4) में एक परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण करना आवश्यक था ताकि परिसम्पत्ति की स्थिति के बारे में समुचित प्रकटीकरण भारत सरकार के बजट में किया जा सके।

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 215(3) भी यह निर्धारित करता है प्रायोजित परियोजनाओं और योजनओं के वित्तपोषण के मामले में यह करार दिया जाना चाहिए कि इन निधियों के सृजन अथवा प्राप्त भौतिक एवं बौद्धिक परिसम्पत्ति में स्वामित्व प्रायोजक का होगा। वित्त वर्ष 2009-10 से, एक नये वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' का आरंभ पूंजीगत परिसम्पित्तियों के सृजन हेतु अनुदेही संस्थानों को जारी अनुदानों के स्पष्टत: परिकलित करने के लिए किया गया था।

संबंधित अभिलेखों और संस्वीकृतियों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि ₹12,388.60 करोड़ के कुल सहायत-अनुदान में से, मंत्रालय ने ₹11,788.80 करोड़ वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत **2013-14** से **2015-16** की अवधि के दौरान कार्यान्वयन अभिकरण/अनुदेयी निकायों को, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आर.ई.सी.) (₹10,651.36 करोड़), ऊर्जा वित्त निगम (पी.एफ.सी.) (₹348.15 करोड़), भारतीय ऊर्जा ग्रिड निगम लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) (₹310.00 करोड़), राष्ट्रीय भार डिस्पैच केन्द्र (एन.एल.डी.सी.) (₹361.78 करोड़) और केन्द्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (सी.पी.आर.आई.) (₹117.51 करोड़) जारी किया था।

मंत्रालय ने संस्वीकृति आदेश में एक धारा जोड़ी थी कि सृजित परिसम्पत्तियों का निपटान मंत्रालय की अनुमति के बगैर नहीं होगा। तथापि, कोई केन्द्रीकृत अभिलेख/डाटाबेस, यथा अनुदेयी के नाम, सृजित परिसम्पत्ति की प्रकृति के साथ सृजन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त अनुदानों की राशि, ऐसी परिसम्पत्तियों का स्वामित्व आदि से संबंधित ब्यौरा मंत्रालय द्वारा सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया था। अतः यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या संस्वीकृति आदेश में जोड़ी गई धारा में उल्लिखित निर्देशों का पालन किया जा रहा था।

किसी केन्द्रीकृत डाटा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ₹11,788.80 करोड़ का कुल व्यय इस वस्तु शीर्ष के अंतर्गत 2013-14 से 2015-16 की अवधि में जारी निधियों को व्यय वास्तव में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में प्रतिफलित हुआ था। तथा परिसम्पत्तियों का निपटान बिना किसी अनुमति के नहीं किया जा सकता।

मंत्रालय के ट्रांसमिशन प्रभाग ने बताया कि पीजीसीआईएल ने केवल कुछ उप-स्टेशनों मात्र के लिए ही भूमि अधिग्रहित की है और कोई अन्य परिसंपत्ति नहीं बनायी गयी थी। परिसंपत्ति पंजिका का अनुरक्षण कार्य की प्रगति के अनुसार परिसंपत्ति के सृजन के साथ किया जाना था, जिसे अभी शुरू किया जाना था।

वि.मं. का अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों/अनुदेयी निकायों को जारी की गई निधि के संबंध में जवाब प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

5.5.7 अनुदान ग्राही संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्रों (यू सी) को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 212(1) यह निर्धारित करता है कि प्रपत्र-19क में यू.सी. को अनुदेयी संस्थानों या संगठनों द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति के बारह माह के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाए।

सहायता-अनुदान हेतु संस्वीकृतियां निर्धरित करती हैं कि यू.सी. में यह भी प्रकट किया जाना चाहिए कि क्या विनिर्दिष्ट, निर्धारित एवं गुणवत्ता लक्ष्य जिन्हें प्रयुक्त

धनराशि के प्रति प्राप्त किया जाना चाहिए, उसकी वास्तव में प्राप्ति हुई है और यदि नहीं तो उसके कारण। उसमें एक आउटपुट आधारित निष्पादन मूल्यांकन (जीएफआर का नियम 212) शामिल होना चाहिए।

उ.प्र.प. के नमूना परीक्षण एवं अनुदेयी संगठनों द्वारा प्रस्तुत संबंधित अभिलेखों से उजागर हुआ कि जेइआरसी द्वारा जमा उ.प्र.प. में निर्धारित प्रारूप (जीएफआर-19 क) के अनुसार नियंत्रणों के प्रकार को नहीं दर्शाया गया था। जेइआरसी एवं सीइआरसी द्वारा प्रस्तुत उ.प्र.प. में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में संबंधित तथा जीएफआर के नियम 212 के अंतर्गत आवश्यक आउटपुट आधारित किसी निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित सूचना भी प्रकट नहीं की गयी थी।

मंत्रालय सुनिश्चित करे कि निर्धारित प्रारूप में पूरे ब्यौरे के साथ उ.प्र.प. की प्रस्तुति हेतु अनुदेयी संस्थानों को समुचित निर्देश दिए गये हैं। वि.मं. का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

5.5.8 निष्कर्ष

सार्वजनिक सेवा वितरण की परिवर्तनशील प्रकृत्ति सहायता अनुदान व्यय में स्थिर तेजी का कारण बनी। वर्ष 2014-15 की तुलना में, सहायता-अनुदान पर व्यय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹4,23,789 करोड़ से बढ़कर ₹4,42,525 करोड़ हो गया था, जिससे चार प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई थी। सहायता-अनुदान पर व्यय कुल राजस्व व्यय का लगभग 27 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 के दौरान कुल ₹16,11,149 करोड़ (रेलवे को छोड़कर) धनराशि का बना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित सहायता-अनुदान के विश्लेषण में आंतरिक मॉनिटरिंग प्रणाली में कमियों का पता चला जैसे कि अनुदानग्राही संगठनों की बाह्य समकक्ष संवीक्षा नहीं करवाना, अनुदानग्राही द्वारा निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करना, सहायता-अनुदान की पंजिका का अनुरक्षण नहीं करना, आदि। यह भी पाया गया था कि विभाग ने अनुदानग्राही निकायों द्वारा उन्हें जारी अनुदानों में से सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता एवं मूल्य के डाटाबेस का

अनुरक्षण नहीं किया था। विभिन्न अनुदानग्राही संगठनों का उपयोग प्रमाण-पत्र के विलंब होने के बावजूद भी अगले वर्षों में इन अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय से संबंधित विश्लेषण में भी कमियां पाई गई जैसे कि सहायता-अनुदान-वेतन से संबंधित वस्तु शीर्ष का परिचालन न होना, सरकारी अनुदान में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों के डाटा का अनुरक्षण न होना, योजनागत अनुदानों के व्यय का असमान प्रवाह, आदि। विश्लेषण में यह भी उजागर किया गया कि अनुदानग्राही संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(मुकेश प्रसाद सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली
दिनांक: 01 दिसम्बर 2016

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 02 दिसम्बर 2016

अनुबंध

अनुबंध 1.1

(पैराग्राफ 1.3.2.2 के संदर्भ में)

कुल अदत्त आर्थिक सहायता दावों से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सी.पी.एस.यू./निगम का नाम	वर्ष 2015-16 के दौरान केवल तीन तिमाहियों के बकाया दावे	2015-16 के दौरान प्रस्तुत किए गए चौथी तिमाही के दावे	2015-16 के अंत में बकाया दावों का अंतिम शेष	वर्ष 2015-16 के अंतिम तिमाही दावों के निकाले बिना पिछले वर्षों के बकाया दावों सहित किए दावे
	1	2	3	4	5(4-3)
1.	उर्वरक एवं रसायन ट्रावणकोर लिमि.	121.33	56.35	254.23	197.88
2	राष्ट्रीय उर्वरक लिमि.	2883.23	597.32	4629.17	4031.85
3	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमि.	2083.49	986.03	3931.81	2945.78
4	भारतीय खाद्य निगम	37776.56	39898.61	185535.36	145636.75
5	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता	27280.06	8873.36	18590.60	9717.24
	कुल	**70144.67**	**50411.67**	**212941.17**	**162529.50**

अनुबंध 2.1

(पैराग्राफ 2.2.1- क के संदर्भ में)

राजस्व और पूँजीगत मुख्य शीर्षों का विवरण जिनके अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' 2015-16 मे प्रचालित किया गया था जिसे मुख्य शीर्षों के अतंगर्त कुल खर्च के 50 प्रतिशत से ज्यादा लेखाबद्ध किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष -800 के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	72.98	72.58	*99.45*
2	2515- अन्य ग्रामीण विकास	822.46	468.38	*56.95*
3	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	254.41	252.70	*99.32*
4	3053- नागरिक उड्डयन	433.16	239.58	*55.30*
5	3275- अन्य संचार सेवाएं	9,524.44	6,291.18	*66.05*
6	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	30.27	20.82	*68.78*
7	4405- मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय	22.91	13.94	*60.84*
8	4552- उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	257.91	152.46	*59.11*
9	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	62.93	62.36	*99.09*
10	4853- अलौह खनन और धातुकर्म पर पूँजीगत परिव्यय	51.81[1]	51.82	*100*
11	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2,279.81	2,276.28	*99.84*
12	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1150.57	671.35	*58.34*
	कुल	**14,963.66**	**10,573.45**	

[1] मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय, अधिक भुगतान की वसूली के कारण लघु शीर्ष- 800 के अंतर्गत दर्ज किए गये व्यय से कम है ।

अनुबंध 2.2

(पैराग्राफ 2.2.1-ख के संदर्भ में)

ऐसे राजस्व मुख्य शीर्षों का विवरण जिनके अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्ति' 2015-16 मे प्रचालित किया गया था तथा जिसे प्राप्ति मुख्य शीर्षों के अतंगर्त कुल प्राप्ति के 50 प्रतिशत से ज्यादा लेखाबद्ध किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष: 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत प्राप्तियां	प्रतिशतता
1.	0029-भूमि राजस्व	21.02	18.70	*88.96*
2.	0047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	82.94	82.88	*99.93*
3.	0077-रक्षा सेवाएं - नौसेना	328.77	235.45	*71.62*
4.	0078- रक्षा सेवाएं - वायु सेना	827.95	534.85	*64.60*
5.	0080- रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	385.49	385.49	*100.00*
6.	0217-शहरी विकास	0.63	0.63	*100.00*
7.	0221- प्रसारण	6,753.00	5,684.34	*84.18*
8.	0230- श्रम एवं रोजगार	39.87	35.19	*88.26*
9.	0405- मत्स्य पालन	16.78	14.04	*83.67*
10.	0408- खाद्य भंडारण एवं वेयरहाऊसिंग	2.09	2.09	*100.00*
11.	0425- सहकारिता	0.22	0.21	*95.45*
12.	0435- अन्य कृषि कार्यक्रम	17.44	13.37	*76.66*
13.	0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	0.50	0.50	*100.00*
14.	0701- मध्यम सिंचाई	17.35	17.35	*100.00*
15.	0702- लघु सिंचाई	1.24	1.24	*100.00*
16.	0801- विद्युत	15,211.35	11,193.26	*73.58*
17.	1055- सड़क परिवहन	150.35	150.35	*100.00*
18.	1056- अंतरमार्गीय जल परिवहन	10.08	10.08	*100*
19.	1452- पर्यटन	22.24	21.72	*97.66*
20.	1456- नागरिक आपूर्ति	0.98	0.98	*100.00*
	कुल	**23,890.29**	**18,402.72**	

अनुबंध 2.3

(पैराग्राफ 2.2.2- क के संदर्भ में)

सरकारी खाते से बाहर विनियामकों की निधियां

क्र. सं.	विनियामकों/स्वायत्त निकायों का नाम	निवेशों/पूंजीगत निधि का प्रकार	राशि *(₹ करोड़ में)*
1.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड	आधिक्य निधि/कोर्पस निधि	1,705.00
2.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	आधिक्य निधि	104.18
3.	पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण	पूंजीगत/कोर्पस निधि	20.40
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद	सावधि जमा	427.20
5.	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद	विशेष सावधि जमा प्राप्ति (एसटीडीआर)	114.06
6.	भारतीय भेषज परिषद	सावधि जमा प्राप्तियां	36.08
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद	बैंक के साथ एफडीआर	31.89
8.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद	सावधि जमा	1.91
9.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद	लोक जमा खाता	10.45
10.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्राधिकरण	अपने संसाधनों से निवेश	110.95
11.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	बैंक के साथ एफडीआर सामान्य	930.00
12.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	बचत बैंक खाता	470.26
13.	भारतीय पुनर्वास परिषद	सामान्य आरक्षित निधि	10.72
कुल			**3,973.10**

अनुबंध 2.4

(पैराग्राफ 2.4.3 के संदर्भ में)

निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमाएं दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2016 को शेष (₹ हजार में)	कब से निष्क्रिय
1.	8116.102-रेलवे राजस्व आरक्षित निधियां- निवेश खाते	आरक्षित निधि	1,099	2001-02
2.	8116.XXX-रेलवे-ब्रांच लाईन कंपनियों को ऋण		1,177	2001-02
3.	8121.XXX-स्टाफ लाभ निधि (रेलवे)–निवेश खाता		100	1999-2000
4.	8121.111-आकस्मिक आरक्षित निधि - विद्युत		13,075	2006-07
5.	8223.101-अकाल सहायता निधि		3	2008-09
6.	8229.101-शिक्षा उद्देश्यों हेतु विकास निधियां		7	2002-03
7.	8229.102- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए विकास निधियां		60	2002-03
8.	8229.108-खनन क्षेत्र विकास निधियां		102	2002-03
9.	8230.101-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)		58,11,202	2008-09
10.	8230.102- विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (सामरिक)		1,66,624	2007-08
11.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों का सामान्य आरक्षित निधियां		7,586	2008-09
12.	8235.105-सामान्य बीमा निधि		26,13,201	2005-06
13.	8235.113-राष्ट्रीय नवीकरण निधियां		1,77,020	2008-09
14.	8337.103-भारतीय रेलवे सम्मेलन एसोसिएशन कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि - निवेश खाता	जमा	6,512	2001-02
15.	8342.107-संपदा शुल्क कर भुगतान के लिए जमा		131	2008-09
16.	8342.110- दूरभाष आवेदन जमाएं		22,39,801	2005-06
17.	8342.111-टेलेक्स आवेदन जमाएं		79,306	2003-04
18.	8342.114- पट्टे पर दूरसंचार सुविधा जमाएं		16,947	2001-02

19.	8342.108- आयकर, सुपर कर, अधिक लाभ, कर एवं अतिरिक्त प्रभार की जमाएं		12,161	2001-02
20.	8443.114-निर्यात व्यापार जमाएं		1,52,527	1988-89
21.	8443.127- ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेंशनरों आदि जो पाकिस्तान प्रवास कर गए हैं के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की जमाएं		2,106	1996-97
22.	8443.130-प्रोविडेंट सोसायटीज तरलता खाता		13	2008-09
23.	8445.102- ब्रांच लाईन कंपनियों की जमाएं		65	1992-93
24.	8448.102-निगम निधि		3	2009-10
25.	8448.103-छावनी निधियां		1	2000-01
26.	8448.109- पंचायत निकाय निधि		84	2008-09
27.	8448.111- चिकित्सा एवं दानशील निधियां		52	1988-89
28.	8448- स्थानीय निधियों की जमाएं 120- अन्य निधियां		226	2004-05
29.	8449.104- खनन भविष्य निधि की जमाएं		1,601	1988-89
30.	8449.106- भारत अमेरिका करार 1974 के अंतर्गत खाता		16	1991-92
31.	8449.107- आय कर, सुपर कर, अधिक लाभ कर ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार सहित की जमाएं		13,393	1991-92
32.	8449.108- ऋण के निर्वहन के लिए स्थानीय निकायों की जमाएं		3,297	2000-01
33.	8449.113- तेल बीजों एवं वनस्पति तेल विकास निधि		36,613	1999-2000
34.	8449.118- जापानी अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जमाएं		10,360	1995-96
35.	8450.101- पांडेचेरी का शेष		4,01,290	2008-09
36.	8450.102- गोवा, दमन एवं दीव का शेष		1,63,026	1988-89
37.	8450.104- अरूणाचल प्रदेश का शेष		5,68,251	1988-89
38.	8450.105- मिजोरम का शेष		12,44,138	1988-89

39.	8009.01.103- आईसीएस भविष्य निधि	अन्य देयताएं	201	1999-2000
40.	8010.105- अन्य ट्रस्ट		1,923	1999-2000
41.	8010.102- अवध के स्व. राजा द्वारा दिया गया दान		9,104	1992-93
42.	8010.104- धर्मार्थ एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए दान		10	2008-09
43.	8012.103- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को जारी विशेष प्रतिभूतियां		16,28,305	1988-89
कुल			**1,53,82,719**	

अनुबंध 2.5

(पैराग्राफ 2.4.4.3-इ के संदर्भ में)

(क) अन्य ऋणी ईकाईयों या संस्थानों के प्रति 20 वर्षों से अधिक के लिए लंबित मूलधन एवं ब्याज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ईकाई का नाम	पूर्व की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2016 को बकाया की राशि	
			मूलधन	ब्याज
1.	भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम (आईसीआईसीआई) लिमि., मुम्बई	1987-88	46.05	67.13
2.	पायराईट्स, फॉस्फेट तथा केमिकल्स लिमि., नई दिल्ली	1988-89	184.35	458.29
3.	हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमि., नई दिल्ली	1981-82	1,912.84	6,457.98
4.	भारतीय उर्वरक निगम, नई दिल्ली	1984-85	2,737.94	815.37
5.	मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमि.	1987-88	373.08	504.63
6.	ब्रिटिश भारत निगम, कानपुर	1984-85	437.77	955.31
7.	एल्गिन मिल्स कंपनी, कानपुर	1984-85	343.29	1,958.15
8.	बर्डस जूट एवं एक्सपोर्ट लिमि., कोलकाता	1981-82	20.22	68.76
9.	इलेक्ट्रॉनिक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमि, दिल्ली	1987-88	22.01	51.80
10.	भारतीय ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमि., गुडगांव	1980-81	1,205.30	3,756.60
11.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमि., कोलकाता	1980-81	68.45	191.50
12.	बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमि., कोलकाता	1982-83	129.52	60.49
13.	बंगाल प्रतिरक्षा कंपनी लिमि., कोलकाता	1982-83	135.98	423.24
14.	भारत भारी उद्योग लिमि., कोलकाता	1988-89	46.44	513.59
15.	भारत ऑप्थेलमिक ग्लास लिमि., दुर्गापुर	1983-84	66.68	237.86
16.	राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमि., नेपानगर	1985-86	113.59	40.35

17.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लिमि., कोलकाता	1982-83	70.67	585.69
18.	भारतीय साईकिल निगम लिमि., कोलकाता	1981-82	201.30	603.90
19.	भारतीय चर्म शोधन एवं फुटवियर निगम, कानपुर	1979-80	156.43	610.78
20.	रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमि., मुम्बई	1990-91	101.78	536.95
21.	तुंगभद्रा स्टील प्रोड्क्ट्स लिमि., तुंगभद्रा	1972-73	113.00	246.29
22.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स एमएफजी. को. लिमि.	1992-93	487.61	1,309.20
23.	पुनर्वास उद्योग निगम लिमि., कोलकाता	1985-86	163.47	769.94
24.	खनन एवं सहायक मशीनरी निगम लिमि., दुर्गापुर	1986-87	560.12	2,229.27
25.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमि.	1981-82	210.95	993.30
26.	भारत स्वर्ण खनन लिमि., कर्नाटक	1977-78	219.29	831.15
27.	मेसर्स कुमारधुबी फायरक्ले एंड सिलिका वर्कस लिमि.	1988-89	10.69	15.68
28.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	1989-90	75.35	299.79
29.	कोचीन पत्तन न्यास, कोची	1982-83	226.27	1,199.90
30.	पारादीप पत्तन न्यास	1986-87	387.74	1,305.26
31.	राज्य विद्युत बोर्ड	1990-91	101.19	256.86
कुल			**10,929.37**	**28,355.01**

(क) राज्य सरकारों के प्रति ऋणों के बकाया मूलधन एवं ब्याज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/यूटी सरकार के नाम	पूर्व की अवधि जिससे बकाया संबंधित हैं	31 मार्च 2016 को बकाया की राशि	
			मूलधन	ब्याज
1	असम	1984-85	114.07	924.73
2	गोवा	1987-88	83.01	232.95
3	जम्मू एवं कश्मीर	1984-85	37.17	97.90
4	मेघालय	1987-88	8.08	44.05
5	मिजोरम	1988-89	13.95	30.62
6	तमिलनाडु	1984-85	17.74	37.04
7	त्रिपुरा	1995-96	1.28	28.74
8	पुदुचेरी	1984-85	117.20	19.41
कुल			**392.50**	**1415.44**

अनुबंध 2.6

(पैराग्राफ 2.5.2 के संदर्भ में)

ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

क्र.सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.03.2016 को शेष (₹ हजार में)		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हो गए
कथन सं. -13					
1.	8115.00.101	मूल्यह्रास आरक्षित निधियां - रेलवे (वाणिज्यिक लाईन)	डे.	3,09,98,579	2009-10
2.	8117.00.101	रेलवे विकास निधि - वाणिज्यिक लाईन	डे.	38,94,497	2015-16
3.	8229.00.200	अन्य विकास तथा कल्याण निधि	डे.	17,25,843	2007-08
4.	8235.00.135	राष्ट्रीय स्वच्छता कोष	डे.	15,94,207	2015-16
5.	8443.00.111	अन्य विभागीय जमाएं	डे.	6,35,001	2006-07
6.	8443.00.121	चुनाव से संबंधित जमाएं	डे.	1,290	2015-16
7.	8445.00.104	रेलवे जमाएं - न्यास ब्याज खाता	डे.	1,98,265	2005-06
8.	8445.00.800	रेलवे जमाएं - अन्य जमाएं	डे.	1,22,06,588	2005-06
9.	8446.00.102	अन्य डाक जमाएं	डे.	12,12,686	2014-15
10.	8446.00.800	डाक जमाएं - अन्य जमाएं	डे.	1,40,311	2005-06
11.	8448.00.102	स्थानीय निधियों की जमाएं - म्यूनिसिपल जमाएं	डे.	3	2007-08
12.	8448.00.104	स्थानीय निधियों की जमाएं - भारतीय बीमा एसोसिएशन की निधियां	डे.	291	Pre-1976-77
13.	8451.00.101	भोपाल गैस रिसाव विपदा राहत निधि - दावें तथा राहत निधियां	डे.	93,12,874	2005-06
14.	8451.00.102	भोपाल गैस रिसाव विपदा राहत निधि - दावें तथा राहत निधि निवेश खाता	क्रे.	92,21,195	2005-06
15.	8551.00.101	रक्षा अग्रिमें	क्रे.	5,97,321	2015-16
16.	8670.00.109	रक्षा चेक	डे.	6,02,412	2015-16
कथन सं. -14					
17.	6002.00.207	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ऋणें	डे.	10,31,919	2000-01

18.	6002.00.208	फ्रांस सरकार से ऋणें	डे.	24,43,574	2000-01
19.	6002.00.223	स्विस संघ सरकार तथा स्विस बैंक से ऋणें	डे.	2,42,473	2010-11
20.	6002.00.226	अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण यूएसए से ऋणें	डे.	86,92,403	1995-96
21.	6002.00.227	पीएल-480 परिवर्तनीय करेंसी क्रेडिट के अंतर्गत यूएसए सरकार से ऋणें	डे.	28,66,589	1995-96
22.	8009.00.106	अन्य विविध भविष्य निधि	डे.	5,208	2015-16
23.	8012.00.109	आयकर वार्षिक जमाएं	डे.	13,983	2015-16
24.	8014.01.107	पीएलआई चिल्ड्रेन पॉलिसी योजना	डे.	9,956	2014-15
25.	8014.02.105	आरपीएलआई प्रत्याशित अक्षय निधि आश्वासन योजनाएं	डे.	4,641	2015-16
कथन सं. -14 क					
26.	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जारी प्रतिभूतियां	डे.	4,04,339	2010-11
27.	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को जारी प्रतिभूतियां	डे.	2,15,439	2002-03
कथन सं. - 15					
28.	6202.01.203	उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालय	क्रे.	1,568	2004-05
29.	6215.02.800	अन्य ऋण	क्रे.	20,855	2001-02
30.	6216.80.190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋणें	क्रे.	2	2008-09
31.	6216.80.800	अन्य ऋणें	क्रे.	12,014	2010-11
32.	6225-01-800	अन्य ऋणें	क्रे.	829	1994-95
33.	6245.01.101	निःशुल्क राहत	क्रे.	896	1986-87
34.	6245.02.101	निःशुल्क राहत	क्रे.	2,157	1997-98
35.	6402.00.102	मृदा संरक्षण	क्रे.	7,752	1995-96
36.	6402.00.203	भूमि सुधार एवं विकास	क्रे.	592	2007-08
37.	6404.00.800	अन्य ऋणें	क्रे.	3,969	2004-05
38.	6405.00.106	मत्स्य क्राफ्टस का यांत्रिकीकरण	क्रे.	532	2006-07

39.	6425.00.108	अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रे.	34,67,197	2003-04
40.	6515.00.102	सामुदायिक विकास	क्रे.	163	1986-87
41.	6801.00.201	पनबिजली उत्पादन	क्रे.	8,80,938	2004-05
42.	6801.00.205	संचारण एवं वितरण	क्रे.	13,91,767	2005-06
43.	6851.00.102	लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	10,958	2006-07
44.	6853.60.190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रे.	78,208	2014-15
45.	7052.02.101	नौवहन विकास निधि समिति को ऋण	क्रे.	29,41,305	2011-12
46.	7053.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रे.	3,77,537	2010-11
47.	7475.00.102	व्यापार संस्थान	क्रे.	25,000	2011-12
48.	7601.01.436	फसल कृषि व्यवस्था - वाणिज्यिक फसलें	क्रे.	1	2012-13
49.	7601.03.413	अन्य सहकारी समितियों को सहकारी ऋण	क्रे.	4,189	2012-13
50.	7601.03.501	मृदा एवं जल संरक्षण - मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रे.	2,185	2012-13
51.	7601.03.576	पशु पालन - मवेशी एवं भैंस विकास	क्रे.	11	2012-13
52.	7601.03.601	दुग्ध उत्पादन विकास	क्रे.	29	2012-13
53.	7601.03.727	ग्राम एवं लघु उद्योग - लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	139	2012-13
54.	7601.03.786	बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋणें	क्रे.	71,707	2012-13
55.	7601.03.787	समुद्र कटाव रोकने की परियोजनाएं - अन्य ऋण	क्रे.	1,239	2012-13
56.	7601.04.267	जल आपूर्ति - अन्य ऋण	क्रे.	1,49,604	2012-13
57.	7601.04.312	शहरी विकास - लघु/मध्यम शहरों का समेकित विकास	क्रे.	1,91,427	2012-13
58.	7601.04.360	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - अन्य ऋण	क्रे.	408	2012-13
59.	7601.04.411	सहकारी क्रे. सहकारी समितियां	क्रे.	32,687	2012-13
60.	7601.04.413	अन्य सहकारी समितियां	क्रे.	1,473	2012-13
61.	7601.04.436	फसल कृषि व्यवस्था - वाणिज्यिक फसलें	क्रे.	1,35,028	2012-13
62.	7601.04.443	फसल कृषि व्यवस्था - अन्य ऋण	क्रे.	3,38,837	2012-13

63.	7601.04.501	मृदा एवं जल संरक्षण - मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रे.	99,004	2012-13
64.	7601.04.579	पशु पालन - भेड़ एवं ऊन विकास	क्रे.	175	2012-13
65.	7601.04.601	दुग्ध उत्पादन विकास	क्रे.	36	2012-13
66.	7601.04.726	ग्राम एवं लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग	क्रे.	6,960	2012-13
67.	7601.04.727	ग्राम एवं लघु उद्योगें - लघु स्तरीय उद्योग	क्रे.	853	2012-13
68.	7601.04.729	ग्राम एवं लघु उद्योग - क्वायर उद्योग	क्रे.	354	2012-13
69.	7601.04.747	ग्राम एवं लघु उद्योग - अन्य ग्रामीण उद्योग	क्रे.	1,088	2012-13
70.	7601.04.786	बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋण	क्रे.	4,730	2012-13
71.	7601.04.825	अंतर्राज्यीय सड़कें या आर्थिक महत्व-सड़क निर्माण कार्य	क्रे.	18,359	2012-13
72.	7601.04.826	अंतर्राज्यीय सड़कें या आर्थिक महत्व - यंत्र एवं उपकरण	क्रे.	106	2012-13
73.	7601.04.871	अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रे.	897	2012-13
74.	7601.07.800	अन्य ऋण	क्रे.	1,580	2012-13
75.	7602.04.412	सहकारी उपभोक्ता सहकारी समितियां	क्रे.	593	2012-13
76.	7610.00.203	अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	क्रे.	3,93,664	2004-05
कथन सं. -16					
77.	8002.00.103	कोषागार बचत जमाएं प्रमाणपत्र	डे.	6,962	1976-77
78.	8002.00.105	बचत प्रमाणपत्र- बैंक सीरिज	डे.	189	2007-08

अनुबंध 2.7

(पैराग्राफ 2.6 के संदर्भ में)

प्रारूप लेखे में शेष बकाया

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयार लेखें की अवधि
कृषि मंत्रालय		
1.	बर्फ सह शीतलन संयत्र, कोची	2009-10
परमाणु ऊर्जा विभाग		
2.	नाभिकीय ईंधन परिसर, हैदराबाद	2014-15
3.	भारी जल सयंत्र, मुम्बई	2014-15
रक्षा मंत्रालय		
4.	जलपान गृह भंडार विभाग	2011-12
वित्त मंत्रालय		
5.	राजकीय क्षराभ कार्य, नीमच	2010-11
6.	राजकीय क्षराभ कार्य, गाजीपुर	2009-10
7.	राजकीय अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10
8.	राजकीय अफीम कारखाना, नीमच	2010-11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
9.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07
10.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान शाकीय सब्जी उद्यान, कांके, रॉची	2011-12
11.	एच.एल.एल. जीवन रक्षा लिमिटेड	2014-15
12.	एच.एस.सी.सी. (इण्डिया) लिमिटेड	2014- 15
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
13.	चलचित्र संभाग, मुम्बई	2009-10
14.	राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड	2013-14
विद्युत मंत्रालय		
15.	विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2013-14
16.	विद्युत विभाग लक्षद्वीप	2008-09
पोत परिवहन मंत्रालय		
17.	दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा	2011-12
18.	अण्डमान नौका सेवा	2004-05
19.	पोत परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2009-10
20.	समुद्री विभाग (गोदी), अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2003-04
21.	बंदरगाह व्यवस्थापक बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1991-92

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयार लेखें की अवधि
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
22.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2011-12
23.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2014-15
शहरी विकास मंत्रालय		
24.	राजकीय मुद्रणालय, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1987-88
25.	भारत सरकार मुद्रणालय, मिण्टो रोड, नई दिल्ली	2014-15
26.	भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली	2014-15
27.	भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	2014-15
28.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बटूर	2014-15
29.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, भुवनेश्वर	2014-15
30.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रेस, मैसूर	2014-15
31.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोलकाता	2014-15
32.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोराटी	2014-15
33.	भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक	2014-15
34.	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़	2014-15
35.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, चण्डीगढ़	2014-15
36.	भारत सरकार मुद्रणालय, गंगटोक	2007-08
37.	भारत सरकार मुद्रणालय, सत्रगाछी, हावड़ा	2013-14

अनुबंध 2.8

(पैराग्राफ 2.7 के संदर्भ में)

2015-16 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/माफ की गई हानियों तथा अशोध्य बकाया राशियों का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानियों एवं अप्रतिलभ्य को बट्टे खाते में डालना के कारण					
	उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली से माफी	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
वित्त मंत्रालय	0	0	1	0.49	0	0
लोक सभा सचिवालय	0	0	1	0.05	0	0
राज्य सभा सचिवालय	0	0	0	0	1	0.03
परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	23	8.78	0	0
अंतरिक्ष विभाग	0	0	16	21.03	0	0
गृह मंत्रालय	0	0	36	333.50	0	0
विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय	4	3.48	0	0	2	0.97
डाक एवं दूरसंचार मंत्रालय	880	5,180.67	42	9.51	16	10.73
विद्युत मंत्रालय	0	0	2	0.77	0	0
अंडमान एवं निकोबार द्वीप प्रशासन	1	51.43	0	0	0	0
राष्ट्रपति सचिवालय	0	0	1	0.34	0	0
कुल	**885**	**5,235.58**	**122**	**374.47**	**19**	**11.73**

अनुबंध 3.1

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

प्राधिकरण तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	955652.58	100047.09	1055699.67	992772.02	(-) 62927.65
II. पूंजी (ऋण एवं अग्रिम सहित)	148986.57	107922.01	256908.58	239715.07	(-) 17193.51
योग	**1104639.15**	**207969.10**	**1312608.25**	**1232487.09**	**(-) 80121.16**
प्रभारित					
III. राजस्व	569730.50	283.40	570013.90	546699.00	(-) 23314.90
IV. पूंजी (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	4246001.70	0	4246001.70	3750287.21	(-) 495714.49
योग	**4815732.20**	**283.40**	**4816015.60**	**4296986.21**	**(-) 519029.39**
कुल योग	**5920371.35**	**208252.50**	**6128623.85**	**5529473.30**	**(-) 599150.55**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			168996.21	140376.69	
	कुल निवल प्रावधान		**5959627.64**		
	कुल निवल संवितरण			**5389096.61**	

ख -डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	19494.06	688.50	**20182.56**	19654.20	(-) 528.36
II. पूंजी	336.65	11.26	**347.91**	335.04	(-) 12.87
योग	**19830.71**	**699.76**	**20530.47**	**19989.24**	**(-) 541.23**
प्रभारित					
III. राजस्व	0.20	1.85	**2.05**	0.47	(-) 1.58
IV. पूंजी	--	0.14	**0.14**	0.13	(-) 0.01
योग	**0.20**	**1.99**	**2.19**	**0.60**	**(-) 1.59**
कुल योग	**19830.91**	**701.75**	**20532.66**	**19989.84**	**(-) 542.82**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			644.84	707.70	
	कुल निवल प्रावधान		**19887.82**		
	कुल निवल संवितरण			**19282.14**	

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)
ग - रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I. राजस्व	168732.87	661.00	169393.87	163483.09	(-) 5910.78
II. पूंजी	94451.50	0.02	94451.52	79801.95	(-) 14649.57
योग	**263184.37**	**661.02**	**263845.39**	**243285.04**	**(-) 20560.35**
प्रभारित					
III. राजस्व	74.51	41.90	116.41	92.69	(-) 23.72
IV. पूंजी	136.50	43.26	179.76	156.36	(-) 23.40
योग	**211.01**	**85.16**	**296.17**	**249.05**	**(-) 47.12**
कुल योग	**263395.38**	**746.18**	**264141.56**	**243534.09**	**(-) 20607.47**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			10187.57	11976.04	
कुल निवल प्रावधान			**253953.99**		
कुल निवल संवितरण				**231558.05**	

घ -रेलवे					
दत्तमत	337008.95	1015.59	338024.54	301011.18	(-) 37013.36
प्रभारित	228.97	115.29	344.26	305.01	(-) 39.25
योग	**337237.92**	**1130.88**	**338368.80**	**301316.19**	**(-)37052.61**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			108681.27	97928.71	
कुल निवल प्रावधान			**229687.53**		
कुल निवल संवितरण				**203387.48**	

योग						
कुल सीएफआई	**दत्तमत**	**1724663.18**	**210345.47**	**1935008.65**	**1796772.55**	**(-)138236.10**
	प्रभारित	**4816172.38**	**485.84**	**4816658.22**	**4297540.87**	**(-)519117.35**
कुल योग सीएफआई		**6540835.56**	**210831.31**	**6751666.87**	**6094313.42**	**(-)657353.45**
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां				**288509.89**	**250989.14**	**37520.75**
विनियोग लेखे (सीएफआई) के अनुसार कुल व्यय एवं प्रावधान				**6463156.98**	**5843324.28**	**619832.70**
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता (अंतर)					**0.00**	
वित्त लेखे के अनुसार सीएफआई से कुल संवितरण					**5843324.28**	

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण के लिए यह अनुदान कहलाता है।

सीएफआई: भारत की संचित निधि

अनुबंध 3.2

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत(-) निवल आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	63137.88	17193.51	210.22	--	(-) 62927.66	(-) 17193.51
अनुदानों की संख्या	94	68	1	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	23315.04	495714.49	0.15	--	(-) 23314.89	(-) 495714.49
विनियोगों की संख्या	33	11	1	--	--	--
ख - डाक						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	528.36	12.87	--	--	(-) 528.36	(-) 12.87
अनुदानों की संख्या	1	1	--	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	1.58	0.01	--	--	(-) 1.58	(-) 0.01
विनियोगों की संख्या	1	1	--	--	--	--
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	5910.78	14649.57	--	--	(-) 5910.78	(-) 14649.57
अनुदानों की संख्या	5	1	--	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	23.72	23.40	--	--	(-) 23.72	(-) 23.40
विनियोगों की संख्या	5	1	--	--	--	--
घ- रेलवे						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	22392.12	14696.87	75.63	--	(-) 22316.49	(-) 14696.87
अनुदानों की संख्या	14	1	1	--	--	--
प्रभारित(₹ करोड़ में)	6.95	32.54	0.24	--	(-) 6.71	(-) 32.54
विनियोगों की संख्या	5	1	5	--	--	--

अनुबंध 3.3

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत प्राधिकरण एवं संवितरणों का वर्ष-वार समानुपात

(₹ करोड़ में)

		प्राधिकरण			संवितरण				
क्र.सं	वर्ष	दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत	प्रभारित	कुल	निम्न की प्रतिशतता	
								दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81
13.	2012-13	1155063	4190305	5345368	977071	3816395	4793466	20	80
14.	2013-14	1222190	4493627	5715817	1014393	3975665	4990058	20	80
15.	2014-15	1228732	4596843	5825575	1078524	4211160	5289684	20	80
16.	2015-16	1312608	4816016	6128624	1232487	4296986	5529473	22	78

अनुबंध 3.4

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी

(₹ 5 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल					
15 - दूरसंसचार विभाग					
1.	2071.01.105.02-परिवार पेंशन	मू. पु.	750.00 (+)190.00	1045.83	105.83
21 - रक्षा मंत्रालय					
2.	2052.00.090.56- सीमा सड़क संगठन	मू. पु.	372.57 (-)2.15	380.46	10.04
3.	2055.00.104.02- जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैंट्री के संबंध में देय राशि	मू. पु.	1050.05 (-)84.32	987.54	21.81
4.	4047.00.037.01-तटरक्षक संगठन	मू. पु.	1200.00 300.00	1516.84	16.84
22 - रक्षा पेंशन					
5.	2071.02.101.01 -थल सेना-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. अ. पु.	46941.23 5260.21 (+)41.09	52394.58	152.05
6.	2071.02.102.103. नौ सेना-अवकाश नकदीकरण	मू. पु.	187.56 (-)27.33	170.30	10.07
7.	2071.02.103.03 - वायु सेना - अवकाश नकदीकरण	मू. अ. पु.	293.88 63.72 (-)12.94	349.90	5.24
33 - विदेश मंत्रालय					
8.	2061.00.800.08 - हज पर व्यय	मू. पु.	5.28 (+)0.17	10.77	5.32
9.	3605.00.101.11-नेपाल को सहायता	मू. पु.	420.00 (-)120.00	309.94	9.94
10.	3605.00.101.15- अन्य विकास शील देशों को सहायता	मू. पु.	83.44 (+)15.00	103.50	5.06
11.	3605.00.101.17- आई.टी.ई.सी (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम)	मू.	180.00	196.17	16.17
12.	3605.00.101.33-अफगानिस्तान	मू.	676.00	880.44	7.50

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ 5 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
	को सहायता	अ. पु.	0.0050 (+)196.94		
36 -विनियोग-ब्याज भुगतान					
13.	*2049.01.200.03- क्षतिपूर्ति एवं अन्य प्राधिकार पत्र*	मू. पु.	*1770.56* *(-)196.48*	*1600.01*	*25.93*
14.	*2049.03.104.04- राज्य रेलवे भविष्य निधि*	मू. पु.	*2533.21* *(+)20.30*	*2636.41*	*82.90*
15.	*2049.05.105.01-रेलवे पेंशन निधि*	मू. पु.	*85.91* *(+)1.30*	*137.60*	*50.39*
41 - पेंशन					
16.	2071.01.101.01 - साधारण पेंशन	मू. अ. पु.	14051.98 400.00 (+)322.48	14835.93	61.47
45 अप्रत्क्ष कर					
17.	2038.00.101.01-समाहरणालय	मू. पु.	2817.58 (-)192.70	2645.77	20.89
18.	2038.00.800.01-भूमि सीमा शुल्क संग्रहण	मू. पु.	32.73 (-)26.30	13.90	7.47
48 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
19.	2210.05.105.29-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलोर को अनुदान	मू. अ. पु.	275.00 0.01 (+)3.00	284.00	5.99
55-पुलिस					
20.	2055.00.102.01-स्थापना	मू. अ. पु.	13648.56 350.27 (+)26.48	14031.52	6.21
21.	4055.00.213.03-सीमा चौकी	मू. पु.	181.27 (-)57.11	150.14	25.98
56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय					
22.	2235.60.107.03-केन्द्र सरकार पेंशन	मू. पु.	750.00 (+)30.00	789.47	9.47
66 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय					
23.	2851.00.102.77-अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण (भूतपूर्व	मू. अ.	194.50 0.01	143.97	57.30

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ 5 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
	एम.एस.एम.ई. क्लस्टर विकास कार्यक्रम और एम.एस.एम.ई. वृद्धि केन्द्र)	पु.	(-)107.84		
84 - ग्रामीण विकास विभाग					
24.	2505.02.101.05-सूचना, शिक्षा और संचार	मू. पु.	15.00 (+)24.70	59.23	19.53
98 - जनजातीय मामलों का मंत्रालय					
25.	2225.02.796.08-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण - शिक्षा	मू. पु.	98.90 (-)56.34	49.21	6.65
अनुदान सं -104 - शहरी विकास विभाग					
26.	4217.60.190.13-नागपुर मैट्रो	मू. पु.	113.53 (-)64.08	77.47	28.02
105 - लोक निर्माण कार्य					
27.	2059.01.799.02-अन्य कार्यों के लिए अग्रिम	मू.	2.00	13.03	11.03
डाक सेवाएं **14 - डाक विभाग**					
28.	3201.05.053.01-भवन	मू. अ. पु.	80.59 2.77 (+)0.29	91.81	8.16
29.	3201.07.101.03-भूतपूर्व संयुक्त डाक एवं दूरसंचार विभाग के पेंशनर को भुगतान	मू.	17.20	23.31	6.11
30.	3201.60.102.02-अतिरिक्त विभागीय एजेंट समूह बीमा निधि पर ब्याज	मू. पु.	14.00 (-)1.40	17.84	5.24
31.	5201.00.104.60-ऐरो परियोजना (इंडक्शन प्रौद्योगिकी)	मू. पु.	29.62 (+)3.00	40.82	8.20
32.	5201.00.104.62-प्रबंधन परियोजना इकाई	मू. अ. पु.	174.92 8.68 (+)6.33	196.05	6.12

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ 5 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
रक्षा सेवाएं					
23 - रक्षा सेवाएं-थल सेना					
33.	2076.00.110-भण्डार	मू. पु.	16695.83 (-)975.91	17166.31	1446.39
34.	2076.00.113-राष्ट्रीय कैडेट कोर	मू. अ. पु.	1015.39 00.0050 (+)66.88	1113.71	31.44
24 - रक्षा सेवाएं नौ सेना					
35.	2077.00.105 - परिवहन	मू. पु.	410.00 (-)15.01	412.13	17.14
36.	2077.00.106-मरम्मत एवं पुर्नसंकलन	मू. पु.	757.00 (-)3.00	775.82	21.82
37.	2077.00.800-अन्य व्यय	मू. पु.	500.59 (+)121.45	655.78	33.74
28 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
38.	4076.01.202 - निर्माण कार्य (प्रभारित)	मू. पु.	21.55 (+)3.00	34.50	9.95
39.	4076.02.103-अन्य उपस्कर	मू. पु.	2558.64 (-)8.64	2655.39	105.39
40.	4076.03.101 - एयर क्राफ्ट एंव ऐयरो इंजन	मू. पु.	18866.01 (+)122.80	19156.69	167.88
41.	4076.03.202 - निर्माण कार्य	मू. पु.	1570.68 (+)249.66	1828.12	7.78
				कुल	**2660.46**

मू.- मूल; अ.- अनुपूरक; पु.- पुनर्विनियोग

अनुबंध 3.5

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक[1] की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल				
राजस्व-दत्तमत				
1.	01-कृषि अनुसंधान एवं सहकारिता विभाग	16959.47	1658.72	10
2.	02-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	6320.03	747.13	12
3.	03-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	2120.28	256.13	12
4.	05-नाभिकीय विद्युत योजना विभाग	4457.89	813.87	18
5.	08-उर्वरक विभाग	77100.56	536.14	01
6.	12-वाणिज्य विभाग	4990.07	161.28	03
7.	13-औद्योगिक नीति एवं प्रचार विभाग	2713.59	295.34	11
8.	16-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2611.85	131.98	05
9.	20-संस्कृति मंत्रालय	2121.56	165.36	08
10.	21-रक्षा मंत्रालय	20188.59	590.61	03
11.	29-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	2205.78	510.90	23
12.	30-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	14330.89	849.71	06
13.	31-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1497.59	263.52	18
14.	33-विदेश मंत्रालय	11248.02	150.85	01
15.	34-आर्थिक कार्य विभाग	17941.94	6185.08	34
16.	35-वित्तीय सेवाएं विभाग	15811.86	300.91	02
17.	37-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	39678.78	7550.00	19
18.	41-पेंशन	27645.00	177.72	01
19.	42-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	3545.34	227.00	06
20.	44-प्रत्यक्ष कर	4832.36	208.70	04
21.	45-अप्रत्यक्ष कर	5000.99	553.67	11
22.	48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	32902.39	1001.55	03
23.	51-भारी उद्योग विभाग	483.64	220.29	46

[1] बचतों में आर्थिक उपाय के भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू अनिवार्य कटौती भी शामिल है।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक[1] की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
24.	55-पुलिस	54824.25	205.51	01
25.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2233.97	224.19	10
26.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	5634.56	3868.40	69
27.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	69861.55	8754.13	13
28.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	26855.37	1305.43	05
29.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	14802.92	210.76	01
30.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	5646.15	826.98	15
31.	64-विधि एवं न्याय	3420.92	470.80	14
32.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	3010.59	179.13	06
33.	67-खनन मंत्रालय	1100.85	165.69	15
34.	71-पंचायती राज मंत्रालय	394.75	186.08	47
35.	76-योजना मंत्रालय	1846.86	462.38	25
36.	77-विद्युत मंत्रालय	8719.54	856.27	10
37.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	23433.94	1373.54	06
38.	84-ग्रामीण विकास विभाग	129030.01	9239.37	07
39.	86-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3844.01	199.61	05
40.	90-कौशल विकास एवं उधमिता मंत्रालय	1543.46	535.99	35
41.	91-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	6062.63	570.65	09
42.	94-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4816.76	645.37	13
43.	96-वस्त्र मंत्रालय	4402.25	385.45	09
44.	97-पर्यटन मंत्रालय	1588.05	687.73	43
45.	98-जनजातीय कार्य मंत्रालय	778.61	159.07	20
46.	102-दमन एवं दीव	1377.52	279.00	20
47.	104-शहरी विकास विभाग	10329.18	4053.46	39
48.	107-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	9064.87	1314.82	15
49.	108-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	17930.46	689.78	04
राजस्व - प्रभारित				
50.	36-विनियोग-ब्याज भुगतान	*476089.17*	*18818.79*	*04*
51.	37-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	*88864.52*	*4285.73*	*05*

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक[1] की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
52.	98-जनजातीय कार्य मंत्रालय	*3970.61*	*158.30*	*04*
पूंजीगत - दत्तमत				
53.	04-परमाणु ऊर्जा	4513.69	472.84	10
54.	15- दूरसंचार विभाग	2590.52	268.71	10
55.	18-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	20587.26	213.70	01
56.	21-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	3953.03	250.86	06
57.	29-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	462.00	120.21	26
58.	33-विदेश मंत्रालय	3728.80	353.02	09
59.	34-आर्थिक कार्य विभाग	78412.12	1444.68	02
60.	35-वित्तीय सेवाएं विभाग	29716.24	2150.21	07
61.	43-राजस्व विभाग	106.00	105.99	100
62.	44-प्रत्यक्ष कर	576.20	479.02	83
63.	45-अप्रत्यक्ष कर	663.61	568.21	86
64.	48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1017.37	126.23	12
65.	51-भारी उद्योग विभाग	1349.01	685.25	51
66.	55-पुलिस	9259.78	201.74	02
67.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	358.54	287.56	80
68.	77-विद्युत मंत्रालय	2272.52	919.56	40
69.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	69326.81	6407.74	09
70.	91-समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	462.24	200.22	43
71.	93-अंतरिक्ष विभाग	3464.52	420.72	12
72.	100-चण्डीगढ़	571.01	167.69	29
73.	104-शहरी विकास विभाग	10202.10	255.71	03
74.	105-लोक निर्माण कार्य	749.79	209.27	28
पूंजीगत - प्रभारित				
75.	37-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	*12600.00*	*101.80*	*01*
76.	39-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	*4233227.78*	*495570.81*	*12*

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक[1] की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
रक्षा सेवाएं				
राजस्व - दत्तमत				
77.	23-रक्षा सेवाएं-थल सेना	106994.29	972.98	01
78.	24-रक्षा सेवाएं- नौ सेना	16110.63	795.55	05
79.	25-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	24295.80	2452.70	10
80.	26-रक्षा आयुद कारखाने	15358.69	1238.42	08
81.	27-रक्षा सेवाएं अनुसंधान एवं विकास	6634.46	451.14	07
पूंजीगत - दत्तमत				
82.	28-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	94451.52	14649.57	16
डाक सेवाएं				
पूंजीगत - दत्तमत				
83.	14-डाक विभाग	20182.56	528.36	03
रेलवे				
राजस्व - दत्तमत				
84.	3-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	6992.79	803.11	11
85.	4-स्थायी मार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य	11657.55	770.42	07
86.	5-चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	5464.56	191.56	04
87.	6-गाड़ी एवं वैगन की मरम्मत एवं रखरखाव	12545.12	593.15	05
88.	7-संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	7238.18	984.22	14
89.	8-संचालन व्यय-रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण	11387.93	987.26	09
90.	9- संचालन व्यय-ट्रैफिक	22124.02	1583.59	07
91.	10- संचालन व्यय-ईंधन	30295.84	4229.24	14
92.	11-कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएं	5861.45	544.78	09
93.	12-विविध कार्य व्यय	6220.07	486.04	08
94.	13-भविष्य निधि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ	34574.38	2646.55	08
95.	14-विनियोग निधि	57125.71	6459.74	11

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक[1] की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
96.	15-सामान्य राजस्व को लाभांश-सामान्य राजस्व और अत्यधिक पूंजीकरण के परिशोधन से लिए गए कर्जे का पर्नभुगतान	10810.74	2088.23	19
पूंजीगत - दत्तमत				
97.	16-पूंजीगत	91561.86	12720.22	14
98.	16- रेलवे निधियां (आरक्षित मूल्यह्रास निधि, मूल पूंजीनिधि, विकास निधि)	20294.81	1917.72	09
		कुल	**654745.17**	

अनुबंध 3.6

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
सिविल राजस्व (दत्तमत्त)					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2013-14	22299.40	3317.48	15
		2014-15	22603.11	3114.80	14
		2015-16	16959.47	1658.72	10
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2013-14	5729.20	849.26	15
		2014-15	6144.44	1304.41	21
		2015-16	6320.03	747.13	12
3.	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मत्स्य पालन विभाग	2013-14	2534.50	394.49	16
		2014-15	2726.16	517.57	19
		2015-16	2120.28	256.13	12
4.	नाभिकीय उर्जा योजना विभाग	2013-14	4054.87	289.19	07
		2014-15	4223.49	499.24	12
		2015-16	4457.89	813.87	18
5.	उर्वरक विभाग	2013-14	72629.72	1326.67	02
		2014-15	77112.31	2020.45	03
		2015-16	77100.56	536.14	01
6.	वाणिज्य विभाग	2013-14	4441.85	129.38	03
		2014-15	5552.02	416.64	08
		2015-16	4990.07	161.28	03
7.	इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2013-14	2872.50	849.55	30
		2014-15	3734.12	281.51	08
		2015-16	2611.85	131.98	05
8.	संस्कृति मंत्रालय	2013-14	2125.06	165.36	08
		2014-15	2443.06	397.93	16
		2015-16	2121.56	165.36	08
9.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	2013-14	15265.70	3324.67	22
		2014-15	15377.50	3176.04	21
		2015-16	14330.89	849.71	06
10.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	2013-14	1492.54	334.54	22

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
		2014-15	1515.07	281.93	19
		2015-16	1497.59	263.52	18
11.	आर्थिक कार्य विभाग	2013-14	10291.10	188.59	02
		2014-15	16157.52	885.54	05
		2015-16	17941.94	6185.08	34
12.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2013-14	11468.99	746.54	07
		2014-15	11745.25	3834.92	33
		2015-16	15811.86	300.91	02
13.	राज्य एवं केन्द्र शासित सरकारों को अन्तरण	2013-14	101945.69	17698.36	17
		2014-15	70757.00	9438.73	13
		2015-16	39678.78	7550.00	19
14.	प्रत्यक्ष कर	2013-14	3771.91	136.63	04
		2014-15	4342.89	249.64	06
		2015-16	4832.36	208.70	04
15.	अप्रत्यक्ष कर	2013-14	3860.78	129.40	03
		2014-15	4884.02	719.78	15
		2015-16	5000.99	553.67	11
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2013-14	33012.35	5474.46	17
		2014-15	36481.41	6505.28	18
		2015-16	32902.39	1001.55	03
17.	भारी उद्योग विभाग	2013-14	930.97	382.86	41
		2014-15	1139.56	171.44	15
		2015-16	483.64	220.29	46
18.	पुलिस	2013-14	45609.12	1599.04	04
		2014-15	51031.41	419.65	01
		2015-16	54824.25	205.51	0.37
19.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2013-14	1969.15	128.76	07
		2014-15	2230.27	557.91	25
		2015-16	2233.97	224.19	10
20.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2013-14	1468.06	381.82	26

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
		2014-15	6008.68	3273.28	54
		2015-16	5634.56	3868.40	69
21.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2013-14	77130.05	10152.69	13
		2014-15	82695.14	14615.25	18
		2015-16	69861.55	8754.13	13
22.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2013-14	26950.08	2417.46	09
		2014-15	27656.08	4486.90	16
		2015-16	26855.37	1305.43	05
23.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2013-14	3006.89	200.12	07
		2014-15	3287.18	158.45	05
		2015-16	14802.92	210.76	01
24.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2013-14	5254.97	849.56	16
		2014-15	5783.82	1474.27	25
		2015-16	5646.15	826.98	15
25.	विधि एवं न्याय	2013-14	1971.17	112.77	06
		2014-15	1992.88	241.96	12
		2015-16	3420.92	470.80	14
26.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2013-14	3210.95	660.26	21
		2014-15	3693.51	932.51	25
		2015-16	3010.59	179.13	06
27.	पंचायती राज मंत्रालय	2013-14	7200.70	3738.62	52
		2014-15	7000.70	3610.14	52
		2015-16	394.75	186.08	47
28.	योजना मंत्रालय	2013-14	7181.53	5798.92	81
		2014-15	1828.38	537.06	29
		2015-16	1846.86	462.38	25
29.	विद्युत मंत्रालय	2013-14	8045.87	4309.22	54
		2014-15	8228.16	3590.65	44
		2015-16	8719.54	856.27	10
30.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2013-14	17203.60	533.44	03
		2014-15	20103.39	1430.69	07
		2015-16	23433.94	1373.54	06
31.	ग्रामीण विकास विभाग	2013-14	113304.88	15817.28	14

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
		2014-15	121746.83	13116.63	11
		2015-16	129030.01	9239.37	07
32.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2013-14	3372.22	776.36	23
		2014-15	3546.03	646.11	18
		2015-16	3844.01	199.61	05
33.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2013-14	6420.37	1203.02	19
		2014-15	5750.77	1013.30	18
		2015-16	6062.63	570.65	09
34.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2013-14	4949.36	109.59	02
		2014-15	4905.79	840.74	17
		2015-16	4816.76	645.37	13
35.	वस्त्र मंत्रालय	2013-14	5519.98	1592.79	29
		2014-15	5547.74	1657.68	30
		2015-16	4402.25	385.45	09
36.	पर्यटन मंत्रालय	2013-14	1355.32	328.12	24
		2014-15	1965.22	979.89	50
		2015-16	1588.05	687.73	43
37.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	2013-14	443.74	146.39	33
		2014-15	517.40	172.31	33
		2015-16	778.61	159.07	20
38.	शहरी विकास विभाग	2013-14	1281.32	166.59	13
		2014-15	8713.64	4553.51	52
		2015-16	10329.18	4053.46	39
39.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	2013-14	1902.13	906.47	48
		2014-15	15143.17	9728.38	64
		2015-16	9064.87	1314.82	15
40.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2013-14	20640.02	2601.43	13
		2014-15	21193.91	2652.77	13
		2015-16	17930.46	689.78	04
राजस्व (प्रभारित)					
41.	विनियोग-ब्याज भुगतान	2013-14	400500.66	5301.07	01
		2014-15	449882.66	24784.40	06
		2015-16	476089.17	18818.79	04

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
42.	राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारो को अंतरण	2013-14	62134.40	8229.86	13
		2014-15	64675.00	2861.68	04
		2015-16	88864.52	4285.73	05
43.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	2013-14	3856.58	375.08	10
		2014-15	3913.63	476.04	12
		2015-16	3970.61	158.30	04
पूंजीगत (दत्तमत)					
44.	परमाणु उर्जा	2013-14	4111.36	1180.55	29
		2014-15	4408.46	1024.20	23
		2015-16	4513.69	472.84	10
45.	दूरसंचार विभाग	2013-14	2510.30	2293.77	91
		2014-15	3798.01	2859.02	75
		2015-16	2590.52	268.71	10
46.	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2013-14	1838.42	742.03	40
		2014-15	1620.72	439.57	27
		2015-16	3953.03	250.86	06
47.	आर्थिक कार्य विभाग	2013-14	69431.73	63462.80	91
		2014-15	12515.86	2621.50	21
		2015-16	78412.12	1444.68	02
48.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2013-14	30900.40	14017.40	45
		2014-15	24795.03	13725.47	55
		2015-16	29716.24	2150.21	07
49.	प्रत्यक्ष कर	2013-14	590.00	144.00	24
		2014-15	752.01	682.14	91
		2015-16	576.20	479.02	83
50.	अप्रत्यक्ष कर	2013-14	149.26	126.95	85
		2014-15	271.32	142.52	53
		2015-16	663.61	568.21	86
51.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2013-14	2862.69	1585.55	55
		2014-15	1964.52	1092.16	56
		2015-16	1017.37	126.23	12
52.	पुलिस	2013-14	9106.00	2760.84	30
		2014-15	9863.51	3924.49	40

विभिन्न अनुदानों/विनियोगो के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की सतत बचतों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान का प्रतिशत
			(₹ करोड़ में)		
		2015-16	9259.78	201.74	02
53.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2013-14	32264.15	2950.74	09
		2014-15	37436.27	1665.45	04
		2015-16	69326.81	6407.74	09
54.	अतरिक्ष विभाग	2013-14	3738.96	1297.91	35
		2014-15	3656.58	1205.72	33
		2015-16	3464.52	420.72	12
55.	शहरी विकास विभाग	2013-14	6945.08	863.04	12
		2014-15	8826.22	2137.48	24
		2015-16	10202.10	255.71	03
पूंजीगत (प्रभारित)					
56.	राज्य एवं केन्द्र शासित सरकारों को अंतरण	2013-14	12000.00	1000.25	08
		2014-15	13000.00	1102.68	08
		2015-16	12600.00	101.80	01
57.	विनियोग-कर्ज अदायगी	2013-14	4014248.55	502957.23	13
		2014-15	4064025.03	356325.38	09
		2015-16	4233227.78	495570.81	12
रक्षा सेवाएं राजस्व (दत्तमत)					
58.	रक्षा सेवाएं - थल सेना	2013-14	88599.71	879.63	01
		2014-15	100635.34	1496.71	01
		2015-16	106994.29	972.98	01
पूंजीगत (दत्तमत)					
59.	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2013-14	86685.31	7592.40	09
		2014-15	94257.01	12515.11	13
		2015-16	94451.52	14649.57	16
रेलवे पूंजीगत (दत्तमत)					
60.	रेलवे निधियाँ-मूल्यह्रास आरक्षित निधि विकास निधि एवं पूंजीगत निधि	2013-14	16249.85	4788.64	29
		2014-15	17560.95	169.83	01
		2015-16	20294.81	1917.72	09

अनुबन्ध 3.7

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

मामले जिनमें अभ्यर्पित की गई राशि बचतों से अधिक थीं।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	अनुभागो के अन्तर्गत बचतें	अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित की गई अधिशेष राशि
सिविल				
राजस्व -दत्तमत				
1.	68- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	83.31	84.07	0.76
2.	98- जनजातीय कार्य मंत्रालय	159.07	166.44	7.37
3.	109-युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	80.31	81.34	1.03
राजस्व प्रभारित				
4.	73- कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशंन मंत्रालय	7.02	7.18	0.16
पूंजीगत-दत्तमत खाद्य				
5.	18-खाघ एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	213.70	213.71	0.01
6.	33-विदेश मंत्रालय	353.02	359.00	5.98
7.	73- कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशंन मंत्रालय	22.19	22.23	0.04
8.	89 पोत परिवहन मंत्रालय	86.45	90.33	3.88
पूजीगत-प्रभारित				
9.	39-विनियोग-कर्ज अदायगी	495570.81	539876.45	44305.64
डाक				
पूंजीगत- दत्तमत				
10.	14-डाक विभाग	12.87	13.11	0.24

अनुबन्ध 3.8

(पैराग्राफ 3.9 के सन्दर्भ में)

ऐसे मामले जिनमे 30/31 मार्च 2016 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
सिविल						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	1658.72	1451.64	1451.64	88	207.08
2.	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	747.13	745.43	745.43	100	1.70
3.	3-पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग	256.13	205.64	205.64	80	50.49
4.	5-नाभिकीय उर्जा योजना	813.87	89.00	89.00	11	724.87
5.	8-उर्वरक विभाग	536.14	536.09	536.09	100	0.05
6.	12-वाणिज्य विभाग	161.28	129.17	129.17	80	32.11
7.	13-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	295.34	253.50	253.50	86	41.84
8.	16-इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	131.98	0	0	0	131.98
9.	20-संस्कृति मंत्रालय	165.36	96.87	96.87	59	68.49
10.	21-रक्षा मंत्रालय	590.61	528.60	528.60	90	62.01
11.	29-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	510.90	366.58	366.58	72	144.32
12.	30-पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	849.71	849.10	849.10	100	0.61
13.	31-भू विज्ञान मंत्रालय	263.52	210.99	210.99	80	52.53
14.	33-विदेश मंत्रालय	150.85	27.66	27.66	18	123.19
15.	34-आर्थिक कार्य विभाग	6185.08	6100.30	6100.30	99	84.78
16.	35-वित्तीय सेवा विभाग	300.91	296.16	296.16	98	4.75
17.	37-राज्य एवं केन्द्रशासित सरकारों को अन्तरण	7550.00	7550.00	7550.00	100	--
18.	41-पैंशन	178.50	0	0	0	178.50
19.	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	227.00	213.97	213.97	94	13.03
20.	44-प्रत्यक्ष कर	208.70	197.00	197.00	94	11.70

ऐसे मामले जिनमे 30/31 मार्च 2016 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
21.	45-अप्रत्यक्ष कर	553.67	489.95	489.95	88	63.72
22.	48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1001.55	572.60	572.60	57	428.95
23.	51-भारी उद्योग विभाग	220.29	55.80	55.80	25	164.49
24.	55-पुलिस	205.51	114.96	114.96	56	90.55
25.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	224.19	223.51	223.51	100	0.68
26.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	3868.40	3688.92	3688.92	95	179.48
27.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	8754.13	8722.72	8722.72	100	31.41
28.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	1305.43	1218.21	1218.21	93	87.22
29.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	210.76	195.64	195.64	93	15.12
30.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	826.98	667.74	667.74	81	159.24
31.	64-विधि एवं न्याय	470.80	394.98	394.98	84	75.82
32.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	179.13	119.00	119.00	66	60.13
33.	67-खनन मंत्रालय	165.69	161.14	161.14	97	4.55
34.	71-पंचायती राज मंत्रालय	186.08	185.98	185.98	100	0.1
35.	76-योजना मंत्रालय	462.38	442.47	442.47	96	19.91
36.	77-विद्युत मंत्रालय	856.27	615.66	615.66	72	240.61
37.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1373.54	733.54	733.54	53	640.00
38.	84-ग्रामीण विकास विभाग	9239.37	269.46	269.46	03	8969.91
39.	86-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	199.61	148.28	148.28	74	51.33
40.	90-कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	535.99	25.00	25.00	05	510.99
41.	91-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	570.65	568.35	568.35	100	2.30
42.	94-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	645.37	638.66	638.66	99	6.71
43.	96-वस्त्र मंत्रालय	385.45	384.49	384.49	100	0.96

ऐसे मामले जिनमे 30/31 मार्च 2016 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
44.	97-पर्यटन मंत्रालय	687.73	677.09	677.09	98	10.64
45.	98-जनजातीय कार्य मंत्रालय	159.07	(166.44)	(166.44)	105	--
46.	102-दमन एवं दीव	279.00	274.91	274.91	99	4.09
47.	104-शहरी विकास विभाग	4053.46	1301.71	1301.71	32	2751.75
48.	107-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	1314.82	62.20	62.20	05	1252.62
49.	108-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	689.78	678.12	678.12	98	11.66
राजस्व (प्रभारित)						
50.	36-विनियोग ब्याज भुगतान	18818.79	17856.90	17856.90	95	961.89
51.	37-राज्य एवं केन्द्र शासित सरकारो को अन्तरण	4285.73	4285.73	4285.73	100	--
52.	98-जनजातीय कार्य मंत्रालय	158.30	158.30	158.30	100	--
पूंजीगत (दत्तमत)						
53.	4-परमाणु उर्जा	472.84	360.93	360.93	76	111.91
54.	15- दूरसंचार विभाग	268.71	266.95	266.95	99	1.76
55.	18- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	213.70	213.71	153.15	72	--
56.	21-रक्षा मंत्रालय	250.86	232.52	232.52	93	18.34
57.	29-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	120.21	120.15	120.15	100	0.06
58.	33-विदेश मंत्रालय	353.02	(359.00)	(359.00)	102	--
59.	34-आर्थिक कार्य विभाग	1444.68	553.50	553.50	38	891.18
60.	35-वित्तीय सेवा विभाग	2150.21	1150.20	1150.20	53	1000.01
61.	43-राजस्व विभाग	105.99	105.66	105.66	100	0.33
62.	44-प्रत्यक्ष कर	479.02	472.95	472.95	99	6.07
63.	45-अप्रत्यक्ष कर	568.21	534.81	534.81	94	33.40
64.	48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	126.23	97.75	97.75	77	28.48
65.	51-भारी उद्योग विभाग	685.25	651.74	651.74	95	33.51
66.	55-पुलिस	201.74	162.62	162.62	81	39.12
67.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	287.56	281.83	281.83	98	5.73

ऐसे मामले जिनमे 30/31 मार्च 2016 को बचत का मुख्य भाग अभ्यर्पित कर दिया गया तथा व्यपगत राशि के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च को बचत की तुलना में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि जो व्यपगत हो गई
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
68.	77-विद्युत मंत्रालय	919.56	918.17	918.17	100	1.39
69.	83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	6407.74	5571.06	5571.06	87	836.68
70.	91- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	200.22	200.22	200.22	100	--
71.	93-अंतरिक्ष विभाग	420.72	387.38	387.38	92	33.34
72.	100-चंडीगढ़	167.69	167.68	167.68	100	0.01
73.	104-शहरी विकास विभाग	255.71	0	0	0	255.71
74.	105-लोक निर्माण	209.27	28.69	28.69	14	180.58
पूंजीगत (प्रभारित)						
75.	37-राज्य एवं केन्द्रशासित सरकारों को अंतरण	101.80	101.80	101.80	100	--
76.	39-विनियोग-कर्ज अदायगी	495570.81	(539876.45)	(539876.45)	109	--

टिप्पण : कोष्ठक में आंकड़े दर्शाते हैं कि अभ्यर्पित राशि बचत से अधिक हैं।

अनुबन्ध 3.9

(पैराग्राफ 3.12 के सम्बन्ध में)

ऐसे लघु/उप-शीर्ष पर पुनर्विनियोजन जो गैर-उपयोगिता के आधार पर विवेकहीन थे (₹5 करोड़ से ज्यादा तथा अधिक पुनर्विनियोजन)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के तहत पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत
सिविल						
1.	5-नाभिकीय उर्जा योजनाएं	2801.03.101.08-पीएचडब्ल्यूआर (दाब जल रिएक्टर) अन्य स्टेशनो के लिए ईंधन	मू. अ.	2478.92 209.24	12.58	678.81
2.	12-वाणिज्य विभाग	3453.00.800.09-अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	मू.	3.50	5.00	6.27
3.	15-दूरसंचार विभाग	2071.01.104.01-साधारण पेंशन	मू. अ.	1315.00 36.46	103.54	125.99
4.	16-इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	4859.02.004.18-इलैक्ट्रानिक्स/आई टी एच डब्ल्यू (सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर) निर्माण (वृहद फैब) का प्रचार	अ.	0.01	19.99	20.00
5.	33-विदेश मंत्रालय	2061.00.800.13-मिशनो को विशेष अनुदान	मू. अ.	13.51 10.00	6.61	7.68
6.	36-विनियोग - ब्याज भुगतान	2049.01.122-1.4.99 से लघु बचतों के निवल संग्रहण के प्रति जारी केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों पर निवेश पर ब्याज	मू.	3478.23	189.15	213.30
7.		2049.03.104.02-अन्य राज्य भविष्य निधियाँ	अ.	2620.28	149.01	159.76
8.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	3475.00.108.05-राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एनयूएलएम)	मू. अ.	5.00 0.01	5.79	6.35
9.	104-शहरी विकास विभाग	2217.05.191.15- 100 स्मार्ट शहरो के लिए मिशन	मू.	20.00	260.00	272.47
10.		2217.05.191.16-शहरी जीर्णोधार मिशन- 500 निवास	मू.	20.00	69.74	73.33
11.		4216.01.700.59-राज्य सभा	मू. अ.	10.85 0.01	6.25	6.37
12.	107-जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पूर्णोद्धार मंत्रालय	2711.01.800.30-नदी प्रबंधन क्रियाकलाप एवं सीमा क्षेत्र से सम्बन्धित कार्य	मू. अ.	59.50 0.01	8.00	11.06

क्र.सं	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के तहत पुनर्विनियोजन की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत
डाक सेवाएँ						
13.	14-डाक विभाग	3201.03.101.03-मुख्य डाकघर में छोटी बचतें	मू. अ.	237.39 2.00	13.68	14.38
14.		3201.07.101.01-सेवानिवृति एवं पेंशन भत्ते	मू. अ.	2617.94 196.06	52.40	61.53
रक्षा सेवाएँ						
15.	23-रक्षा सेवाएँ-थलसेना	2076.00.800-अन्य व्यय	मू. अ.	2286.18 0.01	109.81	153.12
				कुल	**1011.55**	

अनुबन्ध 3.10

(पैराग्राफ 3.13 के सम्बन्ध में)

लघु/उपशीर्ष से पुनर्विनियोग अन्तिम अधिशेष में परिणत व्यय

(₹ 5 करोड़ एवं अधिक के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान /विनियोग का विवरण	लघु-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष में से पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम अधिशेष व्यय
सिविल						
1.	15-दूरसंचार विभाग	2071.01.101.01-साधारण पेंशन	मू. अ.	3920.00 749.20	192.34	268.93
2.	39-विनियोग-कर्ज का पुर्नभुगतान	6001.00.115-14 दैनिक ट्रेजरी बिल	मू.	2378006.28	8006.28	44470.11
रक्षा सेवाएँ						
3.	23-रक्षा सेवाएँ- थल सेना	2076.00.110-भंडार गृह	मू.	16695.83	975.91	1446.39
4.	24-रक्षा सेवाएँ- नौ सेना	2077.00.105-परिवहन	मू.	410.00	15.01	17.14
5.	28-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	4076.02.103-अन्य उपकरण	मू.	2558.64	8.64	105.39
कुल					**9198.18**	

मू.- मूल; अ.- अनुपूरक

अनुबन्ध 3.11

(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
सिविल							
1.	04- परमाणु ऊर्जा	3401.00.004.05- टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान	666.00	24.22	618.50	71.72	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर कटौती के कारण
2.		3401.00.004.07- टाटा मेमोरियल सेंटर	540.00	31.00	525.00	46.00	
3.	20- संस्कृति मंत्रालय	2205.00.106.12- राष्ट्रीय कला संस्कृति विकास योजना	325.00	20.00	306.27	38.73	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ई-गवर्नेंस के गैर-कार्यान्वयन, संरक्षित स्मारकों/स्थानों में ई-टिकटिंग व्यवस्था, तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधान में कटौती तथा लंबित बिलों की गैर प्राप्ति, किए गए दरों की कम संख्या, वैज्ञानिक उपकरणों की गैर-खरीद तथा संरक्षित स्मारकों/स्थानों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को लगाने के लिए प्रस्तावों की गैर-भौतिकीकरण के कारण

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
4.	43- राजस्व विभाग	3601.01.110.07- सीएसटी(केंद्रीय राज्य कर) के चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति	14929.00	990.55	14370.60	1548.95	राज्य सरकारों को सी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के प्रति कम निधियों की अवश्यकता के कारण
5.	51- भारी उद्योग विभाग	2852.80.003.12- राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा आर एण्ड डी आधारभूत परियोजना	75.00	144.54	74.99	144.55	हाईब्रिड वाहनों के निर्माण कर्ताओं से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
6.	55-पुलिस	2055.00.003.1-राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	136.58	5.00	110.24	31.34	पर्यटन, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा परामर्शदाताओं को लगाने के लिए कम निधि की आवश्यकता तथा खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण
7.		2055.00.106.01-स्थापना	598.71	10.00	545.33	63.38	रिक्त पदों को न भरने तथा पेट्रोल, तेल तथा स्नेहकों तथा लघु कार्यों के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण
8.		4055.00.202.04- सामान्य	100.00	5.00	94.13	10.87	वाहनों के वितरण की पुन: अनुसूचित करने के कारण

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
9.	62- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	4250.00.201.11- काम की परिस्थितियाँ और सुरक्षा	4.31	6.00	2.61	7.70	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चल रहे जारी निर्माण कार्यों के लिए निधियों के गैर उपयोग के कारण
10.	83- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3055.00.004.25-सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रणाली की सुदृढ़ता एवं सुधार	20.00	70.00	12.00	78.00	राज्य कोषागार इकाई से उपयोगिता प्रमाणपत्रों के गैर प्राप्ति के कारण बचत
11.		5054.01.796.01-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संयोजकता (एन एच व राज्य सड़क) के विकास के लिए सामाजिक कार्यक्रम	400.00	520.00	--	920.00	चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों से बिलों की प्राप्ति में देरी के कारण
12.	84- ग्रामीण विकास विभाग	3054.80.797.03-केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3030.03	1104.22	3030.03	1104.22	निधियों के कम अंतरण के कारण कार्यदायी संस्थाओं को कम निधियां जारी करने के कारण
13.		3601.02.797.02- केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	4623.47	7864.19	4623.47	7864.19	
14.	97-पर्यटन मंत्रालय	3452.01.101.11- पर्यटन आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए केंद्रीय एजेंन्सी को सहायता	14.25	10.00	11.00	13.25	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती तथा उपयोगिता/पूर्णता प्रमाणपत्रों की गैर प्राप्ति के कारण बचत

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
15.		3452.01.101.13- तीर्थयात्री केन्द्रों के सौंदर्यीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन	50.00	10.00	8.09	51.91	राज्य संस्थाओं से पर्याप्त प्रस्तावों की गैर प्राप्ति के कारण बचत तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
16.	105- लोक निर्माण कार्य	2059.80.001.13-कम्प्यूटरीकरण की योजना	2.84	8.23	2.12	8.95	योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण
रक्षा सेवा राजस्व (दत्तमत)							
17.	26- रक्षा आयुध कारखानें	2079.00.110-भंडार	6565.12	660.95	6522.42	703.65	विदेशी विक्रेताओं द्वारा 125 मिमी फिन स्टेब्लाइज्ड आर्मर पिअर सिंग डिस्चार्जिंग सबोट (एफएसएपीडीईएस) जैसी मदों की आपूर्ति न होने तथा विदेशी क्रेताओं द्वारा वस्तु की आपूर्ति में विलंब होने के कारण
डाक सेवाएं राजस्व (दत्तमत)							
18.	14- डाक विभाग	3201.02.101.01-मौजूदा डाक कार्यालय	6766.09	137.42	6680.90	222.61	अधिक सेवानिवृत्त मामलों के कारण वेतन के तहत कम व्यय। खण्ड अवधि 2014-17 के प्रथम दो वर्ष के कारण कम एलटीसी (अवकाश यात्रा रियायत), कम ट्यूशन फीस मामलों के कारण।
19.		3201.02.102.01- डाक छंटाई	1169.91	25.30	1162.29	32.92	

लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
20.		3201.03.101.12- भारतीय डाक बैंक की स्थापना	--	7.25	--	7.25	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व पीबीआई (भारतीय डाक बैंक) की स्थापना के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था।
21.		3201.07.104.01- उपदान	698.15	24.96	653.23	69.88	परिमण्डलों द्वारा पूर्वानुमान का निर्धारण नहीं किया जा सका, अत: शीर्ष के तहत बचत

अनुबन्ध 3.12

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

बचे हुए अव्यतीत कुल प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचतें
सिविल			
अनुदान सं. 5- नाभिकीय उर्जा योजना			
1.	2801.03.101.09-के के एन पी ईधन	89.00	89.00
अनुदान सं. 10- नागरिक उड्डयन मंत्रालय			
2.	3053.80.800.06-हज चार्टर के संचालन के लिए अनुदान	527.66	527.66
अनुदान सं. 13- औद्योगिक नीति एवं प्रचार विभाग			
3.	2885.02.101.14-आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में औद्योगिक ईकाईयों को आर्थिक ब्याज सहायता	100.00	100.00
अनुदान सं. 15- दूरसंचार विभाग			
4.	4859.01.190.13-आई टी आई पुनरूद्धार (इक्विटी निवेश)	50.00	50.00
अनुदान सं. 29- उत्तर पूर्व(उ.पू) क्षेत्र विकास मंत्रालय			
5.	3601.05.101.07- उत्तर पूर्व सड़क निगम	225.00	225.00
6.	3601.05.101.08-उत्तर पूर्व राज्यो के लिए जैविक कृषि	125.00	125.00
7.	4552.00.215.02-उत्तर पूर्व क्षेत्र में लघु एवं मध्यम शहरो का समेकित विकास	70.00	70.00
अनुदान सं. 33- विदेश मंत्रालय			
8.	7605.00.055.01-नया क्रेडिट	158.00	158.00
अनुदान सं. 34- आर्थिक मामले विभाग			
9.	2235.02.200.28-सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क	1000.00	1000.00
10.	2235.02.797.01- निर्भया निधि को अन्तरण	1000.00	1000.00
11.	2235.60.797.02-असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	607.00	607.00
12.	5475.00.800.21-पी पी पी कार्यान्वयन (3 पी इंडिया)	80.00	80.00
अनुदान सं. 35- वित्तीय सवा का विभाग			
13.	5465.01.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि	7940.00	7940.00
अनुदान सं.. 36 - विनियोग-ब्याज भुगतान			
14.	*2049.01.126- बैंक में बाजार स्थिरीकरण योजना जमाधन पर देय ब्याज/छूट*	*686.60*	*686.60*

बचे हुए अव्यतीत कुल प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचतें
15.	*2049.01.128-नकद प्रबंधन बिल*	*1000.00*	*1000.00*
अनुदान सं. 37-राज्य एवं संघ शासित सरकारो को अन्तरण			
16.	*7601.06.200- अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)*	*100.00*	*100.00*
अनुदान सं. 39 - विनियोग कर्जे का भुगतान			
17.	*6001.00.127-नकद प्रबंधन बिल*	*100000.00*	*100000.00*
अनुदान सं. 43-राजस्व विभाग			
18.	4059.60.051.26-राजस्व भवन का निर्माण	100.00	100.00
अनुदान सं. 48- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
19.	2210.06.800.39-स्वास्थ्य बीमा (सीजीईआईपीएस)	50.00	50.00
अनुदान सं. 50- एड्स नियंत्रण विभाग			
20.	4210.04.200.11-राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	50.00	50.00
अनुदान सं. 51 - भारी उद्योग विभाग			
21.	2852.80.003.15- आर एवं डी परियोजना - ताप विद्युत संयंत्र के विकास के लिए अत्यधिक उन्नत विशेष (उन्नत-यूएससी) तकनीक	50.00	50.00
22.	6854.60.800.01-लोक उपक्रमो के लिए पुन: प्रवर्तन योजना के लिए कार्यान्वयन	150.00	150.00
23.	6858.60.800.01-राष्ट्रीय स्वचलित परीक्षण को ऋण एवं आर एण्ड डी सरंचना परियोजना	300.00	300.00
अनुदान सं. 55-पुलिस			
24.	4055.00.214.06-ईण्डो-भूटान सीमा कार्य	50.00	50.00
25.	4055.00.800.23-निर्भया निधि परियोजना	79.60	79.60
अनुदान सं. 58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
26.	3602.04.169.01-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	453.80	453.80
अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग			
27.	2202.03.102.22-बहु विषयक अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना, हिमालयन अध्ययन केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सहित (सीयूएचएस), उत्कृष्टता केन्द्र एवं मानविकी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र का निर्माण	81.38	81.38

बचे हुए अव्यतीत कुल प्रावधान (₹ 50 करोड़ एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण एवं उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय			
28.	3601.04.326.04-असगंठित श्रमिको हेतु सामाजिक सुरक्षा कार्ड	65.60	65.60
अनुदान सं. 77-विद्युत मंत्रालय			
29.	2801.80.800.33-डिस्कॉम (वितरण कंपनियों) के ऋण पुर्नसरंचना के लिए वित्तीय सहायता	74.20	74.20
अनुदान सं. 83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय			
30.	3055.00.004.27-सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना	653.00	653.00
31.	3601.02.105.02- अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़के	293.00	293.00
32.	5054.01.796.01-नक्सल प्रभावित क्षेत्रो में सड़क सम्पर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (राजमार्ग एवं राज्यपथ)	920.00	920.00
अनुदान सं. 87- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
33.	3425.60.151.11-ट्रांसलेशनल रिसर्च संस्थान (नवोन्मेष परिसर)	63.00	63.00
अनुदान सं. 89-पोत परिवहन मंत्रालय			
34.	3052.02.103.07-तटीय पोत परिवहन को मॉडल शिफ्ट	64.61	64.61
अनुदान सं. 91- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग			
35.	2225.01.789.10-मैला ढोने वालो के पुर्नवास के लिए रोजगार योजना	460.99	460.99
अनुदान सं. 96-कपड़ा मंत्रालय			
36.	2852.08.789.14-पावरलूम प्रचार योजना	51.02	51.02
अनुदान सं. 107 - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय			
37.	2701.80.800.22- नदियों को आपस में जोड़ने के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)	100.00	100.00
अनुदान सं. 28 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय .			
38.	4076.08.209- प्रक्रिया निर्माण के तहत आदर्श विकास के लिए सहायता	144.21	144.21
कुल			**118012.67**

अनुबन्ध 3.13

(पैराग्राफ 3.16 के सदंर्भ में)

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 1 कृषि एवं सहकारी विभाग					
1.	2401.00.800.45-कृषोन्नति योजना राज्य योजना	460.00	36.56	423.44	राज्य सरकारों के लघु संदेश सेवा नीति के प्रति कम निधियों की आवश्यकता व कम प्रस्तावों की प्राप्ति व अपर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
2.	2435.01.789.04- कृषोन्नति योजना केन्द्रीय क्षेत्र	124.63	0.61	124.02	कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
3.	2415.01.150.03- कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड एवं कृषि सूचना एवं प्रशासन निदेशालय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय।	452.27	285.65	166.62	वित्त मंत्रालय द्वारा संधोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों में कटौती व रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण
4.	2415.01.150.07- कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान व शिक्षा योजनाएँ	576.81	439.72	137.09	
अनुदान सं. 3 पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग					
5.	2404.00.102.20-डेयरी विकास अभियान	948.75	781.28	167.47	राजस्व प्राप्तियों को सुमेलित करने के लिये व्यय को रोकने के कारण
अनुदान सं. 4 -परमाणु उर्जा					
6.	4861.60.190.02-भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	200.00	32.00	168.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर कमी के कारण
अनुदान सं. 12 वाणिज्य विभाग					
7.	3453.00.107.04-अनूसूचित वाणिज्यिक बैंको को आर्थिक सहायता	1625.00	1100.00	525.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर योजना की अधिसूचना में देरी व कटौती के कारण
अनुदान सं. 15 दूरसंचार विभाग					
8.	2071.01.102.01-साधारण पेंशन	911.32	781.40	129.92	बीएसएनएल सेवानिवृत्तियों के सम्बन्ध में डी.ए विलय के गैर कार्यान्वयन और कम दावों की प्राप्ति के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग					
9.	6860.04.190.06-खोई आधारित सह उत्पादन शक्ति परियोजना के लिए चीनी मिलें	200.00	95.79	104.21	पांच चीनी मिलों के प्रदूषण नियंत्रक मंडल/पर्यावरण प्रभाव निर्धारण की संस्वीकृति मंजूरी की गैर प्राप्ति व सक्षम दावों की गैर प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 29 उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मत्रांलय					
10.	3601.02.101.14-उत्तर पूर्व व सिक्किम के लिए संसाधनों के गैर समाप्ति योग्य पूल से केन्द्रीय सहायता	970.00	605.10	364.90	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों, उपयोगिता प्रमाण पत्र त्रैमासिक प्राप्ति समीक्षा व निरीक्षण प्रतिवेदन की गैर प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 30 - स्वच्छता एवं पेयजल मत्रांलय					
11.	3601.02.269.02-स्वच्छ भारत अभियान	6011.40	4391.81	1619.59	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर प्राप्ति शहरी विकास मंत्रालय को तकनीकी पूरक के माध्यम से निधियों के अंतरण के कारण
12.	3601.02.789.19-मल प्रवाह पद्धति एवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	2184.00	1469.51	714.49	शहरी विकास मंत्रालय को तकनीकी पूरक के माध्यम से निधियों के अन्तरण व मुख्य शीर्ष "2215" के स्थान पर इस शीर्ष से पूरक प्राप्त करने के कारण
13.	3601.02.796.19- मल प्रवाह पद्धतिएवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	993.00	673.08	319.92	शहरी विकास मंत्रालय को तकनीकी पूरक के माध्यम से निधियों के अन्तरण व मुख्य शीर्ष "2215" के स्थान पर इस शीर्ष से पूरक प्राप्त करने के कारण
अनुदान सं. 31-भू विज्ञान मत्रांलय					
14.	3403.00.102.06-ध्रुवीय विज्ञान व कियोस्फर	294.00	118.66	175.34	गत वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता व ध्रुवीय अनुसंधान प्राप्त की पुनः निविदा के कारण
अनुदान सं. 33-विदेश मत्रांलय					
15.	3605.00.101.10-भूटान को सहायता	2919.40	2127.66	791.74	भूटान में जलविद्युत परियोजना के प्रारम्भ न होने के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
16.	3605.00.101.14-म्यामांर को सहायता	270.00	117.07	152.93	कालाडन बहु आदर्श परिवहन योजना, रिटिडिम सड़क हेतु बीजक गैर प्राप्ति व त्रिपक्षीय हाइवे परियोजना के अनुमोदन में देरी के कारण
17.	4059.60.051.17-विदेश मामले	220.00	89.85	130.15	काबुल, सियाल व वैनकूवर में सम्पत्तियों के क्रय के गैर-अंतिमीकरण व गैर योजना व्यय पर समिति द्वारा योजना के गैर अनुमोदन के कारण
अनुदान सं. 34-अर्थिक कार्य विभाग					
18.	2810.00.797.01-राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरण	4700.00	100.00	4600.00	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में कम निधियों अन्तरण की आवश्यकता के कारण
19.	3075.60.101.01-रेलवे को भुगतान	4728.71	3722.68	1006.03	लाभांश की दर में 5% से 4% तक की कटौती के कारण कम निधियों की आवश्यकता
20.	5475.00.800.12-आधारभूत संरचना के विकास के लिए सहायता लाभप्रदाता पूरक वित्त/निधि	1028.50	623.50	405.00	अनुदान के पूंजी अनुभाग से राजस्व अनुभाग में अंश स्थानांतरण के प्रावधान के कारण
21.	7475.00.800.10-नई व्यवस्था के तहत उधार हेतु आई एम एफ से ऋण (एन ए बी)	1486.04	692.60	793.44	आई एम एफ को नवीन ऋण व्यवस्था के तहत ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण
अनुदान सं.35-वित्त सेवाएँ का विभाग					
22.	2235.60.102.03-राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) से जुडने के लिए असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलम्बन योजना	581.90	250.64	331.26	योजना के तहत मंद नामांकन के कारण कम निधियों की आवश्यकता
23.	3465.01.190.06-भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को आर्थिक मदद	250.00	40.00	210.00	गत वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण
अनुदान सं. 36- विनियोग- ब्याज भुगतान					
24.	*2048.00.200.13-सरकारी प्रतिभूतियों के वापसी पर बीमा शुल्क भुगतान*	*1000.00*	*38.22*	*961.78*	*वापसी खरीद व बदलाव के संचालन पर बीमा शुल्क के कारण*
25.	*2049.01.103.01-राजकोषीय बिलो पर छुट-91 दिनो का राजकोषीय बिल*	*15131.74*	*12476.64*	*2655.10*	*कम राजकोषीय बिलों के जारी करने के कारण*

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
26.	*2049.01.108- 182 दिनो के राजकोषीय बिल पर ब्याज*	*6643.62*	*5800.91*	*842.71*	*राजकोषीय बिलों के निम्न निर्गमन के कारण*
27.	*2049.01.110- 364 दिनो के राजकोषीय बिल पर ब्याज*	*14453.33*	*10617.05*	*3836.28*	*पैदावार की कमी के कारण*
28.	*2049.01.115- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज*	*500.00*	*74.28*	*425.72*	*सरकारी खाते में नकदी अधिशेष की उपलब्धता के कारण अर्थोपाय ऋण व अधिविकर्ष की कम उपयोगिता के कारण*
29.	*2049.01.116- 14 दिनो के राजकोषीय बिल पर ब्याज*	*5000.00*	*3823.49*	*1176.51*	*राज्य सरकारों द्वारा पुनर्भाजन की उच्च परिमाण के कारण*
30.	*2049.03.109.09- ईएसआईसी(कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के विशेष जमा*	*1002.91*	*746.90*	*256.01*	*गत वर्ष में एसडीए(बिशेष जमा और लेखे) के तहत जारी अधिक ब्याज के भुगतान व ब्याज दरों में कटौती के कारण*
31.	*2049.05.103-रेलवे विकास निधि पर ब्याज*	*201.03*	*93.90*	*107.13*	*निधियां की कम अभिवृद्धि के कारण*
अनुदान सं. 37-राज्य एवं केन्द्र शासित सरकारो को अन्तरण					
32.	*3601.01.104.21-* राज्य आपदा सहायता निधि को सहायता अनुदान	*9971.00*	*8756.01*	*1214.99*	कुछ राज्य सरकारों के द्वारा प्रस्तावित नियमों व शर्तो की गैर- पूर्ति के कारण
33.	*3601.01.104.22-* स्थानीय निकायों को अनुदान	*29987.52*	*26917.78*	*3069.74*	
34.	3601.02.101.06-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3500.00	2771.82	728.18	सहायता लेखा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षा के कार्यालय से बाहरी सहायता के प्रवाह के कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
35.	3601.03.560.01-विशिष्ट सहायता (राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश सरकार)	20000.00	10890.00	9110.00	वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार नीति आयोग के माध्यम से विशिष्ट हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निधियों के हस्तांतरण के कारण
अनुदान सं. 39- *विनियोग ऋणो का पुन भुगतान*					
36.	*6001.00.114-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम*	*500000.00*	*83843.00*	*416157.00*	*अर्थोपाय की कम उपयोगिता के कारण ऋण एवं अधिविकर्ष*

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 41- पेंशन					
37.	2071.01.102.01- साधारण पेशंन	1681.80	1443.46	238.34	कम दावों/सूचीपत्रों की प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 43-राजस्व विभाग					
38.	2047.00.110.01- जीएसटीएन- एसपीवी (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क: विशेष प्रयोजन वाहन) को अनुदान	292.00	120.93	171.07	वस्तु एवं सेवा कर संजाल (विशेष उद्देश्य वाहन) के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण
अनुदान सं. 44-प्रत्यक्ष कर					
39.	4059.01.202- तैयार निर्मित आवासों का अधिग्रहण	323.72	52.32	271.40	सम्पत्तियों के निर्माण/क्रय के लिए कुछ प्रस्तावों के गैर- अन्तिमीकरण के कारण
40.	4216.01.111.01- तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण	250.48	43.65	206.83	
अनुदान सं. 45- अप्रत्यक्ष कर					
41.	2037.00.102.01-समुद्र सीमा शुल्क-मुख्य पोर्ट (बंदरगाह)	812.98	680.74	132.24	रिक्त पदों के न भरने, मितव्ययिता के उपाय व किराए के पुनरीक्षण के गैर अन्तिमीकरण के कारण
42.	4047.00.037.03-निवारक व अन्य कार्य	263.61	41.92	221.69	श्रेणी-I व।। जहाजों के अतिरिक्त पुर्जो की खरीद प्रक्रिया के गैर-अन्तिमीकरण व पीआरडी (व्यक्तिगत विकिरण डिटेक्टर), एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रणाली, एम्स बी आई एस, की खरीद व ड्राइव थ्रू स्कैनर (रोड) के संस्थापन के लिए खरीद प्रक्रिया में देरी के कारण
43.	4059.01.800.01-तैयार बने परिसरों का अधिग्रहण	331.00	25.06	305.94	भूमि के अधिग्रहण/कार्यालय की इमारतों के निर्माण के विभिन्न प्रस्तावों के गैर अन्तिमीकरण व तैयार बने कार्यालय परिसर की खरीद के कारण
अनुदान सं. 48-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
44.	2210.05.105.41-एम्स (अ.भा.आ.सं.) जैसे विशिष्ट अस्पतालो सह शिक्षण संस्थानों की स्थापना व राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन	1756.00	1208.72	547.28	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए कम निधियों की आवश्यकता, आउटसोर्सिंग सेवा/श्रमशक्ति, नए 6 एम्स (अखिल भारतीय आयुविर्ज्ञान संस्थान) के आकस्मिक व्ययों तथा अनुदानित निकायों के साथ अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
45.	2210.06.001.09-संक्रामक रोगों के लिए फ्लैक्सीबल पूल	1167.51	972.65	194.86	रिक्त पदों के न भरने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति, मीडिया अभियानों के गैर-अनुमोदन, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों /सम्मेलनों का आयोजन व मलेरिया रोधी, कालाजार और यक्ष्मा रोधी दवाओं की गैर खरीद के कारण
46.	3601.02.246.02-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - फ्लैक्सीबल पूल	785.45	484.84	300.61	राष्ट्रीय टीकारण दिवस के रूप में दिनों की कम संख्या की घोषणा के कारण कम प्रस्तावों की प्राप्ति व वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
47.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन को सुदृढ़ बनाने के लिए सामग्री सहायता	718.10	7.00	711.10	आपूर्ति व सामग्री की गैर-खरीद के कारण योजना के अनुमोदन में देरी
अनुदान सं. 51- भारी उद्योग विभाग					
48.	6858.60.190.07-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कार्यान्वयन और पृथ्क्करण योजना(वी आरएस/वी एसएस और सांविधिक बकाया राशि का भुगतान	734.00	185.83	548.17	विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों के पुनर्विनियोग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना व वैधानिक बकाया राशियों के भुगतान के कारण
अनुदान सं. 53- गृह मत्रांलय					
49.	2245.80.102.18-विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना	416.00	159.01	256.99	रिक्त पदों के न भरने, विदेशी पर्यटन के कम संख्या व सलाहकारों की गैर-संविदा के कारण
अनुदान सं. 55- पुलिस					
50.	4055.00.214.05- इन्डो-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	300.00	161.99	138.01	भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों के गैर अंतिमीकरण के कारण
51.	4055.00.215.03- राज्य/यूटी की तटीय सुरक्षा के लिए सहायता	710.00	48.89	661.11	तटीय सुरक्षा के लिए नावों की खरीद प्रस्तावों के गैर-अंतिमीकरण के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 56- गृह मत्रांलय का अन्य व्यय					
52.	3601.01.343.06- जम्मू कश्मीर राहत एवं पुनर्वास	580.00	260.00	320.00	कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास के लिए योजनाओं के गैर-अंतिमीकरण के कारण
53.	4250.00.101.08- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल	323.03	55.81	267.22	विचाराधीन प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्तावों के गैर अंतिमीकरण व अर्द्ध-स्थायी ढ़ांचों के गैर-निर्माण के कारण
अनुदान सं. 58- आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय					
54.	2216.02.190.15- राजीव ऋण योजना (आरआरवाई)	394.20	0.12	394.08	योजना के विच्छेदन के कारण
55.	3601.04.170.02- सबके लिए आवास - सरदार पटेल शहरी आवास योजना	3504.01	1197.74	2306.27	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कमी व कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा राज्यों द्वारा जमा किए गए परियोजनाओं के दावों का गैर निराकरण
56.	3601.04.435.05- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)	420.00	259.35	160.65	उपयोगिता प्रमाण पत्र की गैर प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 59- विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग					
57.	3601.02.797.03- प्रारंभिक शिक्षा कोष में निधियों का अंतरण	27575.00	19298.16	8276.84	शिक्षा-उपकर के कम संग्रह के कारण
अनुदान सं. 60-उच्च शिक्षा विभाग					
58.	2202.03.102.14- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (आरयूएसए)	140.74	5.52	135.22	व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण
59.	2202.03.102.21-सामुदायिक महाविद्यालयो सहित दक्षता आधारित उच्च शिक्षा हेतु समर्थन	151.88	0.50	151.38	योजना के गैर अन्तिमीकरण के कारण
60.	2203.00.112.68- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी)/ भारतीय प्रबधंन संस्थानों आई.आई.एम. की स्थापना	775.00	90.31	684.69	व्यवहार्य प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण
61.	2203.00.789.58-- भारतीय प्रौघोगिकी संस्थान (आईआईटी)/भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) की स्थापना	150.00	7.65	142.35	

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 61 सूचना एवं प्रसारण मत्रांलय					
62.	2251.00.800.11- राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन	137.00	3.76	133.24	परियोजना का कार्यान्वयन के प्राथमिक स्तर पर होने तथा विभाग द्वारा निश्चित गतिविधियों का पुन: प्राथमिकता निर्धारण के कारण
अनुदान सं. 62- श्रम एव रोजगार मत्रांलय					
63.	2230.03.003.07- महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	170.29	63.15	107.14	प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के गैर-उठान के कारण
64.	3601.04.326.02-आरएसबीवाई सहित असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा	780.99	39.16	741.83	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरण के कारण
65.	3601.04.789.47- श्रम- असंगठित मजदूरो के लिए सामाजिक सुरक्षा	209.06	1.00	208.06	
66.	3601.04.796.36- - श्रम- असंगठित मजदूरो के लिए सामाजिक सुरक्षा	105.82	3.76	102.06	
अनुदान नं 64- विधि एवं न्याय					
67.	2015.00.104.01- राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों को प्रतिपूर्ति	1555.40	1314.96	240.44	राज्य सरकारों से लेखापरीक्षा प्रमाण पत्रों की गैर-प्राप्ति और लेखापरीक्षा प्रमाण पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण राज्य सरकारों को कम निस्तारण
अनुदान सं. 76- योजना मत्रांलय					
68.	3454.02.206.01- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	1638.22	1285.43	352.79	रिक्त पदों के न भरने, नामांकन प्रमाण की निम्न मात्रा, आधार का अद्यतनीकरण सम्पर्क केन्द्र संचालनों का कम उत्प्रवाह, सूचना संचार एवं तकनीकी सहायता पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आधार लाभ को सीमित करने के कारण तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की गैर तैनाती की वजह से
अनुदान सं. 77 -विद्युत मत्रांलय					
69.	2801.05.797.01- पावर सिस्टम विकास निधि(पीएसडीएफ)में हस्तांतरण	1500.00	1150.74	349.26	डिस्कॉमस द्वारा गैस आधारित विद्युत खरीदने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
70.	2801.05.800.04- पीएसडीएफ में से पावर सिस्टम विकास के लिए योजना	300.00	175.00	125.00	मन्द कार्यान्वयन के कारण योजना के तहत परियोजनाओं के लिए कम निधि की आवश्यकता
71.	2801.05.800.07- पीएसडीएफ से गैस आधारित उत्पादन क्षमता के उपयोग हेतु योजना	1200.00	975.74	224.26	डिस्कामस द्वारा गैस आधारित विद्युत खरीदने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण
72.	4801.02.190.02- भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	993.00	76.83	916.17	निम्न लक्ष्य वाले कोयला बहुल क्षेत्रों के कम आधिग्रहण के कारण
अनुदान सं. 83 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
73.	3601.02.105.01- राज्य सड़क के लिए अनुदान	2868.00	2363.87	504.13	केन्द्रीय सड़क निधि नियम के अनुसार गुणवत्ता, आश्वासन, व प्रशिक्षण के लिए कुल प्रावधानों का हस्तान्तरण, राज्य सरकारों से परियोजना प्रस्तावों की गैर प्राप्ति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की गैर प्राप्ति के कारण
74.	5054.01.190.01- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	29420.09	23017.68	6402.41	एन.एच.डी.पी.-IV(राष्ट्रीय राजमार्ग विकाश परियोजना) परियोजना का राज्य लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा करने में देरी के कारण
75.	5054.01.337.01- सड़क विंग के अतंर्गत कार्य	5718.06	600.00	5118.06	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क-संयोजकता के विकास में चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति
76.	5054.01.337.04-केन्द्रीय सडक निधि से अन्य राजमार्ग संबंधी योजनाएं।	790.50	653.77	136.73	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संयोजकता के विकास में चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति एवं ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा करने में देरी के कारण
अनुदान सं. 84- ग्रामीण विकास विभाग					
77.	2505.02.101.09- क्षमता निर्माण व तकनीकी सहायता	374.79	181.82	192.97	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
78.	2515.00.800.28- अर्बन मिशन	270.00	32.05	237.95	
79.	2515.00.800.29- ग्रामीण उघमिता 'स्टार्ट अप' कार्यक्रम	180.00	13.60	166.40	कार्यदायी संस्थाओं से व्यवहार्य प्रस्तावों का कम संख्या में प्राप्ति व राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
80.	3054.04.338.08- एन आर आर डी ए (कृषि एवं ग्रामीण विकास) द्वारा नाबार्ड (राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास संस्था) को ऋण के पुनर्भुगतान को सहायता के लिए	3875.71	2800.00	1075.71	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
81.	3601.02.418.01- आजीविका -राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	230.80	110.67	120.13	
अनुदान सं. 89- पोत परिवहन मंत्रालय					
82.	5051.01.001.01- सागरमाला	200.00	96.51	103.49	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कमी तथा परियोजना के विलम्ब से अनुमोदन के कारण
अनुदान नं 91- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
83.	2225.01.789.22- पूर्व-दशम छात्रवृत्ति-अनुसूचित जाति के लिए	179.55	71.31	108.24	केन्द्रशासित प्रदेशों से छात्रवृति के लिए पर्याप्त प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति तथा प्रशासनिक व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण
84.	3601.03.789.08- अनुसूचित जाति का कल्याण-आर्थिक विभाग	1086.74	799.56	287.18	कुछ राज्य सरकारों के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
अनुदान सं. 94- आर्थिक एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय					
85.	2553.00.101.01-अनुदान सहायता	3950.00	3502.00	448.00	कर्नाटक में चुनाव के दौरन आदर्श आचार संहिता के लागू होने तथा जिला प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षा/उपयोगिता प्रमाणपत्र के देरी से जमा करने के कारण
अनुदान सं. 96- वस्त्र मंत्रालय					
86.	2851.00.108.18-वस्त्र आधारभूत संरचना तथा मेगा समूह	236.52	118.26	118.26	पर्याप्त तथा व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति के कारण
87.	2852.08.202.62- वस्त्र आधारभूत संरचना तथा वृहत समूह	282.92	61.36	221.56	
अनुदान सं. 97-पर्यटन मंत्रालय					

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
88.	3452.01.101.12-पर्यटन क्षेत्र	280.00	154.52	125.48	कार्यान्वयन संस्था द्वारा उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र, पर्याप्त प्रस्तावों की गैर प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
89.	3452.80.104.01-प्रत्यक्ष व्यय	457.20	296.68	160.52	अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार अभियान बिलों की प्राप्ति में देरी, कुछ चैनलों में इन प्रचार अभियान को लागू करने की अक्षमता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण
अनुदान सं. 98-जनजातीय मामले मंत्रालय					
90.	*3601.03.796.08*-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-शिक्षा *(प्रभारित)*	*689.95*	*519.56*	*170.39*	*कुछ राज्य सरकारों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्तावों/उपयोगिता प्रमाण पत्रों की गैर प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर प्रावधानों की कटौती के कारण*
अनुदान सं. 102-दमन व दीव					
91.	*2801.05.103.01*-संचालन एवं मरम्मत	*907.00*	*727.11*	*179.89*	*प्रमुख उच्च तनाव उपभोक्ताओं का मुक्त उपयोग शक्ति खरीद योजना में स्थानान्तरण तथा थोक बिजली खरीद की लागत*
अनुदान सं. 104-शहरी विकास विभाग					
92.	2217.05.191.14- राष्ट्रीय हेरिटेज सिटी कार्यक्रम	200.00	27.22	172.78	योजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के कारण
93.	3601.04.314.03-स्वच्छ भारत मिशन	2528.76	797.29	1731.47	योजना के विभिन्न अवयवों के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा कार्यान्वयन संस्थानों से कम मांग की प्राप्ति के कारण
94.	3601.04.315.03-100 स्मार्ट सिटी मिशन	2000.00	1461.20	538.80	कार्यदायी राज्य सरकार से कम निधियों की आवश्यकता तथा परियोजना कार्यक्रम के लिए आवश्यकता के सापेक्ष कम निधियों की उपलब्धता के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
95.	3601.04.315.04-शहरी कायाकल्प मिशन - 500 आवास	3898.99	2548.75	1350.24	योजना के देर से शुभारंभ तथा राज्य सरकार से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा कार्य की धीमी गति तथा कार्यदायी संस्थाओं से कम मांग की प्राप्ति के कारण
96.	3602.04.269.01-स्वच्छ भारत मिशन	212.00	97.55	114.45	केन्द्र शासित प्रदेश सरकार से कम मांगों की प्राप्ति तथा योजना के विभिन्न अवयवों के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण
97.	4216.01.106.03-शहरी विकास निर्माण	720.01	534.66	185.35	चल रहे कार्य की धीमी प्रगति तथा मितव्ययी संसाधनों के कारण
98.	4217.60.190.08-अन्य मेट्रो परियोजनाएं	945.67	580.49	365.18	कार्यदायी संस्था से मांगों की गैर प्राप्ति के कारण
अनुदान सं. 105- लोक कार्य					
99.	4059.01.051.01-भवन	291.41	124.77	166.64	निर्माण कार्य के लिए कम निधि की आवश्यकता तथा पक्षकार विभाग से व्यय अनुमोदन की गैर प्राप्ति के कारण
107- जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पूर्णोद्धार मंत्रालय					
100.	3435.04.101.08-राष्ट्रीय गंगा योजना	2100.00	1000.00	1100.00	वित्तीय वर्ष 2015-16 की अन्तिम तिमाही में योजना के आधारभूत परियोजना मॉडल के अनुमोदन के कारण शीर्ष के तहत ₹1100 करोड़ की बचत
अनुदान सं. 108 महिला व बाल विकास मंत्रालय					
101.	2235.02.102.18-समेकित बाल विकास सेवाएं	250.20	30.70	219.50	केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कम निधि की आवश्यकता तथा योजना की पुन: संरचना तथा गैर अनुमोदन तथा केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान व निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वारा कम निधि की आवश्कता के कारण एवं आंगनबाड़ी कर्मचारियों के बीमे के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
102.	3601.02.356.09-आई जी एम एस वाई(इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना) सहित महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन	347.01	220.41	126.60	केन्द्र व राज्य के मध्य वित्त पोषण की समीक्षा कुछ राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
रक्षा सेवाएं **अनुदान सं. 24 - रक्षा सेवा - नौसेना**					
103.	2077.00.110 -भंडार गृह (स्टोर्स)	5142.25	4166.03	976.22	पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों की अन्तराष्ट्रीय बाजार कीमतों में कमी के कारण
अनुदान सं. 25 - रक्षा सेवाएं- वायु सेना					
104.	2078.00.110 -भंडार गृह (स्टोर्स)	9160.24	7108.21	2052.03	अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, मामलों को अंतिम रूप देने में देरी वितरण अवधि में परिवर्तन/ देरी, समर्थन अनुबंध को पांच वर्ष के लिए कार्यान्वयन के कारण मामलों का शीघ्र समापन, यू एस सरकार के साथ भुगतान नीति में परिवर्तन के कारण
105.	2078.00.800-अन्य व्यय	596.37	490.32	106.05	मितव्ययता संसाधनों का प्रवर्तन, कुछ खरीदों का गैर-भौतिकीकरण, कुछ परियोजनाओं की गैर-पूर्णता तथा निश्चित अनुकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण।
अनुदान सं. 27 - रक्षा सेवाएं अनुसंधान व विकास					
106.	2080.00.004- अनुसंधान/अनुसंधान विकास	869.75	604.58	265.17	महानिदेशक वैमानिक विकास अभिकरण तथा अन्य अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा व्यय में कटौती के कारण
अनुदान सं. 28 -रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत व्यय **01-थल सेना**					
107.	4076.01.050 -भूमि	367.00	68.30	298.70	भूमि अधिग्रहण के प्रत्याशित मामलों के गैर-फलन के कारण
108.	4076.01.101-एयरक्राफ्ट और ऐरो इंजन	2365.35	1383.43	981.92	यूएवी (मानवरहित वायुयान) हीरोन संविदा में फिसलन के कारण कम खर्च
109.	4076.01.102 -भारी और मध्यम वाहन	1783.83	1446.85	336.98	प्रत्याशित की अपेक्षा कम अनुमोदन होने के कारण

उप-शीर्ष के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक की बचते एवं निर्मित 10 प्रतिशत से अधिक संस्वीकृत प्रावधान

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक विवरण	बचते	मत्रांलय /विभाग द्वारा उठाये गये मामलें
		(₹ करोड़ में)			
110.	4076.01.103 - अन्य उपकरण	17335.22	11333.05	6002.17	प्रतिबद्ध देयताओं के मामले में फिसलन के कारण कम खर्च के कारण तथा प्रत्याशित की अपेक्षा अनुमोदन का जारी न होना
111.	4076.01.106-रोलिंग स्टॉक	364.02	233.40	130.62	प्रतिबद्ध देयताओं के मामले में फिसलन के कारण कम खर्च के कारण तथा प्रत्याशित की अपेक्षा अनुमोदन का जारी न होना
02- नौसेना					
112.	4076.02.104-संयुक्त स्टाफ	920.84	720.46	200.38	सामरिक बल नियंत्रण की सामरिक परियोजना की धीमी प्रगति के कारण कम व्यय के कारण तथा अतिरिक्त महानिदेशक सिग्नल इंटेलीजेंस के संबंध में सिग्नल इंटेलीजेंस परियोजना के कारण
113.	4076.02.204-नौसेना बेड़ा	16049.87	10764.84	5285.03	प्रमुख जहाज निर्माण संविदा के अनुबंध मील के पत्थर तथा वितरण अनुसूची में फिसलन के कारण
114.	4076.02.205-नौसेना गोदी वाड़ा	1275.31	774.37	500.94	नौसेना योजना महानिदेशालय के निश्चित सामरिक पनडुब्बी परियोजना को शामिल न करने के कारण
03- वायु सेना					
115.	4076.03.102-भारी और मध्यम वाहन	233.42	101.31	132.11	नवीन संविदा (वाहन) का गैर -फलन के कारण
116.	4076.03.103 - अन्य उपकरण	12382.09	9787.67	2594.42	भुगतान में देरी के कारण निश्चित संविदा में संविदा संशोधन मदों के गैर वितरण के कारण फिसलन, माइलस्टोन की गैर उपलब्धि, विनिमय दर विविधता आदि
117.	4076.03.206-विशेष परियोजनाएं	550.00	291.72	258.28	विशेष रूप से जम्मू व कश्मीर में प्रतिकूल मौसम दशाओं के कारण परियोजना में हुए विलम्ब के कारण
04- रक्षा आयुद्ध कारखाना					
118.	4076.04.052-संयंत्र एवं उपकरण	424.68	312.30	112.38	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्यांकन स्तर पर कटौती के कारण

अनुबंध 3.14

(पैराग्राफ 3.17 के संदर्भ में)

उप-शीर्षों के अंतर्गत सतत बचत दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			(रकरोड़ में)			
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग						
1.	2415.01.150.03-कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति बोर्ड सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन एवं कृषि में सूचना और प्रकाशन का निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन	2013-14	516.31	225.02	291.29	56
		2014-15	530.30	284.11	246.19	46
		2015-16	452.27	285.65	166.62	37
दूरसंचार विभाग						
2.	2071.01.102.01-साधारण पेंशन	2013-14	925.00	686.67	238.33	26
		2014-15	989.11	792.45	196.66	20
		2015-16	911.32	781.40	129.92	14
विदेश मंत्रालय						
3.	3605.00.101.14-म्यांमार को सहायता	2013-14	450.00	164.86	285.14	63
		2014-15	330.00	104.34	225.66	68
		2015-16	270.00	117.07	152.93	57
आर्थिक कार्य विभाग						
4.	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि-2235.60.797.02	2013-14	609.55	200.00	409.55	67
		2014-15	607.00	107.00	500.00	82
		2015-16	607.00	--	607.00	100
5.	5475.00.800.12-अवसंरचना विकास के लिए सहायता- वायबिलिटी गैप फंडिंग	2013-14	678.00	450.00	228.00	34
		2014-15	670.00	365.00	305.00	46
		2015-16	1028.50	623.50	405.00	39
6.	7475.00.800.10-नई व्यवस्था के अंतर्गत उधार लेने के तहत आई एम एफ को ऋण (एन ए बी)	2013-14	1830.02	1486.05	343.97	19
		2014-15	2972.08	2427.59	544.49	18
		2015-16	1486.04	692.60	793.44	53
वित्तीय सेवा विभाग						
7.	5465.01.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि	2013-14	14000.00	--	14000.00	100
		2014-15	11200.00	1253.30	9946.70	89
		2015-16	7940.00	--	7940.00	100

विनियोग - ब्याज भुगतान						
8.	*2048.00.200.13*-सरकारी प्रतिभूतियों की पुर्नखरीद पर प्रिमियम का भुगतान	2013-14	2000.00	687.48	1312.52	66
		2014-15	1000.00	--	1000.00	100
		2015-16	*1000.00*	*38.22*	*961.78*	96
9.	*2049.01.115-भारतीय* रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	2013-14	2000.00	251.73	1748.27	87
		2014-15	800.00	433.57	366.43	46
		2015-16	*500.00*	*74.28*	*425.72*	85
10.	*2049.01.116-14* दिवसीय ट्रैजरी बिल (प्रभारित)	2013-14	7150.00	3616.53	3533.47	49
		2014-15	7250.00	3671.44	3578.56	49
		2015-16	5000.00	3823.49	1176.51	24
11.	*2049.01.126*-बैंक में मुद्रा की बाजार स्थिरीकरण निवेश योजना पर देय छूट/ब्याज	2013-14	1630.38	--	1630.38	100
		2014-15	1628.81	--	1628.81	100
		2015-16	686.60	--	686.60	100
राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अंतरण						
12.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम	2013-14	1000.00	--	1000.00	100
		2014-15	1000.00	--	1000.00	100
		2015-16	100.00	--	100.00	100
विनियोग - कर्ज का पुर्नभुगतान						
13.	6001.00.106.30-8% बचत बॉन्डस, 2003 (आयकर योग्य)	2013-14	1063.60	429.45	634.15	60
		2014-15	1143.69	594.29	549.40	48
		2015-16	5713.47	5477.56	235.91	04
14.	6001.00.114- अर्थोपाय अग्रिम	2013-14	500000.00	242425.00	257575.00	52
		2014-15	500000.00	316116.00	183884.00	37
		2015-16	*500000.00*	*83843.00*	*416157.00*	83
प्रत्यक्ष कर						
15.	4059.01.202-तैयार बना हुआ आवास का अधिग्रहण	2013-14	547.00	430.25	116.75	21
		2014-15	700.01	42.38	657.63	94
		2015-16	323.72	52.32	271.40	84
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
16.	2210.06.001.09-संक्रामक रोगों के लिए लचीला पूल	2013-14	920.59	538.49	382.10	42
		2014-15	1661.49	1128.47	533.02	32
		2015-16	1167.51	972.65	194.86	17
17.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय प्रतिरोधक क्षमता कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन की मजबूती के लिए भौतिक सहायता	2013-14	332.36	159.43	172.93	52
		2014-15	718.10	153.80	564.30	79
		2015-16	718.10	7.00	711.10	99

भारी उद्योग विभाग						
18.	2852.80.003.12-राष्ट्रीय स्वचालित परीक्षण एवं रिसर्च अनुसंधान अवसंरचना परियोजना	2013-14	341.94	--	341.94	100
		2014-15	426.94	241.91	185.03	43
		2015-16	219.54	74.99	144.55	66
उच्चतर शिक्षा विभाग						
19	2202.03.102.14-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान(आर यू एस ए)	2013-14	300.80	6.51	294.29	98
		2014-15	140.74	6.77	133.97	95
		2015-16	140.74	5.52	135.22	96
योजना मंत्रालय						
20.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	2013-14	1819.00	1194.68	624.32	34
		2014-15	1437.14	1104.61	332.53	23
		2015-16	1638.22	1285.43	352.79	22
विद्युत मंत्रालय						
21.	4801.02.190.02-राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2013-14	474.00	301.45	172.55	36
		2014-15	915.00	73.74	841.26	92
		2015-16	993.00	76.83	916.17	92
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
22.	5054.01.337.01-सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य	2013-14	3704.83	2533.17	1171.66	32
		2014-15	2412.56	1713.31	699.25	29
		2015-16	5718.06	600.00	5118.06	90
अनुदान सं. 91-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय						
23.	3601.03.789.08-अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास	2013-14	1028.00	789.78	238.22	23
		2014-15	1036.80	700.00	336.80	32
		2015-16	1086.74	799.56	287.18	26
अनुदान सं. 97- पर्यटन मंत्रालय						
24.	3452.80.104.01-प्रत्यक्ष व्यय	2013-14	448.20	292.60	155.60	35
		2014-15	446.20	279.79	166.41	37
		2015-16	457.20	296.68	160.52	35
अनुदान सं. 104- शहरी विकास विभाग						
25.	4217.60.190.08-अन्य मैट्रो परियोजनाएं	2013-14	470.98	300.00	170.98	36
		2014-15	1462.27	338.99	1123.28	77
		2015-16	945.67	580.49	365.18	39

अनुबंध 4.1

(पैराग्राफ 4.4.1 एवं 4.5.3 के संदर्भ में)

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 में समाहित विषय शीर्ष तथा उनका विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
विषय वर्ग 1 (कार्मिक सेवाएं एवं लाभ)	
01- वेतन	इसमें यात्रा खर्चों (अवकाश यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथा अवकाश नकदीकरण सहित कार्मिकों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण व्यय भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के सरकार (आतिथ्य)भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
02- मजदूरी	इसमें वर्तमान में आकस्मिकता से देय कर्मियों एवं श्रमिकों की मजदूरी शामिल होगी।
03- समयोपरि भत्ता	राशि का भुगतान अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उनके कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्यालयी समय के बाद कार्यालयी कार्य संपन्न करने हेतु किया जाएगा।
04- पेंशन संबंधी प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के पेंशन के भुगतान एवं सभी प्रकार की ग्रेच्युटी के अलावा सेवा निधि अनुदान एवं अंशदायी भविष्य निधि शामिल होगा। तथापि, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि शामिल नहीं होगा।
05- पारितोषिक	इसमें केवल सरकारी सेवकों को केवल मंत्रालय/विभाग में परिचालित होनेवाली, योजनानुसार प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
06- चिकित्सकीय उपचार	इसमें सरकारी सेवकों/पेंशनरों के चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
विषय वर्ग 2 (प्रशासनिक व्यय)	
11- घरेलू यात्रा व्यय	इसमें भारत में की गई सेवा के लिए सभी प्रकार के यात्रा खर्च, परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित शामिल होगा लेकिन छुट्टी यात्रा रियायत को छोड़कर जो कि वेतन का भाग होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों को भारत में यात्रा के दौरान या.भ./म.भ. भी शामिल होगें।
12- विदेशी यात्रा व्यय	इसमें वैज्ञानिकों की विदेशी प्रतिनियुक्ति; भारत से बाहर के दौरे, सहित पर किए जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत से बाहर किए जाने दौरों पर या.भ./म.भ. पर व्यय भी शामिल होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
13- कार्यालयी व्यय	इसमें कार्यालय संचालन के लिए किए जाने वाले वाली सभी आकस्मिक खर्चे शामिल होंगे जैसे कि फर्नीचर, डाक, कार्यालयी मशीनों एवं उपकरणों का अनुरक्षण एवं खरीद, सर्द और गर्म मौसम प्रभार (आकस्मिक निधि से कर्मचारियों को किए भुगतान को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत और जल प्रभार, लेखन-सामग्री, फार्मों की छपाई, कार्यालयी उद्देश्य के लिए स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों जैसे- एम्बुलेंस, वैन इत्यादि की खरीद एवं अनुरक्षण। इसमें कार्यालयी उपयोग के लिए गाड़ियों पर किए जाने वाला पी.ओ.एल. व्यय भी शामिल होगा।
14- किराया, दरें एवं कर	इसमें किराए पर लिए गए भवनों के किराये, निगम दरें एवं करें आदि शामिल होंगे। इसमें भूमि का पट्टा प्रभार भी शामिल होगा।
15- रॉयल्टी	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
16- प्रकाशन	इसमें कार्यालयी कोड, नियमावली एवं अन्य दस्तावेजों के छपाई पर हुए व्यय शामिल होंगे चाहे वे मूल्यांकित हो या अमूल्यांकित लेकिन प्रचार सामग्री की छपाई पर व्यय शामिल नहीं होगा। इसमें प्रकाशन की बिक्री पर अभिकर्ताओं को दिए जाने वाली छूट भी शामिल होंगी।
20- अन्य प्रशासनिक खर्चे	इसमें विभागीय कैंटीन, आवभगत/मनोरंजन खर्चे, उपहार तथा किए गए दौरों पर व्यय, सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 3 (संविदात्मक सेवाएँ एवं आपूर्तियाँ)	
21- आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
22- आयुधऔर गोला बारूद	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं को आयुध और गोला बारूद पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
23- राशन की लागत	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं के राशन पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
24- पी.ओ.एल.	इसमें पुलिस एवं अन्य अर्द्ध सैनिक वाहनों के पी.ओ.एल. पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। यह क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परिवहन वाहनों के पी.ओ.एल. पर किए जाने वाले व्यय को शामिल करेगा, लेकिन उनको छोड़कर जो कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
25- कपड़ा और तंबू	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक के कपड़े और तंबू पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
26- विज्ञापन एवं प्रचार	इसमें प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं बिक्री के लिए अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला कमीशन शामिल होगा। इसमें मेलों व प्रदर्शनियों पर व्यय भी शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माण कार्यों, मशीनरी तथा उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय दर्ज होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
28- व्यवसायिक सेवाएं	इसमें कानूनी सेवाओं के प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को पारिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरसंचार, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को पारिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें दी गई सेवाओं, अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होंगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय खर्चे के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
30- अन्य संविदात्मक सेवाएँ	इसमें सेवा या प्रतिबद्धता प्रभारों तथा प्राप्त उपहारों के सैद्धांतिक मूल्य आदि पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 4 (अनुदान, इत्यादि)	
31- सहायता अनुदान-सामान्य	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा।
33- आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
34-छात्रवृत्ति/कृत्रिका	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
36- सहायता अनुदान- वेतन	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
विषय वर्ग 5 (अन्य व्यय)	
41- गुप्त सेवा व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
42- एकमुश्त प्रावधान	इसमें योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों जहॉ प्रावधान ₹ 10 लाख से अधिक न हो के संबंध में व्यय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों में, व्यय के अन्य विषयों का अलग-अलग ब्यौरा भी दिया जाएगा।
43- उचंत	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण/अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सेवा व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45- ब्याज	इसमें पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर छूट शामिल होंगी।
46- केन्द्र राज्य संसाधनों का अंतरण	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
50- अन्य प्रभार	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य छूटें, उत्पाद शुल्क, क्षतिपूर्ति, इनाम तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे।

विषय शीर्ष	विवरण
विषय वर्ग 6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण और अन्य पूंजीगत व्यय)	
51- मोटर वाहन	कार्यालय को चलाने के लिए प्रयोग में आने वाले वाहनों से अलग कार्यात्मक गतिविधियों (जैसे-एम्बुलेंस वैन) के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों का खरीद एवं अनुरक्षण शामिल।
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे।
53- मुख्य निर्माण कार्य	इसमें भूमि के अधिग्रहण तथा ढ़ांचों की लागत भी शामिल होगी।
54- निवेश	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं है।
55- ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे।
56- उधारों का पुनर्भुगतान	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
60- अन्य पूंजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
विषय वर्ग 7 (लेखा समायोजन)	
61- मूल्यह्रास	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
62- आरक्षितें	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
63- अंत: खाता अंतरण	इसमें आरक्षित निधि से तथा अंतरण इत्यादि को, पूंजी से राजस्व को वापस लिखना शामिल होगा।
64- बट्टे खाते/हानियां	इसमें बट्टे खाते में डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानियां, व्यापारिक हानियां शामिल होंगी।
70- वसूलियां कटौती	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

अनुबंध-5.1

(पैराग्राफ 5.4.13 के संदर्भ में)

वर्ष-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रें (यूसी)

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	बकाया यूसी की संख्या	लंबित यूसी की कुल राशि
1976-93	3	17.50
1993-94	11	168.82
1994-95	2	4.65
1995-96	59	311.93
1996-97	69	151.99
1997-98	44	655.53
1998-99	44	393.69
1999-00	39	1109.14
2000-01	51	1389.64
2001-02	35	1033.81
2002-03	67	1555.43
2003-04	144	3074.22
2004-05	186	11514.28
2005-06	194	17039.16
2006-07	273	33737.76
2007-08	176	14711.78
2008-09	145	26589.73
2009-10	119	6775.88
2010-11	164	24762.16
2011-12	647	78950.72
2012-13	477	149903.97
2013-14	759	376065.11
2014-15	78	55610.09
कुल	**3786**	**805526.99**

शब्दावली

विनियोग	:	विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
विनियोग लेखे	:	विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) के प्रति हुए वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अंतर्गत बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं। अनुदान से अधिक किसी भी प्रकार के व्यय का संसद द्वारा नियमितीकरण की आवश्यकता है
विनियोग अधिनियम	:	संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
विनियोग विधेयक	:	लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय किन्तु जो संसद के समक्ष पहले से रखे गए विवरण में दर्शायी हुई राशि से किसी भी स्थिति में अधिक न हो की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
पूंजीगत व्यय	:	इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम आते हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां	:	पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियां, विनिवेश से प्राप्तियां आदि शामिल है।
प्रभारित विनियोग	:	संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अंतर्गत समेकित निधि पर 'प्रभारित' व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।

भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। भा.स.नि. से समस्त व्यय दत्तमत्त अथवा प्रभारित विनियोग द्वारा किया जाता है। यह राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्जे इत्यादि) नामक दो प्रभागों से निर्मित है।

भारत की आकस्मिकता निधि : संसद द्वारा विधि अनुसार अग्रदाय के रूप में, एक ऐसी आकस्मिकता निधि स्थापित की गई है जिसमें विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी है जिसमें से अपपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु उनके द्वारा अग्रिम दिया जा सके जब तक संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अंतर्गत इस प्रकार का व्यय संसद द्वारा विधि अनुसार प्राधिकृत न हो जाए।

लो.वि.प्र.प्र. (इससे पहले के.यो.यो.मॉ.प्र. के नाम से प्रचलित) : लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (इससे पहले केन्द्रीय योजनागत योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (के.यो.यो.मॉ.प्र.) के नाम से प्रचलित) एक साफ्टवेयर है जो लेखा महानियंत्रक द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। साफ्टवेयर के अंतर्गत भारत सरकार की योजनागत योजनाओं के लिए एक समान लेन-देन आधारित ऑन-लाइन निधि प्रबंधन तथा भुगतान प्रणाली एवं एम.आई.एस. को स्थापित किया गया है। इस मंच का विस्तार अब राज्य खजानों में सीधे प्राप्त होने वाली योजनागत निधियों के प्रभावी भुगतान के लिए राज्य सरकारों तक किया जा चुका है।

ऋण शोधन : देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।

अनुदान की मॉगें : अनुदान मांगें किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं तथा यह व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से दर्शाती है तथा इन्हें संसद में दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें लोकसभा में सम्बद्ध मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने के कुछ दिन पहले उस मंत्रालय द्वारा सदन के पटल पर रखी जाती है।

: चूंकि अनुदान मांगें सकल व्यय के लिए होती है तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले निवल व्यय को दर्शाता है, अत: सकल व्यय की कटौती में प्राप्तियों को समायोजित करने के पश्चात् दोनों के योग में सामंजस्य किया जाना चाहिए।

ई-लेखा : यह लेखांकन प्रक्रिया की दक्षता तथा शुद्धता को सुधारने के उद्देश्य से सिविल लेखा संगठन हेतु एक इलेक्ट्रानिक भुगतान तथा लेखांकन साफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। यह मूल्य संवर्धित रिपोर्टिंग तथा मानीटरिंग क्रियाविधि हेतु दैनिक, मासिक तथा वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के समाकलन सहित मूल लेखांकन की एक प्रणाली प्रदान करता है।

अधिक अनुदान : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में प्राधिकृत राशियों से सार्थक रूप में बढ़ जाते हैं, अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।

बाह्य ऋण : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अनुबन्धित ऋण अर्थात् विश्व बैंक, आई.बी.आर.डी. आई.डी.ए. आदि से कर्जा।

राजकोषीय घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अतिरिक्त ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि सहित हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार की कुल उधारी तथा लम्बित ऋण में हुए इजाफे को भी दर्शाता है।

बर्तमान मूल्य पर जीडीपी : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। इसका आकलन चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान लागू कीमतों पर किया जाता है।

आन्तरिक कर्ज : भारत में जनता से लिए गए नियमित ऋण, आन्तरिक कर्ज के अंतर्गत आते हैं, इसे "भारत में उठाया गया कर्ज" भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जो तक सीमित होता है।

मुख्य शीर्ष : लेखे में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड आवंटित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष एक प्राप्ति शीर्ष है या राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष या ऋण शीर्ष है।

लघु शीर्ष : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाला कोड आवंटित किया गया है, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत "001" से प्रारंभ होता है।

नई सेवा	:	इसका अभिप्राय पहले से संसद के संज्ञान में न लाये गये किसी नए नीतिगत निर्णय द्वारा उत्पन्न हुए तथा निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है जिसमें एक नया कार्यकलाप अथवा एक नए निवेश का तरीका शामिल होता है।
सेवा का नया साधन	:	किसी वर्तमान गतिविधि के एक महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न तथा निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक विशाल व्यय।
मूल अनुदान	:	किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए 'वार्षिक वित्तीय विवरण' में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
प्रारंभिक घाटा	:	राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा निकल आता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके ब्याज रहित व्यय के आधिक्य के रूप में भी इसे देखा जा सकता है।
लोक लेखा	:	समेकित निधि में शामिल धन के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अथवा उसके पक्ष में प्राप्त सभी प्रकार के धन को भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें 'कर्ज' से संबंधित ऐसे लेन-देन शामिल होते हैं जो समेकित निधि में शामिल नहीं होते। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।
लोक ऋण (भारत का)	:	भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार जिसे सी.एफ.आई में लेखाबद्ध किया गया।
पुनर्विनियोजन	:	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
राजस्व घाटा	:	यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर होता है।
राजस्व व्यय	:	यह सरकार के सामान्य अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों सब्सिडी तथा अंतरण आदि चलाने के लिए किया जाता है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के उद्देश्य से किए गए हों।

राजस्व प्राप्तियां : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

स्टॉक : स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तातरणीय न हो बल्कि जो हस्तांतरण दर्ज करके तथा लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके हस्तांतरित किया जा सके।

अनुपूरक अनुदान : यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित किसी कानून द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में परिकल्पित न की गई किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हो तो सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधान के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त किया जाता है।

बचत का अभ्यर्पण : केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में पायी गयी प्रत्याशित बचतों को वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की सूचना लेखापरीक्षा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित किया जायेगा।

बचत : जब व्यय बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती हैं।

दत्तमत्त अनुदान : अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित होता है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।